Wednesday, 07 May,1975

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र
Thirteenth Session]

सत्यमेव जयते

Preservation
1-9-92
Fumigated
30-7-85
Parliament Library

[खंड 52 में अंक 41 से 49 तक हैं
Vol. LII contains Nos. 41 to 49]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

मूल्य : दो रूपये

Price : Two Rupees

पंचम माला खण्ड 52 अंक 47 बुधवार 7 मई 1975/17 वैशाख 1897 (शक)

लोक सभा वाद विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या 27 पंक्ति 16 कालम 1 224242 2·4 के स्थान पर 224242 2·48 पढ़ा जाए ।

पृष्ठ संख्या 67 पंक्ति 18, कालम 2 72·4 के स्थान पर 72·0 पढ़ा जाए ।

पृष्ठ संख्या 71 नीचे से पंक्ति 4 कालम दो 4·73 के स्थान पर 4·75 पढ़ा जाए ।

पृष्ठ संख्या 100 पंक्ति 14 एस टी 9665/73 के स्थान पर 9665/75 पढ़ा जाए

पृष्ठ संख्या 158 पंक्ति 18 मदत्रुपुजा के स्थान पर दुवातुपुजा पढ़ा जाए ।

विषय सूची/CONTENTS

अंक 47, बुधवार, 7 मई, 1975/17 वैशाख, 1897 (शक)

No. 47, Wednesday, May 7, 1975/17 Vaisakha, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ Pages
निधन संबंधी उल्लेख	**Obituary Reference**	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 915, 916, 919, 920 और 923 से 926	Starred Questions Nos. 915, 916, 919, 920 and 923 to 926	2
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 917, 918, 921, 922 और 927 से 934	Starred Questions Nos. 917, 918, 921, 922 and 927 to 934 . . .	19
अतारांकित प्रश्न संख्या 8878 से 8904, 8906 से 9025 और 9027 से 9077	Unstarred Questions Nos. 8878 to 8904, 8906 to 9025 and 9027 to 9077	27
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . . .	143
सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	Committee on Absence of Members from the Sittings of the House .	146
कार्यवाही सारांश तथा 21वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Minutes and Twenty-first Report presented	146
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha . .	147
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
56 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Fifty-sixth Report **presented** . .	147
आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (संशोधन) विधेयक	Maintenance of Internal Security (Amendment) Bill— . . .	147
पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव	Motion to introduce—	
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Brahmananda Reddy . .	147

किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was acutally asked on the floor of the House by him.

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)

LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 7 मई, 1975/17 वैशाख, 1897 (शक)

Wednesday, May 7, 1975/Vaisakha 17, 1897 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

[Mr. Speaker in the Chair]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : सदस्यगण, मैं सभा को यह दुखद समाचार दे रहा हूं कि श्री पीटर अल्वारेस का गत सन्ध्या को बम्बई की यात्रा करते हुये 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।

श्री अल्वारेस, जो कि भारत के जाने माने मजदूर नेता थे और समाजवादी आन्दोलन के अग्रणी थे। 1963 में तीसरी लोक सभा के लिये गोआ निर्वाचन क्षेत्र से तब निर्वाचित हुये जबकि गोआ क्षेत्र को भारत में मिलाने के बाद वहां पहली बार चुनाव हुये। पहले वे 1949 से 1952 तक बम्बई विधान सभा के सदस्य रहे। श्री अल्वारेस ने मजदूरों के अधिकारों के लिये अथक प्रयास किये तथा भारत में मजदूर संघ आन्दोलन को प्रतिष्ठा प्रदान की। वे अखिल भारतीय रेल कर्मचारियों की फेडरेशन के कई वर्षों तक अध्यक्ष रहे तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की मांगों का भी उन्होंने जोरदार समर्थन किया।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं और सभा के सदस्यगण शोक-संतप्त परिवार को अपनी संवेदना भेजते हैं।

अब हम उनके सम्मान में कुछ क्षणों के लिये मौन खड़े होंगे।

(तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ देर के लिए मौन खड़े रहे।)

(The Members then stood in silence for a short while)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सरकारी कार्यों के लिए हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की पुनरीक्षा करने के लिए संसद् सदस्यों की एक समिति का गठन

+
*915. **श्री एम० एस० पुरती :**
श्री दिनेश सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी कार्यों के लिये हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की पुनरीक्षा करने के लिये संसद् सदस्यों की एक समिति गठित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम् मेहता) : (क) तथा (ख) जी हां श्रीमान्। संसद के चालू सत्र के दौरान राजभाषा सम्बन्धी एक समिति गठित करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

Shri M. S. Purty : Mr. Speaker, Sir, the Minister has stated that steps are being taken to constitute a Committee on official language during the current session. The current session of Parliament will come to an end in the next two days. May I know from the Minister whether this important Committee will have been constituted in a hurry within two days? Whether, in accordance with the provisions of Article 344 of the Constitution, any Committee was appointed after 5 or 10 years since the adoption of the Constitution for examining the recommendations made by the official language Commission? If not, the reasons therefor and if so, what were the recommendations of the Commission in regard to use of Hindi as official language and the relent to which they have been implemented ?

Shri Om Mehta: If the Honourable Member should look to the order paper of the day he will find that there is a resolution included therein, which I propose to move today, regarding appointment of such a Committee. We had given a notice therefor long ago but as soon as we got time for it, it was included in the list of Business. There is no question of delay. A Commission was constituted in 1955 which submitted its report in 1956. Again as per the provisions of the Constitution a Committee was appointed in 1957. As a result Official Languages Act was passed in 1963, which was later on amended in 1967. The Committee which was to be set up in 1960 was not set up because the recommendations made by the Committee of 1955 were being implemented. The official Languages Bill was introduced in Parliament in 1963 which became the Act the same year.

Shri M. S. Purty: May I know from the Minister whether some states in the country oppose official language Hindi and do not accept the letters in Hindi ? If so, what action has been taken or proposed to be taken by you in this regard ?

Shri Om Mehta : It is not so. The work is being done in Hindi in accordance with the provisions of the Act and letters being addressed to and received from Hindi speaking states in Hindi.

श्री पी० वेंकटासुब्बया : संसद ने जो राजभाषा अधिनियम पास किया है उसमें अंग्रेजी को भी सहायक भाषा माना गया है और जब श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधान मंत्री थे उस समय इस विषय

पर सदन में चर्चा हुई थी और अंग्रेजी को वही दर्जा दिया गया था। गैर-हिन्दी भाषियों की यह भावना उचित ही है अंग्रेजी सहायक भाषा की हैसियत से कुछ दिन और चले। इन तथ्यों को देखते हुये क्या मैं जान सकता हूं कि जो समिति बनाई जा रही है उसमें अहिन्दी भाषी संसद सदस्यों को भी शामिल किया जायेगा ?

श्री ओम् मेहता : ऐसा करना संसद का कार्य है। समिति लोक सभा और राज्य सभा द्वारा बनाई जायेगी। सदस्य इस सभा द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे। यह फैसला करना आपका और इस सदन का काम है। अगर अहिन्दी भाषी क्षेत्रों से कोई सदस्य शामिल हुआ तो हम उसका स्वागत करेंगे।

श्री पी० वेंकटासुब्बैया : इसके लिये कौन से सिद्धान्त अपनाये जायेंगे? समिति इस सदन द्वारा गठित की जायेगी, क्या उसमें अहिन्दी भाषी सदस्य भी होंगे ?

श्री ओम् मेहता : उन्हें इससे अलग नहीं रखा जायेगा। इस समिति का निर्वाचन भी किसी भी अन्य समिति की तरह होगा।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : पर यह सरकार के कहने पर होगा।

श्री ओम् मेहता : इसका फैसला संसदीय कार्य विभाग करेगा न कि गृह मंत्रालय। अहिन्दी भाषी सदस्यों का हम इस समिति में स्वागत करेंगे।

Shri Ram Deo Singh : In view of the provision in the Constitution, that a Committee shall be appointed after ten years and see whether English is being replaced by Hindi progressively, whether it has been examined as to the progress made in this regard in various States ?

Shri Om Mehta : The Official Languages Act was passed in 1963 and enforced in 1965. The Act provides that a Committee be constituted after ten years to see as to what has been done for the promotion of Hindi. Ten years have been completed on 26th January, 1975 and the Committee has been appointed for the first time.

तमिल-नाडु के लिए पांचवीं योजना को फिर से तैयार करना

*916. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिल नाडु में गंभीर सूखा तथा दुर्भिक्ष के करण योजना आयोग का विचार पांचवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य की धनराशियों के आवंटन के सम्बन्ध में पुनर्विचार करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी परियोजनाओं को जिन्हें 1975 में प्रारम्भ किया जाना था, पांचवीं योजना के तैयार न होने के कारण त्याग दिया गया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने तमिल नाडु राज्य के लिये पांचवीं योजना फिर से तैयार की हैं; और

(घ) पांचवीं योजना के फिर से तैयार करने का तमिलनाडु राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क), (ख), (ग) और (घ) तमिल नाडु सहित सभी राज्यों की पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। अतः

वर्तमान सूखे के परिणामस्वरूप पांचवीं पंचवर्षीय योजना के किसी भी कार्यक्रम को छोड़ देने का प्रश्न नहीं उठता।

जहां तक वार्षिक योजना 1975-76, जिसे अभी अन्तिमरूप दिया जा रहा है, का सम्बन्ध है, उसमें ऐसी स्कीमों में तेजी लाने के लिये पर्याप्त सावधानी बरती गई है जो राज्य की सूखे की स्थिति का सामना करने की दृष्टि से उपयोगी है।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या तमिलनाडु में उत्पन्न हुई स्थिति को देखते हुये तमिलनाडु सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में परिवर्तन करने का सुझाव दिया है? क्या उसने इसके लिये कोई प्रस्ताव भेजे हैं?

श्री विद्या चरण शुक्ल : उसने वर्तमान योजनावधि के लिये 20 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है और हमने उसे बताया है कि हम उस पर विचार करने के लिये तैयार है बशर्ते कि वह इसे पांचवीं योजना की सीमा के भीतर ही रखें। उसके इस अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : तमिलनाडु में उत्पन्न असाधारण स्थिति तथा वहां भयंकर सूखे को देखते हुये क्या केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये 20 करोड़ रुपये से अधिक की विशेष सहायता देगी?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सहायता राज्यों द्वारा की गई मांगों की अच्छी तरह जांच पड़ताल करके और विचार-विमर्श करके ही दी जाती है। तमिलनाडु द्वारा रखी गई मांग को हम अन्तिम रूप दे रहे हैं और आशा है कि यह मसला शीघ्र ही हल हो जायेगा।

श्री एन० के० पी० साल्वे : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि राज्यों की पांचवीं योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है तथा कतिपय राज्यों में व्याप्त सूखे की स्थिति को ध्यान में रखा गया है। कुछ राज्यों की 1975-76 की वार्षिक योजना में भी सूखे की स्थिति को ध्यान में रखा गया है। तमिलनाडु के अलावा मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में भी भयंकर सूखा पड़ा है। रायलसीमा में भी सूखे की स्थिति है। क्या सूखे से प्रभावित इन क्षेत्रों के लोगों को राहत देने के लिये योजना में समुचित व्यवस्था कर दी गई है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिये कि इन क्षेत्रों में बार-बार सूखा न पड़े, कोई दीर्घावधि उपाय किये जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल तमिलनाडु से सम्बन्धित है।

श्री एच० के० वी० साल्वे : यह अनुपूरक प्रश्नों से उत्पन्न हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह ठीक नहीं है।

श्री एन० के० पी० साल्वे : यह प्रश्न संगत है। इस पर विचार किया जाये। उनका कहना है कि सूखे की स्थिति को देखते हुये विभिन्न राज्यों की योजनाओं में परिवर्तन किया जा रहा है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : नहीं, नहीं।

श्री एन० के० पी० साल्वे : मेरा प्रश्न महत्वपूर्ण है। यदि मंत्री जी उत्तर देते हैं तो उन्हें देने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : सामान्य कथनों पर सामान्य पूरक प्रश्न पूछे जाने चाहिये, किसी स्थान विशेष के बारे में नही ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : मैं तमिलनाडु सहित इन क्षत्रों में व्याप्त सूखे की स्थिति को देखते हुये तत्काल राहत के लिये की जा रही व्यवस्था के सामान्य सिद्धान्त के बारे में प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री विद्या चरण शुक्ल : हम क्षति का अनुमान लगाने के लिये एक केन्द्रीय दल भेजते हैं। यह दल राज्य सरकारों से उनकी समस्याओं का ज्ञापन और धन की आवश्यकता के बारे में मांग आने पर भेजा जाता है। माननीय सदस्य ने छतीसगढ़ के बारे में विशेष प्रश्न पूछा है। हम राज्य सरकार से उस ज्ञापन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसमें वह चालू वर्ष की अपनी कठिनाइयां बतायेगी। जैसे ही वह ज्ञापन हमें प्राप्त होगा, हम शीघ्र ही एक दल उसकी जांच के लिये भेजेंगे और तत्काल कार्यवाही की जायेगी। पर जब तक ज्ञापन नहीं मिल जाता हम कोई कार्यवाही इस बारे में नहीं कर सकते।

Shri M. C. Daga : In Rajasthan Fifteen thousand villages have been affected by famine. A study team had been sent there which has given its report. I do not know whether the team sent second time has given its report or not? Whether you propose to allocate funds for completion of the works under fifth Plan ?

Shri Vidya Charan Shukla : They were provided funds after the receipt of the report of first team. I am not aware whether report for the current financial year in respect of Rajasthan has been received or not. But I can assure immediate action if the report has been received.

Mr. Speaker : This specific question related to Tamil Nadu. Rajasthan has been brought into it. I shall not allow such questions.

श्री मोहन धारिया : क्या सरकार को पता है कि तमिलनाडु सहित गुजरात, उड़ीसा, और मध्य प्रदेश राज्यों की अर्थव्यवस्था इस वर्ष सूख के कारण तहस नहस हो गई है। क्या सरकार को यह भी मालूम है कि छठे वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के कारण देश की एकता को नुकसान पहुंचा है। जब कभी कोई दैवी विपत्ति आ जाती है तो सारा देश त्याग क्यों नहीं करता। इन परिस्थितियों को देखते हुये क्या सरकार सदन को यह आश्वासन देगी कि वह राष्ट्रीय विकास परिषद् के फैसले पर पुर्नविचार करेगी तथा इस देश को एक देश मानेगी और जो राज्य संकट में हैं उसे संकट से उबारा जायेगा।

श्री विद्याकचरण शुक्ल : छठे वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा बिचार नहीं किया जाता। इन पर सरकार विचार करती है तथा निर्णय लेती है। छठे वित्त आयोग की सिफारिशों पर सरकार ने निर्णय किया है कि किसी राज्य में सूखे से राहत के लिये सहायता उस राज्य विशेष के योजना परिव्यय के भीतर होगी। यह धनराशि या केन्द्रीय सहायता या कोई अन्य धनराशि जिसे राज्य सरकार जुटाती है वह राष्ट्रीय संसाधन है। कोई भी राज्य अकेला ही दैवी विपत्तियों का मुकाबला नहीं करता। यह विपत्ति चाहे तमिलनाडु में आये या मध्य प्रदेश में या राजस्थान में, यह राष्ट्रीय प्रश्न है। इसलिये जब हम केन्द्रीय सहायता देते हैं तो इस बात को ध्यान में रखते है। पर हमें कुछ अनुशासन रखना पड़ता है और कार्यप्रणाली निश्चित करनी होती है। इसीलिये वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार की गई हैं। इस पर राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी वर्तमान योजना सूखे से पीड़ित क्षेत्रों की सहायता करना है, हालांकि हम उतनी

सहायता देने में असमर्थ हों जितनी कि उन्हें चाहिये। पर हमने किसी भी विपत्ति से बचने के लिये उन्हें सहायता दी है और वे अपनी आवश्यकता पूरी कर पाये हैं। इसी प्रकार यदि तमिलनाडु हमारे साथ सहयोग करेगा तो वह भी स्थिति का मुकाबला कर सकेगा।

श्री मोहन धारिया : मेरे प्रश्न को टाल दिया गया है। मैंने रा० वि० प० के बारे में इसलिये कहा था कि सारे देश को साथ लेकर चलना होगा। इसलिय मुख्य मंत्रियों का इस कार्य में शामिल होना आवश्यक है। यदि आप राष्ट्रीय विकास परिषद् की सलाह नहीं चाहते तो ठीक है किन्तु मैं वर्तमान निर्णय को गलत समझता हूं क्योंकि जब एक आपातस्थिति है तो सारे देश को बलिदान करना चाहिये। केवल एक राज्य को ही क्यों कठिनाई उठानी चाहिये ? अग्रिम की नियत धनराशि का पंचवर्षीय योजना के परिव्यय के लिये क्यों फिर संभन्जन किया जाना चाहिये। यह गलत निर्णय है और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस निर्णय पर फिर से विचार किया जाये।

श्री विद्या चरण शुक्ल : हमारे विचार से यह गलत निर्णय नहीं है किन्तु प्रत्येक सदस्य का यह हक है कि वह अपना विचार व्यक्त करे। जैसा कि मैंने कहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् को वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत नहीं करना है। इन पर सरकार को विचार करना है और सरकार ने इस प्रतिवेदन पर विचार किया है और निर्णय लिया है जिसे हम समझते हैं कि यह ठीक निर्णय है।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा, मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अंतरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री, विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इंन्दिरा गांधी) : किन्तु सारी धन राशि राष्ट्रीय संयुक्त कोष से ही आती है। प्रत्येक राज्य आखिर अलग नहीं है किन्तु सारे का सारा एक अंग है।

अध्यक्ष महोदय : वे यह जानते हैं फिर भी वे यह प्रश्न पूछ रहे हैं। उन्हें मंत्रालय में अपने पद का अभी भी पूरा-पूरा स्मरण है किन्तु वे क्या कर सकते हैं।

कर्नाटक में प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन

*919. **श्री के० लकप्पा : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक विकास के लिये आधारभूत ढांचे के न होने से कर्नाटक में प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन नहीं हुआ है जिसके परिणामस्वरूप यह राज्य विकास में पिछड़ा हुआ है, यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) गत दो वर्षों में कर्नाटक को कितनी राशि की वित्तीय सहायता दी गई है और वर्ष 1975-76 में कितनी राशि की वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस राज्य को वित्तीय सहायता की धनराशि निर्धारित करने के लिये क्या मानदंड अपनाएं गये हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क), (ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) यह मान लेना ठीक नहीं है कि औद्योगिक विकास के लिय बुनियादी आधार की कमी होने के कारण कर्नाटक के प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन नहीं हो सका। सही बात तो यह है कि कर्नाटक औद्योगिक विकास में कई राज्यों से आगे है। पांच योजना अवधियों के दौरान, समस्त देश के साथ कर्नाटक का आर्थिक विकास सुनियोजित ढंग से हुआ है। इसकी पंचवर्षीय योजनाओं में समस्त संसाधन की उपलब्धि के अनुरूप पांचों पंचवर्षीय योजनाओं की सापेक्ष प्राथमिकताओं के अन्तर्गत विकास के सभी क्षेत्र आ जाते हैं।

(ख) निम्नांकित सारणी में 1973-74 और 1974-75 के दौरान दी गई और 1975-76 को दी जाने वाली प्रस्तावित केन्द्रीय सहायता बताई गई है:—

(करोड़ रुपये)

1. योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता	
(1) वार्षिक योजना 1973-74 के लिये	35.46
(2) वार्षिक योजना 1974-75 के लिये	35.46
(3) वार्षिक योजना 1975-76 के लिये	35.46
2. योजना के बाहर केन्द्रीय सहायता	
(1) 1973-74 में विशेष योजना व्यवस्था . .	9.46
(2) काली नदी पन बिजली परियोजना के लिय गैर-योजना ऋण . .	14.89

(ग) सभी राज्यों को चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष, वार्षिक योजना 1973-74 के लिये, केन्द्रीय सहायता, राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित गाडगिल सूत्र के आधार पर दी गई थी। जिन सिद्धान्तों और मानदण्डों के आधार पर पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी जायेगी, उनका निश्चय होने तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदन होने तक, कर्नाटक समेत सभी राज्यों को केन्द्रीय सहायता का आबंटन वार्षिक योजना 1974-75 तथा 1975-76 में, उतनी ही दी गई है जितनी कि 1973-74 को दी गई थी।

कर्नाटक के लिये बहुत ही विशेष मामले के रूप में, राज्य योजना से बाहर 1973-74 में 9.46 करोड़ रुपये की विशेष योजना व्यवस्था की गई थी ताकि उसके संसाधनों में गैर-योजना अन्तराल की पूर्ति की जा सके।

काली नदी पन बिजली परियोजना के खर्च की पूर्ति के लिये, विशेष मामले के रूप में 1973-74 में कर्नाटक को 14.89 करोड़ रुपये की गैर-योजना सहायता प्रदान की गई थी।

श्री के० लकप्पा : अध्यक्ष महोदय, जो विवरण तथा तथ्य दिये गये हैं उनसे मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दिया गया है । कर्नाटक ऐसा राज्य है जहां बहुत से प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका औद्योगिक विकास के लिये उपयोग नहीं किया गया है । कर्नाटक में उपलब्ध प्राकृतिक

संसाधनों का उपयोग करने के लिये जो इनका ढाँचा तैयार किया गया है उसके परिणामस्वरूप हुई औद्योगिक प्रगति का पूरा विवरण नहीं दिया गया है । अतः मेरा प्रश्न यह है कि क्या कर्नाटक में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये सभी उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया गया है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कर्नाटक में उपलब्ध वे कौन से महत्वपूर्ण संसाधन हैं जिनका उपयोग किया गया है और गत 3 वर्षों में कर्नाटक में हुई औद्योगिक प्रगति का क्या प्रतिशत है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जैसा कि विवरण में बताया गया है कि कर्नाटक में हुई औद्योगिक प्रगति संघ के किसी भी अन्य राज्य से काफी अधिक है और यह स्वयं इस बात की द्योतक है कि कर्नाटक के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है ।

श्री के० लकप्पा : जो विकास हुआ है मैं उसकी प्रतिशत जानना चाहता हूं ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : यदि आप एक मिनट प्रतीक्षा करें तो आपको उत्तर मिल जायेगा ।

समस्त देश में—मध्य प्रदेश, बिहार और कई अन्य राज्यों में—प्राकृतिक संसाधन हैं किन्तु इस बात से कि जिन प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकाशतः औद्योगिक विकास निर्भर है वह कर्नाटक में अधिक हैं, यह दिखाई देता है कि कर्नाटक के प्राकृतिक संसाधनों का मध्य प्रदेश अथवा बिहार या इस प्रकार के अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक अच्छा उपयोग किया गया है । जहां तक विकास के प्रतिशत का संबंध है, मैंने सदस्य द्वारा प्रश्न में पूछी गई जानकारी दे दी है । यदि वे किसी विशेष शीर्षक के अन्तर्गत कोई विशेष प्रतिशत चाहते हैं तो मैं यह भी दे सकता हूं जैसे कि सिंचाई सम्भावना और विकास, विद्युत्, सड़क, खनिजों की खुदाई आदि के अन्तर्गत स्थापित क्षमता के बारे में हो सकती है । यदि इनके सम्बन्ध में आंकड़े चाहियें तो मैं दे सकता हूं ।

श्री के० लकप्पा : मेरा प्रश्न विशिष्ट था । मैंने जो पूछा था वह यह है कि हमारे राज्य को कुल औद्योगिक प्रगति क्या है यह अन्य राज्यों की तुलना में कितनी है ? मैंने पूछा कि इफ़ा-ढाँचे का प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिये कहां तक प्रयोग किया गया है । हमारा समुद्री तट बहुत लम्बा है । हमारे यहां बड़े खनिज भंडार हैं । हमारे यहां लम्बी नदियां हैं और इन सबका पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया गया है । प्राकृतिक संसाधनों का वे कैसे उपयोग कर सकते हैं जब पर्याप्त धन राशि की व्यवस्था नहीं की गई है ? हमारे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए क्या-क्या आर्थिक कार्य किये गये हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : कर्नाटक में औद्योगिक विकास कुछ अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक हुआ है और जहां तक औद्योगिक विकास के सही आंकड़ों का संबंध है, मैं इसे मालूम करूंगा और माननीय सदस्य को इससे अवगत कराऊंगा ।

श्री के० लकप्पा : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य ने कहा है कि यदि सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया गया होता तथा आवश्यक सहायता दी गई होती तो अधिक विकास कार्य हुआ होता । उन्होंने कहा कि बहुत कम धन राशि दी गई जो 1973-74 में गैर-योजना सहायता के रूप में 14.89 करोड़ थी । मैं अपने राज्य में कालिन्दी जल विद्युत् परियोजना के बारे में पूछ रहा हूं । यह एक राष्ट्रीय परियोजना है । इसके लिये जो थोड़ी धन राशि स्वीकृत की गई है इससे प्रारम्भिक व्यय भी पूरा नहीं किया जा सकता है और कर्नाटक राज्य के प्राकृतिक

संसाधनों का पूरा उपयोग करने के लिये भारत सरकार द्वारा इस कालिन्दी परियोजना को पूर्णरूप से प्रारम्भ किया जाना है । क्या मंत्री महोदय कालिन्दी जल विद्युत् परियोजना की क्रियान्विति के लिये सारा व्यय पूरा करने के लिये कदम उठायेंगे ? क्या आप इस संबंध में आवश्यक वित्तीय सहायता देंगे ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : कालिन्दी परियोजना के लिये वर्ष 1973-74 के लिये 14.89 करोड़ रुपये की यह सहायता गैर-आयोजना व्यय है और यह कर्नाटक सरकार के साथ पूरी चर्चा करने के बाद दी गई है । मुख्य मंत्री के नेतृत्व में एक दल चर्चा के लिये यहां आया था । जब इस मामले पर पूरी तरह से चर्चा हुई तथा विचार हुआ, यह सहायता दी गई और कर्नाटक सरकार ने इसे स्वीकार किया । और माननीय सदस्य यह जानते हैं कि अपने सीमित साधनों के अन्तर्गत हम यही अधिक से अधिक कर सकते थे ।

श्री कृष्णराव पाटिल : महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार वर्तमान आधार में संशोधन करने की सोच रही है और असंतुलन को दूर करने के लिये वर्तमान आधार में संशोधन करने के मामले में सिंचाई संभावना को मूल पहलू के रूप में लेने के लिये तैयार है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मुझे डर है कि यह व्यापक प्रश्न और यह मामला विचाराधीन है । मुझे खेद है कि मैं इसके बारे में विशिष्ट सूचना नहीं दे सकता हूं ।

श्री के० मालन्ना : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि कर्नाटक में प्राकृतिक संसाधन उद्योगों के विकास के लिये प्रचुर मात्रा में हैं? उनका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है । उनका धन राशि की कमी के कारण उचित उपयोग नहीं हो रहा है । यह वर्तमान स्थिति है । यदि इन सब वर्षों अर्थात् 1973-74, 1974-75 और 1975-76 को लिया जाये तो आवंटित की गई 35.46 करोड़ रुपये की रकम इस प्रयोजना के लिये बहुत कम है । अतः इसे ध्यान में रखते हुए क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या कर्नाटक सरकार ने सिंचाई और जल सम्बन्धी विशेष परियोजनाओं के लिये अधिक धन राशि की मांग की है और केन्द्रीय सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : महोदय, संसाधनों के बारे में मैंने पहले ही कहा है कि कई राज्यों में (कर्नाटक सहित) बहुत से प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका धन की कमी के कारण उपयोग नहीं किया गया है । जहां तक कर्नाटक राज्य का सम्बन्ध है उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिये विभिन्न धन राशियां मांगी हैं और जब इन योजनागत परियोजनाओं पर उनके साथ फरवरी में चर्चा हुई तो हमने चालू योजना अवधि के लिये अर्थात् वर्ष 1975-76 के लिये कतिपय रकमें निर्धारित कीं और वे धन राशियां हमने पूरी करदी हैं । यही स्थिति है ।

फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिऐक्टर के पूरा होने में विलम्ब

*920. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिऐक्टर के पूरा होने में लगभग दो वर्ष का विलम्ब होने की संभावना है ;

(ख) इसके पूरा होने की मूलतः निर्धारित तिथि क्या थी और इसकी पुनरीक्षित निर्धारित तिथि क्या है ;

(ग) रिऐक्टर के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) रिऐक्टर का शीघ्र पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है क्योंकि जब यह पूरा हो जायेगा तो यह देश के अपार थोरियम संसाधनों के उपयोग करने की दिशा में प्रथम कदम होगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख) इस परियोजना के शुरू के चरणों में जो प्रारम्भिक कार्यक्रम बनाया गया था, उसके अनुसार यह आशा थी कि फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिऐक्टर सन् 1976 तक तैयार हो जायेगा। वर्तमान संकेतों के आधार पर, अनुमान है कि यह रिऐक्टर वर्ष 1979 के शुरू में क्रॉतिकता प्राप्त कर लेगा। उसके कुछ महीने बाद इसके पूरी तरह से चालू होने की आशा है।

(ग) निर्धारित कार्यक्रम में विलम्ब होने के मुख्य कारण निम्नलिखित को अन्तिम रूप देने में होने वाली देरी है :

(1) तकनीकी जानकारी का हस्तान्तरण सम्बन्धी करार,

(2) फ़ांस से मिलने वाला ऋण तथा,

(3) सामग्री तथा उपकरणों से संबंधित विनिर्देश जो कि काण्डू किस्म के रिऐक्टर के विनिर्देशों से अधिक जटिल हैं। मुख्य संघटकों का निर्माण करने के लिये स्वदेशी निर्माताओं का पता लगाने के काम में भी काफी समय लगा है।

(घ) फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिऐक्टर के निर्माण के काम का सन् 1979 तक पूरा होना इस बात पर निर्भर करता है कि स्वदेशी निर्माताओं द्वारा उपकरणों की सप्लाई समय पर की जाये। उपकरणों को निर्धारित समय में प्राप्त करने के लिये पूरे प्रयत्न किये जा रहे हैं।

Shri Satpal Kapur : Sir, I would like to know from the Hon'ble Minister that on what basis the target of 1976 was fixed at the time of determining time schedule ? Whether the difficulties being faced today were reviewed at that time ? Who are the officers on whom the responsibility for delay has been fixed ?

Shri K. C. Pant : At the time when the target for 1976 was fixed it was known that such a scheme would be formulated but the negotiations that took place in regard to credit and transfer of know-how it was identified as to who can manufacture these special compounds. These all matters were decided later on and were not decided at the time of formulating the scheme. French credit has just been settled in 1974. The earlier estimate has now increased due to the increase in prices and this all caused delay.

Shri Satpal Kapur : I would like to have an assurance from Government that there would not be further delay beyond the date of 1979 fixed in this regard.

Shri K. C. Pant : As I have said it will depend on the availability of all the equipments indigenously. We will be trying our best to complete it by 1979. We will also try to complete it earlier but there is no meaning in giving an assurance. We can make efforts.

डा० हरि प्रसाद शर्मा : चूंकि फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिऐक्टर एक समेकित कार्यक्रम का हिस्सा है तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार यह मानती है कि काण्डु किस्म के रिऐक्टर को लगाने में होने वाले विलम्ब से आगे के दौरों में विलम्ब नहीं होगा ? क्या प्लूटोनियम, जिस ईंधन का काण्डु किस्म के रिऐक्टर द्वारा उत्पादन किया जायेगा, में विलम्ब से फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिऐक्टर के कार्यक्रम में स्वत: विलम्ब होगा ? क्या इसका यह अर्थ है कि अपने फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिऐक्टर के कार्यक्रम को चरणवार बनाने का निर्णय जानबूझ कर लिया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : जैसी कि स्थिति है यह एक प्रतिबन्ध नहीं है । इस किस्म के फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिऐक्टर की आवश्यकता के लिये पर्याप्त प्लूटोनियम प्राप्त होगा। इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

श्री डी० डी० देसाई : ऊर्जा की भारी कमी है। अत: तेल तथा अन्य ऊर्जा साधनों की कठिनाई की दृष्टि से फास्ट ब्रीडर रिऐक्टर ही केवल एक आशा है । अब मंत्री महोदय ने फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिऐक्टर के बारे में कहा है । क्या आपने इस टैस्ट रिऐक्टर में विकास की गयी प्रौद्योगिकी पर आधारित फास्ट ब्रीडर रिऐक्टरों के निर्माण और स्थापना की कोई योजना बनाई है, और यदि हां, तो फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिऐक्टरों के प्रयोग को बढ़ाकर देश की ऊर्जा की समस्या के समाधान के लिये क्या अग्रिम कार्यवाही की गई है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : वास्तव में एक कार्य दल ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या इस प्रयोगिक रिऐक्टर से प्राप्त परिणामों के आधार पर 1984 और 1989 के बीच दो फास्ट ब्रीडर रिऐक्टर जिनमें प्रत्येक 500 मे०वा० होगा, स्थापित किये जा सकते हैं, किन्तु यह सिफारिश अभी प्रायोगिक है और जिस कार्यक्रम की सिफारिश की गई है उसका विस्तृत मूल्यांकन इस समय किया जा रहा है । विस्तृत मूल्यांकन होने के बाद ही यह कहा जा सकता है कि क्या कार्यक्रम होगा और वह उसके बाद निश्चित किया जायेगा ।

श्री समर गुह : माननीय मंत्री महोदय क्या यह बतायेंगे कि किसी अन्य देश में कोई इससे बड़ा रिऐक्टर तैयार किया गया है और चालू किया गया है, यदि हां, तो उसके बारे में क्या तथ्य हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : जी हां, बहुत से देशों में फास्ट ब्रीडर रिऐक्टर चल रहे हैं । इनमें फ्रान्स, ब्रिटेन और अब फ़ांस, जर्मनी और इटली में एक संयुक्त परियोजना चल रही है । इन सभी देशों में पहले प्रायोगिक आकार के फास्ट ब्रीडर रिऐक्टर थे और फिर उनका बड़े प्रोटोटाइपों में विस्तार किया गया । कहीं तो वे और भी बड़े रिऐक्टरों के बारे में सोच रहे हैं ।

संयुक्त औद्योगिक परियोजनाओं में अरब देशों का पूंजी नियोजन

***923. श्री डी० डी० देसाई† :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय औद्योगिक शिष्टमंडल ने हाल ही में पश्चिम एशिया के साथ तेल समृद्ध देशों का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस शिष्टमंडल ने केन्द्र से अनुरोध किया था कि देश में संयुक्त औद्योगिक परियोजनाओं में अरब देशों द्वारा काफी मात्रा में पूंजी नियोजन को सुविधाजनक बनाने हेतु विदेशी शेयर धारण के संबंध में सरकार की नीति को बदला जाये।

(ग) क्या नीति में इस प्रकार का परिवर्तन देश के लिये लाभकारी होगा; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) फैडरेशन आफ इंडिया चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा प्रायोजित एक शिष्टमण्डल ने जनवरी, 1975 में उमान, संयुक्त अरब राज्यों, क्वातार, बहेरन, कुवैत, सउदी अरबिया और ईराक का दौरा किया था।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) इसकी और शिष्टमंडल की रिपोर्ट में दिये गये अन्य सुझावों की जांच की जा रही है।

श्री डी० डी० देसाई : पश्चिमी देशों के दो समुदाय हैं---अटलांटिक समुदाय और प्रशान्त समुदाय। क्या मंत्री महोदय ने अरब सागर समुदाय की स्थाना के बारे में विचार किया है ? मैं केवल खाड़ी समुदाय के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। यदि हां, तो ऐसी कौन सी आर्थिक सुविधायें हैं जो अरब सागर समुदाय के सदस्यों को प्राप्त होंगी, क्योंकि उनकी अर्थ-व्यवस्था सम्पूरक हैं। महोदय, हम देखते हैं कि कुछ अरब सागर और अफ्रीकी देशों के कच्चे माल को सस्ते दाम पर बेचा जा रहा है और खाड़ी क्षेत्रों के बैंकों से कुछ विदेशी मुद्रा कार्य के कामों में बरबाद की जा रही है। सरकार इस विदेशी मुद्रा और कच्चे माल के संसाधनों का, जो हमारी अर्थ-व्यवस्था, जानकारो और आबादी के सम्पूरक हैं, उपयोग करने के लिये कौन से कदम उठा रही है ? वह कौन सी योजना बना रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्या वह इस तरह की योजना तत्काल बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री टी०ए० पाई : हम इन देशों में और अपने देश में विकास की संपूरकता पाने के लिये कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसे उत्पादन कार्यक्रम बनाने की संभावनाओं का पता लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं जो एक दूसरे की सहायता से या तो इस देश में अथवा उन देशों में शुरू किये गये हों।

श्री डी०डी० देसाई : महोदय, भारत की जलवायु और स्थिति एसी है जिसमें सब्जियां, फल और अन्य खाद्य पदार्थ सारे वर्ष भर पैदा किये जा सकते हैं जबकि खाड़ी और मध्य-पूर्व के देशों में सिंचाई सुविधाओं की कमी और अन्य कठिनाइयों के कारण इनकी संभावनायें नहीं हैं। अफ्रीकी देशों के पास कच्चा माल बहुत अधिक है जिसे हम यहां तैयार कर सकते हैं। अतः यह संपूरकता इतनी स्पष्ट है। यहां मैं यह भी कहना चाहूंगा कि खाड़ी वाले देश हथियारों की खरीद और अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों पर भारी धनराशि खर्च कर रहे हैं। मैंने सरकार को अपने देश में पेट्रो डालर पूंजी विनियोजन से दीर्घावधि आयुध परियोजनायें स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था। क्या सरकार देश में आधुनिकतम युद्ध सामग्री के उत्पादन पर विचार करेगी जो इन अरब देशों और अन्य देशों को दीर्घावधि सप्लाई ठेके के आधार पर आठवें दशक के अन्त में अथवा नौवें दशक के आरम्भ में भेजी जायेगी और इस प्रकार विदेशी मुद्रा का अर्जन किया जायेगा ?

श्री टी०ए० पाई : महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध उस शिष्टमण्डल से है जिसने हाल ही में इन देशों का दौरा किया था और उनके ये विचार हैं । संक्षेप में उन्होंने यह सुझाव दिया कि अरब के व्यापारियों के किये समझौते के आधार पर भारत में उद्यमों की स्थापना की सभावनायें हैं। द्विपक्षीय आधार पर भारत में पूंजी नियोजन के लिये उन्हें आकर्षित किया जा सकता है । त्रिपक्षीय व्यवस्था की जा सकती है । जिन उद्योगों में दिलचस्पी है उनमें उर्वरक, अखबारी कागज, चीनी, वनस्पति, सीमेंट और मांस उत्पाद शामिल हैं। जिससे भारत में पूंजीनिवेश में अरब देशों की भागिता बढ़े। नीति प्रतिशतता के बारे में दबाव डालती है और विदेशी शेयर धारिता आदि में समुचित संशोधन करना होगा। अतः इन सब बातों पर विचार किया जा रहा है। हमें यह भी देखना चाहिये कि इससे देश को कहां तक लाभ होगा और जबकि हमारी अर्थ-व्यवस्था संपूरक हो सकती है, यह देश के हित में भी होना चाहिए कि हम कुछ सुझावों को स्वीकार करें।

श्री पी० गंगादेव : महोदय, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कम से कम भविष्य में कच्चे तेल के आयात करने की आवश्यकता पड़े और साथ ही साथ इसमें विदेशी मुद्रा भी अन्तर्ग्रस्त हो मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार भारी आयात बिल को विदेशों में संयुक्त औद्योगिक उद्यमों को बढ़ा करके संतुलित करने का है और दूसरे, भारत और मध्यपूर्व देशों के बीच संयुक्त आयोग या उद्यम, जो भी उपयुक्त हो, स्थापित करके विदेश व्यापार में वृद्धि को प्रोत्साहन देने की कोई योजना है ? क्या मैं जान सकता हूं कि इन दो मामलों में सरकार की क्या योजनायें हैं ?

श्री टी०ए० पाई : सरकार ने विदेशों में अनेक संख्या में संयुक्त उद्यमों का अनुमोदन किया है—जिनकी संख्या पड़ोसी देशों में 250 से अधिक है। जहां तक अरब देशों का सम्बन्ध है, कुद्रेमुख और अल्युमिनियम का विकास तथा कुछ अन्य कागज संयंत्रों जैसी परियोजनाओं का अध्ययन किया जा रहा है और बातचीत भी चल रही है।

श्री के० गोपाल : महोदय, माननीय मंत्री ने कहा है कि एफ०आई०सी०सी०आई० ने एक प्रतिवेदन दिया है और वह उस पर निर्णय लेने जा रहे हैं। इस पर निर्णय लेने से पूर्व क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या वह इस बात का पता लगाने के लिये कि क्या एफ०आई०सी०सी०आई० द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन हमारे देश के लिये उपयुक्त होगा या नहीं, स्वयं एक शिष्टमन्डल भेजेंगे ?

श्री टी० ए० पाई : उन्होंने अधिक विकास की संभावना का सुझाव दिया है और लोगों के प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा और यह आवश्यक नहीं है कि हम एक और शिष्टमन्डल भेज। विभिन्न उद्योगों में व्यक्तिगत हितों की जांच की जायेगी और निर्णय लिया जायेगा।

औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने में 'प्रेशर' को प्रभावहीन बनाना

*924. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कुछ समय पूर्व इस आशय के विचार व्यक्त किए थे कि वे उन सभी प्रकार की 'प्रैशर लाबियों' को प्रभावहीन बना देंगे जो चालाकी पूर्ण ढंग से औद्योगिक लाइसेंस, कोटे और परमिट प्राप्त कर लेते हैं,

(ख) इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये गए हैं, और

(ग) इस बारे में उठाए गए कदमों का अब तक क्या परिणाम निकला है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपयुक्त प्राधिकारियों से लाइसेंस आदि की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए दृढ़ लाबी की आवश्यकता है इस प्रकार की शिकायतों के बारे में सरकार बहुत चिंतित है। प्रक्रिया को सुप्रावाही बनाने और आवेदनों का निपटान समय-सीमा में हो जाये इसके सुनिश्चय के लिए अनेक अभ्युपाय किए गए हैं। लाइसेंसीकरण की प्राथमिकताएं भी इस प्रकार बना दी गई हैं कि गुणावगुण के आधार पर निर्णय विनियमित हो जाए इससे पर्याप्त अंशों में ठीक वातावरण बना है और जिससे लाइसेंसों आदि के आवेदनकर्ताओं को धीरे-धीरे विश्वास हो रहा है कि वस्तुपरक आधारों पर विचार करके सरकार का निर्णय शीघ्र ही मिल जायेगा।

Shri Nawal Kishore Sharma : Sir, The honourable Minister has given reply to part (i) of my question as "No Sir' and thus he has tried to refute his statement. It would be better, if he had agreed to his statement. I would like to know from him—when Government are aware that irregularities are committed due to some contactmen and liaison officers and thus this evil goes on increasing whether he will consider the question of bringing forward a legislation to curb such activities of contactmen and liaison officers, besides the steps taken by him to streamline the licence procedure.

श्री टी० ए० पाई : महोदय, सरकार द्वारा इन लाइसेंस आवेदन पत्रों को निपटाने की नवीनतम प्रक्रिया, यह सब और इस कालावधि को लागू करने से पूर्व असाधारण विलम्ब लगना संभव था। और इसलिये प्रत्येक बड़ी व्यापारिक संस्था एक संपर्क कार्यालय रखने की कोशिश करती और यह सही है कि उनके अनेक संपर्क-व्यक्ति और संपर्क अधिकारी यहां हैं। लेकिन अब काफी हद तक स्थिति बदल गई है। हमने प्रक्रिया को सरल बना दिया, ताकि सम्पर्क-कार्य कम से कम हो और यह सर्वथा अनावश्यक हो गया। राज्य के प्रतिनिधियों से बनी पूर्ण लाइसेंस समिति को प्रायः बुलाया गया जिससे राज्य सरकारें, जिन्हें अस्वीकृत आवेदनपत्रों से कोई शिकायत थी, विचारार्थ उन्हें ला सकें और हम उन्हें गुणावगुण के आधार पर निपटा सकें। निस्सन्देह यदि हम देखते हैं कि इन सम्पर्क-व्यक्तियों और सम्पर्क-अधिकारियों की गतिविधियां अभी भी जारी हैं और उनको समाप्त करना वांछनीय है तो हम कोशिश करें और सुनिश्चित करें कि उन पर हम कैसे रोक लगा सकते हैं।

Shri Nawal Kishore Sharma : Mr. Speaker, in part (a) of my Question I have mentioned— ,industrial licence, quota and permits", but the honourable Minister has, in his reply stated that licensing system has been streamlined and it is hoped that these contactmen and liaison officers will not remain. This evil is not only in the case of licence but in the matter of quota and permits also these contactmen and liaison officers play their role. I would hope to know from him whether he will make some effective arrangements in respect of quota and permits also so that such liaison officers are required no more ? I would also like to know whether Government have taken any steps in this regard ?

श्री टी०ए० पाई : छोटे पैमाने के उद्योगों की हाल की गणना के दौरान यह पाया गया कि आयातित दुर्लभ कच्चे माल के आवंटन पर आधारित जो अनेक उद्योग थे, वे व्यवहार रूप में वास्तव में नहीं थे। हमने यह मामला राज्य सरकारों के साथ उठाया है और उनसे अनुरोध किया है कि वे उनको समाप्त करने में कड़ी कार्यवाही करें। साथ ही उनको यह भी आश्वासन दिया है कि राज्यों का कच्चे

माल का वही कोटा जारी रखा जायेगा ताकि अन्य विद्यमान उद्योग उसका उपयोग कर सकें और अपना उत्पादन बढ़ा सकें। आयात नीति भी अधिक युक्तिसंगत बना दी गई है, जिससे सभी उत्पादन एकक अपना कोटा किसी भी दबाव के बिना प्राप्त कर सकें। यदि और भी कदम उठाने आवश्यक होंगे तो निस्सन्देह हम उठाने को इच्छुक होंगे, ताकि किसी का किसी प्रकार से पक्ष न किया जाये या किसी के साथ भेदभाव न बरता जाये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जहां तक "प्रेसर लाबीज" का सम्बन्ध है, वास्तविक कठिनाई प्रायः इस कारण है कि लाइसेंस/परमिट/कोटा आदि के लिये आवेदन पत्रों पर वास्तविक कार्यवाही और दी जाने वाली अन्तिम अनुमति को तैयार करने का कार्य ऐसे अधिकारियों द्वारा और प्रायः ऐसे उच्चाधिकारियों द्वारा किया जाता है, जिनके निकट सम्बन्धी, पुत्र, भाई, भतीजे और अन्य सम्बन्धी इन बड़े व्यापारिक घरानों में पहले ही रोजगार में लगे होते हैं। अतः यदि आप सम्पर्क व्यक्तियों और सम्पर्क अधिकारियों को हटा देंगे तो इनमें से अनेक अधिकारी स्वयं सम्पर्क व्यक्ति की भूमिका इस कारण निभाते हैं कि अपने निकट सम्बन्धियों के लिये रोजगार के मामले में उनके साथ कृपा की गयी है। अतः आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही इस प्रकार से की जाती है कि आखिरकार उनमें से कुछ को अनुमति तो अवश्य मिल जायेगी। अतः यदि वह इस मामले में गंभीर हैं तो क्या सरकार इस बारे में कोई जानकारी रखेगी कि ऐसे कितने उच्चाधिकारियों के निकट सम्बन्धी इन बड़े व्यापारिक घरानों में रोजगार में लगे हैं जिनकी लाइसेंस/कोटा/परमिट के लिये अन्तिम अनुमति देने की सीधी जिम्मेदारी है। जब तक आप उनको नहीं रोक सकेंगे तब तक आप इन 'प्रेसर लाबीज' पर कभी भी रोक नहीं लगा सकेंगे।

श्री टी० ए० पाई : यह संभव है कि कुछ के सम्बन्ध हों और यह भी संभव है कि कुछ अन्य अवकाश प्राप्त सरकारी अधिकारी उनमें रोजगार प्राप्त कर लेते हों परन्तु अपने मार्ग दर्शक सिद्धांत के अनुसार हम इस पद्धति को समाप्त करना चाहेंगे। परन्तु यदि कोई विशेष उदाहरण हों जहां इनका दुरुपयोग हो रहा हो और ये हमारे ध्यान में लाये जायेंगे तो हम निस्सन्देह इसे गंभीर मामला समझेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं मानता हूं कि वह ऐसे अधिकारियों और मंत्रियों के किसी भी मामले पर ध्यान रखेंगे जिनके निकट सम्बन्धी इस कार्य हेतु दबाव डालने के लिये इन बड़े घरानों में रोजगार में लगाये जाते हैं।

श्री टी० ए० पाई : किसी आरोप को स्वीकार करना मेरे लिये संभव नहीं है, किन्तु निसस्न्देह यदि कोई उदाहरण है तो मैं उनकी छानबीन करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि क्या किसी के साथ कोई विशेष पक्षपात किया गया है।

श्री वसन्त साठे : इस बुराई को रोकने का सरल तरीका तो यह होगा कि किसी कर्मचारी या सम्बन्धित अधिकारी को अन्तिम उतरदायित्व सौंपा जाये। हम देखते हैं कि जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर टाल दी जाती है और इसी कारण उत्तरदायित्व निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है। क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे जिसके अन्तर्गत या तो मंत्री महोदय को अथवा किसी अमुक अधिकारी को यह उत्तरदायित्व सौंपा जाये ताकि वह यह कह करके उत्तरदायित्व दूसरे पर न डाल सके कि "इसकी सिफारिश अमुक व्यक्ति ने की थी। मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो पत्र पर हस्ताक्षर करता हूं।" ऐसा नहीं होना चाहिये। क्या इस तरह की व्यवस्था सोची जा सकती है? क्या आप पूरी जिम्मेदारी के साथ लाइसेंस देने के उत्तरदायित्व को सौंपने का कार्य करने की कोशिश करेंगे?

श्री टी० ए० पाई : अन्तिम जिम्मेदारी सम्बन्धित मंत्री की है। लाइसेंस समिति तो केवल सिफारिश करती है और इसका अनुमोदन स्वयं मंत्री करता है। यदि लाइसेंस दबाव डालकर जारी किया जाये तो मैं समझता हूं कि मंत्री को स्वयं जिम्मेदार होना चाहिये।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, so far as small industries are concerned, it is the policy of the Ministry to provide incentive to them, but several times instead of making production these permits and quotas are sold on black market as their rate in the market is very high. The Prime Minister was also apprised of this that there is a factory in the name of Antule the wife of a Minister in Maharashtra which sold in the market 300 tons of steel quota, 16 tons of stainless steel quota and 300 tons of corrugated iron. The same case is with the Paramount Engineering. I would like to know whether these pemits and quotas are being utilised for making proper production or not and whether he will keep a watch on it ?

श्री टी० ए० पाई : दुर्भाग्यवश भारतीय स्थिति के अनुसार ऐसे उदाहरण हुए हैं जिनमें दुर्लभ कच्चा माल तैयार करने के बजाय बेच दिया गया। जहां हमें उन पर नियंत्रण रखना चाहिये, वहां हमारे यहां छोटे पैमाने के क्षेत्र में 4 लाख उद्योग हैं। हो सकता है कि उनमें से कुछ जाली हों फिर भी उन्होंने रोजगार के काफी अवसर जुटाये हैं और उद्योगों में विविध प्रकार के उत्पादन के लिये व्यवस्था की है तथा बड़े उद्योगों की अपेक्षा उद्योगों को जगह-जगह लगाने के लिये भी जिम्मेदार रहे हैं। हम केवल यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी वास्तविक कम्पनियों को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध कराकर इस तरह की बातों की संभावनायें कम की जायें।

Shri Madhu Limaye : Whether there is any control over production or not ? I have raised the case of Paramount Engineering and the Antule.

श्री टी० ए० पाई : छोटे पैमाने के उद्योगों के बारे में हमारे पास कभी भी जानकारी की कोई व्यवस्था नहीं रही है।

श्री मधु लिमये : प्रधान मंत्री को इस बारे में एक ज्ञापन मिला है।

श्री टी० ए० पाई : मैंने बताया है कि मेरे पास कोई जानकारी की व्यवस्था नहीं है कि वास्तव में कितनी क्षमता प्रयुक्त हुई है और कितनी अप्रयुक्त रही है।

Shri Madhu Limaye: You do not get information from the Prime Ministers' Secretariat ?

श्री टी० ए० पाई : पहली मई से इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिये हमने एक व्यवस्था शुरू की है, ताकि हम कच्चे माल के उपयोग पर निगाह रख सकें। विशेष उदाहरण के बारे में 'जिसका कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

Expansion of Instrumentation Ltd., Kota

***925. Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) when the Instrumentation Limited, Kota, Rajasthan was set up and the total capital invested by Government therein and the profit accrued to Government during the last three years, year-wise;

(b) whether Government propose to expand it further; and

(c) if so, the outlines thereof and the time by which it will be done ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मोर्य) : (क) इंस्ट्रूमेंटेशन लि०, कोटा की स्थापना 1969 में की गई थी। इस तारीख तक सरकार द्वारा लगाई गई पूंजी 532.83 लाख रुपए है। पिछले तीन वर्षों में कम्पनी द्वारा अर्जित लाभ (कराधान पूर्व किन्तु ह्रास मूल्य की व्यवस्था करने के बाद) निम्न प्रकार है:—

(लाख रु० में)

1971-72	195.00
1972-73	145.00
1973-74	13.90

पिछले तीन वर्षों में कराधान, पूंजी/सामान्य और विकास छूट रिजर्व आदि की व्यवस्था करने के बाद कम्पनी ने लाभांश के रूप में निम्नलिखित राशि का भुगतान सरकार को किया है:--

(लाख रु० में)

1971-72	27.27
1972-73	31.25
1973-74	कुछ नहीं

(ख) जी, हां।

(ग) प्रस्तावित विस्तार तथा जिस समय तक यह कार्यान्वित हो जायेगा उसकी रूपरेखा बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(1) कंट्रोल वाल्वों सेफ्टी रिलीफ वाल्वों और सहायक वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन लि० के दूसरे एकक की स्थापना 300 लाख रु० की अनुमानित पूंजी लागत (बस्ती सहित) जिसमें सभी प्रकार की लागत में वृद्धि हो जाने के कारण संशोधित करके करीब 400 लाख (बस्ती सहित) कर देने का प्रस्ताव है। जापान के मे० टामाताके हेनीबल के तकनीकी सहयोग से पालघाट (केरल) में की जा रही है। विद्यमान संकेतों के अनुसार एकक में 1975 के अन्त तक उत्पादन प्रारंभ हो जाने की आशा है।

(2) पांचवीं पंच वर्षीय योजनावधि में कम्पनी का 140 लाख रुपए की अनुमानित लागत से विदेशी तकनीकी सहयोग से प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के अंग के रूप में गैस एनालाइजरों का निर्माण करने का विचार है। यह योजना कोटा में लागू होगी तथा उत्पादन 1976-77 में प्रारम्भ हो जाने की आशा है।

(3) कम्पनी का विचार खरीदारों की आवश्यकता को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए पांचवीं योजनावधि में विदेशी तकनीकी सहयोग से यूनिफाइड करेंट वेस्ट प्रणाली के उपकरणों का उत्पादन शुरू

करने की योजना है। योजना की अनुमानित लागत 250 लाख रु० है। यह योजना कोटा में केन्द्रित होगी तथा इसमें नये किस्म के उत्पादों का निर्माण 1976-77 से प्रावस्था में करने की योजना है।

Shri M.C. Daga: The answer is quite lengthy. I want to know from him the capital to be invested on the Gas Analysers proposed to be set up during the Fifth Plan. You have stated in the answer:

पांचवीं पंच-वर्षीय योजना में कम्पनी विदेशी तकनीकी सहयोग से प्रदुषण नियंत्रण उपकरणों के अंग के रूप में गैस एनलाईजरों का निर्माण करना चाहती है। I want to know whether Government propose to set it up with foreign collaboration independently and what will be the capital to be invested in it.

Shri B. P. Maurya : As far as the investment is concerned, it will be about rupees 140 lakhs. I need a separate notice for answering the question of Collaboration.

Shri M. C. Daga: You are going to set up a separate unit in Palghat whereas there is one already in Kota. I think Rajasthan is the only state of the country where the number of public undertakings are very little. I want to know why it was not being set up in kota itself where one is already there. Why it is being set up in Kerala ?

Shri B. P. Maurya : It is not a work of expansion. When it was reviewed, Palghat (Kerala) was found to be more suitable for the purpose. As far as expansion is concerned, it is the Kota unit which is being expanded. It is not that this industry is being shifted to Palghat from Kotah.

डा० एच० पी० शर्मा : महोदय, यदि विस्तार का कार्य कोटा में किया जाता तो उत्पादन लागत काफी कम हो गई होगी। अगर इसे दो हजार मील दूर ले जाने का निर्णय लिया जायेगा तो क्या विस्तार कार्यक्रम के बजाय उसे वहां से हटाकर और स्थान पर लगाने के सम्बन्ध में कोई मार्गनिर्देशक सिद्धांत हैं ? क्या यह कार्य किसी दबाव के वशीभूत होकर किया जा रहा है ?

श्री बी०पी० मौर्य : महोदय, मैंने अभी ही निवेदन किया है कि प्रैशर लाबी का प्रश्न ही नहीं उठता और न ही इस एकक को कोटा से ले जाकर पालघाट में लगाने का प्रश्न है। तथ्य यह है कि एक समिति का गठन किया गया और उसने केरल में पालघाट को इस इकाई की स्थापना के लिए अधिक उचित पाया अन्तः हम इस एकक को वहां खोल रहे हैं। जहां तक कोटा का प्रश्न है हमारे पास एक्सपेंशन कार्य है और उसे हम वहां कर रहे हैं।

श्री व्यालर रवि : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि पालघाट में कारखाना स्थापित करने में हो रहा विलम्ब किन्हीं ग्रुपों के प्रभाव डाले जाने के कारण है।

श्री बी० पी० मौर्य : यह सत्य नहीं है।

स्वर्गीय श्री एल० एन० मिश्र के निवास स्थानों पर छापे

*926. **श्री शरद यादव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय श्री एल०एन० मिश्र के दिल्ली और बिहार स्थित निवास स्थानों अथवा उनके मित्र के निवास स्थानों पर छापे मारे गए थे अथवा उनमें सेंध लगाई गई थी और इन छापों और सेंधों के परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु से एक महीने पूर्व क्रमशः कुछ पत्र तथा दस्तावेज बरामद किए गए थे अथवा चुरा लिए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो बरामद किए गए अथवा चुराये गए दस्तावेज का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) और (ख) स्व० श्री ललित नारायण मिश्र के दिल्ली अथवा बिहार के निवास स्थान पर कोई छापा नहीं मारा गया था। सरकार को जैसा कि आरोप लगाया गया है, उनके निवास स्थान से दस्तावेजों की कथित चोरी के सम्बन्ध में भी कोई सूचना नहीं है। प्रश्न में उल्लिखित "मित्र" का कोई विशिष्ट विवरण न होने के कारण सरकार के पास प्रस्तुत करने के लिये सूचना नहीं है।

Shri Sharad Yadav : Mr. Speaker, whether it is a fact that Shri Lalit Narain Misra had letters of influential persons of his party and of Ministers in his possession. The contents of these letters were about the demand of money for raising election funds. The attempts were made to get these important letters through stealing or by conducting raids.. (*Interruptions*)..........The Minister under the Prime Minister ...... *Interruptions*.. the theft committed or the raids conducted ...... *Interruptions*.... The reply given is perhaps not of the Home Minister. It is not in his capacity. I want that the Prime Minister should tell about it........*Interruptions*.

अध्यक्ष महोदय : यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर भाषण दिया जाये।

श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी : कोई छापा नहीं मारा गया। कोई चोरी नहीं हुई और न ही कुछ कागज चुराये गये ऐसा कहना बिल्कुल झूठ बोलना है।

Shri Janeshwar Misra : The honourable Minister has replied only about raid and not about burglary.

Shri Madhu Limaye : He has not given clear reply.

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ।

Shri Sharad Yadav: I asked about R.A.W. It has not been replied.

अध्यक्ष महोदय : 12 बज कर दो मिनट हो चुके हैं। प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

गढ़वा-डाल्टनगंज लाइन

*917. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि गढ़वा तथा डाल्टनगंज (जिला पालामऊ, बिहार) के बीच टेलीफोन लाइन माह में मुश्किल से केवल तीन दिन के लिए ही ठीक रहती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस लाइन के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) वर्ष 1975 में अब तक गढ़वा-डाल्टनगंज, गढ़वा तथा रांची और पटना के बीच लाइन कितने दिन के लिए ठीक रही है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) यह सही नहीं है कि गढ़वा और डाल्टनगंज के बीच टेलीफोन लाइन महीने में केवल तीन दिन काम करती है।

(ख) और (ग) गढ़वा और रांची तथा गढ़वा और पटना के बीच कोई सीधी ट्रंक लाइनें नहीं हैं। जनवरी से अप्रैल 1975 तक चार महीनों की अवधि में गढ़वा-डाल्टनगंज की ट्रंक लाइन ने 108 दिन काम किया है।

गढ़वा और डाल्टनगंज के बीच एक 3 चैनल प्रणाली लगाने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

पांचवीं योजना के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग

*918. **श्री के० प्रधानी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में मुख्यतः कौन-कौन से उद्योग आरम्भ करने का विचार है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : पिछड़े क्षेत्रों के लिए कोई विशेष उद्योग निर्धारित नहीं किए गए हैं। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को आकर्षित करने के विचार से रियायती दर पर आर्थिक सहायता, राज सहायता आदि की योजनाओं को जिन्हें चौथी योजना में शुरू किया गया था, पांचवीं योजना में लागू रखा जा रहा है।

बम तथा हथियार बरामद होना

*921. **श्री डी० बी० चन्द्र गौड़ा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार मास में किन-किन स्थानों से बम तथा हथियार बरामद किए गए हैं;

(ख) उनकी मात्रा सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और क्या इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रखी जायगी।

गत चार महीनों के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बरामदगी के किसी मामले की जांच अपने हाथ में नहीं ली है।

भारत सरकार इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जो शस्त्र अधिनियम को लागू करने के लिए उत्तरदायी है आवश्यक मार्गदर्शन तथा निर्देशन उपलब्ध कराती रही है।

पश्चिमी बंगाल में बिजली की कमी के कारण उत्पादन की हानि

*922. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बिजली की कमी के कारण आर्थिक विकास में बाधा पड़ रही है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल में बिजली की कमी के कारण उत्पादन में भारी हानि हो रही है;

(ग) क्या बिजली की सप्लाई में कमी के कारण फैक्टरियों के बन्द हो जाने से बड़ी संख्या में कर्मचारियों की जबरन छुट्टी कर दी गई है; और

(घ) पश्चिम बंगाल में औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की सप्लाई में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) पश्चिम बंगाल में जबकि आम तौर पर ऊर्जा के रूप में कोई कमी नहीं है, शिखरण (पीकिंग) क्षमता की कुछ कमी है। इस कमी पर काबू पाने और विद्युत के युक्तियुक्त वितरण को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार ने विभिन्न उपभोक्ताओं की सम्बद्ध प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, जिससे कि अर्थ-व्यवस्था के अधिक महत्वपूर्ण सैक्टरों पर कम से कम प्रभाव पड़े, अगस्त, 1974 में अधिकतम मांगों पर कुछ प्रतिबन्ध लागू किए थे। इन विद्युत कटौतियों के कारण उत्पादन की हानि की सही मात्रा और बेकार हुए कार्मियों की संख्या का पृथक से मूल्यांकन करना संभव नहीं हो सका है, क्योंकि विद्युत की कमी के अलावा कई दुसरे कारण भी उद्योगों में उत्पादन तथा रोजगार पर प्रभाव डालते हैं। तथापि अगस्त, 1974 में विद्युत की राशन प्रणाली लागू करने के बाद स्थिति में काफी सुधार हुआ है। संतालडीह से हावड़ा तक की 220 कि०वो० लाइन के पूर्ण होने में विलम्ब होने के कारण भी कुछ तंगी हुई थी। बहरहाल, यह लाइन अभी हाल में चालू हो गई है जिससे स्थिति में, विशेष रूप से कलकत्ता क्षेत्र में, सुधार होने में और सहायता मिलेगी। इसके अलावा, राज्य में विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार करने के लिए निम्नलिखित और उपाय भी किए जा रहे हैं :--

(1) पर्याप्त रूप से अतिरिक्त पुर्जों की व्यवस्था द्वारा, पर्याप्त मात्रा में उचित किस्म के कोयले का प्रबन्ध करके, प्रचालन और रख-रखाव कर्मचारियों के प्रशिक्षण, विद्युत प्रणालियों के एकीकृत प्रचालन, लोडों को सूचीबद्ध करके तथा बारी-बारी से उनकी पूर्ति करके, रख-रखाव क्रियाविधियों के आधुनिकीकरण और प्रचालन तथा रख-रखाव के निरन्तर संचालन (मानीटरिंग) द्वारा वर्तमान ताप-विद्युत केन्द्रों से अधिकतम उत्पादन करना;

(2) उपस्कर तथा आवश्यक दूर्लभ सामग्रियों की समय पर व्यवस्था करके और निर्माण की प्रगति के संचालन (मानीटरिंग) द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्रतापूर्वक चालू करना;

(3) निकटवर्ती राज्यों/प्रणालियों से राहत की व्यवस्था करना;

(4) वर्गीकृत प्राथमिकता के आधार पर, उपलब्ध ऊर्जा के युक्तियुक्त वितरण की प्रणाली लागू करना और दिखावटी कामों के लिए विद्युत के प्रयोग पर रोक लगाना, ताकि इस प्रकार बचायी गई विद्युत का उत्पादनकारी कार्यों के लिए प्रयोग किया जा सके; और

(5) पारेषण और वितरण में होने वाली विद्युत की हानि को कम करना।

अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्रों द्वारा लोकतन्त्र विरोधी आन्दोलन का समर्थन

*927. **श्री राजदेव सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में पूंजीपतियों तथा उद्योगपतियों के स्वामित्व के अंग्रेजी के लगभग सभी प्रमुख दैनिक समाचारपत्र लोकतंत्र विरोधी आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं;

(ख) क्या स्थानीय भाषाओं के दैनिक तथा साप्ताहिक समाचारपत्र जिनकी बिक्री संख्या कम है तथा जो अंशधारियों अथवा मध्यम आय वर्ग के स्वामित्व में हैं लोकतंत्र की सुरक्षा का समर्थन कर रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार ने लोकतंत्र के प्रबल समर्थक समाचारपत्रों को संगठित करने तथा साथ ही आकाशवाणी के माध्यम से बहुत अधिक प्रतियों की बिक्री वाले अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्रों के वर्ग स्वरूप को अनावृत्त करने के लिए कोई योजना बनाई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग) सरकार को समाचारपत्रों के एक वर्ग में ऐसी प्रवृत्तियों की जानकारी है । सरकार के विचार में लोकतंत्र के हित में समाचारपत्रों को स्वतंत्र रूप से चुने हुए संस्थानों में लोगों के विश्वास को सुदृढ़ करना चाहिए।

गोरखपुर में "माइक्रोवेव" स्टेशन की स्थापना करने में विलम्ब

*928. **श्री नरसिंह नारायण पांडे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर में "माइक्रोवेव" स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव था जैसा कि भूतपूर्व संचार मंत्री ने घोषणा की थी, यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सरकार को गोरखपुर डिवीजन में तथा विशेषकर गोरखपुर में टेलीफोन के प्रयोक्ताओं को होने वाली कठिनाइयों के बारे में जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी हां, गोरखपुर में माइक्रोवेव स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। आशा है कि यह काम वर्ष 1976 के शुरू में पूरा हो जाएगा।

(ख) और (ग) गोरखपुर के टेलीफोन उपभोक्ताओं को स्थानीय और ट्रंक सेवा की जो सुविधाएं मिल रही हैं, वे सामान्य रूप से संतोषजनक हैं। इन सुविधाओं को और बेहतर बढ़ाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अगले वर्ष माइक्रोवेव लिंक चालू हो जानेपर गोरखपुर ऊंचे स्तर के विश्वसनीय ट्रंक सर्किटों के जरिए लखनऊ और पटना दोनों स्थानों से जुड़ जाएगा। स्थानीय सेवा में सुधार लाने के लिए गोरखपुर के मैनुअल एक्सचेंज की जगह आटोमेटिक एक्सचेंज लगाया जा रहा है। एक्सचेंज की इमारत बन रही है। आशा है कि यह एक्सचेंज वर्ष 1977 तक चालू हो जाएगा।

प्रधान मंत्री के तमिलनाडु के दौरे के दौरान उनके लिए सुरक्षा प्रबन्धों पर किया गया व्यय

*929. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु राज्य सरकार ने प्रधान मंत्री के लिए सितम्बर, 1974 में जब वह तमिलनाडु के दौरे पर गयी थीं, सुरक्षा प्रबन्धों पर कितना व्यय किया;

(ख) निम्नलिखित प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है (एक) सामान्य सुरक्षा (दो) प्रधान मंत्री के एक हवाई अड्डे से दूसरे हवाई अड्डे पर पहुंचने के लिए सुरक्षा प्रबन्ध (तीन) रुकावटें खड़ी करना, (चार) प्रधान मंत्री द्वारा सभा में भाषण करने के लिए मंच बनाना (पांच) सभा के स्थानों को बिजली की सप्लाई (छ) अन्य;

(ग) इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई धनराशि में से कितनी धनराशि सम्बद्ध राजनैतिक दल अथवा दलों ने भुगतान की है;

(घ) क्या तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने हाल ही में यह विचार व्यक्त किया है कि प्रधान मंत्री के राज्यों के दौरों का व्यय राज्यों द्वारा वहन नहीं किया जाना चाहिए; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मोर्टन कंफैक्शनरी फैक्ट्री, मरहोवराह (बिहार)

*930. **श्री सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में मरहोवराह (सारन जिला) स्थित मोर्टन कंफेक्शनरी फैक्ट्री के 400 श्रमिकों की हाल ही में जबरी छुट्टी की गई है,

(ख) यदि इस कारखाने को शीघ्र ही चीनी की सप्लाई पुनः शुरू नहीं की जाती तो इस फैक्टरी के बन्द होने की नौबत आ जायेगी, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस फैक्ट्री के बन्द होने की स्थिति में वहां के सभी श्रमिकों के लिए सरकार का विचार क्या वैकल्पिक व्यवस्था करने का है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) चीनी की पुनः सप्लाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वे अपनी आवश्यकता की चीनी खुले बाजार से प्राप्त करते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रव्य व दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा गुजरात में सूखे के बारे में विज्ञापन

*931. **श्री पी० जी० मावलंकर : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रव्य और दृश्य प्रचार निदेशालय ने गुजरात में सूखे के बारे में हाल ही में विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशनार्थ कोई विज्ञापन जारी किये हैं ;

(ख) ये विज्ञापन किन-किन समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए हैं, कितनी-कितनी अवधि के बाद प्रकाशित हुए हैं तथा इस पर कुल कितनी राशि खर्च हुई;

(ग) क्या इन विज्ञापनों में 'फेमिन' (अकाल) शब्द का प्रयोग किया गया है तथा इस विज्ञापन में ऐसे तथ्य दिये गये थे जो बाद में गलत सिद्ध हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी गंभीर त्रुटियों के लिए उत्तरदायी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख) जी हां। गुजरात में सूखे के बारे में लगभग 17,000 रुपए की लागत का एक विज्ञापन का एक निवेश विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा 19 समाचारपत्रों को दिया गया था। उन समाचारपत्रों के नामों की एक सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) 'फेमिन' (अकाल) शब्द का प्रयोग शब्दकोष में इसके दिये गए अर्थ के सामान्य भाव में अत्यन्त अभाव को व्यक्त करने के लिये किया गया था, न कि गुजरात राज्य के रिवेन्यू (स्केअरसिटी मैन्युअल) के उपबन्धों के तकनीकी भाव और संदर्भ में। विज्ञापन में सम्मिलित तथ्यात्मक आंकड़े सरकारी स्रोतों से प्राप्त किये गये थे और वे गलत सिद्ध नहीं हुए थे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

स्थानीय : 10-4-1975

बाहर के : 11-4-1975

इंडियन एक्सप्रेस, दिल्ली

इंडियन एक्सप्रेस, बम्बई/अहमदाबाद

हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली

वेस्टर्न, टाइम्स, अहमदाबाद

टाइम्स आफ इंडिया, दिल्ली

पैट्रिआट, दिल्ली

टाइम्स आफ इन्डिया, अहमदाबाद

मदरलैण्ड, नई दिल्ली

हिन्दुस्तान, दिल्ली

नवभारत टाइम्स, दिल्ली/बम्बई

वीर अर्जुन, दिल्ली

जनयुग, दिल्ली

दुर अन्देश, दिल्ली

सन्देश, अहमदाबाद

जय हिन्द, राजकोट/अहमदाबाद

गुजरात समाचार, अहमदाबाद

जनसत्ता, अहमदबाद/राजकोर

लोकसत्ता, बड़ौदा

फूलछाप, राजकोट

इलेक्ट्रानिकी उपकरणों का उत्पादन करने के लिए जारी किये गये आशय-पत्र

*932. **श्री वयालार रवि** : क्या **इलेक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में इलेक्ट्रानिकी उपकरणों का उत्पादन करने के लिये कुल कितने आशय-पत्र जारी किये गये;

(ख) कितने मामलों में और किन-किन पार्टियों के लिए आशय-पत्रों की अवधि बढ़ाई गई है और प्रत्येक मामलें पर ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उन पार्टियों को नये आशय-पत्र जारी किये गये हैं जिन्होंने पहले जारी किये गये आशय-पत्रों का प्रयोग नहीं किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

प्रधान मंत्री परमाणु, ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) एवं (ख) इलेक्ट्रानिक्स उपस्कर के उत्पादन के लिए गत तीन वर्षों (1972, 1973 और 1974) में जारी किये गये आशय-पत्रों की कुल संख्या 71 है। जिन पार्टियों के पक्ष में आशय-पत्रों की वैधता की अवधि बढ़ायी गयी है, उनके नाम अनुबंध में दर्शाए गये हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 9656/75]**

(ग) आशयपत्र जारी करते समय आवेदक का निष्पादन संबंधी रेकार्ड तो देखा ही जाता है, साथ ही उस वस्तु की आवश्यकता, पार्टी की साख तथा उसमें अंतर्निहित विदेशी मुद्रा जैसी अन्य बातों का भी ध्यान रखा जाता है। यदि कोई पार्टी अपने नाम पहले ही जारी किए गए आशय-पत्र का उपयोग नहीं कर पाती तो उसे इसी विशेष के लिए दूसरा आशय-पत्र नहीं दिया जाता। किंतु, पार्टी को किसी अन्य मद के लिए दूसरा आशय-पत्र देना दो कारणों से संभव है : एक तो यह कि इस आशय-पत्र के जारी होने के समय पहले आशय-पत्र की वैधता की अवधि अभी बाकी हो, अथवा पूर्ववर्त्ती लाइसेंस पर अमल

करना इसलिए संभव नहीं हो सका क्योंकि कुछ ऐसे कारण उपस्थित हो गये जिन पर पार्टी का कोई नियंत्रण नहीं था।

गत तीन वर्षों में, केवल एक ही मामला ऐसा था जिसमें उसी पार्टी को भिन्न मद के लिए इस तथ्य के बावजूद आशय-पत्र जारी किया गया कि पहले आशय-पत्र का उपयोग नहीं किया जा सका था। इस मामले में प्रथम आशय-पत्र का उपयोग न कर पाने का कारण ये शर्तें थीं जो नई पूंजी के निर्गम पर लगाई गई थीं और जिसे स्वीकार करने में पार्टी ने अपनी असमर्थता प्रकट की। पार्टी के नाम किया गया दूसरा आशय-पत्र परीक्षण तथा परिमापन उपकरणों के लिये था और इसे निष्पादित करने में पार्टी स्पष्ट रूप से सक्षम थी। किन्तु, एक अन्य मामला ऐसा था जिसमें एक पार्टी को पहले आशय-पत्र जिसकी मियाद बाद में समाप्त हो गई, की वैधता की अवधि के दौरान दो आशय-पत्र जारी किये गये।

अशिक्षित युवकों, कारीगरों को सहायता

*933. **श्री वरके जार्ज** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अशिक्षित युवकों, कारीगरों और अन्य व्यक्तियों को शत-प्रतिशत ऋण सहायता देने की कोई योजना आरंभ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जापानी सहयोग से औद्योगिक परियोजनाएं

*934. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :**
श्री भाउ साहेब धामनकर :

क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या दक्षिण भारत और पश्चिम भारत में अनेक उद्योग जापानी फर्मों के सहयोग से चल रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो उनके नाम तथा ब्यौरा क्या हैं,

(ग) इन परियोजनाओं में कुल कितना पूंजी नियोजन हुआ है,

(घ) क्या इन परियोजनाओं में फालतू पुर्जों की समस्या है, और

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहां।

(ख) और (ग) जापान के सहयोग से दक्षिण और प० भारत में स्थापित औद्योगिक एककों के नाम ब्यौरे और अन्य पूंजीगत निवेश को बताने वाली एक सूची जिसे तकनीकी ि कास के महानिदेशालय में उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है अनुबन्ध में संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–9657/75]

(घ) और (ङ) फालतु हिस्से पुर्जों से संबंधित किसी विशेष समस्या की जानकारी सरकार को नहीं है औद्योगिक एककों के फालतू हिस्से पुर्जों की मुख्य आवश्यकताओं को सरकार की वर्तमान आयात नीति के अनुसार पूरा किया जा रहा है।

मैसर्स विमको मैचेज़ मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी द्वारा विदेश भेजी गई धनराशि

8878. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमको मैचेज़ मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी ने लगातार गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा (विनियमन) अधिनियम के क्षेत्राधिकार के बाहर लाभ की अत्यधिक राशि विदेश भेजी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) : मैसर्स वैस्टर्न इंडिया मैच कम्पनी द्वारा वर्ष 1971 से 1973 के दौरान लाभ/लाभांश के रूप में विदेशों को भेजी गई राशि निम्न प्रकार बतायी गई है :—

1971 (रुपए)	1972 (रुपए)	1973 (रुपए)
2,242,422.4	2,206,017.74	2,206,028.27

विदेशी मुद्रा (विनियमन) अधिनियम का उल्लंघन करने के कारण बालयोगेश्वर के सहयोगियों के विरुद्ध जांच

8879. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा (विनियमन) अधिनियम का उल्लघंन करने के कारण बालयोगेश्वर के सहयोगियों के विरुद्ध जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रसासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम् मेहता) : (क) और (ख) जांच के परिणामस्वरूप, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा श्री बिहारी सिंह को, जिन्हें संगत अवधि में श्री प्रेमपाल सिंह रावत उर्फ बालयोगेश्वर का सचिव बताया गया था, चार कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इन कारण बताओ नोटिसों में से तीन से संबंधित मामलों को अन्तिम रूप दे दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 7,07,000 रु० की राशि का कुल जुर्माना किया गया और अमरीकन डालर 22,500, पौंड स्टर्लिंग, 540, दक्षिण अफ्रीकी पौंड 33 स्विस फ्रेन्क 250, आस्ट्रेलियन डालर 249, येन्स 100 तथा अमरीकन डालर 2550 के ट्रेवलर चैक की विदेशी मुद्रा जब्त

की गई थी। उपर्युक्त विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में सीमा-शुल्क विभाग ने भी जब्ती का आदेश दिया था, जिसके विरुद्ध श्री बिहारी सिंह द्वारा अपील दायर की गई है।

चतुर्थ कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामले में न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ने न्यायालय में श्री बिहारी सिंह पर अभियोग चलाने का आदेश दिया है।

क्षेत्रीय प्रतिबन्धों के कारण आदिवासियों को सुविधायें न दिया जाना

8880. **श्री राम हेड़ाऊ :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय प्रतिबन्धों के कारण आदिवासियों को सुविधायें नहीं दी जाती हैं ;

(ख) क्या अदिवासियों पर क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को हटाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कब और इसकी रूपरेखा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश के अनुसार कुछ सम्प्रदायों को किसी राज्य के भर्ती के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 में अधिकांश सम्प्रदायों के संबंध में इन क्षेत्र प्रतिबन्धों को हटाने का प्रस्ताव किया गया था। यह विधेयक चौथी लोक सभा के भंग होने से समाप्त हो गया था। यथासंभव शीघ्र एक नया विधेयक संसद् में पुरःस्थापित करने के लिए तैयार किया जा रहा है।

Supply of Hindi Typewriters to Offices

8881. **Shri Sudhakar Pandey :** Will the Minister of Energy be pleased to state the action proposed to be taken to provide Hindi typewriters to the offices under his Ministry which have only English typewriters at present ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : Some field formations under the Departments of Power and Coal have yet to have Hindi typewriters. They have been advised to assess their requirements and take steps to procure the necessary typewriters.

पंजाब में औद्योगिक प्रशिक्षण परियोजनाएं

8882. **श्री मान सिंह भौरा :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब में दो औद्योगिक प्रशिक्षण परियोजनाओं की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार की दिल्ली और हरियाणा में स्थापित की जा रही इसी प्रकार की परियोजनाओं के हित में इन परियोजनाओं को स्थगित रखने की योजना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) लुधियाना में एक टूल रूम स्थापित करने का निश्चय किया गया है।

(ख) लुधियाना का टूल रूम जर्मन जनवादी गणतन्त्र की सहायता से स्थापित किया जाना है।

परियोजना की कुल अनुमानित लागत 361.5 लाख रुपए है जिसमें में से 56 प्रतिशत जर्मन जनवादी गणतन्त्र द्वारा दी जाने की आशा है। टूल रूम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:—

1. टूल बनाने वाले को प्रशिक्षण देना,

2. लघु उद्योगों के कर्मचारियों को अंशकालिक और अल्पकालिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना,

3. सामान्य सेवाओं की व्यवस्था करना, सलाहकारी और परामर्शदात्री सुविधाएं प्रदान करना।

4. लघु उद्योगों के औजारों, जिगों, फिक्सरों, गेजों, डिस्कों और मोल्डों से संबंधित प्रक्रियाओं और उपकरणों के स्तर को ठीक करने के लिए अभ्युपायों की सिफारिश करना,

(ग) और (घ) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जर्मन जनतन्त्रवादी गणराज्य की सरकार को अनुमति के लिए प्रस्तुत की जा रही है।

गुजरात में होम गार्ड

3883. **श्री एन० आर० बेकारिया :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में होम गार्डों के कितने केन्द्र हैं ;

(ख) प्रत्येक केन्द्र में होम गार्डों की वर्तमान संख्या कितनी है; और

(ग) वर्ष 1973-74 और 1974-75 के दौरान इस संगठन में कितनी राशि व्यय की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) गुजरात राज्य के 17 जिलों के 300 ताल्लुकों में है इस समय 300 होम गार्ड केन्द्र हैं।

(ख) होम मार्गों की संख्या अलग अलग केन्द्रों में अलग अलग है जो प्रत्येक ताल्लुक के क्षेत्र पर निर्भर करती है। जबकि एक बड़े केन्द्र में होम गार्डों की एक कम्पनी हो सकती है जिसमें 110 जवान होते हैं तो एक छोटे केन्द्र में एक प्लाटून हो सकती है जिसमें 35 जवान होते हैं अथवा 11 जवानों का एक सैक्शन हो सकता है।

(ग) वर्ष 1973-74 में इस संगठन पर की गई धनराशि 43,62,620.00 रुपए और 1974-75 में 40,89,689.54 रुपए हैं।

सिंगरौली कोयला क्षेत्र में बहुमूल्य मशीनरी को बट्टेखाते में डालना

8884. **श्री रण बहादुर सिंह : क्या ऊर्जा** मंत्री सिंगरौली कोयला क्षेत्र में बहुमूल्य मशीनरी को बट्टेखाते में डालने के बारे में 11 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6407 के उत्तर में दिए गए आश्वासनों को क्रियान्वित करने के संबंध में 26 जुलाई, 1974 को सभा पटल पर रखे गए विवरण के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

27 LSS/75—3

(क) क्या आगे ऐसी हानि को रोकने के लिए इस मामले की कोई जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) सिंगरौली कोयला क्षेत्र में सार्वजनिक नीलाम द्वारा चार अनुपयोगी डम्परों तथा एक शावल की बिक्री की गई । डम्परों का अंकित मूल्य क्रमशः 16,730 रुपए, 23,226 रुपए 41,960 रुपए, तथा 32,589 रुपए था। उपकरणों का इंजनों रहित स्वीकृत मूल्य 26,750 रुपए था। इन्हें बिना इंजन के 28,000 रुपए में बेचा गया।

अनुपयोगी शावल का अंकित मूल्य 44,772 रुपए तथा सर्विस योग्य पुर्जों को छोड़कर 38,000 रुपए था। इसे 39,000 रुपए में बेचा गया। अतः किसी प्रकार के घाटा होने या कोई जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि स्वीकृत मूल्य की तुलना में बिक्री से अधिक मूल्य की प्राप्ति हुई।

Production and Export of Salt

8885. **Shri Hukum Chand Kachwai:** Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state:

(a) the total production of salt in the country during 1973-74 and 1974-75; State-wise; and

(b) the total quantity of salt exported during the aforesaid period; State-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B. P. Maurya): (a) and (b) A statement is attached.

STATEMENT

Sl. No.	Name of the State	Production during 1973-74 (April to March) (in 000 M. Tonnes	Production during 1974-75* (April to Feb.) (in 000 M. Tonnes)	Export during 1973-74 (in M. Tonnes)	Export during 1974-75 (in M. Tonnes)
1	2	3	4	5	6
1.	Rajasthan	449.9	479.6	23984	24343
2.	Gujarat	3967.7	3320.1	349058	379410
3.	Maharashtra	505.9	289.5	..	..
4.	Karnataka	17.6	11.5	..	..
5.	Tamil Nadu	1018.6	974.4	6516	20225
6.	Andhra Pradesh	261.3	307.9	..	..
7.	Orissa	59.5	69.3	..	..
8.	West Bengal	10.6	8.8	..	**12150
9.	Himachal Pradesh	3.3	4.7	..	..
10.	Goa, Diu and Daman	14.2	10.1	..	..
11.	Pondicherry	1.6	0.6	..	..
	Total	6310.2	5476.5	379558	436128

N.B. *Production figures for March 1975 are not yet available.

**Mostly includes salt manufactured on the West Coast and in Tamil Nadu.

शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को खपाने के लिए पंजाब में प्रत्येक बड़े उद्योग के निकट सहायक उद्योगों की स्थापना

8886. **श्री रघुनन्दनलाल भाटिया** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को खपाने के लिए पंजाब में प्रत्येक उद्योग के निकट किन्हीं सहायक उद्योगों को स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1973-74 और वर्ष 1974-75 के पंजाब में बेरोजगार व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) लघु उद्योग विकास गठन अपने लघु उद्योग सेवा संस्थानों तथा विस्तार केन्द्रों के माध्यम से तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षणों, उद्यमियों को निर्माण वस्तुओं का चुनाव करने में तकनीकी परामर्श की व्यवस्था, इत्यादि उपायों द्वारा बड़ी उपक्रमों के समीप छोटी सहायक औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने में राज्य सरकार तथा बड़े उद्योगों की सहायता कर रहा है। जहां कहीं भी अवसर मिला है वहीं बड़े उद्योगों के निकट लघु औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं। भारतीय उर्वरक निगम, नांगल ने लगभग 10 लघु औद्योगिक इकाइयों को निगम की कतिपय आवश्यकता को पूरा करने के लिए पंजीकृत किया है। जब कभी भी भारतीय उर्वरक निगम को सामान की आवश्यकता पड़ती है वह अपने यहां पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों को आर्डर दे देती है।

भारतीय रेलों द्वारा वांछित कतिपय वस्तुओं की पूर्ति के लिए ढलाई और गढ़ाई के स्रोतों का पता लगाने के प्रयास ल० उ० से० सं० लुधियाना द्वारा किए गए हैं। इन विशिष्ट वस्तुओं की सप्लाई के लिए रेलों के अनुसंधान तथा विकास खण्ड, लखनऊ को कुछ इकाइयों के नाम सुझाए गए थे। पंजाब ट्रैक्टर लि०, मोहाली की सहायक लघु उद्योग इकाइयां स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बड़े उपक्रमों की सहायक लघु उद्योग इकाइयां स्थापित करने में तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है।

पांच लाख रोजगार कार्यक्रम 1973-74 के अंतर्गत एक औद्योगिक बस्ती स्थापित करने के लिए पंजाब राज्य सरकार को 10.21 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई थी। रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम 1974-75 के अन्तर्गत औद्योगिक/वाणिज्यिक बस्तियां स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को 18 लाख रुपये स्वीकार किए गए हैं।

(ग) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों के अनुसार राज्य के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार तलाश करने वालों की संख्या 31-1-1974 को यह संख्या 2.11 लाख थी। 31-1-75 को यह संख्या 2.53 लाख हो गई है।

औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो (बी०आई०सी०पी०) का गठन

8887. **श्री भालजीभाई रावजीभाई परमार** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी०आर०सी०पी० ने कितने मामलों में टायरों, औषधि तथा अन्य वस्तुओं के मामले में, विदेशी क्षेत्र की सहायता करने का प्रयत्न किया है;

(ख) बी०आई०सी०पी० के गठन का स्वरूप क्या है;

(ग) क्या हाल ही में बी०आई०सी०पी० के एक अधिकारी ने अपने पास तीन महीने तक एक फाइल रखे रखी थी जिसमें कुछ 'बल्क' और उत्पादक मिश्र के मूल्य कम करने का निर्णय लिया गया था; जिससे विदेशी फर्मों को लाभ पहुंचा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि इस प्रकार की एजेंसी भारतीय क्षेत्र के हित में न्यायपूर्वक काम करे ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) ऐसा कोई मामला नहीं है।

(ख) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरों (बी०आई०सी०पी०) का गठन सरकार के 15 जनवरी, 1970 के संकल्प द्वारा किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष और दो पूर्णकालिक सदस्य हैं तथा तकनीकी विकास के महानिदेशक और उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार ब्युरो के पदेन सदस्य हैं। ब्युरो के कर्मचारी इंजीनियरी, आर्थिक और लेखा क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं।

(ग) जी नहीं, और

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आसाम में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल

8888. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल की कुल कितनी बटालियनें तैनात की गई; और

(ख) क्या आसाम सरकार ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल की और अधिक बटालियनों के लिए कोई अनुरोध किया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 1-1-1973, 1-1-1974 और 1-1-1975 को असम में आन्तरिक सुरक्षा कार्यों के लिये केन्द्राय रिजर्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल की कम्पनियों की तैनाती का एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

विवरण

असम में आन्तरिक सुरक्षा कार्यों के लिये सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की कम्पनियों की तैनाती।

1-1-1973	37 कम्पनियां
1-1-1974	18 कम्पनियां
1-1-1975	17 कम्पनियां

केरल में आकाशवाणी केन्द्रों का विकास

8889. **श्री सी० जनार्दन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में आकाशवाणी केन्द्रों के विकास के लिये चालू वर्ष के दौरान क्या उपाय किये जायेंगे; और

(ख) केरल स्थित आकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रमों की व्यवस्था में क्या-क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) चालू वर्ष के दौरान नये स्टूडियो के कालीकट में चालू हो जाने की उम्मीद है।

1 मई, 1975 से त्रिवेन्द्रम से वाणिज्यिक सेवा चालू कर दी गई है।

त्रिचूर केन्द्र से क्रमबद्ध रूप से अधिक संख्या में मूल कार्यक्रम तैयार करने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

नये एककों को कोका-कोला कंसेंट्रेट की सप्लाई

8890. **श्री नानूभाई एन० पटेल :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोका-कोला की बोतलें भरने के लिये किसी एकक को लाइसेंस देने तथा पंजीकृत करने में स्वतन्त्र है अथवा केवल उन्हीं एककों को पंजीकृत किया जाता है/लाइसेंस दिया जाता है, जिनको कोका-कोला निर्यात निगम ने कोका कोला कंसेंट्रेट सप्लाई करने का आश्वासन दिया हुआ है;

(ख) क्या सरकार का विचार एक नये एकक को, जिसका कोका-कोला की बोतलें भरने का काम आरंभ करने का है, कंसेंट्रेट सप्लाई करने का है अथवा उसे कोका-कोला निर्यात निगम की दया पर छोड़ दिया जायेगा; और

(ग) विश्व मंडी में कोका कोला कंसेंट्रेट की लागत बीमा भाड़ा मूल्य क्या है और देश में बोतलें भरने वाले कारखानों को किस मूल्य पर कंसेंट्रेट उपलब्ध किया जाता है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मोर्य) : (क) औद्योगिक उपक्रमों को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों और उनके अंतर्गत जारी किये गये आदेशों के अनुसार उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम सूची में दी गई वस्तुओं का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र रूप से लाइसेंस नाता दिया जाता है अथवा पंजीकृत किया जता है।

(ख) सरकार हल्के पेय बनाने वालों को कच्चे माल का संभरण नहीं करती है। ये एकक किसी भी स्वदेशी स्त्रोत से कच्चा माल लेने के लिए स्वतन्त्र हैं। किन्तु देश में कोका कोला की बोतलें भरने के लिए और क्षमता की स्थापना करने की अनुमति नहीं है।

(ग) विश्व बाजार में कोका कोला सांद्रण के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है। जिस मूल्य पर कोका कोला सांद्रण देश में बेचा जाता है वह लगभग 82.47 रुपये प्रति किलो ग्राम बताया गया है।

सिगरेट उद्योग में लागत ढांचा

8891. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सिगरेट उद्योग के लागत ढांचे संबंधी पहलू का अध्ययन करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इसके लागत ढांचे का अध्ययन करके सरकार उद्योग में विदेशी फर्मों को सहायता नहीं दे रही है; और

(ग) यदि हां, तो विदेशी फर्मों के साथ इस वर्ताव के क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी,नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान में सार्वजनिक टेलीफोन तथा डाक घर

8892. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में सार्वजनिक टेलीफोनों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) कितने स्थानों के संबंध में डाक-घर खोले जाने की मांग विचाराधीन है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) राजस्थान में तारीख 31-3-75 को सार्वजनिक टेलीफोन घरों की कुल संख्या 421 थी ।

(ख) 463 स्थान ऐसे हैं जहां के लिए डाकघरों की मांग विचाराधीन है।

दिल्ली में टेलीफोनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण

8891. **श्री मोहन राज :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में '61' और '62' एक्सचेंजों में 1 अप्रैल, 1974 को टेलीफोनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने के लिए कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन थे और उनमें सबसे पहले की और सबसे बाद की तारीख क्या क्या हैं;

(ख) 1 अक्तूबर से 41 दिसम्बर, 1974 तक की अवधि के दौरान ऐसे कितने आवेदन पत्र निपटा दिए गए और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाने की अनुमति दी गई और उन आवेदन-पत्रों में सबसे पहले की और सबसे बाद की तारीख क्या क्या हैं;

(ग) उनमें से डाक तथा तार विभाग के अधिकारियों के कितने आवेदन पत्र थे जिन्हें सेवा-निवृत्ति पर निजी कनेक्शन दिए गए; और

(घ) इन दोनों एक्सचेंजों में 1 अप्रैल, 1975 को टेलीफोनों के स्थानान्तरण के लिए कितने आवेदन पत्र विचाराधीन थे तथा उनमें सबसे पहले की और सबसे बाद की तारीखें क्या क्या हैं और उन्हें निपटाने में कितना समय लगने की संभावना है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) 1 अप्रैल, 1974 को दिल्ली में जोरबाग एक्सचेंज के '61', '62' और '7' एक्सचेंजों में टेलीफोन कनेक्सनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलने की बकाया पड़ी अर्जियों की संख्या 175 थी। सबसे पुरानी अर्जी तारीख 17-4-74 की और बाद की अर्जी 29-3-1974 की थी।

(ख) 175 अर्जियों में से 1 अक्तूबर 1974 से 31 दिसम्बर 1974 के दौरान 127 टेलीफोन कनेक्शन वांछित जगहों पर बदल दिए गए थे। जिन अर्जियों का निपटारा कर दिया गया, उनमें सबसे पुरानी अर्जी तारीख 3-12-73 की और बाद की अर्जी 17-1-1974 की थी। अन्य टेलीफोन कनेक्शनों को वांच्छित जगहों पर इसलिए नहीं बदला जा सका क्योंकि जिन बस्तियों में उन्हें लगाना है वहां केबुल पेयर खाली नहीं हैं।

(ग) कोई नहीं।

(घ) 1 अप्रैल, 1975 को टेलीफोन कनेक्शनों को एक स्थान से दूसर स्थान पर बदलने के लिए अनिर्णीत अर्जियों की संख्या 244 थी। इनमें सबसे पुरानी अर्जी 17-4-1973 की और बाद की अर्जी 30-3-1975 की थी। आशा है कि ये टेलीफोन कनेक्शन अगले छह महीनों में अपनी जगहों से हटाकर वांच्छित स्थानों पर लगा दिए जायेंगे।

Paper Mills in Madhya Pradesh

8894. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state:

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have made a demand to the Centre for setting up two paper mills in the State; and

(b) if so, Government's decision thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B. P. Maurya) : (a) The Government of Madhya Pradesh have not made any demand for the Centre to set up two paper mills in the State.

(b) Does not arise.

उत्तर दिल्ली में लारेंस रोड पर दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के स्टोर यार्ड में आग लगना

8895. **श्री एम० एम० जोजफ:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार, उत्तर दिल्ली में लारेंस रोड पर दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के खुले स्टोर यार्ड में 16 अप्रैल, 1975 मध्याह्न को लगी आग से 15 से 20 लाख रुपयों के मूल्य के लगभग 45 केबल ड्रम नष्ट हो गये;

(ख) क्या आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिये कोई जांच कराने के आदेश दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम के लारेंस रोड पर स्थित खुले भंडार के प्रांगण में 16-4-1975 को आग लग गई थी। इससे 296 ड्रमों को क्षति पहुंची तथा उनमें से कुछ पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। अनुमानित क्षति का मूल्य लगभग 35 लाख रुपये हैं।

(ख) और (ग) उप मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता में आग लगने के कारणों की जांच करने तथा संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों पर उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए एक जांच आयोग का गठन किया गया है। समिति द्वारा 15-5-1975 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आशा है। दिल्ली प्रशासन की अपराध शाखा भी मामले की जांच कर रही है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 में नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की चयन सूची

8896. **श्री राम स्वरूप :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 में नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की वर्ष 1975 की चयन सूची वर्ष 1974 की चयन सूची में शामिल प्रत्येक अधिकारी के नियुक्ति के पूर्व ही तैयार करके जारी कर दी जाएगी;

(ख) क्या वर्ष 1974 की चयन सूची में प्रवर अधिकारियों को, उस तिथि से वेतन का लाभ दिया जायेगा, जबसे उनसे कनिष्ठ, अधिकारियों को ग्रेड 1 में नियुक्त किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां श्रीमान्। केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड–I के लिए नई चयन सूची, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड–I तथा चयन ग्रेड में पदोन्नति) विनियम 1964 के उपबन्धों के अनुसार, प्रतिवर्ष तैयार की जाती है। इन विनियमों के अनुसार यदि पिछले वर्ष की चयन सूची का कोई अधिकारी खपाए जाने से रह जाता है तो अगले वर्ष की चयन सूची को जारी किए जाने से रोकने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) तथा (ग) : यद्यपि चयन सूची के अधिकारियों की वरिष्ठता उस क्रम के अनुसार निर्धारित की जाती है जिस क्रम में वे चयन सूची में शामिल हैं, किन्तु उनकी वास्तविक नियुक्तियां उस क्रम के अनुसार नहीं की जातीं। अवर सचिव/समकक्ष के पद किसी सेवा विशेष के अधिकारियों के लिए आरक्षित नहीं होते। नियुक्तियां मंत्रालयों/विभागों द्वारा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा, अखिल भारतीय सेवाओं, श्रेणी 1 की केन्द्रीय सेवाओं अथवा राज्य सिविल सेवाओं से उपलब्ध अधिकारियों की उपयुक्तता और उनके अनुभव तथा व्यवसाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, की जाती हैं। सामान्यतः उन मंत्रालयों/विभागों

में कार्य कर रहे अधिकारियों को जहां रिक्तियां उपलब्ध हों, पहले चुन लिया जाता है । चयन सूची के ऐसे अधिकारियों को, जो उनके मंत्रालयों/विभागों की आवश्यकताओं को देखते हुए अधिशेष पाए जाते हैं, अन्य मंत्रालयों/विभागों में खपाए जाने में कुछ समय लग जाता है । उस तारीख से ग्रेड I में वेतन का लाभ दिये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कोई कनिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

राज्य सरकारों की ओर लम्बी अवधि के देय
दामोदर घाटी निगम की बकाया राशि

8897. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों की ओर दामोदर घाटी निगम की एक बड़ी राशि एक लम्बी अवधि से देय है;

(ख) क्या इसके कारण दामोदर घाटी निगम की वित्तीय क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस बकाया राशि की वसूली का सुनिश्चिय कराने के लिये इस मामले में हस्तक्षेप करने का है ताकि दामोदर घाटी निगम के हितों को हानि न हो ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) बिहार सरकार की ओर बहुत कम राशि बकाया है । पश्चिम बंगाल की तरफ कुछ भी बकाया नहीं है । तथापि, बिहार राज्य बिजली बोर्ड की तरफ, उन्हें सप्लाई की गई विद्युत के कारण लगभग 6 करोड़ रुपये की राशि बकाया है ।

(ग) दामोदर घाटी निगम एक संविधिक संस्था है, तथा यह संसद् के अधिनियम के अधीन स्थापित की गई है । अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, अपने उपभोक्ताओं को विद्युत ऊर्जा की सप्लाई के लिए प्रभारों की वसूली करने के ढंग का निर्धारण करना निगम का उत्तरदायित्व है । अतः इस संबंध केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा,
भारतीय वन सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं में
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण

8898. **श्री एस० एम० सिद्दय्या** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972, वर्ष 1973 और वर्ष 1974 में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय वन सेवा और अन्य केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिये कितने पदों का आरक्षण किया गया और प्रत्येक वर्ग में उपरोक्त पदों को भरने के लिये संघ लोक सेवा आयोग ने प्रत्येक वर्ष कितने उम्मीदवारों का चयन किया और कितने उम्मीदवारों को प्रतीक्षा सूची में रखा;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कुछ उम्मीदवार, जिन्हें नियुक्ति-पत्र दिये गये थे, इन रिक्त पदों पर नहीं आये और उपरोक्त सभी वर्षों में इन पदों को इन वर्षों में

प्रतीक्षा सूची में रखे गये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से भरा गया था; और

(ग) उक्त तीन वर्षों में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा आदि में चुने गये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के नाम क्या हैं, उन उम्मीदवारों की संख्या क्या है जिन्होंने नियुक्ति स्वीकार नहीं की और ऐसे उम्मीदवारों की संख्या क्या है जिन्हें प्रतीक्षा सूची में रखा गया ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) संबंधित मंत्रालयों/विभागों से सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

Export and production of Tyres in Dunlop India Limited

8899. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) the amount of foreign exchange earned by Dunlop India Limited during the last two years by export of truck tyres ;

(b) the production of various types of truck tyres in the company during the last two years ; and

(c) the procedure adopted by the company regarding distribution of tyres ?

The Minister of Sta:ein The Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B.P. Maurya) : (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) The production of giant tyres (including truck tyres) by Messrs. Dunlop India Limited during the years 1973 and 1974 was 778,143 and 873 , 814 numbers respectively.

(c) The distribution of truck tyres is being regulated by the Central Coordinating Committee for Tyre Distribution headed by the Joint Secretary in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development).

Harijans Subjected to Untouchability in Rajpura Block, Tehsil Gunnor, District Badaun U. P.

8900. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Home affairs** be pleased to state :

(a) whether Harijans are still subjected to untouchability in Rajpura Block, Tehsil Gunnor, District Badaun, Uttar Pradesh in as much as tea and edibles are served to Harijans in hotels in Contemptuous manner, their hair cutting is refused by the barbers and washermen do not wash their clothes ;

(b if so, the reasons for the continuance of the practices ;

(c) the reasons why police and Uttar Pradesh Government do not safeguard the interests of Harijans; and

(d) whether Bhartiya Valmiki Kalyan Sabha (Registered) visited the Rajpura Block, Tehsil Gunnor, District Badaun (Uttar Pradesh) and found untouchability being practised there and made a report thereof to the Superintendent of Police of the district and no action has been taken so far, if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin): (a) to (d) The information as soon as received from the State Government will be laid on the Table of the Sabha.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित अवर सचिव तथा समान सम्वर्ग के पदों का भरा जाना

8901. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **प्रधान मंत्री** अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित अवर सचिव तथा समान सम्वर्ग के पदों के भरे जाने के बारे में 19 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 212 के उ र के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उपलब्ध रिक्त पदों पर नियुक्त करने के लिये उपलब्ध किये गये 17 अधिकारियां को नियुक्त कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सम्वर्ग एक के लिये पहले तैयार की गई चयन सूची में सम्मिलित न किये गये अधिकारी अवर सचिवों के रूप में कार्य कर रहे हैं और 1974 की चयन सूची के अधिकारी नियुक्ति की प्रतीक्षा में हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) अन्यत्र तैनाती के लिए जिन 17 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारियों को भेजा गया था उनमें से अब 2 का केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I में नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए अनुमोदन कर दिया गया है।

(ख) अवर सचिव और समकक्ष पदों को अखिल भारतीय सेवाओं, केन्द्रीय सेवाओं ग्रेड–I, केन्द्रीय सचिवालय सेवा और राज्य सिविल सेवाओं के अधिकारियों में से भरा जाता है। इन पदों पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के लिए अथवा उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। इन पदों की रिक्तियों को उपयुक्त विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों के पैनलों में से व्यवसाय की अपेक्षाओं के आधार पर किसी पद विशेष के लिए उनकी उपयुक्तता और अनुभव को ध्यान में रखते हुए भरा जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के बाकी अधिकारियों को अवर सचिवों अथवा समकक्ष पदों में नियमित आधार पर यथाशीघ्र नियुक्त करने के प्रत्यन किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) यदि प्रवर सूची अधिकारी उपलब्ध न हों अथवा उन्हें किसी कारण से ऐसी रिक्तियों पर नियुक्त न किया जा सकता हो तो मंत्रालयों को प्राधिकार है कि वे केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड–I में पदोन्नति के लिए पात्र अधिकारियों में से आकस्मिक और अल्पावधिक रिक्तियों पर नियुक्तियां कर सकें, चाहे ऐसे अधिकारी प्रवर सूची में न भी हों।

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स एंड स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड में जनता की जमा पूंजी

8902. **श्री भागीरथ भंवर : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स एंड स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड को ब्याज की आकर्षक दर पर जनता से ऋण लेने की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के किसी अन्य उपक्रम को भी जनता से ऋण लेने की अनुमति दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम ने जनता से ऋण नहीं मांगा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रामपुर के नवाब और बेगम द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

8903. **श्री सरोज मुखर्जी** : **क्या प्रधान मंत्री** रामपुर के नवाब और बेगम द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के बारे में 11 अगस्त, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7774 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामपुर के नवाब और बेगम द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन किये जाने की इस बीच जांच कर ली गई है और/अथवा इस बारे में न्याय निर्णय हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रामपुर के नवाब और बेगम पर कोई जुर्माना किया गया है; और

(ग) जुर्माना वसूल करने और/अथवा रामपुर के नवाब और बेगम के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिये यदि कोई कार्यवाई की गई है, तो वह क्या है?

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां, श्रीमान् । श्री मुर्तजा अली खान तथा श्रीमती आफ़ताब ज़मानी बेगम के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के मामलों का न्यायनिर्णय हो गया है ।

(ख) न्यायनिर्णयन की कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप कुल 11,40,000 रुपये की धनराशि का जुर्माना किया गया है ।

(ग) श्री तथा बेगम मुर्तज़ा अली खान ने विदेशी मुद्रा विनियमों के अपीलीय बोर्ड को उपयुक्त न्यायनिर्णय के आदेशों के विरूद्ध अपीलें दायर की हैं, जिनमें यह अनुरोध किया गया है कि इन अपीलों पर मूल न्यायनिर्णय में लगाए गए जुर्मानों के जमा करने पर जोर दिए बिना, सुनवाई की जाए । मामला विदेशी मुद्रा अधिनियम अपीलीय बोर्ड के पास लम्बित है । उपयुक्त अनुरोध पर बोर्ड के निर्णय के पश्चात् कानून के संगत उपबन्धों के अनुसार, जुर्माने को वसूल करने के लिए अगली कार्रवाई पर विचार किया जाएगा ।

दिल्ली प्रशासन में स्टेनोग्राफर ग्रेड III के पद

8904. **श्री शिव कुमार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन में पूर्ववर्ती स्टेनो-टाइपिस्ट के पदों को अब स्टेनोग्राफर ग्रेड–III के बराबर बना दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वरिष्ठता संबंधी नियमों की किस धारा के अधीन उनकी वरिष्ठता निश्चित की गई है;

(ग) क्या यह मामला दर्जा बढाने का है; और

(घ) क्या दिल्ली प्रशासन ने स्टेनों-टाइपिस्टों की पदोन्नतियों पर तीन वर्ष की रोक लगा दी है; और यदि हां, तो ऐसा कौन से सिविल सेवा नियमों के अधीन किया गया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) प्रशासन के अधीन 110-180 रुपये तथा विशेष वेतन के रूप में 20 रुपये के वेतनमान में स्टेनो-टाइपिस्टों के पदों को 1 अप्रैल, 1972 से 130-300 रुपये (पुराने) वेतनमान में स्टेनोग्राफरों के पदों में बदल दिया गया था । स्टेनो-टाइपिस्टों की वरीयता स्टेनोग्राफर के परिवर्तित पदों पर उन की नियुक्ति से वर्तमान नियमों तथा अनुदेशों के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी । प्रशासन के पात्र स्टेनो-टाइपिस्ट 1 अप्रैल, 1972 से स्टेनोग्राफर के परिवर्तित पदों पर नियुक्त किये गये हैं । उन्होंने 31 मार्च, 1975 को ही ग्रेड में तीन वर्ष की सेवाएं पूरी की हैं । भर्ती नियमों के अनुसार केवल वे स्टेनोग्राफर जिनकी ग्रेड में तीन साल की सेवा है उच्च पदों पर पदोन्नति के पात्र है । इस प्रकार उपयुक्त समय पर वरीयता सूची म उनकी अपनी स्थिति के अनुसार पदोन्नति के लिये विचार किया जायेगा ।

Scholarship to Scheduled Tribes Students in Arunachal Pradesh

8906. **Shri Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased be state :

(a) whether there was a scheme to sepend Rs. 750 lakhs by awarding scholarships to students belonging to Scheduled Tribes in Arunachal Pradesh during 1973-74; and

(b) if so, the progress made by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin): (a) and (b) There was no scheme to spend Rs. 750/- lakhs (Rupees seven hundred and fifty lakhs) for awarding schlolarships to Scheduled Tribes students in Arunachal Pradesh during 1973-74. However, there was a scheme of Rs. 7.50 lakhs (Rupees seven lakhs and fifty thousand only) for Secondary as well as University education in Arunacal Pradesh, against which 418 students were awarded scholarships in and outside Arunachal Pradesh at an expenditure of Rs. 6.22 lakhs.

Grant of subsistence allowance to unemployed persons belonging to S.C. and S.T.

8907. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Committee on the Welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes appointed by Punjab Government has made a recommendation in its report for

grant of a monthly subsistence allowance of Rs. 150 and Rs. 250 to the unemployed graduates and post-graduates respectively belonging to the said castes; and

(b) whether Central Government contemplate to apply this recommendation to the said persons of these castes in the entire country or would also advise other State Governments therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) Yes, Sir.

(b) No proposal is under consideration of the Central Government.

केवल मशीनरी बनाने के लिए हंगरी से जानकारी

8908. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी ने हमारे देश को केवल मशीनरी, गियर ग्राइंडिंग मशीनरी बनाने के लिए जानकारी सप्लाई करने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां । नई दिल्ली में 28 अक्तूबर से 2 नवम्बर, 1794 तक आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के बारे में भारत-हंगरी संयुक्त आयोग की हुई पहली बैठक में अन्य बतों के साथ-साथ इस बात को मान लिया गया था कि हंगरी इस संबंध में अपने प्रस्तावों का ब्यौरा सरकार के विचार के लिए भारत को देगा ।

(ख) चूंकि हंगरी से कोई भी प्रस्ताव नहीं मिला है इसलिए मामले पर अभी कोई निर्णय नहीं किया जा सकता है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आवास योजना हेतु केरल राज्य विकास निगम को सहायता

8909. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आवास योजना को क्रियान्वित करने हेतु केरल राज्य विकास निगम को अब तक कितनी सहायता दी गई है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में आवास योजना के लिए राज्य सरकार ने कुल कितनी सहायता मांगी है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) राज्य सरकार ने केरल राज्य विकास निगम को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातिमों के लिए अब तक 54.15 लाख रुपये (13.35 लाख रुपये अनुदानों के रूप में 40.80 लाख रुपये ऋणों के रूप में) की वित्तीय सहायता दी है। आवासीय योजनाओं के लिए राज्य सरकार ने कोई अलग आवंटन निगम को नहीं दिया है । फिर भी निगम द्वारा हाथ में ली गई आवास योजनाओं के कार्यान्वियन के लिये "हुडको" द्वारा 116.60 लाख रुपये का ऋण दिया गया है ।

(ख) राज्य सरकार ने आवास क्षेत्र के अन्तर्गत चालू वर्ष (1975-76) के लिए आवास योजनाओं के बारे में 324 लाख रुपये परिव्यय का प्रस्ताव किया ।

Talks on Tilaiya and Koar projects of D.V.C. for Supply of water to Bihar

8910. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) whether Government have arranged talks between the concerned Governments about the Tilaiya and Konar Projects of the D.V.C. over the question of supply of water to Bihar; and

(b) if so, the main features thereof and the present stage of the aforesaid projects?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad): (a) & (b) These proposals have inter-State aspects involving Bihar and West Bengal which have to be resolved, before being considered for implementation. A meeting between the Chief Ministers concerned is likely to be convened to expedite settlement in this regard.

जैन कोपरेटिव बैंक लिमिटेड, दिल्ली में कथित कुप्रबंध

8911. **श्री राम रतन शर्मा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जैन कोपरेटिव बैंक लिमिटेड, दिल्ली के सदस्यों से तथा स्थानीय समाचार पत्रों से, इस बैंक में घोर कुप्रबंध तथा भ्रष्ट तरीकों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं

(ख) क्या अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण से भी बैंक में घोर अनियमितताओं का रहस्योद्घाटन हुआ है;

(ग) क्या यह ज्ञात हुआ है कि यह बैंक असत्यापित स्रोतों से प्राप्त सावधि जमा खातों की प्रतिभूति पर जमाकर्ताओं की अनुमति लिये बिना, किसी अन्य व्यक्ति के नाम अग्रिम धन देकर छिपी हुई आय को नियमित बनाने का कार्य कर रहा है; और

(घ) उपरोक्त बैंक में जमाकर्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिये सरकार किन कार्यकारियों पर विचार कर रही है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली नगर निगम के लिये जनता न्याय व्यवस्था (पीपुल्स जूरी सिस्टम) की मांग

8912. **श्री एन० ई० होरो** :
श्री डी० बी० चन्द्रगोडा :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के नागरिकों ने दिल्ली नगर निगम के लिये जनता न्याय व्यवस्था (पीपुल्स जूरी सिस्टम) की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) सरकार को उस संकल्प की एक प्रति प्राप्त हुई है जो बताया गया है कि दिल्ली में 13 अप्रैल, 1975 को हुए जनता सम्मेलन में पारित किया गया था । संकल्प में दिये गये सुझावों में एक सुझाव का संबंध दिल्ली नगर के साथ लोगों के विवादों का पंच निर्णय करने के लिए जनता पंचायत जूरी पद्धति प्रारम्भ करने से है । संकल्प के साथ प्राप्त एक विवरणिका में लिखा है कि किसी क्षेत्र के निश्चित संख्या में किन्ही व्यक्तियों को जूरी का कार्य करने के लिए नियत करना चाहिए और इन नागरिकों के लिए उक्त कार्यों का करना अनिवार्य होना चाहिए जिसके लिए उनको कुछ मानदेय मिलेगा । योजना में यह भी व्यवस्था है कि प्रत्येक बैठक के लिए नई जूरी का चयन किया जाएगा । जूरी का निर्णय मानना होगा। सरकार ने अभी तक इन सुझावों पर विचार नहीं किया है ।

दिल्ली में गृह कल्याण केन्द्रों द्वारा प्रबन्धित बाल बाड़ियों के प्रभारों में वृद्धि

8913. **श्री शशि भूषण :**
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दिल्ली में गृह कल्याण केन्द्रों द्वारा प्रबंधित बाल बाड़ियों में प्रभारों की वृद्धि कर दी है और यदि हां, तो कितनी;

(ख) क्या गृह मंत्रालय के गृह कल्याण केन्द्रों द्वारा प्रबंधित 16 बाल बाडियों में जाने वाले 700 बच्चों के माता-पिताओं ने धमकी दी है कि यदि मंत्रालय ने बाल बाड़ी प्रभारों में की गई वृद्धि वापस न की तो आन्दोलन प्रारम्भ किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) गृह कल्याण केन्द्र, सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन एक पंजीकृत समिति है, जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लाभ के लिए दिल्ली/नई दिल्ली में एक कल्याणकारी कार्य-कलापों के रूप में बालबाड़ियां (क्रेचेज) चलाती है । बालबाड़ियों में और अच्छी सेवा की व्यवस्था करने तथा अपने कर्मचारियों को, जो अपनी परिलब्धियों में वृद्धि के लिए आन्दोलन करते रहे हैं, अच्छे वेतनमान देने हेतु अपनी आय बढ़ाने के उद्देश्य से इस समिति ने 1 अप्रैल, 1975 से बाल बाड़ियों के लिये शुल्क अनुसूची को संशोधित कर दिया है । संशोधन के कुछ मामलों में, तीन रुपये प्रतिमास प्रति बच्चे की कमी और अन्य मामलों में 15 रुपये प्रतिमास प्रति बच्चे की वृद्धि है । इसके अतिरिक्त, दूसरे तथा तीसरे बच्चे और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए घटाई गयी दरों, जैसी विशेष रियायतें समाप्त कर दी गई हैं।

(ख) इन बालबाड़ियों में अप्रैल, 1975 में बच्चों की संख्या लगभग 350 थी। इनमें से कुछ बच्चों के माता-पिता आन्दोलन संगठित करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

(ग) गृह कल्याण केन्द्र बोर्ड, जो सक्षम प्राधिकारी है, माता-पिताओं से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार कर रहा है ।

Small Newspapers and Journals Published from Bihar

8914. **Shri Ramavtar Shastri:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the number and names of the small newspapers and journals published in Hindi, English and Urdu from Bihar;

(b) whether Government provides any assistance to such newspapers and journals; and

(c) if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Vir Sinha) : (a) A statement is attached at Annexure 'I'.

[Placed in the Library, *See* No. L.T.-9658/75]

(b) They are given the same benefits, as extended to the small newspapers in other States.

(c) The broad details of benefits given to small newspapers are given in the statement attached at Annexure 'II'.

प्रधान मंत्री सहायता निधि का वितरण

8915. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री आर० वी० बड़े :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री सहायता निधि के वितरण के लिये क्या कसौटी और प्रक्रिया निर्धारित की गई है;

(ख) क्या उसके हिसाब की लेखापरीक्षा की जाती है और प्रकाशित भी की जाती है ;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में, वर्षवार, अलग-अलग बकाया राशि कितनी थी ;

(घ) गत वर्ष इस निधि से एक हजार रुपये से अधिक धनराशि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस निधि के हिसाब की प्रतियां सभा पटल पर रखने का है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सहायता कोष अर्थात् प्रधान मंत्री जी के राष्ट्रीय सहायता कोष, प्रधान मंत्री जी के सूखा सहायता कोष तथा प्रधान मंत्री जी के विद्यार्थी सहायता कोष से बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकम्प, अग्नि-दुर्घटना आदि जैसी प्राकृतिक विपत्तियों से पीड़ित लोगों, तथा पढ़ाई के खर्च के लिए जरूरतमंद और योग्य विद्यार्थियों को राहत पहुंचाने के लिये विविध परिस्थितियों में सहायता दी जाती है । इन कोषों के ट्रस्टी-बोर्डों की अध्यक्षा के रूप में प्रधान मंत्री जी अनुदान स्वीकृत करती हैं और सामान्यतः राज्य सरकारों द्वारा इनका वितरण किया जाता है । विशेष स्थितियों में विपद्ग्रस्त

इलाकों में सहायता-कार्य के लिये स्थानीय प्राधिकारियों अथवा समाज सेवा संगठनों के नियंत्रण में यथोचित राशियां रखी जाती हैं । उचित मामलों में थोड़ी राशियां व्यक्तियों को सीधे भी दी जाती हैं जिनसे उन्हें अपनी तात्कालिक कठिनाइयों को पार करने में मदद मिल सके ।

(ख) वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत लेखा परीक्षकों द्वारा इन कोषों की लेखा परीक्षा की जाती है; जिन्हें प्रकाशित नहीं किया जाता ।

(ग) शेष राशियां अनुबंध I में दिखाई गई हैं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-9659/75]

(घ) यह सूचना अनुबंध II में दी गई है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-9659/75]

(ङ) जी नहीं ।

रोजगार के लिए द्रुत योजनायें

8916. श्री के० मालन्ना :

श्री अर्जुन सेठी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972-73, 1973-74 और 1974-75 वर्षों में रोजगार के लिए द्रुत योजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) व्यय का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) द्रुत योजनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में रोजगार के कितने अवसर उत्पन्न किए गए ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 1972-73, 1973-74 और 1974-75 के दौरान विभिन्न त्वरित स्कीमों पर जो राशि खर्च की गई वह अनुबन्ध-1 पर दी गई है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०-9660/75]

(ख) और (ग) वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 के दौरान विभिन्न त्वरित स्कीमों के अन्तर्गत किए गए खर्च का राज्यवार ब्यौरा तथा सर्जित रोजगार अनुबन्ध-2 से 7 में दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 9660/75]

ट्रक चेसिस का मूल्य

8917. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1974 और 1 जनवरी, 1975 को भारत में टाटा तथा अन्य कंपनियों द्वारा निर्मित 166" की व्हील बेस ट्रक चेसिस का मूल्य क्या था ;

(ख) क्या गत एक वर्ष के दौरान मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस भारी वृद्धि के क्या कारण हैं तथा क्या मूल्यों में वृद्धि करने से पूर्व सरकार की स्वीकृति ली गई थी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 166" की व्हील बेस के ट्रक चेसिस केवल एक निर्माता अर्थात् मे० टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जाते हैं । उत्पादन शुल्क को छोड़ कर इस चेसिस का डीलर द्वारा लिया जाने वाला शुद्ध मूल्य निम्न प्रकार रहा है :—

1 जनवरी, 1974 को	57,323 रुपये
1 जनवरी, 1975 को	72,429 रुपये।

(ख) तथा (ग) निर्माताओं को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य निर्धारण मानकों के अन्दर अपनी गाड़ियों के मूल्य विनियमित करने की स्वतंत्रता दी गई है । यह सिद्ध करने के लिए कि इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मानकों का उन्होंने वस्तुतः पालन किया है, निर्माताओं को लागत पत्र प्रस्तुत करने होते हैं ।

अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में विदेशी आसूचना एजेंसियों के साथ सम्पर्क रखने के आरोप पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

8918. श्री भगतराम राजाराम मनहर :
श्री के० मालन्ना :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में विदेशी आसूचना एजेंसियों के साथ सम्पर्क रखने के आरोप में चार व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे ;

(ख) क्या गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों का मिजो विद्रोहियों से निकट संपर्क था, यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस प्रदेश में समाज विरोधी और राष्ट्र-विरोधी तत्वों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) अरुणाचल प्रदेश प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में तीन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे क्योंकि उन पर राज्य के प्रतिकूल कार्यों में ग्रस्त होने का सन्देह था, बाद में उन्हें निजी बौंड तथा नकद जमानत पर छोड़ दिया गया । अब तक की गई पूछताछ से किसी विदेशी आसूचना ऐंजेसी के साथ कोई निश्चित संबंध स्थापित नहीं हुआ है फिर भी मिजो भूमिगतों के साथ उनके संबंधों के कुछ सबूत हैं । आगे जांच की जा रही है ।

(ग) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों को कुचलने के लिये अत्यधिक सतर्कता बरती जा रही है ।

राजधानी में सीमेंट की चोरी

8919. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजधानी में सीमेंट की चोर बजारी के बारे में शिकायते प्राप्त हुई हैं; और

(ख) सीमेंट को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन को इस बारे में शिकायतें मिलती रहती हैं जिनकी सतर्कता और प्रवर्तन कर्मचारियों द्वारा जांच की जाती है। सीमेंट केवल दिल्ली प्रशासन द्वारा वास्तविक उपभोक्ताओं को उनकी वास्तविक जरूरतों के लिए दिये गये परमिटों पर बेचा जाता है। सीमेंट के खुदरा बिक्री मूल्य एक कानूनी आदेश द्वारा नियत किये गये हैं। इन उपबन्धों का उल्लंघन करने पर कानून के अन्तर्गत बंद कर दिया जाता है इन उपबन्धों को लागू करने के लिए दिल्ली प्रशासन ने एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना करने का प्रबंध किया है जो चौबीस घंटा कार्य करता है और चोर बाजारी के बारे में प्राप्त सभी शिकायतों को तत्परता से निबटाता है। 1 जनवरी, 1974 और 31 मार्च, 1975 के बीच विभिन्न कानूनी उपबन्धों का उल्लंघन करने के 106 मामलों का पता लगाया गया था जिनका कानून के अनुसार निबटारा किया जा रहा है।

Telex Exchange Centres in Bihar

8920. **Shri Ishwar Chaudhary:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number and names of the cities and towns of Bihar which have telex exchange centres therein;

(b) whether more such centres are proposed to be opened in Bihar during the Fifth Plan period; and

(c) if so, the main features of the proposals ?

The Minister of Communications (Dr. Shankar Dayal Sharma) : (a) In Bihar, the following five stations are provided with Telex Exchanges :—

(1) Patna.

(2) Jamshedpur.

(3) Ranchi.

(4) Dhanbad.

(5) Bokaro.

(b) Yes, Sir.

(c) Projects for Telexes at Muzaffarpur and Bhagalpur with a capacity of 20 lines at each place have been approved.

दीव, दमण, दादरा और नागर हवली का गुजरात में विलय

8921. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दीव, दमण, दादरा और नागर हवेली का गुजरात में विलय करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा प्रबंधित संकटग्रस्त एकक

8922. **श्री रानेन सेन** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार का कुछ प्रख्यात बड़े औद्योगिक गृहों को यह कहने का विचार है कि वे आगे आकर राज्य में कुछ संकटग्रस्त एककों के प्रबन्ध को सम्भालें, क्योंकि राज्य सरकार सभी संकटग्रस्त एककों को अपने अधीन लेने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में इस समय संकटग्रस्त एकक कौन-कौन से हैं और राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्य में उद्योगों की इस प्रकार की संकटग्रस्तता के बारे में कोई जांच करने को कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) और (घ) प्रस्ताव किया गया है कि पश्चिम बंगाल में बन्द पड़े/रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों का सर्वेक्षण करने के लिए एक अध्ययन दल की नियुक्ति की जानी चाहिए जिससे इन उद्योगों को पुनः चालू करने की गुंजाइश और संगठन व्यवस्था, सामग्री और अन्य आवश्यकताएं जो आवश्यक समझी जायें पता लगाया जा सके । सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

दिल्ली में अपराधों की संख्या में वृद्धि

8923. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विशेषकर नौरोजी नगर, राजेन्द्र नगर और सरोजिनी नगर इलाकों में, से अपराधों की संख्या में वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 11 अप्रैल, 1974 को एफ 111 नौरोजी नगर, न्यू एक्सटेंशन, दिल्ली में दो व्यक्तियों ने एक महिला से छुरा दिखाकर दिन-दहाड़े 20,000 रुपये की कीमत के जेवरात तथा अन्य सामग्री लूट ली थी;

(घ) क्या उक्त महिला अपराध शाखा के 'एलबम' से अपराधी की फोटो पहचान सकी थी;

(ङ) क्या कुलदीप नामक उक्त अपराधी को पहले भी तीन बार डकैती के आरोप में जेल भेजा जा चुका है ;

(च) क्या इन सब सुरागों के बाद भी अभी तक अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया है; और

(छ) सरकार का जनता के लिए इन अपराधों के विरुद्ध तथा विशेषकर इन जाने-माने अपराधियों के विरुद्ध क्या सुरक्षात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) वर्ष 1975 के दौरान (15-4-75 तक) नौरोजी नगर में भारतीय दण्ड संहिता के मामलों की संख्या 9 थी जबकि 1974 के दौरान तत्सम्बन्धी अवधि में इनकी संख्या 12 थी। नौरोजी नगर के मामले में उक्त अवधि के ये आंकड़े 29 और 28 थे जबकि राजेन्द्र नगर के मामले में ये आंकड़े 93 और 86 थे।

(ग) 11-4-1975 को प्रातः लगभग 11 बजे दो व्यक्ति पानी लेने के बहाने से क्वार्टर में घुस गये। वे 5,000 रुपये के मूल्य के जेवरात और कपड़े ले गए। चूंकि अपराधियों के पास चाक था अतः महिला ने कोई शोर नहीं किया। सूचना मिलने पर पुलिस तुरन्त घटना-स्थल पर पहुंची और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 382 के अधीन एक मामला एफ० आई० आर० संख्या 217 दिनांक 11-4-1975, थाना नौरोजी नगर में दर्ज किया गया था।

(घ) महिला ने पुलिस के फोटो रिकार्ड में से कुछ फोटो उठाये थे और उनमें से एक फोटो एक बदमाश कुलदीप सिंह का था।

(ङ) कुलदीप पहले से एक अपराधी है और गुड़गांव और दिल्ली के न्यायालयों में उस पर कुछ मुकदमें भी चल रहे हैं।

(च) कुलदीप को ढूंढ़ा गया और उससे पूछताछ की गई। कुछ अन्य व्यक्तियों से भी पूछताछ की गई जिनके फोटो अपराधी के हुलिया से मिलते थे। कुलदीप सहित सभी संदिग्ध व्यक्ति शिकायतकर्ता को दिखाये गये, किन्तु उसने उनमें से किसी के बारे सन्देह की पुष्टि नहीं की।

(छ) कुलदीप सिंह और अन्य संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के अधीन कार्यवाही की गई है। न्यायालय से इन व्यक्तियों से अच्छे आचरण के लिए जमानत देने को कहा है। अपराधों को रोकने के लिये किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:—

1. प्रभावित क्षेत्रों में जनता में विश्वास पैदा करने और लाभप्रद आपराधिक आसूचना प्राप्त करने के लिए मोहल्ला बैठकें की जा रही हैं।

2. नागरिक स्वैच्छिक दल गठित किया गया है। इस योजना के अधीन अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस जनता की सहायता ले रही है।

3. संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त लगाने के लिए जिलों को वायरलैस से लैस मोटर साइकिलें दी गई हैं। रोकथाम के लिए विशेष गश्त भी प्रयुक्त की जाती हैं।

4. बदमाशों के विरुद्ध एक संयुक्त अभियान चलाया गया है।

5. अपने-अपने क्षेत्रों के कन्ट्रोल रूम के वाहनों द्वारा नियमित रूप से रात-दिन गश्त लगाई जाती है।

6. बम्बई पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत शहर के कुख्यात बदमाशों को संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली से बाहर निकालने के लिये कार्यवाही की जाती है।

7. कुछ क्षेत्रों में, विशेष रूप से रात्रि के दौरान दिल्ली पुलिस का श्वान दस्ता पुलिस गश्त के साथ कार्य करता है।

उड़ीसा का आर्थिक विकास

8924. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने प्रादेशिक असंतुलनों को दूर करने और उड़ीसा के आर्थिक विकास में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की है;

(ख) चालू वर्ष में उड़ीसा में गोपालपुर पत्तन और इण्डियन रेयर अर्थस् कारपोरेशन प्रोजेक्ट्स स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) राज्य में चालू वर्ष के दौरान कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के लिये दिये गये अनुदानों और सहायताओं का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) अपने पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार के प्रयत्नों में वृद्धि करने तथा पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने विगत वर्षों में निम्नांकित उपाय अपनाये :--

(1) सरकारी औद्योगिक परियोजनाओं में विनियोजन करते समय, औद्योगिकी-आर्थिक तथ्यों को देखते हुए, उड़ीसा जैसे अपेक्षतया कम विकसित राज्यों के दावों को ध्यान में रखा गया है।

(2) उड़ीसा में सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों को रियायती दर पर धन उपलब्ध किया जा रहा है। ये जिले हैं: बालासोर, बोलंगीर, ढेंनकनाल, कालाहांड़ी, कियोंजहार, कोरापुट, मयूरभंज और फूलबनी।

(3) औद्योगिक विकास के लिए 15 प्रतिशत तक विनियोजन सहायता, चुने हुए पिछड़े जिलों को दी जाती है। परन्तु इसमें शर्त यह है कि यह 50 लाख रूपये से कम कुल विनियोजन के एककों को अधिकतम 15 लाख रुपये तक दी जा सकती है। उड़ीसा में इस प्रयोजन से चुने हुए जिले हैं कालाहांड़ी, मयूरभंज, बोलंगीर, ढेनकनाल, कियोंजहार और कोरापुट।

(4) जिन क्षेत्रों में बार-बार सूखा पड़ता है, उनके विकास के लिए सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए उड़ीसा के कालाहांडी और फूलबनी जिलों को चुना गया है।

(5) जनजाति बहुलता वाले क्षेत्रों के लिए जनजाति-उप-योजनाएं तैयार की जा रही हैं। इनके लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में विशेष पूरक केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। उड़ीसा में इस उपयोजना के अन्तर्गत तीन जिले, अर्थात् फूलभंज, सुन्दरगढ़ और कोरापुट, आठ तहसीलें अर्थात् कुचिंज (सम्बलपुर), कियोंझर, कांजीपारी और बारबिल (कियोंभार), कोंडनाल, बालिगुडा जी० उदयगिरि (फूलबनी) और आर० उदयगिरि (गंजम), तथा पांच खण्ड अर्थात् गुम्भा और रायागाड़ा (गंजम) थुमल-रामपुर तथा लंजीगढ़ (कालाहांडी), तथा नीलगिरि-1 (बालासोर) आते हैं।

(6) छोटे तथा सीमान्तकीय किसानों तथा कृषि श्रमिकों से सम्बन्धित विशेष कार्यक्रम, बारानी खेती, आदि के मध्यम से भी पिछड़े क्षेत्रों का विकास होने की आशा की गई है। उड़ीसा में ल० कृ० वि० ए० के अन्तर्गत चुने गए जिले/क्षेत्र हैं--देनकनाल, बोलंगीर और गंजम तथा सी० कृ०कृ०श्र० ए० के लिए चुने गए क्षेत्र/जिले हैं — कटक और कियोंझर एवं बारानी खेती के लिए मयूरभंज को चुना गया है।

(7) चौथी योजना अवधि में योजना के लिए केन्द्रीय सहायता आबंटित करते समय ऐसे राज्यों को 10 प्रतिशत अधिक दिया गया था जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम थी। ऐसे राज्यों में उड़ीसा भी शामिल था।

(8) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ किया गया राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के समाज के उपभोग के स्तर को ऊंचा उठाने की दृष्टि से ही विशेष रूप से तैयार किया गया है।

(9) चौथी योजना में उड़ीसा सहित उन सभी राज्यों को विशेष सहायता प्रदान की गई थी जिनके संसाधनों के आरम्भिक मूल्यांकन में बजट सम्बन्धी घाटा हो रहा था।

(ख) (1) **गोपालपुर बन्दरगाह** : चौथी योजना में, प्रत्येक तटवर्ती राज्य में एक छोटे बन्दरगाह के विकास के लिए राज्यों को ऋण सहायता प्रदान करने के वास्ते केन्द्रीय योजना में 13 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल किया गया था। इसमें 40 लाख रुपये गोपालपुर बन्दरगाह के लिये शामिल थे। तब इस बन्दरगाह को केवल सामान्य-नौभार के लिए उपयोग में लाने का विचार था। बहरहाल, चौथी योजनावधि में इस स्कीम को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका, क्योंकि बन्दरगाह के लिए उपयुक्त स्थान चुनने में विलम्ब हो गया था। चौथी योजनावधि के दौरान उड़ीसा सरकार को आरम्भिक कार्य के लिए केवल 4.22 लाख रुपये के लगभग केन्द्रीय सहायता दी गई थी। इस प्रकार पांचवीं योजना में 35.75 लाख रुपये की पिछली बकाया राशि शामिल है तथा इस राशि को, पांचवीं योजना में केन्द्र द्वारा परायोजित लघु पत्तन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान किया गया है।

(2) **इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड** : उड़ीसा सरकार ने, तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता रिपोर्ट सितम्बर, 1973 में तैयार कर दी थी। इस रिपोर्ट में, मूल परियोजना में विस्तार करने की परिकल्पना की गई है ताकि इण्डियन रेयर अर्थ लिमिटेड की परिवहन ज़रूरतों को इसमें शामिल किया जा सके। इस समय बढ़ रही लागत को ध्यान में रखे बिना अनुमान है कि परियोजना के विस्तार पर 5.26 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

राज्य सरकार की अद्यतन रिपोर्ट जो हाल ही में योजना आयोग को प्राप्त हुई है, में राजस्व तथा व्यय के अनुमानों का व्यौरेबार औचित्य नहीं दिया गया है।

बहरहाल उड़ीसा में पारादीप पोर्ट के उपयोग के सम्भव विकल्प के विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता है। इस परियोजना के सम्बन्ध में कुछ समस्याएं हैं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

प्रस्ताव के सम्बन्ध में विभिन्न विषयों को चुनने के लिये परिवहन मंत्रालय तथा अन्य सम्बन्धित कार्यालयों से अब विस्तृत विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव है।

भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड के अपने कार्यक्रमों के लिए, जिसमें गोपालपुर में रेयर अर्थ कम्पलेक्स की स्थापना भी सम्मिलित है वार्षिक योजना 1975-76 में 3.77 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। खनिज तथा पृथककरण संयंत्र के लिए प्रारम्भिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई है, संयंत्र के लिए विदेशी सहयोग की शर्तों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है तथा वित्तीय व्यवस्था तथा अन्य तकनीकी मामलों के सम्बन्ध में व्यौरे की जांच की जा रही है। गोपालपुर में प्रारम्भिक कार्य की देखभाल के लिए एक सैल की स्थापना की गई है। परियोजना के लिए सड़क, बिजली, जल आपूर्ति इत्यादि जैसी आधारभूत सुविधाओं को राज्य सरकार की सहायता से आरम्भ किया गया है।

(ग) राज्य की वार्षिक योजना 1975-76 में, उद्योग व खनिज तथा कृषि व सम्बद्ध सेवाओं से सम्बन्धित क्षेत्रों के लिए क्रमशः 4.00 करोड़ रुपये और 14.25 करोड़ रुपये का परिव्यय योजना आयोग ने स्वीकृत किया है। वर्तमान कार्य-पद्धति के अन्तर्गत, केन्द्रीय सहायता का आबंटन तथा निर्मुक्तता किसी खास परियोजनाओं/कार्यक्रमों से आबद्ध नहीं होता। केन्द्रीय सहायता का आवंटन समेकित सहायता के रूप में किया जाता है और योजना आयोग द्वारा स्वीकृत समस्त वार्षिक योजना के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा बताई गई वास्तविक खर्च की गई राशि के आधार पर 70 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में दी जाती है। उड़ीसा की वार्षिक योजना को 89.25 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है जिसमें से केन्द्रीय सहायता की राशि 32.70 करोड़ रुपये है।

देश में आपातकालीन स्थिति

8925. **श्री मधु दंडवते :**
श्री राम हेडाऊ :
श्री समर गुह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 अप्रैल, 1975 को जम्मू और काश्मीर में एक सार्वजनिक सभा में भाषण करते हुये प्रधान मंत्री ने कहा था कि भारत की सुरक्षा को बाह्य खतरे के कारण आपातकालीन स्थिति जारी रखनी पड़ेगी;

(ख) यदि हां, तो बाह्य खतरा किस प्रकार का है; और

(ग) क्या इस आपातकालीन स्थिति में संविधान द्वारा प्रदान किये गये मूल अधिकारों कम अथवा समाप्त कर दिया जायगा ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) जैसा कि इस सदन में पहले बताया गया है हमारी सीमाओं को खतरा केवल भू-सीमाओं की ओर से ही नहीं है बल्कि हमारे व्यापक समुद्र तट से भी है ।

(ग) यह सन्दर्भ अनुमानतः इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 358 तथा 359 की संवैधानिक व्यवधाओं से हैं किन्तु ये केवल समर्थक शक्तियां हैं और वास्तव में सरकार द्वारा किस सीमा तक उनका उपयोग किया गया है इसको आपातकालीन स्थिति के कार्यकरण की पूर्णरूप से समीक्षा करने पर अच्छी तरह से देखा जा सकता है । हमारे दैनिक जीवन के निष्पक्ष तथ्यों, जिस ढंग से सार्वजनिक भाषण दिये जाते हैं, आन्दोलनों की गति, हमारे सार्वजनिक जीवन के विभिन्न संस्थानों के कार्यकरण सब मिलकर यह निश्चित सबूत पेश करते हैं कि इस देश में मूल अधिकारों को कोई खतरा नहीं है ।

कच्चा माल बैंक के माध्यम से लघु उद्योगों को सहायता

8926. **श्री गजाधर माझी : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कच्चा माल बैंक के माध्यम से प्रत्येक राज्य में लघु उद्योगों की सहायता करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित लघु उद्योग निगमों के माध्यम से दुर्लभ कच्चे माल -- जैसे लोहा और इस्पात जैसी वस्तुओं का प्रणालीकरण किया जा रहा है इन निगमों के सम्बन्धित राज्यों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर अपने डिपो हैं । अब तक स्थापित किये गये लघु उद्योग विकास निगमों की एक सूची संलग्न है ।

विवरण

राज्य और संघ क्षेत्र जिनमें लघु उद्योग विकास निगम स्थापित किये गये हैं ।

राज्य :

1. आन्ध्र प्रदेश
2. आसाम
3. पश्चिम बंगाल
4. बिहार
5. केरल

6. गुजरात

7. मध्य प्रदेश

8. महाराष्ट्र

9. कर्नाटक

10. उड़ीसा

11. पंजाब

12. राजस्थान

13. उत्तर प्रदेश

14. तमिल नाडु

15. हरियाणा

16. हिमाचल प्रदेश

17. त्रिपुरा

18. मणिपुर

19. जम्मू और काश्मीर

संघ राज्य क्षेत्र :

1. देहली

तमिलनाडु के पुडुकोट्टाई जिले में पिछड़े हुये तालुक

8927. **श्री था किरुतीनन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के नये बनाये गये जिले पुडुकोट्टाई में कौन-कौन से पिछड़े हुये तालुक हैं;

(ख) उक्त जिले में पिछड़े तालुक का विस्तार क्या है तथा उनकी जनसंख्या कितनी है;

(ग) क्या इस जिले में भंगावुर जिले का पिछड़ा क्षेत्र भी सम्मिलित कर लिया गया है और यदि हां, तो कितना और इस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है;

(घ) क्या तमिलनाडु सरकार ने पूरे पुडुकोट्टाई जिले को पिछड़ा जिला घोषित करने की केन्द्र सरकार से सिफारिश की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और जैसे ही प्राप्त होगी सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) वित्तीय संस्थानों से रियायती दर पर धन प्राप्त करने के पात्र बनाने के लिए भारत सरकार ने समस्त पुडुकोट्टाई जिले को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया है ।

ताल्चर तापीय बिजली घर का विस्तार

8928. **श्री डी० के० पंडा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ताल्चर तापीय बिजलीघर के विस्तार कार्यक्रम का कार्य प्रारम्भ करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) 110-110 मैगावाट के दो यूनिटों के साथ ताल्चर ताप विद्युत केन्द्र के विस्तार कार्य को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है और कार्य प्रगति पर है ।

पहाड़ी क्षेत्रों का विकास

8929. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् की समिति ने पहाड़ी क्षेत्रों का निर्धारण किया था और 1966 में उनके विकास की ओर विशेष ध्यान देने पर बल दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या योजनाओं में हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, मेघालय, मनीपुर, त्रिपुरा, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम पहाड़ी राज्यों तथा अन्य राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में नई रेल लाइनें मंजूर करने के लिए कोई प्राथमिकता रखी गई है; जिससे औद्योगिक विकास के लिये आवश्यक आधार ढांचा उपलब्ध हो सके;

(ग) यदि हां, तो 1966 से अब तक जो लाइनें मंजूर की गई हैं अथवा बनाई गई हैं उनके नाम क्या हैं; और

(घ) क्या इन राज्यों में उन नई रेल लाइनों को, जिनके निर्माण का शिलान्यास हो चुका है शीघ्र पूरा करने के लिये धनराशि का नियतन करने के मामले में कोई प्राथमिकता दी जायेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां । राष्ट्रीय विकास परिषद् की एक समिति ने पर्वतीय क्षेत्रों का निर्धारण किया था और मार्च 1965 में उन क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया था ।

(ख) जिन नई रेल लाइनों के बिछाने में काफी मात्रा में पूंजी परिव्यय चाहिए उन पर विचार करते समय सामान्य रूप से प्राथमिकता ऐसी लाइनों को दी जाती है जो कार्योन्मुख हों और अर्थ-व्यवस्था के मूल क्षेत्रों, जैसे लौह अयस्क, कोयला, इस्पात आदि से जुड़ी हुई हों । इसके अतिरिक्त इन लाइनों की यातायात और वित्तीय व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए, पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं का सुधार करने में रेलवे लाइनों की भूमिका पर भी विचार किया जा रहा है ।

(ग) और (घ) हाल के वर्षों में निम्नलिखित नई रेलवे लाइनों और 'गेज़' परिवर्तन परि-योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह आशा की जाती है कि इनके द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंचने में सुगमता आ जाएगी।

(1) जम्मू से कठुआ तक बड़ी लाइन का निर्माण।

(2) रामपुर से काठगोदाम तक बड़ी लाइन का निर्माण।

(3) बोंगाई गांव से गोहाटी तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना। जम्मू से कठुआ तक बड़ी रेल लाइन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है।

टायरों के निर्माण के लिए दुर्गापुर परियोजना

8930. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को दुर्गापुर टायर निर्माण परियोजना के सिलसिले में आगे कार्यवाही करने से रोक दिया है क्योंकि एक विदेशी फर्म डनलप ने आवश्यक तकनीकी जानकारी देने से इन्कार कर दिया है;

(ख) क्या भारत स्थित विदेशी टायर निर्माता कम्पनियों के लिये भारतीय उद्यमकर्ताओं को देश में टायर उद्योग के विकास के लिये तकनीकी जानकारी देना अनिवार्य है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी विदेशी कम्पनियों को यहां कार्य करते रहने देना कहां तक उचित है और तकनीकी जानकारी के लिये हमें इन विदेशी कम्पनियों पर कब तक निर्भर रहना होगा और हमारे अभी तक इसका विकास करने में असफल रहने के क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) मोटरगाड़ी टायरों और ट्यूबों के उत्पादन के क्षेत्र में विदेशी फर्मों के विद्यमान एकाधिकार को कम करने के दृष्टिकोण से, अनेक भारतीय फर्मों को विदेशी सहयोग द्वारा मोटरगाड़ी के टायरों और ट्यूबों का उत्पादन करने के लिए नये उपक्रमों की स्थापना पर्याप्त विस्तार के लाइसेंस/आशय पत्र जारी किये गये हैं इस प्रकार के सभी विदेशी सहयोग के प्रकरणों में भारतीय पार्टियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे सहयोग करार में, अन्य भारतीय पार्टियों को तकनीकी जानकारी प्रदान करने के उप-लाइसेंसीकरण का प्रावधान रखें उप-लाइसेंसीकरण की शर्तें विदेशी सहयोगी सहित सभी पार्टियों द्वारा परस्पर स्वीकृति के आधार पर होंगी तथा सरकार की स्वीकृति के अधीन होंगी। सहयोग करार की अवधि के अन्दर भारतीय पार्टी को अपनी डिज़ाइन और अनुसंधान सुविधाएं विकसित और स्थापित करना आवश्यक होगा ताकि इस अवधि के पश्चात् विदेशी सहयोगी पर निरन्तर निर्भर रहना आवश्यक न रह जाये।

संयुक्त क्षेत्रीय कम्पनियों में राज्य के शेयरों को समाप्त करना

8931. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य औद्योगिक विकास निगमों तथा अन्य प्रोत्साहन संस्थानों द्वारा प्रोत्साहित संयुक्त क्षेत्रीय कम्पनियों में राज्य के शेयरों को समाप्त करने के बारे में राज्य सरकारों को जारी अनुदेशों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) उक्त नीति के क्या कारण हैं और इससे औद्योगिक विकास को कैसे प्रोत्साहन मिलेगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) राज्य औद्योगिक विकास निगमों तथा अन्य प्रोत्साहक निगमों को और औद्योगिक विकास के हित में अपने धन को लगाने में सहूलियत प्रदान करने के विचार से राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए गए थे कि यदि वे ऐसे चाहे तो निम्नलिखित शर्तों पर भारत सरकार को उसके द्वारा पनपायी गई कम्पनियों में उनके शेयर समाप्त करने के विषय में कोई एतराज नहीं होगा :—

(1) ऐसे शेयरों की बिक्री की अनुमति परियोजना में पूर्ण वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद ही की जानी चाहिये;

(2) ऐसे शेयरों की बिक्री जहां तक संभव हो जन-साधारण को या अन्य सरकारी वित्तीय संस्थाओं को की जानी चाहिये ; और

(3) ऐसे शेयर (क) निजी क्षेत्र के मूल संवर्धकों (ख) बड़े औद्योगिक गृहों, या (ग) विदेशी कम्पनियों को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं बेचे जाने चाहिये।

"आई० ए० एस० आफिसर प्रेफर्ड टू टेकनोक्रेट"
शीर्षक से प्रकाशित समाचार

8932. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'दि मदरलैण्ड' दिनांक 6 नवम्बर, 1974 में "आई० ए० एस० आफिसर प्रेफर्ड टू टेक्नोक्रेट" (तकनीकी विप की तुलना में भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारियों को प्राथमिकता देना) शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या उन्होंने एक सार्वजनिक वक्तव्य दिया था कि सचिवालयीय पदों के लिये तकनीकी विदों को अधिकारी तन्त्र के समान समझा जाना चाहिए;

(ग) क्या संचार मंत्रालय के सचिव के पद के मामले में भी इसी नीति का अनुसरण किया गया है;

(घ) इस नीति का अनुसरण अन्य किन मंत्रालयों में किया गया है; और

(ङ) स्वास्थ्य मंत्रालय के मामले में इस नीति को बदलने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (ङ) सरकार की यह नीति है कि वरिष्ठ सचिवालय पदों को पात्र अधिकारियों-टेक्नोक्रेट्स तथा प्रशासकों में से गुणावगुण के आधार पर चयन द्वारा भरा जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव के पद को भी इसी आधार पर भरा गया है और एक प्रशासनिक सेवा अधिकारी को सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। इस समय 15 टेक्नोक्रेटस (संचार मंत्रालय के सचिव सहित) हैं जो भारत सरकार के सचिव स्तर के पदों पर कार्य कर रहे हैं।

कोका कोला निर्यात निगम द्वारा प्रत्यावर्तन

8933. **श्री खेम चन्द भाई चावड़ा :**
श्री सोमचन्द सोलंकी :

क्या **उद्योग और नागरिक** पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोका कोला निर्यात निगम ने वर्ष 1960 और वर्ष 1970 में क्रमश: 1,12,602 रु० और 44,00,665 रु० का लाभ कमाया और उन्होंने वर्ष 1960 और वर्ष 1970 में क्रमश: 1,74,885 रु० और 1,05,49,057 रु० की राशि का प्रत्यावर्त्तन किया; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्यार्वितत धनराशि लाभ से तीन गुणा क्यों है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) मैसर्स कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन द्वारा लाभ आदि के रूप में 1960 और 1970 में किए गए प्रेषण निम्न प्रकार :—

(000' रु० छोड़ दिया गया)

वर्ष	प्रेषण			
	लाभ पर	प्रधान कार्यालय के खर्चे		
		प्रोराटा प्रभार	निर्यात पर सेवा प्रभार	कुल प्रेषण
1960	113	--	--	113
1970	4401	4304	246	8951

(ख) प्रेषण लाभ तथा प्रधान कार्यालय के खर्चे के लिए किए गए हैं।

केन्द्रीय सूचना सेवा में गैर-पत्रकारिता के कार्य करने वाले कर्मचारी

8934. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सूचना सेवा के प्रारंभ में ही इसमें गैर-पत्रकारिता के कार्य करने वाले विभिन्न वर्गों के कर्मचारी भरे गये थे;

(ख) क्या केन्द्रीय सूचना सेवा, ग्रेड चार के बहुत से अधिकारियों को, जो ग्रेड अपनी नियुक्ति के समय से पत्रकारिता से सम्बद्ध कार्य कर रहे हैं, सेवा में अनियमित कर्मचारी माना जाता है; और

(ग) यदि हां, तो वे किस पद पर कार्य कर रहे हैं, कब से सेवा में हैं और उन्हें अर्द्ध-स्थायी घोषित न करने का क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) अधिकांश अधिकारी जो केन्द्रीय सूचना सेवा में सम्मिलित किये गये थे, पत्रकार थे। सेवा में सीधी भर्ती द्वारा भर्ती किए गए कुछ अधिकारी पत्रकार नहीं थे, किन्तु बाद में उन्हें पत्रकारिता में प्रशिक्षण दिया गया।

(ख) फिलहाल ग्रेड-4 के ऐसे 76 अधिकारी हैं जिनकी समय-समय पर सेवा की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तदर्थ आधार पर भर्ती की गई थी, चूंकि संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से किये गये चयन में उक्त ग्रेड के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारी उपलब्ध नहीं थे।

(ग) ये तदर्थ ग्रेड-4 के अधिकारी अस्थायी रूप से क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी, सूचना सहायक, उप-संपादक, गवेषणा सहायक, रजिस्ट्रेशन सहायक और सन्दर्भ सहायक के रूप में काम कर रहे हैं और इनका सेवा काल लगभग 4 से 14 वर्ष तक अलग-अलग है। उन्हें स्थायिवत् घोषित नहीं किया जा सका, चूंकि उनको भर्ती नियमों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित आधार पर नियुक्त नहीं किया जा सका। उनमें से अनेक या तो आयु सीमा में छूट के बावजूद भी अनुवर्ती परीक्षाओं में बैठने के पात्र नहीं थे या वे परीक्षाओं में सफल नहीं हुए।

चुनाव कराना

8935. **श्री बाल कृष्ण वेंकान्ना नायक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चुनाव कराने के लिये विशेष रूप से मतदाता के दृष्टिकोण से, जलवायु संबंधी अपेक्षाएं क्या होती हैं;

(ख) क्या मौसम विज्ञान अध्ययनों के आधार पर मानसून के दौरान भी सूखे दिनों के बारे में स्पष्ट पूर्वानुमान लगाया जा सकता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस देश में मानसून के दौरान आम चुनाव क्यों नहीं कराये जाते ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) मौसम की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि चुनाव कराने के लिए प्रशासनिक प्रबंध करना संभव हो तथा चुनाव में अधिकतम संख्या में मतदाताओं को भाग लेने के लिए भी सहायक हो।

(ख) मानसून के दौरान सूखे दिनों का एक से तीन दिन तक का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यद्यपि सूखे दिनों की अवधि को प्रारंभ में पूर्वानुमान लगाना कठिन है। सूखे की स्थिति प्रारंभ होने के बाद उससे अगले 3 से 4 दिन तक सामान्यतः ऐसी ही स्थिति जारी रहने का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है।

(ग) मानसून की अवधि के दौरान आम चुनाव कराना सुविधाजनक नहीं समझा जाता है क्योंकि चुनाव कराने के लिए प्रशासन को संतोषजनक प्रबंध करने तथा चुनाव में भाग लेने वाले मतदाता दोनों के लिए असुविधाजनक होता है।

केन्द्रीय सहायता से हरियाणा में औद्योगिक बस्तियां

8936. **चौधरी राम प्रकाश : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा राज्य में केन्द्रीय सहायता के साथ अब तक जो औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गई हैं उनके नाम क्या हैं और वे कहां-कहां पर हैं; और

(ख) केन्द्र सरकार ने इन बस्तियों की स्थापना के लिये हरियाणा राज्य को अब तक कितनी धनराशि दी है ?

उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के आरंभ होने तक विभिन्न विकास शीर्षों के अधीन योजनाओं (प्लान स्कीमों) को सहायता देने का अपना ही ढांचा था और राज्य उसके अनुसार अपने ऋण अथवा अनुदान प्राप्त कर सकते थे। किन्तु वर्ष 1969-70 से आगे, राज्य-योजनाओं के अधीन किसी विशेष योजना या कार्यक्रम का संबंध केन्द्रीय सहायता से नहीं था अपितु वास्तविक व्यय के आधार पर एक मुश्त अनुदान और एक मुश्त ऋण के द्वारा राज्यों को दी जाती थी। अतएव हरियाणा राज्य में औद्योगिक बस्तियों की स्थापना करने के लिए हरियाणा सरकार को दी गई केन्द्रीय सहायता की मात्रा का पता लगाना कठिन है। वर्ष 1966-67 से चौथी पंचवर्षीय योजनावधि के अन्त तक हरियाणा सरकार ने राज्य में औद्योगिक बस्तियों पर 69 लाख रु० खर्च किए हैं। औद्योगिक बस्तियों के नाम और उनके स्थान अगले पृष्ट पर दिए गए हैं :

1. सोनीपत	जिला सोनीपत
2. नीलोखेड़ी	जिला करनाल
3. गुड़गांव	जिला गुड़गांव
4. अम्बाला	जिला अम्बाला
5. राई	जिला सोनीपत
6. पिन्जौर	जिला अम्बाला
7. सोहाना	जिला गुड़गांव
8. नारनौल	जिला मोहिन्द्रगढ़
9. हिसार	जिला हिसार
10. कैथल	जिला कैथल
11. कोहन्द	जिला करनाल
12. पलवल	जिला गुड़गांव
13. बरवाला	जिला हिसार
14. फतेहबाद	जिला हिसार
15. मोहिन्द्रगढ़	जिला मोहिन्द्रगढ़

27 LSS/75—5.

आणविक संयंत्रों के लिये भारत को भारी जल की सप्लाई करने की कनाडा की अनिच्छा

8937. **श्री शंकरराव सावन्त : क्या परमाणु ऊर्जा** मंत्री भारी जल के उत्पादन और आयात के बारे में 9 अप्रैल, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5628 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में भारी जल का किस प्रकार से और कितना उत्पादन होता है;

(ख) आणविक संयंत्रों में इसकी क्या उपयोगिता है;

(ग) कनाडा द्वारा भारी जल की सप्लाई में असमर्थता को देखते हुए इसका आयात करने के लिये क्या वैकल्पिक उपाय किये गये हैं; और

(घ) भारी जल की सप्लाई में कनाडा के असहयोग का भारत के आणविक संयंत्रों और आणविक कार्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) इस समय भारी पानी का उत्पादन केवल फर्टेलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया के नांगल स्थित संयंत्र में तरल हाइड्रोजन का आसवन करके उपोत्पाद के रूप में किया जा रहा है। भारत में जिन चार भारी पानी संयंत्रों की स्थापना की जा रही है, उनके निर्माण-स्थल एवं उनमें भारी पानी के उत्पादन की विधि आदि के बारे में विस्तृत विवरण परमाणु ऊर्जा विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन में, जिसकी प्रतियां सदन में प्रस्तुत की जा चुकी हैं, दिया गया है।

(ख) भारी पानी का उपयोग काण्डू किस्म के पावर रिएक्टरों में मंदक तथा शीतक के रूप में किया जाता है।

(ग) तथा (घ) नाभिकीय कार्यक्रमों में फिर से सहयोग करने के बारे में कनाडा के अधिकारियों के साथ बात-चीत चल रही है। यह प्रयत्न किया जा रहा है कि विद्युत कार्यक्रम पर भारी पानी की कमी का कोई भी दुष्प्रभाव न पड़े।

मैसर्स फिलिप्स इंडिया लिमिटेड को लाइसेंस देना

8938. **डा० महिपतराय मेहता :** क्या इलैक्ट्रानिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पोलिस्टाइरीन स्टाइरोफ्लैक्स केपेसिटरों के निर्माण के लिये और पोलिस्टर केपेसिटरों की क्षमता के विस्तार के लिये पूर्ण स्वामित्व वाली एक कम्पनी मैसर्स फिलिप्स (इंडिया) लिमिटेड को लाइसेंस देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी कम्पनी को उस वस्तु का निर्माण करने को अनुमति देने के, जिसके लिये पर्याप्त स्वदेशी जानकारी उपलब्ध है और विशेष रूप से उस स्थिति में जबकि इनका लघु क्षेत्र में लाभप्रद रूप से निर्माण किया जा सकता है, क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, आन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री, तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) मैसर्स फिलिप्स इंडिया लिमिटेड जिनके पास

60 प्रतिशत विदेशी साम्यिक पूंजी (इक्विटी) है, ने पोलीएस्टर संधारित्रों की उत्पादन-क्षमता को 2.5 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ कर देने के विषय में 6-12-1974 को आवेदन पत्र दिया था। इस आवेदन-पत्र पर सरकार विचार कर रही है। पोलिस्टाइरीन/स्टाइरोफ्लेक्स संधारित्रों के निर्माण के लिए कंपनी से कोई आवेदन-पत्र नहीं प्राप्त हुआ है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

धार्मिक अल्पसंख्यकों को रोजगार

8939. **श्री मधु लिमये** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने स्वतन्त्रता के पश्चात् सरकार, सरकारी उपक्रमों एवं गैर-सरकारी उपक्रमों के अधीन मुसलमानों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा प्राप्त रोजगार के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि नहीं, तो सर्वेक्षण न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि समाज के इन वर्गों के प्रति एक रहस्यपूर्ण और अनकहा भेदभाव प्रवृत्त है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) रोजगार में समुदायवार प्रतिनिधित्व के संबंध में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। चूंकि संविधान के अनुच्छेद 16(1) में राज्य के अधीन रोजगार अथवा किसी भी पद पर नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की व्यवस्था है, इसलिए राज्य के अधीन रोजगार के मामले में सभी समुदायों को जिनमें मुस्लिम भी शामिल हैं, समान अवसर प्राप्त हैं। सरकारी सेवाओं में मुसलमानों सहित, अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर मई, 1968 में हुए मुख्य मंत्रियों के एक सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था। तत्कालीन गृह मंत्री द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के लिये सेवा में आरक्षण का कोई प्रस्ताव नहीं है। आवश्यकता यह देखने की है कि कुछ समुदायों के प्रति कोई भी पक्षपात न किया जाए और यह कि अल्पसंख्यक जातियों के सदस्यों को उचित अवसर दिए जाएं। केन्द्रीय सरकार इसी नीति का अनुसरण कर रही है।

(ग) सरकार इस प्रकार के किसी भेदभाव से अवगत नहीं है।

इंडिया इंडीपेन्डेन्स लीग के स्वतंत्रता सेनानियों को पेन्शन देना

8940. **श्री समर गुह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडिया इंडीपेन्डेंस लीग में प्रवेश लेने वाले कितने गैर-सैनिक स्वतन्त्रता सेनानियों को 30 अप्रैल, 1975 तक पेंशन दी गई है;

(ख) उक्त आंकड़ों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इंडिया इंडिपेन्डेंस लीग में प्रवेश लेने वाले गैर-सैनिक स्वतन्त्रता सेनानियों से प्राप्त आवेदन-पत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) (एक) रद्द किये गये और (दो) विचाराधीन आवेदनपत्रों का, राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इंडियन नेशनल आर्मी और इंडिया इंडिपेन्डेंस लीग के लोगों के आवेदनपत्रों का निपटान करने के लिये गठित सलाहकारी समिति की कितनी बैठकें हुई;

(च) इंडिया नेशनल आर्मी और इंडिया इन्डिपेन्डेंस लीग के आवेदकों को पेंशन मंजूर करने के लिये समिति ने क्या सिद्धान्त निर्धारित किये;

(छ) समिति के पास इस समय कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं; और

(ज) उक्त आवेदनपत्रों के निपटाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) सूचना का एक विवरण (अनुलग्नक-1) संलग्न है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-9661/75)

(ङ) अब तक 11 बैठकें हुई हैं।

(च) भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों द्वारा सहयोगी कैदी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पेंशन स्वीकृत की जाती हैं। आवेदक द्वारा यातनाओं के संबंध में अपने दावे के समर्थन में भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कम से कम दो सहयोगी कैदी कर्मचारियों के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा है जो केन्द्रीय सरकार से पेंशन प्राप्त कर रहे हों। तब मामलों को आजाद हिन्द फौज समिति के पास निर्णय के लिए भेजा जाता है।

(छ) समिति द्वारा पुनःरीक्षण के लिए 94 मामले लंबित पड़े हैं।

(ज) इन मामलों में आजाद हिन्द फौज समिति की अगली बैठक में जो शीघ्र ही होने वाली है पुनरीक्षण तथा अंतिम निर्णय किया जायेगा।

दिल्ली में पुलिस बल की संख्या

8941. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में, दिल्ली सशस्त्र पुलिस सहित, नियमित सेवा में पुलिस बल की कुल संख्या क्या है;

(ख) क्या उसकी वर्तमान संख्या पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो पुलिस बल में वृद्धि करने के लिये आगे क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) दिल्ली पुलिस (दिल्ली सशस्त्र पुलिस समेत) की कुल संख्या 19635 है।

(ख) तथा (ग) आवश्यकतानुसार दिल्ली पुलिस की संख्या में वृद्धि की जा रही है।

आकाशवाणी को बंगाली पत्रिका "बेतार जगत" द्वारासिलचर रेडियोस्टेशन के कार्यक्रम छापना बन्द करना

8942. श्री टुना उरांव :

श्री शक्ति कुमार सरकार :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी की बंगाली पत्रिका 'बेतार जगत' ने सिल्चर रेडियो स्टेशन के कार्यक्रम छापना बन्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 'बेतार जगत' के पाठक अधिकतर पश्चिम बंगाल में केन्द्रित हैं जो सिल्चर रेडियो स्टेशन के सेवा-क्षेत्र के बाहर है।

कोका-कोला निर्यात निगम के पूंजी ढांचे में भारतीय साझेदारी के पक्ष में विकीर्णन

8943. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** कोका कोला निर्यात निगम के बारे में 26 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4959 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स कोका कोला निर्यात निगम को 14.25 लाख रु० के मूल्य का एक लाइसेंस संख्या पी०/डी०/3034263 दिनांक 5 अप्रैल 1975 को जारी किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह बात सुनिश्चित की है कि विदेशी स्वामित्व की यह कम्पनी अपने को साम्य पूंजी ढांचे को एक निश्चित प्रतिशतता तक और निश्चित अवधि के भीतर भारतीय साझेदारी के पक्ष में विकीर्णन करेगी; और

(ग) क्या रिजर्व बैंक सरकारी मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों के अनुसार अपना निर्णय देने में और विलम्ब कर रहा है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन का विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1975 के अधीन दिया गया आवेदनपत्र रिजर्व बैंक आफ इंडिया को मिल गया है जो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार इस पर निर्णय करेगा।

(ग) जी, नहीं।

जनजातीय अशांति के कारण दुर्घटनायें

8944. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में जनजातीय अशान्ति के कारण विभिन्न राज्यों में कितनी दुर्घटनाएं हुई;

(ख) जनजातीय लोगों में असंतोष में वृद्धि के लिये क्या कारण उत्तरदायी हैं; और

(ग) प्रशासकीय और विकासात्मक मामलों में अशान्ति रोकने के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायगी।

श्री गंगा नगर में टेलीफोन विभाग का कार्यकरण

8945. **श्री पन्ना लाल बारूपाल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के कृषि प्रधान क्षेत्र की प्रमुख मण्डी श्रीगंगानगर में, जहां पर लगभग दो-ढाई हजार टेलीफोन कनेक्शन हैं, टेलीफोन बोर्ड की मशीनरी आदि के दोषों के कारण टेलीफोन काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण संचार विभाग और व्यापारियों को प्रतिदिन लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है;

(ख) क्या संचार साधनों की प्रतिदिन सुव्यवस्था न होना इस पाकिस्तानी सीमाक्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से भी खतरनाक सिद्ध होगा; और

(ग) यदि हां, तो वहां पर शीघ्रातिशीघ्र संचार साधनों के समुचित प्रबन्ध करने के लिये सरकार क्या तत्काल उपाय कर रही है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) श्रीगंगानगर एक्सचेंज की कुल क्षमता 1400 लाइनों की है और, इसमें 1375 कनेक्शन काम कर रहे हैं। वहां पर लगे स्विच बोर्डों में कोई असामान्य खराबी नहीं है। टेलीफोन कनेक्शन आम तौर पर संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं।

(ख) संचार के साधनों की उचित व्यवस्था की गई है।

(ग) स्विच बोर्डों के लिए निर्धारित नियमित जांच-पड़ताल तो की ही जाती है, उस के अलावा अभी हाल ही में वहां के स्विच बोर्डों की विधिवत् वार्षिक जांच-पड़ताल भी की गई है।

Loss incurred by N.C.D.C.

8946. **Shri Janeshwar Mishra:** Will the Minister of Energy be pleased to state:

(a) whether Government have received any complaints regarding corruption prevailing in the National Coal Development Corporation;

(b) whether the office of the Coal Mines Authority is housed in a Five Star Hotel;

(c) Whether due to negligence of the General Manager of Giridih area loss amounting to Rs. 20 lakhs has been suffered; and

(d) if so, the action taken by Government in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad): (a), (c) & (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) No, Sir.

कोयले के उत्पादन में सुधार

8947. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में कोयले के उत्पादन में कोई सुधार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख) गत 6 महीनों (अक्तूबर, 1974 से मार्च 1975 तक) के दौरान कोयले के उत्पादन की प्रवृत्ति नीचे दर्शायी गई है:—

	(लाख टनों में) उत्पादन
अक्तूबर, 74	68.3
नवम्बर, 74	72.4
दिसम्बर, 74	77.6
जनवरी, 75	87.1
फरवरी, 75	80.3
मार्च, 75	86.5

हाल के महीनों में उत्पादन में हुए इस सुधार के फलस्वरूप 1974-75 में वार्षिक उत्पादन लगभग 880 लाख टन हुआ जबकि 1973-74 में 778.70 लाख टन उत्पादन हुआ था अर्थात् 100 लाख टन की वृद्धि हुई।

आसाम में बंगलादेश के घुसपैठियों द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा

8948. **श्री राम सहाय पांडे :**
श्री रोबिन ककोटी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के घुसपैठियों ने आसाम के कुछ भाग में सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है; और

(ख) यदि हां, तो घुसपैठियों की संख्या कितनी है, उन्होंने कितनी भूमि पर कब्जा किया हुआ है और कब्जा खाली करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) असम सरकार के अनुसार लगभग 500/600 व्यक्तियों ने जिनमें बंगला देश के नागरिक होने का संदेह है लखीमपुर जिले में कुछ सरकारी जमीनों पर अधिकार किया है। मिकीर हिल्स और दारंग जिलों में भी कुछ क्षेत्र ऐसे अधिकार में बताये जाते हैं। असम सरकार, आवश्यक पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ के निष्कर्षों पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

पिछड़ी जातियों के लिये आयोग की सिफारिशें

8949. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़ी जातियों के लिये एक आयोग स्थापित किया है, यदि हां, तो उस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं और सरकार ने किन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया ; और

(ग) अन्य सिफारिशें स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं और इन समुदायों की स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) पिछड़े वर्गों के आयोग की रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकरण की सूचना उस ज्ञापन में उपलब्ध है जो आयोग की रिपोर्ट के साथ जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत अपेक्षित है दिनांक 3 सितम्बर, 1956 को सभा पटल पर रखा गया था। आयोग पर 5,00,162 रु० (पांच लाख एक सौ बासठ रुपये) व्यय किए गये थे। तब से सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर किसी पिछड़ी जाति को मान्यता न देने का निर्णय किया है। मामले को राज्य सरकार पर स्वयं निर्णय करने के लिए छोड़ दिया गया है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं बनाया है परन्तु पांचवीं योजना के अन्तर्गत आवश्यकता हेतु बनाये गये कम से कम कार्यक्रम के अन्तर्गत ये वर्ग आ जायेंगे।

ग्राम कर्मचारियों (जनरलिस्ट) के वेतन

8950. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्राम कर्मचारियों और बिजली विभाग के ग्राम कर्मचारियों जैसे अधीक्षक, हेड क्लर्क, लिपिक, चपरासी के वेतनमानों में भारी अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो इस विसंगति के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) कर्मचारियों की दो श्रेणियों की परिलब्धियों में अन्तर इसलिए है क्योंकि विद्युत कार्य की दर तथा मीटर रीडिंग शाखाओं में काम करने वाले व्यक्तियों और नई दिल्ली नगर पालिका के विद्युत संस्थान में कार्य करने वाले व्यक्तियों समेत विद्युत कर्मचारियों के वेतनमान शिवशंकर समिति की रिपोर्ट के फलस्वरूप दिल्ली विद्युत प्रदान उपक्रम में वेतनमानों के संशोधन के आधार पर संशोधित किये गये है जबकि नई दिल्ली नगरपालिका

के अन्य कर्मचारियों के लिए तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें उसी रूप में स्वीकार कर ली गई है जिस रूप में भारत सरकार ने स्वीकार कर ली है। विद्युत विभाग के लिए एक अलग काडर का गठन नई दिल्ली नगरपालिका के विचाराधीन है।

मालेगांव के टेलीफोन एक्सचेंज का कार्यकरण

8951. **श्री जैड० एम० काह्लडोल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालेगांव, जिला नासिक (महाराष्ट्र) के टेलीफोन एक्सचेंज के कार्यकरण के बारे में शिकायतें हैं;

(ख) क्या ये शिकायतें मुख्यतः हाथ से संचालित व्यवस्था के कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मालेगांव टेलीफोन एक्सचेंज के कार्य को हाथ से संचालित व्यवस्था के स्थान पर स्वचालित व्यवस्था में बदलने का है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मैनुअल टेलीफोन प्रचालन के संबंध में कुछ शिकायतें हैं। पांचवीं योजना की अवधि में मैनुअल प्रणाली को आटोमैटिक प्रणाली में बदलने का प्रस्ताव है।

संसद सदस्यों द्वारा कारों का बेचा जाना

8952. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री संसद सदस्यों के कोटे से कारों की खरीद के बारे में 16 अप्रैल, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6301 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सभा और राज्य सभा के इन सदस्यों का अलग अलग विवरण क्या है जिन्होंने संसद सदस्यों के कोटे से कारें खरीदी हैं और उन्हें निषिद्ध समय सीमा के भीतर ही बेच दिया है; और

(ख) उन 17 संसद सदस्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने निषिद्ध समय सीमा के भीतर कारों ही को बेच दिया था और उनकी कारें बेचने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) (1) मार्च, 1971 से सितम्बर, 1973 की अवधि में संसद सदस्यों के कोटे से कार खरीदने वाले संसद सदस्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

लोक सभा : 344

राज्य सभा : 145

(2) निषिद्ध समय सीमा में जिन 17 संसद सदस्यों को कार बेचने की अनुमति दी गई थी उनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

लोक सभा : 8

राज्य सभा : 9

(ख) स्वीकृति इसलिए दी गई थी कि या तो संसद सदस्य अधिक समय तक कार रखना नहीं चाहता था या कार की सर्विस बढ़िया न होने के कारण संसद सदस्य संतोषजनक ढंग से अपने सार्वजनिक

कर्त्तव्यों को पूरा नहीं कर पाता था। सरकार वस्तुतः ऐसे संसद सदस्यों की सूची, जो दी गई मंजूरी पर कारें बेचते हैं, नहीं रखती है।

रोहिलखंड डाक डिवीजन

8953. **श्री मोहन स्वरूप:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश सर्किल के रोहिलखण्ड डाक डिविजन में डाक विभाग से संबंधित रास्ते में डाली जाने वाली डकैतियों की तथा डाक बचत-बैंक से धोखाधड़ी करके धन निकालने की अनेक घटनायें हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बटमारी का केवल एक मामला हुआ था जिसमें बरेली मुख्य डाकघर को जाता हुआ एक कैश ओवरसियर लूट लिया गया था और डाक बचत बैंक खातों से धोखाधड़ी से रकम निकालने के दो मामले हुए थे। एक मामला अल्लापुर डाकघर (बदायूं) में हुआ था और दूसरा बरेली मुख्य डाकघर में।

(ख) बटमारी के मामले में, जब बरेली मुख्य डाकघर का कैश ओवरसियर 18147 रुपये की रकम बरेली मुख्य डाकघर को ले जा रहा था तो एयर फोर्स स्टेशन डाकघर और इज्जत नगर के बीच यह रकम उससे लूट ली गई थी। अल्लापुर के मामले में, ऐसा संदेह है कि उस डाकघर के नायब पोस्ट मास्टर ने या तो रकम निकासी के कोरे अर्जी फार्म पर जमाकर्त्ता श्री बनवारीलाल सक्सैना के हस्ताक्षर करा लिए या फिर उनके जाली हस्ताक्षर कर के धोखाधड़ी से उनके खाते से 11669 रुपये की रकम निकाल ली।

बरेली मुख्य डाकघर के मामले में ऐसा शक है कि बचत बैंक नियंत्रण संगठन के लोअर डिवीजन क्लर्क श्री आर० के० घूसिया ने खाता नं० 164540 से धोखाधड़ी से 19779.02 रुपये की रकम निकाल ली है।

(ग) इन सभी मामलों की रिपोर्ट पुलिस को कर दी गई थी। बटमारी के मामले में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। और उनका चालान कर दिया गया है। बचत बैंक के धोखाधड़ी के दो मामलों की पुलिस तफतीश कर रही है और विभागीय जांच-पड़ताल के आधार पर विभाग के दो कर्मचारियों को मुअत्तल कर दिया गया है।

सर्वे आफ इंडिया में ड्राफ्टमैनों के ग्रेडों में अंतर

8954. **श्री माधुर्य्य हालदार :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वे आफ इंडिया में ड्राफ्टमैन डिवीजन। तथा सेक्शन आफीसरों के रूप में ड्राइंग सैक्शन का कार्यभार सम्भालने वालों के ग्रेडों में अन्तर है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस अंतर को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) : सर्वे आफ इंडिया में समान्यतया ड्राफ्टमैन डिवीजन–1 ड्राइंग सैक्शनों में इंचार्ज बनाए जाते हैं । फिर भी, आवश्यकता पड़ने पर उनसे उच्च, समकक्ष या यहां तक कि निम्न ग्रेडों के दूसरे अधिकारियों को भी कभी-कभी इन सैक्शनों का अस्थायी इंचार्ज बनाना आवश्यक हो जाता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

हरियाणा में सीमेंट की कमी

8955. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा राज्य में गत तीन वर्षों से सीमेंट की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य में सीमेंट का कितना उत्पादन होता है और उपरोक्त अवधि में उसको कितना सीमेंट आवंटित किया गया ;

(ग) क्या किसी भी नागरिक को एक भी बोरी सीमेंट नहीं मिलता जबकि वह ऊंचे मूल्य पर चोर बाजार में उपलब्ध है : और

(घ) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करेगी कि कम से कम जरूरतमन्द व्यक्ति को छोटी-मोटी मरम्मत के लिये सीमेंट लेने में कोई कठिनाई न हो ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान, आमतौर से देश में सीमेंट की कमी रही है उत्पादन में हुई इस गिरावट के विभिन्न कारण बिजली की कटौती, रेलवे वैगनों और कोयले आदि को अपेक्षित रूप में न मिलना आदि हैं । हरियाणा में सीमेंट की कमी भी इस सामान्य कमी का एक अंश है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में हरियाणा के दो सीमेंट कारखानों का उत्पादन और 'राज्य कोटे' में हरियाणा को भेजा गया सीमेंट निम्न प्रकार था :—

(मी० टन में)

वर्ष	उत्पादन	राज्य कोटे में हरियाणा राज्य को भेजा गया कुल सीमेंट+
1972	4.73	3.49
1973 . .	5.30	3.13
1974	3.85	2.76

+नोट :–इन प्रेषणों में केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा अपने कार्यों में लगाया गया सीमेंट शामिल नहीं है ।

(ग) और (घ) : हरियाणा सरकार ने राज्य में सीमेंट के खुदरा वितरण को विनियमित करने के लिए कानूनी आदेश जारी किये हैं मरम्मत आदि की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए सीमेंट की आपूर्ति राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये परमिटों पर की जाती है । राज्य में अधिक सीमेंट उपलब्ध कराने के लिये केन्द्रीय स्तर पर राज्य में सीमेंट के प्रेषण में वृद्धि करने संबंधी विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

अनुभाग अधिकारियों को अवर सचिव के रूप में नियुक्त किया जाना

8956. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) नवम्बर, 1974 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जिन अनुभाग अधिकारियों को अवर सचिव के पदों पर नियुक्त करने के लिए चुना गया था, उन्हें अवर सचिव के रूप में नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) आरक्षित रिक्त पदों के लिए चुने गये अधिकारियों को कब तक इन पदों पर नियुक्त कर दिया जायेगा ?

गृह मंत्री, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख) : अवर सचिव, स्तर के पद किसी विशिष्ट सेवा के सदस्यों के लिए आरक्षित नहीं है । इन्हें व्यवसाय को अपेक्षाओं के आधार पर विभिन्न सेवाओं के सदस्यों में से भरा जाता है जिसमें इन पदों के लिए इनकी उपयुक्तता और इनके अनुभव को ध्यान में रखा जाता है । केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड–1 में नियुक्ति के लिए 19-11-1974 को जारी की गई प्रवर सूची में जिन 124 अधिकारियों को शामिल किया गया था, उनमें से 80 अधिकारियों का अवर सचिवों/समकक्ष पदों पर नियुक्ति के लिए अनुमोदन पहले ही किया जा चुका है । सूची एक वर्ष से अधिक की अवधि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई थी । अवर सचिव के पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है । फिर भी, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों द्वारा भरे गए अवर सचिव के पदों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 में संवर्ग पद के रूप में माना जाता है । अवर सचिव/समकक्ष जैसे पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए जिन 44 प्रवर सूची अधिकारियों का अभी अनुमोदन किया जाना है उनमें 17 अनुसूचित जातियों के हैं । उन्हें अवर सचिवों/समकक्ष पदों पर यथाशीघ्र नियमित नियुक्तियां देने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

"फ्राम रिफ्यूज टु एनर्जी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

8957. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 अप्रैल, 1975 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "फ्राम रिफ्यूज टु एनर्जी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत में शहरी अपशिष्ट पदार्थों से विद्युत उत्पादन की तकनीक एवं आर्थिक सम्भाव्यता का अभी निर्धारण किया जाना है ।

एम० ए० एम० सी० लिमिटेड, दुर्गापुर के प्रबन्धकों के विरुद्ध निषेध ग्राज्ञा

8958. **श्री कृष्ण चन्द हाल्दर** : क्या उद्योग ग्रौर नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सबोडिनेट सैशन जज ग्रासंसोल ने जुलाई, 1974 में एम०ए०एम०सी० लिमिटेड, दुर्गापुर के प्रबंधकों के विरुद्ध एक निषेद्ध ग्राज्ञा जारी की थी जिसमें एम०ए०एम०सी० लिमिटेड के प्रबंधकों को एम०डी०एम०ए०एम०सी० लिमिटेड के दिनांक 24/26 जून, 1974 के ग्राफिस ग्रार्डर संख्या 11/74 को मामले के निपटान तक लागू किये जाने से रोका गया था ;

(ख) क्या ग्राज्ञा का पालन किया गया था ;

(ग) क्या निषेधाज्ञा के विचारा-धीन काल में एक ग्रन्य ग्रार्डर नोटिस जारी किया गया जिसकी संख्या ए० पी०/65 दिनांक 12 ग्रक्तूबर, 1974 थी तथा जिसके ग्रन्तर्गत कारपोरेशन द्वारा पारी के ग्रारम्भ होने ग्रौर समाप्त होने के समय में परिवर्तन किया गया था ;

(घ) क्या ग्रार्डर/नोटिस जारी करने से पूर्व सम्बद्ध न्यायालय से उसकी मंजूरी ले ली गई थी ;

(ङ) क्या दिनांक 3 फरवरी, 1975 के ग्रार्डर संख्या 22 को लागू करने से रोकने के लिये सबोडिनेट सैशन जज ने 27 फरवरी, 1975 को एक ग्रन्य रोक ग्रादेश जारी किया था ; ग्रौर

(च) क्या एम०ए०एम०सी० लिमिटेड ने 27 फरवरी, 1975 को जारी किये गये ग्रादेश का पालन किया था ?

उद्योग ग्रौर नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (च) : श्रमिकों की दो यूनियनों के साथ मई, 74 में किये गये द्विपक्षीय समझौते के ग्रंतर्गत माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन ने जून, 74 में एक ग्रादेश जारी किया, जिसमें कार्य ग्रवकाश के घंटों में कार्ड पंचिग लागू करने ग्रौर पाली के समय में परिवर्तन करने की व्यवस्था थी । कार्ड पंचिग प्रणाली 1 जुलाई, 1974 को शुरू की गई थी ।

श्रमिकों की एक यूनियन ने ग्रादेश की वैधता को चुनौती देते हुए, सब-जज, ग्रासनसोल की ग्रदालत में मुकदमा दायर किया ग्रौर याचिका पर ग्रदालत का निर्णय होने तक ग्रादेश लागू करने में स्थगन ग्रादेश मांगा । न्यायालय ने उक्त ग्रादेश को कार्यान्वित करने से माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी पर रोक लगाते हुए 8 जुलाई, 1974 को एक व्यादेश दिया । तदनुसार पाली के समय में परिवर्तन करने के कार्य में ग्रादेश की माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन ने लागू नहीं किया । तदनुसार 3 फरवरी, 1975 को न्यायालय ने ग्रपना निर्णय दिया, जिसमें माइनिंग एड एलाइड मशीनरी द्वारा जून, 1974 में जारी किये गये ग्रादेश की वैधता की पुष्टि की गई थी ग्रौर यूनियन द्वारा दायर किया गया मुकदमा हर्जाने सहित खारिज किया गया था । श्रमिकों की यूनियन ने 11 फरवरी, 1975 को न्यायालय द्वारा जारी किये गये ग्रादेश को लागू होने से स्थगित करने पर रोक लगाने के लिए प्रार्थना करते हुए न्यायालय में एक दरख्वास्त दी, जिसमें वे उन ग्रादेशों के खिलाफ ग्रपील कर सकें । न्यायालय ने 11 फरवरी, 1975 को 15 दिनों के लिए एक व्यादेश दिया, जिस ग्रवधि के ग्रंदर याचिका दाताग्रों से जिला ग्रौर सब न्यायाधीश, वर्दवान की ग्रदालत में ग्रपनी ग्रपील दायर करना ग्रपेक्षित था । व्यादेश

आदेश की अवधि 26 फरवरी, 75 को समाप्त हुई और 27 फरवरी, 75 के 6 बजे के पूर्वाह्न से माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन द्वारा पाली का नया समय लागू किया गया था । उस तिथि को याचिका दाताओं ने व्यादेश आदेश को और तीन दिन तक बढ़ाने के लिए सब-जज, आसनसोल के आदेश प्राप्त किये । जिससे याचिका दाता जिला और सत्र न्यायाधीश वर्दवान की अदालत में अपनी याचिका दायर कर सकें । यह आदेश 27 फरवरी, 75 को 5 बजे अपरान्त में प्राप्त हूआ, अर्थात् संशोधित पाली समय लागू करने के पश्चात् प्राप्त हुआ ।

(ग) और (घ) अक्टूबर 74 में माइनिंग एंड एलाईड मशीनरी कारपोरेशन द्वारा पं० बंगाल उर्जा नियंत्रण आदेश जिसके अन्तर्गत राज्य के उद्योगों में बिजली का राशनिंग किया गया था के उपबन्धों के अनुसार पाली समय में परिवर्तन करते हुए एक आदेश जारी किया गया। चूंकि यह आदेश सांविधानिक नियमों के अधीन जारी किया गया था और न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश के कार्यान्वियन के लिए नहीं था, अतः उपदेश के जारी होने से पहले न्यायालय की अनुमति नहीं ली गई थी।

रामगढ़ और केडला में पाये गए कोककारी कोयले के परीक्षण

8959. **श्री एस० एन० मिश्र : क्या ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रायगढ़ और केड्ला में पाए गए उम्दा किस्म के कोककारी कोयले के इस बीच परीक्षण कर लिए हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार रामगढ़ और केडा में ओपन कास्ट पद्धति का प्रयोग करने का है ; और

(ग) सिंगरौलो और रानीगंज के खनन क्षेत्रों के विकास में कितनी प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) व (ख) : जी हां।

(ग) सिंगरौली कोयला क्षेत्र को बड़ी ओपनकास्ट खानों द्वारा विकसित करने तथा रानीगंज कोयला क्षेत्र में झांझरा को यंत्रीकृत भूमिगत खानों द्वारा विकसित करने के लिए हाल ही में केन्द्रीय खान आयोजन व डिजाइन संस्थान (कोयला खान प्राधिकरण के अन्तर्गत) द्वारा सोवियत विशेषज्ञों के सहयोग से साध्यता रिपोर्ट तैयार की गई हैं। सिंगरौली कोयला क्षेत्र को रिपोर्ट से 1990-91 तक ओपन कास्ट खानों द्वारा 450 लाख टन उत्पादन की संभावना का पता चलता है। रानीगंज क्षेत्र में भूमिगत झांझरा खान से 1978-79 तक पर्याप्त कोयला उत्पादन के साथ 28 लाख टन वार्षिक लक्ष्य रखा गया है।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्मज मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटिड को हुआ घाटा

8960. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स हिन्दुस्तान फोटो फिल्मज, मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड को दिसम्बर, 1974 तक कुल कितना घाटा हुआ और इसमें कितनी पूंजी लगी हुई है ; और

(ख) घाटे के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इस सम्बन्ध में पूर्ण व्यौरा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री बी० पी० मौर्य (: (क) मैसर्स हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस् मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड में दिसम्बर, 1974 तक कुल मिलाकर 1937.87 लाख रुपए का घाटा हुआ था। कम्पनी की 31 मार्च, 1975 को इक्विटी पूंजी 632.00 लाख रुपए थी।

(ख) कम्पनी में प्रारम्भ से ही होने वाली हानियों के प्रमुख कारण ये हैं :-

1. अंशतः तकनीकी समस्याओं के कारण क्षमता का कम उपयोग किया जाना और अंशतः सम्पूर्ण आवश्यकताएं पूरी करने हेतु कच्चे माल का उपलब्ध न होना।

2. उत्पादन का विभिन्न अवस्थाओं में भारी मात्रा में माल का रद्द कर दिया जाना;

3. फिल्म बेस डिपार्टमेंट में साल्वेंट जैसे रद्दी माल और सामग्री पर चढ़ाये जाने वाले कबाड़ से सिल्वर का कम मात्रा में निकलना ;

4. उत्पादन की वास्तविक लागत पर ध्यान दिए बिना आयातित किस्मों की तुलना में अलाभप्रद मूल्य।

5. सरकारी ऋण के माध्यम से वित्त व्यवस्था करके हानि संचित हो जाने का कारण अत्यधिक ब्याज हो जाना।

कम्पनी और सरकार दोनों ने जो उपाय किए और सुधारात्मक कदम उठाए उनके फलस्वरूप कम्पनी के कार्य में निरन्तर सुधार हुआ इसका परिणाम यह निकला है कि निर्धारित क्षमता की 90 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया है और 1974-75 में उत्पादन बढ़कर 1389 लाख रुपए का हो गया जबकि 1973-74 में 697 लाख रु० का उत्पादन हुआ था। कम्पनी को आशा है कि 1975-76 में वह 61.5 लाख वर्ग मीटर की निर्धारित क्षमता में उत्पादन करने लगेगी और लाभ भी कमाने लगेगी। कम्पनी का अब तक हुए नुकसान के भिन्न-भिन्न कारण रहे हैं जो ऊपर बताए जा चुके हैं, अतः किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सेवाओं में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की नियुक्तियां

8961. **श्री छत्रपति अम्बेश** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक तथा प्रशासन सुधार विभाग ने भारत सरकार को विभिन्न सेवाओं में यदि अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की प्रतिशतता पूरी न हो इन जातियों के 50 प्रतिशत उम्मीदवारों को नियुक्ति करने के आदेश जारी किए हैं ; और

(ख) यदि हां तो क्या इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

गृह मंत्री, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी नहीं, श्रीमान

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Blackmarketing by employees of Khadi Gramodyog Bhavan New Delhi

8962. **Shri Nageshwar Dwivedi:** Will the Minister of Industry and Civil Supplies be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the report appearing in the 'Janyug' dated 17th February, 1975 that some influential workers of Khadi Gramodyog Bhavan New Delhi have amassed property worth lakhs of rupees;

(b) whether some employees have also been caught red handed while indulging in black marketing of coal and if so the names thereof;

(c) whether Government have taken any action in this regard and if so, the facts thereof; and

(d) the action being taken by Government to avoid recurrence of such irregularities in future?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A.P. Sharma): (a) The allegations made in the 'Janyug' are very general and vague.

(b) Khadi & Village Industries Commission have not received any report in this connection.

(c) and (d): Do not arise.

Minor Adivasi Girl abducted and raped in Sarada Tehsil, Udaipur, Rajasthan.

8963. **Shri Chandra Shailani.:** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether an Adivasi minor girl was abducted and raped by two persons in Sarada Tehsil of Udaipur district in Rajasthan some days ago as has been reported in 'Janyug' New Delhi, on the 10th March, 1975;

(b) whether later on the said girl was taken to a hospital and operated upon; and

(c) the action taken by the police so far in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Department of Personnel and Administrative Reforms and Department of Parliamentary Affairs (Shri Om Metha) :

(a) to (c) : According to information received from the Government of Rajasthan, Smt. Ramu wife of Lachhma Meena is alleged to have been forcibly taken away and raped by two persons on February 21, 1975 while she was going alone on her way from Village Parsad to her father's house in Village Sarada in Distt. Udaipur. Smt. Ramu was admitted and got medically examined at Udaipur Hospital. On the basis of her statement a case under section 354/376 IPC was registered at P.S. Sarada on February 21, and investigation started. The accused persons were arrested on February 22, 1975 and are in Jail custody. Investigation of the case is in progress.

महाराष्ट्र में उद्योगों पर कमी का प्रभाव

8964. **श्री वसन्त साठे :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के विभिन्न उद्योगों पर विशेषकर गत एक वर्ष के दौरान बिजली, कोयला तथा रेल माल डिब्बों की कमी तथा कच्चे माल और तैयार माल की ढुलाई के लिए परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण बुरा प्रभाव पड़ा है ।

(ख) यदि हां, तो प्रभावग्रस्त उद्योगों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अधिकाधिक उत्पादन तथा औद्योगिक क्षमता का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है या करने का बिचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) बिजली, कोयला और मालगाड़ी के डिब्बों की कमी तथा परिवहन संबंधी कठिनाइयों का निःसन्देश महाराष्ट्र सहित देश के औद्योगिक उत्पादन पर असर पड़ा है। किन्तु इस प्रकार की कठिनाइयों का बिभिन्न उद्योगों पर कितनी मात्रा में असर पड़ा है यह बता सकना कठिन है। इन रुकावटों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर सभी सम्भव उपाय किए जा रहे हैं। बिजली की कमी को पूरा करने के लिए किए गए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं:--

(1) राज्यों में उपलब्ध फालतू बिजली का उपयोग कमी वाले राज्यों की कमी को पूरा करने के लिए किया जा रहा है।

(2) स्टीम का इस्तेमाल करने वाले प्रक्रिया उद्योगों को कैंपटिव पावर जनरेटिंग संयंत्र लगाने की अनुमति दी जा रही है।

(3) कुछ उद्योगों को 4 खड़े जनरेटिंग सेट लगाने की अनुमति दी गई है।

सेन्ट्रल इंडिया कोल फील्ड्स और पेन्च और चन्दा कोयला खानों में कोयले की लदान में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अब महाराष्ट्र के उद्योगों को कोयला पहुंचाने के लिए तथा खपत वाले क्षेत्रों में तैयार माल पहुंचाने के लिए मालगाड़ी के डिब्बों की कोई कमी नहीं है।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा उद्यमियों की ओर ध्यान दिया जाना

8965. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय ने वित्तीय संस्थाओं से नये उद्यमियों और उनको व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से होने वाली समस्याओं की ओर अधिक ध्यान देने को कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में वित्तीय संस्थाओं की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) सरकार की नीति नये उद्यमियों को आर्थिक और अन्य सहायता देने की व्यवस्था करके उद्योगों की स्थापना करने में उनको प्रोत्साहन देना है। वित्तीय संस्थान भी नये उद्यमियों की आर्थिक आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं। समय-समय पर उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री ने नये उद्यमियों को पर्याप्त आर्थिक और अन्य सहायता देने की व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया है।

भारत को परमाणु कार्यक्रम के विकास को रोकने के लिये बड़ी शक्तियों द्वारा भारत पर प्रतिबन्ध

8966. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन, रूस और अमरीका जैसी विश्व की बड़ी शक्तियां भारत के परमाणु कार्यक्रम के आगे विकास को रोकने के लिए भारत पर परमाणु के बारे में कठोर प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रहे हैं ; और

27 LSS/75—6

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) कुछ देशों ने, जिनमें इंगलैण्ड, रूस तथा अमरीका भी शामिल हैं ; अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण को सूचित किया है कि वे ऐसे देशों को जिन्होंने परमाणु अस्त्र प्रसार निरोध संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं, तब तक कुछ प्रकार के उपकरण, संघटक एवं सामग्री सप्लाई नहीं करेंगे, जब तक कि संबंधित संयंत्र तथा सुविधाओं को अभिकरण की सेफगार्ड व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं लाया जाता है । हम अपने न्यूक्लीय ऊर्जा संबंधी कार्यक्रम को और आगे बढ़ाना सुनिश्चित करते समय इस पहलू पर पुनर्विचार करते रहते हैं ।

आकाशवाणी के जयपुर केन्द्र की प्रेषण शक्ति को अधिक शक्तिशाली बनाना

8967. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के जयपुर केन्द्र से प्रसारण राजस्थान राज्य के अंदर भी साफ-साफ सुनाई नहीं देता है ;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने जयपुर स्टेशन के प्रेषण शक्ति को और अधिक शक्तिशाली बनाने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या ठीक-ठीक सुझाव दिए गए हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जयपुर में स्थित दो ट्रांसमिटर जयपुर के निकटवर्ती स्थानों को सेवा प्रदान करने के लिए हैं । इसके अलावा, जयपुर के कार्यक्रम अजमेर, बीकानेर और उदयपुर में स्थित सहायक केन्द्रों द्वारा प्रसारित किये जाते हैं । इसके अतिरिक्त जोधपुर का 100 किलोवाट ट्रांसमीटर जयपुर के कार्यक्रम रिले करता है । इसलिये वास्तव में जयपुर के प्रसारण राजस्थान का लगभग 68 प्रतिशत क्षेत्र और इसकी 69 प्रतिशत जनसंख्या कवर करते हैं ।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने मंत्रालय से राज्य में प्रसारण क्षेत्र और बढ़ाने का अनुरोध किया है । इसके बारे में उपलब्ध संसाधनों के अन्दर कदम उठाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्रों की स्थापना

8968. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने के लिए कुछ केन्द्र स्थापित किए हैं ?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कितने उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनके प्रशिक्षण पर कितना खर्च आएगा तथा इन केन्द्रों पर उन्हें क्या अन्य सुविधायें प्रदान की जायेंगी ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) ऐसे दो केन्द्र स्थापित किये गये हैं:--

एक मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद और दूसरा रीजनल इंजीनियरिंग कालिज, तिरुचिरापल्ली में । प्रवेश के लिए प्रत्येक केन्द्र में 40 उम्मीदवारों की संख्या निश्चित की गई है । प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण, भोजन तथा आवास का पूर्ण व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

गोआ में मन्दिर प्रवेश की मनाही

8969. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 अप्रैल, 1975 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि गोवा में हिन्दु समुदाय के विभिन्न मतावलम्बियों को धार्मिक कर्मकाण्ड करने हेतु मन्दिरों के उपासना स्थलों में प्रवेश की मनाही है ; और

(ख) यदि हां, तो हरिजनों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमन् । गोवा प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई है जो प्रत्याशित है ।

टूथपेस्ट तथा शृंगार की वस्तुओं का निर्माण करने वाली औषध कम्पनियां

8970. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औषधि तथा फार्मेस्युटिकल कम्पनियों के नाम क्या हैं जो ब्राण्ड नामों के अधीन टूथ पेस्टों, फेस पाउडरों, साबुनों तथा शृंगार की वस्तुओं का निर्माण तथा विक्रीय तथा टूथ-ब्रुशों जैसी वस्तुओं का विक्रय करती है ;

(ख) इस तरह वे कुल कितना उत्पादन करती है और यह गत तीन वर्षों के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार औषध निर्माण से बिल्कुल भिन्न इन अतिरिक्त गतिविधियों को निषिद्ध करने का है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) शृंगार की इन वस्तुओं को तैयार करने हेतु औषधियां और फार्मास्युटिकल बनाने वाली कंपनियों के नाम जो तकनीकी विकास के महानिदेशालय में दर्ज हैं, संलग्न विवरण में दिए गऐ हैं ।

(ख) इस मंत्रालय में उत्पादन के बारे में सूचना नहीं रखी जाती है ।

(ग) ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

विवरण

फर्मों के नाम :

1. मैं० कलकत्ता कैमिकल कं० लि० कलकत्ता ।
2. बीचन इण्डिया (प्रा०) लि०, बम्बई ।
3. सी० आई० वी० ए० आॅफ इण्डिया लि०, बम्बई ।
4. आॅफरी मैसर्स एण्ड कं० लि०, बम्बई ।
5. बुरोज वैलकम एण्ड क० (इण्डिया) प्रा० लि०, बम्बई ।
6. जानसन एण्ड जानसन प्राइवेट लि०, बम्बई ।
7. डावर (डा० एस० के० बर्मन) प्रा० लि०, कलकत्ता ।
8. मार्टिन एण्ड हरीश लि०, कलकत्ता ।
9. रैकिट एण्ड कालमन आॅफ इण्डिया लि०, कलकत्ता ।
10. बंगाल कैमीकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स प्रा० लि०, कलकत्ता ।
11. स्मिथ स्टिनी स्ट्रीट क०, कलकत्ता ।
12. टूफर इन्टरफैन, बम्बई ।
13. ग्लेक्सो लेबोरेटरीज इंडिया प्रा० लि०, बम्बई ।
14. आॅरियंट फार्म० प्रा० लि०, मद्रास ।

पश्चिमी बंगाल के लघु निर्माण एककों को राहत

8971. श्री टुना उरांव : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग में गम्भीर संकट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में छोटे पैमाने पर लैम्प निर्माण करने वाले एककों को तुरन्त राहत देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस समस्या के बारे में की गई मांग की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) (1) 0 से 100 वाट तक के बिजली के बल्बों का उत्पादन केवल लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित है ।

(2) उपयुक्त विनियमों का लागू करना ताकि कच्चे माल का उत्पादन करने वाले बड़े एकक उसे उचित मूल्य पर लघु एककों को ही बेचें ।

(3) छोटे पैमाने के लैम्प उत्पादकों को कच्चे माल और तैयार उत्पादों पर उत्पादन शुल्क अदायगी से छूट ।

(ग) भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक सरकारी समिति ने अन्य बातों के साथ छोटे पैमाने के लैम्प उत्पादकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अभ्युपाय करने का सुझाव दिया था।

(1) कि पश्चिम बंगाल सरकार और सम्भरण तथा निपटान के महानिदेशालय द्वारा गुण प्रकार सन्तोषजनक पाये जाने पर बल्बों की खरीद लघु क्षेत्र से की जानी चाहिये क्योंकि मूल-भूत समस्या उनकी बिक्री की है।

महानिदेशक, सम्भरण तथा निपटान ने कुछ एककों का निरीक्षण भी किया है तथा यह सुझाव दिया है कि प्रत्येक एकक में सामान्य परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए ताकि क्वालिटी बल्बों का उत्पादन हो सके। इसे भी लघु उद्योग एककों की जानकारी में ला दिया गया है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अपने निजी उपयोग के लिए केवल लघु उद्योग एककों में ही खरीदने का आदेश दे रखा है।

(2) कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को कच्चे माल और उपकरणों की भारी मात्रा में बड़े उत्पादकों से खरीद करके लघु एककों से सप्लाई करने के लिए कहा जाना चाहिये।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के माध्यम से वितरण की व्यवस्था की गई थी किन्तु लघु एककों ने निगम को अपनी आवश्यकता नहीं बतायी तथा इस सुविधा का लाभ अभी तक नहीं उठाया है।

(3) कि लघु क्षेत्र के कच्चे माल और तैयार वस्तुओं पर से उत्पादन शुल्क हटा लिया जाना चाहिए।

कच्चे माल जैसे कांच की रोडे और ट्यूब जिनका लैम्पों के उत्पादन में उपयोग किया जाता है, पर से उन एककों के मामलों में जिनका मशीन और संयंत्र में निवेश 3 लाख रुपए से अधिक नहीं है उत्पादन शुल्क हटा लिया गया है। लघु उद्योग एककों को तैयार लैम्प पर उत्पादन से छूट देने के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है।

गैर-सरकारी उद्योग के भविष्य के बारे में श्री जे० आर० डी० टाटा द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया

8972. **श्री समर गुह** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जे० आर० डी० टाटा के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने गैर-सरकारी उद्योग के भविष्य के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो भविष्य में गैर-सरकारी उद्योग के सम्भावित ह्रास के भय संबंधी टिप्पणी के पीछे विहित औचित्य का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ; और

(ग) श्री टाटा के वक्तव्य के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गैर-सरकारी उद्योग के सम्भावित समाप्ति के बारे में आशंका करने का कोई भी आधार नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र में सरकारी नीतियां निरन्तर औद्योगिक नीति संकल्प 1956 से शासित हो रही है। संकल्प में मिश्रित अर्थव्यवस्था की आवश्यकता स्वीकार की गई है और उसमें गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये एक विशिष्ट स्थान दिया गया है जिससे राष्ट्र के सुनियोजित विकास के संदर्भ में इस क्षेत्र की वृद्धि और विस्तार किया जा सके।

उड़ीसा में लघु इंजीनियरिंग एककों को कच्चे माल की सप्लाई

8973. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **उद्योग और नागरिक** पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1974-75 में लघु इंजीनियरिंग एककों को पर्याप्त कच्चे माल की सप्लाई की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) उड़ीसा राज्य को वर्ष 1974-75 में इस्पात और अलौह धातुओं अर्थात् वाणिज्यिक ग्रेड का अल्युमीनियम और जिंक के नियतन की मात्रा 1973-74 में किये गये नियतन की मात्रा से अधिक थी। ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(मी० टनों में)

वस्तु	वर्ष	लघु क्षेत्र को (समस्त भारत) किया गया नियतन	उड़ीसा को किया गया नियतन
इस्पात	1973-74	429414	7,883
	1974-75	494419	17,477
वाणिज्यिक ग्रेड का	1973-74	5000	70
अल्युमीनियम	1974-75	5000	71
जिंक	1973-74 (6 महीने के लिए)	1815	22.15
	1974-75	2900	40.8

नगर निगम, दिल्ली द्वारा घरेलू बिजली की सप्लाई के लिये शुल्क दर का पुनरीक्षण

8974. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू बिजली की शुल्क दर में, जो उस समय नहीं बढ़ायी गयी थी, जब नगर निगम, दिल्ली ने वाणिज्यिक और अन्य प्रकार के बिजली के प्रयोग करने संबन्धी दरों में परिवर्तन किया था, बजट में संशोधित किये जाने की आशा है ; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक और इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अधीन दिल्ली नगर निगम को विद्युत की प्रदाय के लिए दाम नियत करने का अधिकार प्राप्त है । निगम ने अभी हाल में पहली अप्रैल, 1975 से टैरिफ संशोधित किया था। टैरिफ में और संशोधन करने के लिए इस मंत्रालय को अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री कल्याण कुमार बसु द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

8975. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करने के कारण श्री कल्याण कुमार बसु के विरुद्ध मामलों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ये मामले कब चलाये गये थे ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) श्री कल्याण कुमार बसु के विरुद्ध जो जांच नवम्बर, 1972 में आरम्भ की गई थी आगे नहीं बढ़ी है, क्योंकि श्री बसु ने 31-3-1973 को एक रिट याचिका दायर की थी, जिस पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस आशय का एक व्यादेश (इंजंशन आर्डर) जारी किया था कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 19(2) के अधीन प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उस पर दिए गए आदेश के अनुसरण में, कोई भी दाण्डिक कार्रवाई न की जाये। उक्त रिट याचिका और 28-6-73 को उसके द्वारा दायर की गई एक और याचिका उच्च न्यायालय के निर्णय के लिए लम्बित पड़ी है ।

भाखड़ा से निकाले गये लोगों की परेशानियां दूर करने के लिये उनकी ओर से अभ्यावेदन

8976. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भाखड़ा से निकाले गये लोगों से और अथवा उनकी ओर से भाखड़ा बांध के निर्माण से उत्पन्न हुई लम्बे समय से हल न हुई उनकी परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से प्रस्तुत कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी परेशानियां किस प्रकार की हैं ; और

(ग) उक्त अभ्यावेदन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) भाखड़ा के विस्थापितों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें उन्होंने कुछ सुविधाएं देने की प्रार्थना की थी । मुख्य सुविधाएं भाखड़ा और अन्य निकटवर्ती गांवों को पेयजल की सप्लाई और बिजली की व्यवस्था करने, गांवों को जोड़ने वाली सड़कों, पुलों और अस्पताल के निर्माण से संबन्धित हैं ।

(ग) परियोजना प्राधिकारियों द्वारा अधिगृहीत की गई भूमि और अन्य सम्पत्तियों के लिए पूरा मुआवजा दिया गया था। विस्थापितों को, उनके लिए हिसार जिले में अधिगृहीत की गई कृषि-भूमि में पुनर्वास का भी विकल्प दिया गया था। जो इस सुविधा का लाभ नहीं उठाना चाहते थे, उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जलाशय क्षेत्र के बाहर बसाया जाना था। भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड ने विशेष रूप से विचार करके भाखड़ा गांव के लिए बिजली और पेयजल की पहले ही व्यवस्था कर दी है और कुछ निकटवर्ती गांवों के लिए पेयजल की सप्लाई का विस्तार करने तथा झील में जलमग्न हुई पटरियों और पुलों के स्थान पर नई पटरियों और पुलों के पुर्नानिमाण पर होने वाले व्यय का हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ हिस्सा बटाने पर भी वह सहमत हो गया है। ग्राम-वासियों की बोर्ड के ओलिन्दा स्थित औषधालय (भाखड़ा के निकट) में चिकित्सा सुविधाएं भी दी जा रही है तथा गंभीर मामलों की बोर्ड के नंगल स्थित नहर अस्पताल में अन्तरंग रोगियों के रूप में चिकित्सा की जाती है।

उद्योग मंत्रालय के लिए मार्ग-निर्देशक सिद्धान्त

8977. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग मंत्रालय के लिए मार्ग निर्देशक सिद्धान्तों को कौन बनाता है ;

(ख) क्या ये मार्ग निर्देशक सिद्धान्त भारतीय नीति के अनुरूप हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ; और

(घ) क्या इन मार्ग निर्देशक सिद्धान्तों को बनाते तथा जारी करते समय विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों से राय ली जाती है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री० टी० ए० पाई) : (क) से (घ) औद्योगिक विकास मंत्रालय "गाइड लाइन्स फार इण्डस्ट्रीज" शीर्षक प्रकाशन प्रतिवर्ष निकालता है। यह प्रकाशन सामान्य जनता के लिए स्वीकृति प्रणाली और औद्योगिक एकक स्थापित करने संबन्धी पद्धति के संबन्ध में जानकारी देने वाले स्रोत का कार्य करता है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में विभिन्न उद्योगों के विकास संबन्धी नीतियों का स्पष्ट विवरण भी दिया रहता है। इनमें मांग, लाइसेंस प्राप्त और अधिष्ठापित क्षमता, उसमें अतिरिक्त क्षमता के लिए क्षेत्र है अथवा नहीं संबन्धी जानकारी आदि भी दी गई होती है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अन्य संबन्धित प्रशासनिक मंत्रालय और तकनीकी प्राधिकरणों के परामर्श से तैयार किया जाता है।

भारतीय क्षेत्र के उद्योगों में विविधीकरण

8978. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्यम पैमाने के भारतीय उद्योगों में विदेशी मुद्रा आवंटन तथा सम्पूर्ण लाइसेंस शुदा क्षमता के अन्तर्गत अनुपयोगी मशीनों के विविधीकरण करने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती है जैसा कि वर्ष 1966—70 में अनुमति दी गई थी ;

(ख) क्या इससे भारतीय क्षेत्र के उद्योगों को विविधीकरण करने तथा उनकी अधिष्ठापित क्षमताओं का पूरा लाभ उठाने में सहायता मिलेगी ; और

(ग) क्या सरकार इस बात पर गौर करेगी कि अब तक जारी की गई सभी अधिसूचना या तो विदेशी क्षेत्र की फर्मों अथवा बड़े क्षेत्र के उद्योगों के लाभ के लिए थीं तथा उन्हें नौकरशाही के दबाव के अन्तर्गत जारी किया गया था ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग) भारतीय मझौले पैमाने के उद्योगों को 1966 से 70 तक अनुमत विविधीकरण अब अनुमत नहीं है यह कथन सही नहीं है । 1970 के पश्चात् औद्योगिक लाइसेंसीकरण नीति और उदार बनाई गई है, फरवरी, 1973 की घोषणा की शर्तों के अनुसार 1 करोड़ रु० से कम निवेश वाले औद्योगिक उपक्रमों को कुछ उपबन्धों को पूरा करने के अधीन, औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने से छूट दे दी गई है । इस उद्देश्य की दिशा में विविधीकरण की सुविधाएं संबन्धी सरकारी घोषणा ने प्रक्रिया, अनुमति प्रदान करना आदि के रूप में भारतीय क्षेत्र का पक्षपोषण किया है । विद्यमान लाइसेंसीकरण नीति के अनुसार विदेशी बहुलांश वाली कम्पनियां तथा बड़े औद्योगिक घराने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कुछ निश्चित प्रमुख (कोट) उद्योगों या ऐसे उद्योगों से संबन्धित उद्योगों या दीर्घावधि तक निर्यात क्षमता रखने वाले उद्योगों में भाग लेने के पात्र हैं। इन क्षेत्रों में भी यदि लघु या मध्यम पैमाने के उद्यमियों में से उपयुक्त आवेदक आगे बढ़ते हैं तो, विदेशी बहुलांश वाली कम्पनियों और बड़े घरानों की तुलना में उन्हें वरीयता प्रदान की जायेगी ।

औद्योगिक लाइसेंसों का रद्द किया जाना

8979. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाइसेंस समिति को भेजे गये बिना औद्योगिक लाइसेंसों को जारी करने और उस पर उन्हें कच्चा माल देने के बारे में उनके मंत्रालय द्वारा ध्यान न दिए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार ऐसे औद्योगिक लाइसेंसों को रद्द करेगी जो भारतीय क्षेत्र के उद्योगों के विकास के लिए हानिकारक हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 और औद्योगिक उपक्रमों के पंजीयन और लाइसेंस नियम, 1952 (समय समय पर संशोधित) के उपबन्धों के अधीन औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदनों को लाइसेंस समिति अथवा लाइसेंस समिति के कार्यों को करने वाली किसी अन्य स्वीकृति समिति को भेजना पड़ता है । हाल ही में सरकार ने औद्योगिक मशीनरी, मशीन टूल, बिजली के उपकरण और इस्पाती ढलाई उद्योगों में विविधीकरण करने के लिए विशेष सुविधाएं दी हैं। तदनुसार इस अनुसूचित उद्योगों के अन्तर्गत आने वाली एक अथवा एक से अधिक वस्तुओं का निर्माण करने के लिए वर्तमान में लाइसेंस प्राप्त कोई औद्योगिक उपक्रम उन्हीं अनुसूचित उद्योगों के अधीन आने वाली अन्य वस्तुओं का निर्माण करने का पात्र होगा। औद्योगिक मशीनरी और मशीनी औजारों के निर्माता भी दोनों अनुसूचित उद्योगों में से किसी एक के अधीन आने वाली किसी अन्य वस्तु का निर्माण करने के हकदार हैं। इस प्रकार के विविधीकरण करने की अनुमति वर्तमान कुल लाइसेंस प्राप्त क्षमता के अन्तर्गत ही दी जाती है बशर्ते कि विविधीकरण की जाने वाली वस्तु

लघु क्षेत्र के लिए सुरक्षित वस्तुओं की सूची में न आती हो। ऐसे मामलों में आवश्यक स्वीकृति देने के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों को प्राधिकृत किया गया है और उनको औद्योगिक स्वीकृतियों के लिए विहित प्रणाली को अपनाना आवश्यक नहीं होगा। कार्य जारी रखने के आवेदनों का निपटान करने की प्रणाली को भी ऐसे आवेदनों को निपटाने के लिए लाइसेंस समिति को सूचना देने के अधीन प्रशासनिक मंत्रालयों को प्राधिकृत करके हाल ही में सरल बना दिया गया है। कच्चा माल केवल लाइसेंस प्राप्त एककों को ही नहीं उपलब्ध कराया जाता है अपितु नीति और सम्बद्ध नियमों और विनियमों के अनुसार अन्य पंजीकृत और लघु एककों को भी उपलब्ध कराया जाता है।

(ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 12(1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को औद्योगिक लाइसेंस को प्रतिसंहरण करने का अधिकार है यदि कोई लाइसेंस धारी उचित कारण बताए बिना नए औद्योगिक उपक्रम की, जिसके लिए लाइसेंस दिया गया हो को निश्चित समय अथवा किसी मामले में बढ़ाई गई समय सीमा के अन्दर स्थापना करने में असफल रहा हो अथवा स्थापित करने के लिए कारगर कदम न उठा सका हो।

पहाड़ी राज्यों/क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत ढांचा बनाना

8980. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने वर्ष 1966 में आयोग द्वारा पता लगाए गए पहाड़ी राज्यों/क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत ढांचा बनाने हेतु कोई नीति निर्धारित की ह ; और

(ख) यदि हां, तो इस नीति की मुख्य बातें क्या हैं और क्या पहाड़ी राज्यों/क्षेत्रों को चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए कोई विशेष नियतन किया गया है:——

(एक) कृषि (बागवानी और वनों के विकास सहित)

(दो) परिवहन और संचार (रेलवे, दूरसंचार और फील्ड पब्लिसिटी)

(तीन) औद्योगिक विकास (दस्तकारी सहित)

(चार) सिंचाई और विद्युत (ग्राम विद्युतीकरण सहित)

(पांच) पर्यटन

(छः) शिक्षा तथा अन्य समाज सेवाएं

(सात) सिंचाई परियोजना स्थलों से निष्क्रान्त व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याण योजनाएं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 9662/75]

ब्रांच आफिसों का विभागीय सब-आफिसों के रूप में दर्जा बढ़ाया जाना

8981. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोस्ट मास्टर जनरल, अम्बाला ने हिमाचल प्रदेश की स्थानीय पंचायतों द्वारा एन० आर०सी० की पेशकशों के आधार पर विभागीय सब-आफिसों के रूप में बहुत से ब्रांच आफिसों का दर्जा बढ़ाने की स्वीकृति दे दी थी ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974 में ऐसे कौन-कौन से मामलों की स्वीकृति दी गई ;

(ग) क्या डाक तथा तार महानिदेशक ने एन० आर०सी० के भुगतान पर भी ऐसे सभी ब्रॉंच आफिसों का दर्जा बढ़ाये जाने पर रोक लगाते हुए दिसम्बर, 1974 में एक परिपत्र जारी किया था और पंचायतों द्वारा एन० आर०सी० एकत्रित किये जाने के बावजूद पोस्ट मास्टर जनरल ने दर्जा बढ़ाने की कार्यवाही को रोक दिया था ;

(घ) यदि हां, तो इस कार्यवाही से लोग इस पर्वतीय राज्य के विकास में योगदान देने से हतोत्साहित हो गए हैं और उनमें गंभीर निराशा उत्पन्न हुई है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उन सभी मामलों में दर्जा बढ़ाने की अनुमति दी जायेगी जिनमें दर्जा बढ़ाये जाने की स्वीकृति दे दी गई थी और लोगों ने एन० आर० सी० एकत्रित कर ली थी ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) :(क) से (ङ) पोस्टमास्टर जनरल अम्बाला ने चन्दे की रकम जमा कराने के आधार पर निम्नलिखित विभागेत्तर डाक घरों का दर्जा बढ़ाकर विभागीय उप-डाकघर बनाने की स्वीकृति दे दी थी।

1. रेल	2. कुठेरा
3. टिहरी	4. सलौह
5. नीथर	6. नयना देवी
7. घनारूई	8. थाठल
9. गोंदपुर बनेरा	10. कोटली
11. लांज	12. भांवला

उपरोक्त में क्रम सं० 1 से 5 तक के डाकघरों का दर्जा बढ़ा दिया गया है और क्रम संख्या 6 के डाकघर का दर्जा बढ़ाने के लिए पोस्टमास्टर जनरल द्वारा आदेश जारी किए जा चुके हैं। क्रम सं० 7 से 12 वाले डाकघरों का दर्जा इसलिए नहीं बढ़ाया जा सका क्योंकि इसी बीच में, विभागेत्तर प्रणाली पर बनी कमेटी की सिफारिशों के परिणामस्वरूप दर्जा बढ़ाने के उद्देश्य के लिए काम के घंटों का हिसाब निकालने की पद्धति के बारे में सभी सर्किल अध्यक्षों को डाक तार महानिदेशालय ने एक स्पष्टीकरण जारी कर दिया था। इन संशोधित निर्देशों के अनुसार, कार्य-भार के आधार पर इन 6 डाकघरों का दर्जा बढ़ाने का औचित्य सिद्ध नहीं होता।

बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा जिलों में सार्वजनिक टेलीफोनों की मंजूरी

8982. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा जिलों में जिन स्थानों के लिए सार्वजनिक टेलीफोन की मंजूरी दी गई थी परन्तु जहां वे अभी तक स्थापित नहीं किए गए, उनके नाम क्या हैं ;

(ख) हिमाचल प्रदेश में उल्लिखित जिलों में कितने और किन स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन स्थापित करने के प्रस्ताव डाक तथा तार प्राधिकारियों के विचाराधीन हैं ;

(ग) उनकी मंजूरी कब तक दिए जाने की संभावना है ; और

(घ) क्या राज्य में दूर संचार की व्यवस्था संतोषजनक न होने के कारण इन सभी सार्वजनिक टेलीफोन को शीघ्र लगाने के लिए कोई प्राथमिकता दी जायेगी ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा जिलों के उन स्थानों के नाम नीचे दिए गए हैं जहां के लिए गत दो वर्षों में (1-4-73 से 31-3-75 तक) सार्वजनिक टेलीफोनों की मंजूरी दी गई किन्तु अभी तक खोले नहीं गए :

बिलासपुर :

1 झंडुत्ता

हमीरपुर :

1. भुरंज
2. बिझारी
3. आवा देवी
4. जाहु
5. डेविट सिद्ध
6. भरेरी

ऊना :

1. वंगाना

कांगड़ा :

1. नगरोटा सूरियां
2. लंवा गांव

(ख) हिमाचल प्रदेश के उपयुक्त जिलों के उन स्थानों के नाम नीचे दिये गये हैं जहां के लिए सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं:—

बिलासपुर :

1. स्वरघाट
2. जगत खाना

हमीरपुर :

1. दिदबिन
2. लदरौर

ऊना :

1. हरोली
2. नेहरो

कांगड़ा :

1. चनौर
2. दारंग
3. कोटल बह्र
4. खुदियां
5. टिहरी
6. तियारा
7. पाहडा
8. भदवार

(ग) सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के जो प्रस्ताव सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की नीति की शर्तों को पूरा करेंगे उनकी यथा समय मंजूरी दे दी जाएगी।

(घ) साधन सुलभ होने के आधार पर मंजूर किए गए सार्वजनिक टेलीफोन घर यथाशीघ्र खोल दिए जाएगें ।

विदेशी कम्पनियों का विलासिता की वस्तुएं बनाने के क्षेत्र में प्रसार

8983. **श्री शशि भूषण** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी मुद्रा (विनियम) अधिसूचना लागू होने के बाद की अवधि में प्राइवेट विदेशी कम्पनियों का विलासिता की वस्तुएं बनाने के क्षेत्र में प्रचार रोकने के लिए, जैसा कि निकोलस आफ इण्डिया ने 'एम्बी' कास्मेटिक्स, ब्रिस्टल मेयर ने 'मम' कास्मेटिक्स, चीजब्रू पोंड्स ने 'शैम्पू' चलाकर किया है सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की परिवीक्षा के अधीन आने वाली सभी फर्मों के कार्य-कलापों की रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा समीक्षा की जा रही है और वे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गये निर्देशक नियमों के प्रकाशन में अधिनियम के अधीन उपयुक्त कार्यवाही करेंगे ।

कोका कोला निर्यात निगम में निदेशक

8984. **श्री शशि भूषण** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को कोका कोला निर्यात निगम के प्रबन्ध निदेशक से अथवा कनिष्ठ अधिकारियों से कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत में कोका कोला निर्यात निगम के प्रबन्ध निदेशक सहित कुल कितने निदेशक हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) चूंकि यह मंत्रालय विभिन्न उद्योगों के लिये एक प्रशासनिक मंत्रालय है इसमें मैसर्स कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन सहित भिन्न-भिन्न कम्पनियों से विभिन्न विषयों पर अक्सर पत्र-व्यवहार होता रहता है ।

(ग) चूंकि भारत में कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन अमरीकन कम्पनी की एक शाखा है उसके भारत में कोई डाइरेक्टर नहीं हैं । कम्पनी की भारतीय शाखा में भारत स्थित कम्पनी के अधिकारी को ही (मेनेजिंग डाइरेक्टर) का पद दे दिया गया है, किन्तु वह कम्पनी के बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स का सदस्य नहीं है ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में आधुनिकतम मशीन औजारों का निर्माण

8985. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स अत्याधुनिकतम मशीन औजारों का, जिनका देश में कोई उपयोग नहीं है लेकिन इनकी विदेशों में मांग होने की सम्भावना है, निर्माण करने का कोई कार्यक्रम है; और

(ख) क्या इन औजारों का निर्माण करने सम्बन्धी नीतियों को सरकार ने स्वीकृति दी हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) किसी अनुसंधान प्रयास का उद्देश्य सम-सामयिक प्रौद्योगिकी, वाणिज्यक जीव्यता और उत्पादन शक्ति को बनाए रखना है । हिमटू के अनुसंधान प्रयास इन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित है ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् और रोज़गार कार्यालयों में दर्ज किये गये वैज्ञानिकों को नौकरियां देना

8986. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् और पूरे देश के रोज़गार कार्यालयों में दर्ज किये गये वैज्ञानिकों की संख्या में कोई वृद्धि हुई है, यदि हां, तो उनकी राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) गत दो वर्षों में वर्षवार, कितने वैज्ञानिकों को उपयुक्त नौकरियां दी गई हैं; और

(ग) शेष रह रहे वैज्ञानिकों को रोज़गार दिलाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) सूचना संलग्न है । (परिशिष्ट-I) । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 9663/75]

(ग) भारत सरकार शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगार सम्बन्धी समस्याओं से जागरूक है जिनमें वैज्ञानिक भी शामिल हैं और रोज़गार के सुअवसर उन्नत करने के लिये समय-समय पर कई उपाय करती आ रही है। इस दिशा में किये गये उपायों की एक सूची साथ में संलग्न है। (परिशिष्ट-**II**) [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 9663/75]

वर्ष 1975-76 में उड़ीसा के लिए धनराशि

8987. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार का विचार वित्तीय वर्ष 1975-76 में उड़ीसा को कितनी धनराशि देने का है; और

(ख) किन विकास परियोजनाओं पर यह धनराशि खर्च की जायेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) उड़ीसा की 89,25 करोड़ रुपये की स्वीकृत 1975-76 की वार्षिक योजना के लिये 32.70 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता आवंटित की गई है।

(ख) वार्षिक योजना 1975-76 के लिए 89.25 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय का क्षेत्रवार वितरण दर्शाते हुए एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 9664/75]

विकास परिषदों का पुनर्गठन

8988. **श्री भालजी भाई रावजी भाई परमार** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पिछड़े क्षेत्रों से भी उद्योगपतियों को शामिल करने हेतु तकनीकी विकास महानिदेशालय के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों से सम्बद्ध विकास परिषदों का पुनर्गठन करने का है;

(ख) क्या देश में महत्वपूर्ण उद्योगों पर विदेशी फर्मों का नियंत्रण है तथा इन विकास परिषदों पर विदेशी फर्मों के कूटनीतिज्ञों का नियंत्रण है; और

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इन परिषदों में अधिकांश प्रतिनिधि भारतीय कम्पनियों के हों ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) कुछ मुख्य उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषदों का गठन उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 और विकास परिषद् (कार्यविधिक) नियम, 1952 के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है। प्रत्येक परिषद् की संरचना इस प्रकार है कि इसमें इन्हें शामिल किया जा सके :

(क) उद्योग में उपक्रमों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम व्यक्ति।

(ख) उद्योग के तकनीकी अथवा अन्य पहलुओं सम्बन्धी मामलों की विशेष जानकारी रखने वाले व्यक्ति ।

(ग) उद्योग में लगे व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम व्यक्ति, और

(घ) उद्योग द्वारा बनाए गए अथवा उत्पादित माल की खपत करने वालों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम व्यक्ति ।

परिषदों के कार्यकाल समाप्त होने तक सरकार को इस प्रकार गठित परिषदों की संरचना पर पुनः विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में भर्ती तथा पदोन्नति नियम

8989. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के नई दिल्ली स्थित प्रबन्धकों ने मान्यता प्राप्त मजदूर संघ से परामर्श करके अपने भर्ती और पदोन्नति सम्बन्धी नियमों का अभी तक पुनरीक्षण नहीं किया है और प्रबन्धक पदोन्नति के मामलों में सभी स्तरों पर कर्मचारी-विरोधी नीति का पालन करते जा रहे हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के प्रबन्धकों ने, संसद तथा सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के ब्यूरो को दिये गये आश्वासनों के बावजूद सुस्पष्ट पदोन्नति नीति बनाने में टाल की है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त निगम के कर्मचारियों/श्रमिकों को उनके भविष्य सम्बन्धी अनिश्चितताओं से मुक्त करने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) से (ग) निगम के भर्ती और पदोन्नति नियमों का इसके निदेशक मण्डल द्वारा संशोधन किया जाता है तथा जब कभी आवश्यक होती है उपयुक्त मामलों में प्रबन्धकों द्वारा मान्यता प्राप्त श्रमिक संघों से भी परामर्श किया जाता है ।

देश में पेटेन्ट किये जाने वाले ब्रांड नामों और ट्रेड मार्कों का बन्द किया जाना

8990. **श्री भालजी भाई रावजी भाई परमार** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पेटेन्ट किये जाने वाले ऐसे ब्रांड नामों और ट्रेड मार्कों को बन्द करने का है जिनके लिये आम इस्तेमाल का कोई उत्पादन नहीं किया जाता है अथवा पार्टियों को औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिये जाते हैं और क्या 'बल्क' में उत्पाद-मिश्र तथा 'बल्क' के पेटेन्ट शामिल होते हैं तथा जिनसे विदेशी फर्मों को और अधिक छूट मिलती है भारतीय क्षेत्र के विकास में रुकावट आती है;

(ख) क्या सरकार का विचार हमारे देश के कानूनों के अन्तर्गत पेटेन्ट के प्रयोग और विदेशी फर्मों के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारों को रोक करके, जरा सी भी तकनीकी जानकारी दिये बिना भारतीय क्षेत्र की सहायता करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो भारतीय क्षेत्र की सहायता करने के लिये इस स्थिति का मुकाबला करने हेतु सरकार जो कार्यक्रम आरम्भ करना चाहेगी उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) आविष्कार के लिए पेटेन्ट की मंजूरी पेटेन्ट अधिनियम 1970 के उपबन्धों से शासित होती है तथा व्यापार चिन्हों का पंजीयन व्यापार और पण्य चिन्ह अधिनियम, 1958 के उपबन्धों से शासित होता है । कोई भी व्यक्ति जो पेटेन्ट लेता है वह आविष्कार की किस्म पर निर्भर करता है न कि इस आधार पर कि अन्तिम उत्पाद एक विपुल उत्पाद है अथवा मिश्रित या परिष्कृत उत्पाद है । फिर भी यह उल्लेख किया जा सकता है कि पेटेन्ट अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत केवल मिश्रण से प्राप्त पदार्थ जो उसके तत्वों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप बनता है अथवा ऐसे पदार्थ को उत्पादन करने की प्रक्रिया है, "इस अधिनियम के अधीन आविष्कार नहीं माना गया है । केवल परिष्करण अथवा एकत्र को तोड़ना तथा ऐसे तत्वों का विभाजन करना जिसमें कोई आविष्कार का कार्य आवश्यक न किया जाता पेटेन्ट प्राप्त करने के लिए ग्राह्य नहीं होगा । अग्रेतर अधिनियम की धारा 5 में यह व्यवस्था है कि खाद्य, औषधि या दवाई के रूप प्रयोग करने के लिए तैयार किए गए पदार्थों के आविष्कारों से सम्बन्धित मामलों में अथवा रासायनिक प्रक्रियाओं से उत्पादित मामलों में पेटेन्ट केवल निर्माण विधियों अथवा प्रक्रिया के लिए स्वीकार किए जाते हैं । दूसरे शब्दों में ऐसे पदार्थों के दावे पेटेन्ट में स्वीकृति नहीं दी जाती है । ऐसा नई निर्माण प्रक्रियाओं के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए तथा इस प्रकार रसायन एवं औषध उद्योग में अनुसंधान की गति को तेज करने की दृष्टि से किया गया है ।

दूसरी तरफ व्यापार चिन्ह एक ऐसा प्रतीक है जिसका उत्पादक अथवा व्यापारी अपने माल की पहचान के लिए तथा अपने प्रतिस्पर्धियों से उसे अलग रखने के लिए करता है । व्यापार चिन्ह और 'छाप' शब्द समानार्थक हैं । व्यापार और पण्य चिन्ह अधिनियम, 1958 के अधीन चिन्ह के अन्तर्गत साधन, छापा, शीर्षक, लेबल, टिकट, नाम, हस्ताक्षर, शब्द अक्षर या संख्या अथवा दोनों शामिल हैं । व्यापार चिन्ह इस प्रकार एक ऐसा साधन है जो खरीदार को उसकी मर्जी के मुताबिक वस्तु का चुनाव करने का अवसर प्रदान करता है । कोई निर्माता अथवा व्यापारी अपने व्यापार चिन्ह को पंजीय उस वस्तु के लिये करवा सकता है । वह उपयोग करता है अथवा जिसका उपयोग वह अपने व्यापार चिन्ह के रूप में करना चाहता है । व्यापार चिन्ह के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:--

(1) अपने प्रतिद्वन्दियों के माल से अपने माल को अलग रखना;

(2) गुणवत्ता, मानक, की गारन्टी देना तथा ग्राहकों के मस्तिष्क विशिष्ठता एवं समनुरूपता पैदा करना तथा उपभोक्ता की पसन्द तैयार करना ।

(3) विज्ञापन को सुविधाजनक बनाने की व्यवस्था करना तथा उत्पाद की बिक्री बढ़ाना पेटेन्टों को व्यापारिक स्तर पर अमल में लाने की बुराई का सामना करने तथा पेटेन्ट की गई वस्तुओं के आयात पर पेटेन्ट धारियों के एकाधिकार को रोकने के लिए अधिनियम में अनेक उपबन्धों की व्यवस्था है जैसे इस आधार पर कि पेटेन्ट किये गये आविष्कार से जनता की उचित आवश्यकताएं पूरी नहीं होती अथवा पेटेन्ट की गई वस्तु जनता को उपयुक्त

मूल्य पर सुलभ नहीं है, (धारा 84 द्वार) आवश्यक लाइसेंस प्रदान करना धारा 89 के अधीन पेटेन्टों का निरसन करना खाद्य, औषधियों और दवाइयों सम्बन्धी पेटेन्टों के मामलों में विशेष लाइसेंसीकरण उपबन्धों द्वारा रायल्टी आदि पर एक कानूनी सीमा निश्चित करना आदि, इसके अलावा पेटेन्ट धारियों को पेटेन्ट का विभिन्न प्रकार से दुरुपयोग करने से रोकने के लिए भी अधिनियम में व्यवस्था है। धारा 47 के अधीन सरकार किसी भी पेटेन्ट का अपने लिए उपयोग करने का अधिकार है तथा किसी भी औषधालय अस्पताल और अन्य चिकित्सा संस्थानों में वितरण के लिए वस्तुओं, जिनमें दवाइयां भी आती हैं आयात करने का अधिकार दिया गया है ताकि इस बात का सुनिश्चिय किया जा सके कि पेटेन्ट अधिकार के फलस्वरूप कमी की स्थिति अथवा मूल्य वृद्धि की स्थिति न पैदा होने पाये। आवश्यक होने पर सरकार अधिनियम की धारा 100 के अधीन किसी भी पेटेन्ट का उपयोग कर सकती है अथवा ऐसा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत कर सकती है सरकार के लिए किसी आविष्कार का उपयोग तक कहा जायेगा जबकि उसका उपयोग, इस्तेमाल केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी सरकारी उपक्रम द्वारा किया जाता है। किन्तु इस धारा का उपयोग ऐसी शर्तों के अनुसार किया जायेगा जो पार्टियों द्वारा उपयोग करने से पहले अथवा बाद में स्वीकार की गई शर्तों के अनुसार किया जाये। इस अधिनियम से सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह लोक हित में किसी भी पेटेन्ट को सीधे अधिग्रहण कर सकती है।

(ख) पेटेन्ट अधिनियम, 1970 द्वारा पेटेन्ट के आवेदक के लिए यह जरूरी है कि वह आविष्कार और इसके अमल में लाने या उपयोग अथवा वह पद्धति जिससे इसे पूरा किया जाना है, का पूर्ण और विशिष्ट विवरण दे तथा उसे कार्य रूप देने के लिए अपनाई गई सर्वोत्तम विधि बताये। अधिनियम की धारा 64(1) और (ज) के अधीन अपूर्ण विवरण देने के आधार पर पेटेन्ट का निरसन किया जा सकता है। अधिनियम के द्वारा आवेदक के लिए यह सुनिश्चत करना आवश्यक है आविष्कार का विवरण ऐसा है जिससे आविष्कार से सम्बन्धित कला के क्षेत्र में भारत की औसत कुशलता और औसत जानकारी रखने वाला व्यक्ति आविष्कार पर सफलता पूर्वक कार्य कर सकता है।

(ग) पहले से विद्यमान सभी कानूनी संरक्षणों को ध्यान में रखकर जैसा कि ऊपर बताया गया है, स्थिति से निपटने के लिए किसी नए कार्यक्रम को शुरू करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष को हटाना

8991. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, नई दिल्ली के मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ ने वर्तमान अध्यक्ष की छः वर्षों की अवधि में इस संगठन के कार्य-कलापों की नियन्त्रण करने की कथित असफलता को देखते हुए उन्हें हटाने की मांग की है और इस बारे में एक संकल्प सरकार को भेज दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार वर्तमान अध्यक्ष के उपयुक्त स्थानापन्न प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही करने का है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) इस संबंध में उल्लिखित एन०एस०आई०सी०/पी०टी०सी० कर्मचारी संघ की आम सभा में पारित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

(ख) उच्च पदासीन प्रशासकों की नियुक्ति अथवा सेवा की अवधि बढ़ाने संबंधी निर्णय सरकार द्वारा संबंधित उपक्रम के हित को ध्यान में रख कर लिए जाते हैं ।

पुस्तक प्रकाशित करने सम्बन्धी योजना

8992. **श्री वयालार रवि :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पांचवीं योजना में पुस्तक प्रकाशित करने सम्बन्धी योजना को अभी तक स्वीकृति नहीं दी है यद्यपि शिक्षा मंत्रालय ने इसे योजना में शामिल किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस महत्वपूर्ण योजना को स्वीकृति देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) योजना आयोग में इस प्रकार की कोई स्कीम विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कोका कोला कन्सेन्ट्रेट का ब्यौरा

8993. **श्री भालजी भाई रावजी भाई परमार :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अपने देशवासियों के हितार्थ किसी गुप्त एकस्व (पेटेन्ट) का प्रयोग करने का अधिकार है;

(ख) क्या कोका कोला का मूल्य अधिक है और बिक्री बहुत ज्यादा है; और

(ग) क्या सरकार अपने उपयोग और देश के हितार्थ प्रयोग के लिये कोका कोला कंन्सेन्ट्रेट का ब्यौरा प्राप्त करेगी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) कोका कोला कन्सेन्ट्रेट (सान्द्रण) का उत्पादन प्राथमिकता उद्योग के अन्तर्गत नहीं आता तथा जनहित में इसका उत्पादन अपने हाथ में लेने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की किराया खरीद योजना के स्थान पर पुनर्वित्त सम्बन्धी योजना

8994. **श्री भालजी भाई रावजी भाई परमार :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की वर्तमान किराया खरीद योजना के स्थान पर पुनर्वित्त सम्बन्धी योजना बनाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो बीस वर्षों से राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में कार्य कर रहे कर्मचारियों के रोजगार और भविष्य पर इस योजना का क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के कर्मचारियों को रोजगार देने के प्रश्न पर विचार किया गया है और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ इस पर विचार-विमर्श हुआ है और यदि हां, तो क्या कर्मचारियों में व्याप्त निराशा और अनिश्चितता की स्थिति को दूर करने के लिये मान्यता प्राप्त कार्मिक संघों को कोई आश्वासन दिये गये हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा): (क) से (ग) सरकार ने इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है ।

आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों द्वारा देर से घर जाने वाले तथा घर से जल्दी आने वाले कलाकारों को परिवहन देने के बारे में अभ्यावेदन

8995. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया रेडियो स्टाफ आर्टिस्ट यूनियन ने सरकार को एक अभ्यावेदन दिया है जिसमें उन कलाकारों को, जो रात्रि के 9 बजे के बाद घर जाते हैं तथा जो प्रात: 6 बजे कार्यालय आते हैं, परिवहन सुविधा देने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं । तथापि, स्टाफ आर्टिस्ट अपने निवास स्थान से रेडियो स्टेशन तक जाने और वापस जाने के लिये परिवहन सुविधा के पात्र हैं, यदि उन्हें ऐसे समय ड्यूटी पर जाना पड़ता है जब सार्वजनिक परिवहन सेवा सामान्यतः उपलब्ध नहीं होती ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आकाशवाणी के उद्घोषकों की वरीयता सूची

8996. **श्रीमती पार्वती कृष्णन**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों से आकाशवाणी के उद्घोषकों को वरीयता सूची तैयार की जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं; और तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) यह वरीयता सूची कब तक पूरी ही जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) आकाशवाणी के उद्घोषकों की वरीयता सूचियां प्रत्येक जोन के लिए निर्दिष्ट केन्द्रों के प्रमुखों द्वारा भाषा जोन के आधार पर रखी जाती हैं । वरीयता सूचियां संबंधित केन्द्रों द्वारा 1974 के आरम्भ में तैयार की गई

थीं और प्रत्येक जोन के उद्घोषकों में सर्कुलेट की गई थी और उन से आपत्तियां और अभ्यावेदन, यदि हों, मांगे गए थे । उनके अभ्यावेदनों, यदि कोई हों, पर विचार करने के बाद अनन्तिम वरीयता सूची को अंतिम रूप दिया जायेगा ।

(ग) केन्द्रों को निदेश दिए गए हैं कि वे वरीयता सूचियों को जून 1975 के अन्त से पहले अंतिम रूप दे दें ।

आकाशवाणी रांची में 'ड्रामा प्रोड्यूसर' के पद को भरना

8997. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा आकाशवाणी रांची में 'ड्रामा प्रोड्यूसर' के पद को कब तक भरे जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मबीर सिंह) : आकाशवाणी रांची में 'ड्रामा प्रोड्यूसर' के पद के जून, 1975 के मध्य तक भरे जाने की संभावना है।

कोका कोला कन्सेन्ट्रेट का उत्पादन

8998. **श्री नानूभाई एन० पटेल** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोका कोला निर्यात निगम भारत में कोका कोला कन्सेन्ट्रेट बनाने की अनुमति दी गई थी बशर्ते कि उत्पादन की मात्रा इतनी हो कि बोतलें भरने वाले उनके वर्तमान चार सयंत्रों की आवश्यकताएं पूरी हो सकें ;

(ख) क्या वे अब देश में कन्सेन्ट्रेट बना कर बोतलें भरने वाले 21 संयन्त्रों को सप्लाई कर रहे हैं और यदि हां, तो क्या यह सरकार की अनुमति का उल्लंघन नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, हां प्रारंभ में ।

(ख) जी, हां, इन कार्यकलाओं को समय-समय पर सरकारी स्वीकृतियों के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है, इसमें कोई भी उल्लंघन नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम में त्रुटियां

8999. **श्री नानूभाई एन० पटेल** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम में नियुक्त किए गए कर्मचारियों की संख्या विभिन्न एककों द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों की परिभाषा गलत ढंग से

करने तथा ऋण लाइसेंस व्यवस्था द्वारा पूंजी की रकम को रोकने के मामले में कुछ दोषों का पता चला है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार लघु क्षेत्र में कार्य कर रही कुछ विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा किए गए चार करोड़ रुपये के विशाल व्यवसाय को किस प्रकार उचित ठहरायेगी; और

(ग) क्या इन कम्पनियों ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के दोषों का पूरा लाभ उठाया है और यदि हां, तो क्या इन दोषों को दूर करने का कोई प्रस्ताव है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग) भारत सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 में इसके अधिनियमित होने के बाद प्राप्त अनुभवों के आधार पर चालू औद्योगिक और आर्थिक स्थिति का पूर्ण ध्यान रखते हुए अधिनियम में संशोधन करने का निश्चय किया है । ये प्रस्ताव विचाराधीन है ।

अधिनियम का संशोधन करने के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय सरकार यदि आवश्यक हुआ तो "फैक्टरी" की परिभाषा करते समय अपेक्षित कर्मचारियों की संख्या सम्बन्धी विद्यमान उपबन्धों के संशोधन पर भी समुचित विचार करेगी ।

राष्ट्रीयकृत कोयला खानों का कार्यकरण

9000. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत सी राष्ट्रीयकृत कोयला खानों का कार्यकरण ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन कोयला खानों को कार्यशील न बनाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं । भण्डार समाप्त हो जाने पर कुछ छोटी खादानों को बन्द कर दिया गया था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा शुरू की गई परियोजनायें

9001. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा शुरू की गई उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो चालू वर्ष में पूरी हो जायेंगी ;

(ख) इस वर्ष कौन सी नई परियोजनायें आरम्भ करने का प्रस्ताव है और इससे पूर्व निर्धारित की गई वे परियोजनायें कौन सी हैं जिन्हें अब छोड़ दिया गया है ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप नई परियोजनाओं के लिये कितनी राशि उपलब्ध कराई जायेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) सी०एस०आई०आर० की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की गतिविधियों का स्वरूप निरंतर चलने वाला और गतिशील है । तदर्थ परियोजनाएं वर्ष के दौरान बन्द की जा सकती हैं लेकिन सामान्य रूप से परियोजनाएं 3—5 वर्ष के अंतर्गत पूर्ण की जाती हैं । आमतौर पर सी०एस०आई०आर० के वार्षिक प्रतिवेदनों में इसकी सूचना दी जाती है । ये प्रतिवेदन संसद के सम्मुख रखे जाते हैं । सी०एस०आई०आर० का वार्षिक प्रनिवेदन 1972 और 1973 वर्ष के लिये 11 दिसम्बर 1974 के दिन लोक सभा के सभा पटल पर रखा गया था ।

(ग) निरंतर चलने वाली परियोजनाओं के नवीन तथ्यों और नवीन परियोजनाओं के लिये योजना आयोग ने वर्ष 1975-76 के दौरान 13 करोड़ रुपये की धनराशि आंबंटित करने के लिये सहमति प्रदान कर दी है ।

"हमारे देश के जीवन में टेलीविज़न की भूमिका" के बारे में 'पेनल' -- विचार-विमर्श

9002. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गत जनवरी में इंस्टीट्यूशन आफ इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलिकम्यु-निकेशन द्वारा पूना में आयोजित "हमारे देश के जीवन में टैलीविजन की भूमिका" के बारे में हुए "पैनल" विचार विमर्श की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस गोष्ठी में यह राय व्यक्त की गई थी कि टलीविजन का उपयोग सामाजिक परिवर्तन के लिये एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में किया जाना चाहिये और यह भी कहा गया कि इस समय हमारे टेलीविजन से सामाजिक कर्तव्य पूरा नहीं हो पा रहा है; और

(ग) उपरोक्त आलोचना को ध्यान में रखते हुए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) अनेक वक्ताओं द्वारा विविध विचार व्यक्त किये गये थे जो मुख्यतया इस बार में थे कि जन शिक्षा, ग्रामीण सुधार और सामाजिक परिवर्तन के लिये टेलीविजन सेवा का विस्तार समस्त देश में करना आवश्यक है ।

(ग) सरकार इस विचार को स्वीकार करती है और उपलब्ध संसाधनों के अन्दर शैक्षणिक और विकास संबंधी उद्द्श्यों के पूर्ति में सहायता करने हेतु ग्राउंड बैस्ड और सेटलाइट टेलीविजन का प्रयोग करने के लिये पूरा प्रयास कर रही है ।

गोआ में सार्वजनिक टेलीफोन तथा डाकघर

9003. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गोआ में कुल कितने सार्वजनिक टेलीफोन घर हैं; और

(ख) कितने स्थानों में डाकघर खोले जाने की मांग विचाराधीन है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) गोवा में लम्बी दूरी के 14 सार्वजनिक टेलीफोन घर काम कर रहे हैं।

(ख) गोश्रा में डाकघर खोलने के लिये जनता की कोई मांग विचाराधीन नहीं पड़ी है।

वर्ष 1975-76 की योजना के लिए गोश्रा के लिए धनराशि

9004. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1975-76 में गोश्रा को कितनी धनराशि देने का प्रस्ताव है; श्रौर.

(ख) किन विकास परियोजनाश्रों पर यह धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) गोश्रा, दमण तथा दीव की वार्षिक योजना 1975-76 के लिये 11.50 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता श्रावंटित की गई है। वार्षिक योजना का कुल श्राकार 12.97 करोड़ रुपये का है।

(ख) 12.97 करोड़ रुपये का क्षेत्रवार वितरण संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०9665/73]

प्रथम श्रेणी के सेवा-निवृत केन्द्रीय श्रधिकारी को रिटेनर बेसिस पर वकालत करने की श्रनुमति

9005. **श्री मोहन राज :** क्या प्रधान मंत्री प्रथम श्रेणी के सेवा-निवृत्त केन्द्रीय सरकार के श्रधिकारी द्वारा रिटेनर बेंसिस पर वकालत करने हेतु सरकार की पूर्वानुमति लिये जाने की श्रावश्यकता के बारे में 19 मार्च, 1975 के श्रतारांकित प्रश्न संख्या 4006 के उत्तर के संबंध में प्रथम श्रेणी के ऐसे सेवा-निवृत्ति श्रधिकारी को जिसके पास रिटेनर बेसिस पर या श्रन्यथा सरकार की श्रनुमति लिये बिना सेवा-निवृत्त के दो वर्षों के श्रन्दर वकालत/श्रायकर/बिक्री कर संबंधी कार्य करने के लिये लॉ डिग्री श्रथवा श्रन्य व्यावसायिक श्रर्हता नहीं है, श्रनुमति देने हेतु जारी किये गये सरकार के श्रादशों की प्रति सभा-पटल पर रखेंगे ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक श्रौर प्रशासनिक सुधार विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्रोम मेहता) : सरकार द्वारा ऐसे कोई विशेष श्रादेश जारी नहीं किये गये हैं, जिनमें प्रथम श्रेणी के ऐसे सेवा निवृत्त श्रधिकारी को, जिसके पास कानून की डिग्री श्रथवा श्रन्य व्यावसायिक श्रर्हता न हो श्रपनी सेवा निवृत्ति के दो वर्षों के भीतर रिटेनर बेसिस पर, श्रथवा श्रन्यथा भी सरकार की श्रनुमति लिये बिना ही कानून/श्रायकर/बिक्री-कर संबंधी प्रेक्टिस करने की श्रनुमति हो। यदि ऐसे मामले जिनके बारे में प्रेक्टिस श्रारम्भ करनी है, श्रथवा की गई है, उसके सरकारी ज्ञान श्रथवा श्रनुभव से संबंधित हैं श्रथवा जिनमें सरकार के कार्य-लयों श्रथवा श्रधिकारियों से सम्पर्क/संबंध रखना पड़ता है तो केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम 1972 के नियम 10 के श्रनुसार प्रथम श्रेणी के ऐसे सेवा निवृत्त श्रधिकारी द्वारा जिसके पास कोई व्यावसायिक श्रर्हता नहीं है, स्वतंत्र रूप से श्रथवा किसी फर्म के साझेदार के रूप में प्रेक्टिस श्रारम्भ करना व्यावसायिक रोजगार माना जायेगा, जिसके लिये सेवा निवृत्त होने के दो वर्षों के भीतर सरकार से पूर्व श्रनुमति लेना

आवश्यक होगा। यदि ऐसे मामलों का संबंध, जिनके सम्बन्ध में प्रेक्टिस आरम्भ की जानी है अथवा की गई है, उसके सरकारी ज्ञान अथवा अनुभव से नहीं है अथवा उनमें सरकार के कार्यालयों अथवा अधिकारियों के साथ संबंध/सम्पर्क नहीं रखना पड़ेगा, तो किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 10 तथा 11 की एक प्रति संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 9666/75]

Applications for Telephone Connections in Madhya Pradesh

9006. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of applications received for new telephone connections in Madhya Pradesh after April, 1973 ; and

(b) the time by which the demand for new telephone connections will be fully met ?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (a) 6968 :

(b) Efforts are being made to expand the telephone systems to meet the pending demands to the maximum possible extent as early as possible within the available limited resources. The existing demand for new telephone connections in most of the exchanges in Madhya Pradesh is likely to be met during the current Five-Year plan.

Closure of Factories due to shortage of Coal in Madhya Pradesh

9007. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether there is acute shortage of coal in Madya Pradesh as a result of which a number of factories have been closed down there; and

(b) if so, the action being taken to improve coal supply to Madhya Pradesh ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

मध्य प्रदेश में 'बोटोनिकल गार्डन' की स्थापना

9008. **श्री गंगा चरण दीक्षित :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने 'बोटोनिकल गार्डन' लगाने संबंधी एक योजना केन्द्र को पेश की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की रूपरेखा क्या है; और

(ग) योजना के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

वेंस्टिंग हाउस ट्रेडिंग कारपोरेशन (एशिया) लिमिटेड के वाइस-प्रेसीडेन्ट, श्री जान ड्रोबट के विरुद्ध आरोप

9009. **श्री शंकरराव सावन्त :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के स्वामित्व वाली वैस्टिग हाउस ट्रेडिंग कारपोरेशन (एशिया) लिमिटेड के वाइस-प्रेसीडेन्ट, श्री जान ड्रोबट जमानत का उल्लंघन कर गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या है और उनके विरुद्ध क्या आरोप हैं;

(ग) जमानत की राशि कितनी है, उनके जमानतियों के नाम क्या हैं और उनके वैटिंग हाउस ट्रेडिंग कारपोरेशन से क्या संबंध है; और

(घ) उन्हें भारत वापस लाने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जमानत की राशि 50,000 रुपये की है, जिसमें 25,000 रुपये के दो अलग अलग जमानती हैं। जमानत देने वाले व्यक्तियों के नाम श्री वी० श्रीनिवासन और श्रीमती एम० हैरिस हैं। वे मैसर्स वेंस्टिग हाउस ट्रेडिंग कम्पनी (एशिया) लिमिटेड के कर्मचारी हैं।

(घ) जमानत की राशि के समपहरण के लिये कार्रवाई की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय जो संबंधित अभिकरण है संगत कानूनों के अधीन ऐसी अन्य वैध कार्रवाई करने पर विचार करेगा जो व्यवहार्य हो।

विवरण

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा श्री जान ड्रोबट को 3 अगस्त, 1974 को गिरफ्तार किया गया था और उसे अपर मुख्य मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट नई दिल्ली के समक्ष पेश किया गया था। मजिस्ट्रेट ने 50,000 रुपये के व्यक्तिगत बाण्ड तथा 25000 रुपये की दो अलग-अलग जमानतें प्रस्तुत करने पर उसकी रिहाई का आदेश दिया था। जमानत पेश न करने पर उसे तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में रखने का रिमाण्ड दिया गया तथा उसे फिर 5 अगस्त, 1974 को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया।

2. प्रवर्तन निदेशालय ने न्यायालय से अनुरोध किया था कि (1) जमानत की धनराशि में वृद्धि की जाये, (2) मामले के निपटान होने तक श्री जान ड्रोबट के पास-पोर्ट को न्यायालय की अभिरक्षा में रखा जाये, (3) उन्हें निदेश दिया जाये कि वे न्यायालय की अनुमति के बिना न्यायालय की अधिकारिता के क्षेत्र से बाहर न जायें (4) उन्हें निदेश दिया जाये कि वे अपना स्थानीय पता तथा समय-समय पर पते में होने वाले परिवर्तन की भी सूचना दें, और (5) प्रवर्तन निदेशालय तथा आय-कर प्राधिकारियों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें मिल सकें। श्री जान ड्रोबेट अपने पास-पोर्ट तथा अन्य दस्तावेजों के सौपने और अन्य शर्तों का पालन करने के लिये भी सहमत हो गये थे। इस पर न्यायालय ने 50,000 रुपये के व्यक्तिगत बाण्ड पेश करने तथा 25,000 रुपये की दो अलग-अलग जमानतें दिये जाने पर उसे रिहा कर दिया तथा उसे आदेश दिया कि न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र छोड़ने से पहले न्यायालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करें।

3. श्री ड्रौबेट के विरुद्ध मामले, जिसके एक अंश की सुनवाई हो पाई थी, न्यायनिर्णय होने से पहले और न्यायनिर्णयन संबंधी आदेशों के पास होने से पहले ही न्यायालय की अनुमति लिये बिना ही जबकि वह अभी जमानत पर थे, देश छोड़कर चले गये।

4. इस मामले के संबंध में आठ कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं, जिनमें से पांच श्री ड्रौबेट, दो श्री ड्रौबेट और वेस्टिंग हाउस ट्रेडिंग कम्पनी (एशिया) लिमिटेड और एक कम्पनी को जारी किया गया है। कारण बताओ नोटिसों में श्री ड्रोबेट पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 4(1), 4(2), 5(1)(क), 5(1)(ङ) (1) और धारा 9 के उल्लंघन के आरोप लगाये गये हैं। उन पर और मैसर्स वेस्टिंग हाउस ट्रेडिंग कम्पनी (एशिया) लिमिटेड पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 5(1)(ग) और 10(1) के उल्लंघन के आरोप हैं और कम्पनी पर अधिनियम की धारा 10 के उल्लंघन का आरोप है।

पूर्व योरोपीय देशों के साथ दूर संचार सम्पर्क स्थापित करना

9010. श्री वरके जार्ज: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार सोवियत संघ से अन्य पूर्व योरोपीय देशों के साथ नये दूरसंचार सम्पर्क स्थापित करने का है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा): भारत और रूस के बीच प्रस्तावित नये ट्रोपो-स्केटर दूरसंचार सम्पर्क के बारे में आवश्यक तकनीकी-आर्थिक और परियात की संभाव्यता का अध्ययन किया जा रहा है। इसमें रूस के साथ दूर सम्पर्क रखने वाले पूर्वी यूरोप और अन्य देशों के दूरसंचार परियात के निपटान के लिये आवश्यक तकनीकी क्षमता होगी। प्रस्तावित सम्पर्क के इस प्रकार से विस्तार के बारे में, रूस और सम्बद्ध अन्य देशों के साथ किये जाने वाले भावी करारों के अधीन, यथा-समय विचार किया जायेगा।

उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में नमक का उत्पादन

9011. श्री समर गुह: क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में नमक के उत्पादन और वर्तमान नमक उत्पादन में वृद्धि करने की संभावनाओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इन सम्भावनाओं का पता न लगाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या राज्य के तटवर्ती क्षेत्र में ऐसी क्षमतायें विद्यमान हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) से (घ) उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार के सभी नमक क्षेत्रों को नमक का उत्पादन करने के लिये दे दिया गया है। उड़ीसा सरकार ने बताया है कि राज्य में नमक का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से वे सेन्ट्रल साल्ट एण्ड मैरिन केमिकल इन्स्टीट्यूट, भावनगर के परामर्श से समुद्र तटीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण करा रही है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने के पश्चात् नए क्षेत्रों को नमक उत्पादन के लिये ले लिया जायेगा तथा नमक का उत्पादन करने वाले वर्तमान एककों का उनका क्षेत्र बढ़ाकर तथा नमक उत्पादन के लिये वैज्ञानिक तरीके

अपना कर विस्तार किया जायेगा। उड़ीसा सरकार द्वारा अपेक्षित सभी प्रकार की तकनीकी सहायता नमक विभाग द्वारा प्रदान की जा ही है। उड़ीसा की जलवायु बड़े पैमाने पर नमक उत्पादन करने के अनुकूल नहीं है फिर भी वास्तविक क्षमता का पता सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद ही लगेगा।

विशिष्ट परियोजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि को अन्य कार्यों पर लगाया जाना

9012. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क). क्या सरकार ने पांचवीं योजना में आदिवासी विकास परियोजना तथा पिछड़े क्षेत्र विकास जैसी विशिष्ट परियोजनाओं के लिये निर्धारित धनराशि को अन्य कार्यों पर व्यय न करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या परियोजनाओं के लिये नियत धनराशि के व्यपगत हो जाने के भय से धनराशियों को सामान्यतया दूसरे कार्यों पर लगा दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या निर्धारित धनराशि समय बाधित अवधि में खर्च की जायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या खर्च न की गई राशि भविष्य की योजना के लिये आरक्षित रखी जायेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) : पांचवीं योजना के सन्दर्भ में विशिष्ट परियोजनाओं, जिनमें आदिवासी विकास परियोजनायें भी शामिल हैं, के लिये धन निर्धारित करना, निर्धारित धन को अन्य कार्यों पर न लगाना इत्यादि से संबंधित मुद्दों को राष्ट्रीय विकास परिषद् के समक्ष निर्णय करने के लिये प्रस्तुत किया जायेगा।

• केन्द्रीय सहायता प्रदान करने की वर्तमान कार्यप्रणालियों, जो कि चौथी योजना में भी प्रचलित थीं, के अधीन संबंधित राज्यों की वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिये परिव्यय निर्धारित किया जाता है :--

(1) पशुपालन और डेरी उद्योग ?

(2) कृषि और सम्बद्ध सेवाओं का पूरा कार्यक्रम।

(3) सहकारिता।

(4) विशिष्ट सिंचाई और बिजली परियोजनायें।

(5) इस क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से भिन्न प्रारंभिक शिक्षा।

(6) राज्यों की स्वीकृत वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिये कुल परिव्यय के साथ-साथ राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन सभी कार्यक्रम, अर्थात्--ग्रामीण बिजलीकरण, ग्रामीण सड़कें, प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामीण जलापूर्ति, भूमिहीन श्रमिकों के लिये आवास स्थल, गन्दी बस्तियों के पर्यावरण में सुधार तथा पोषाहार।

(7) पर्वतीय क्षेत्र की योजनायें।

परिव्ययों का निर्धाण इस तर्क पर किया जाता है कि विशिष्ट परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिये निर्धारित धनराशि की योजना आयोग की अनुमति के बिना विकास के अन्य क्षेत्रों पर न लगाया जाय

श्रौर निर्धारित धनराशि को सम्बद्ध वार्षिक योजनावधि के भीतर ही उन्हीं कार्यों पर खर्च किया जाये जिनके लिये उसे रखा गया है। आदिवासी विकास परियोजनाओं और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये इस समय परिव्ययों का निर्धारण नहीं किया गया है।

(ग) श्रौर (घ) : राज्यों की स्वीकृत वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत विशिष्ट स्कीमों/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिये निर्धारित परिव्ययों को संबंधित वार्षिक योजनावधि के भीतर ही खर्च किया जाना है। किसी भी अनखर्ची राशि को अगली वार्षिक योजनावधि में शामिल नहीं किया जाता है।

ग्राम खपत की वस्तुओं की फुटकर बिक्री की एजेंसी सहकारी समितियों को देना

9013. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या केन्द्रीय नागरिक पूर्ति विभाग द्वारा जिसमें ग्राम खपत की वस्तुओं के वितरण की रूपरेखा पहले ही तैयार कर ली है, प्रस्तावित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में फुटकर बिक्री एजेंसियों का कार्य प्रमुख रूप से सहकारी समितियों को दिया जायेगा;

(ख) क्या सहकारी संगठनों को इस प्रकार तैयार किया गया है कि वह उपभोक्ताओं की पूर्ण संतुष्टि कर सकें; और

(ग) यदि हां, तो इस तैयारी संबंधी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) व (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(ख) और (ग) : हमारी उपभोक्ता-मुखी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसका विस्तार हो रहा है, में सहकारी सोसाइटियों को महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। वर्तमान शहरी उपभोक्ता सहकारी आंदोलन में एक राष्ट्रीय परिसंघ, 14 राज्य-स्तरीय परिसंघ 13150 प्राथमिक सोसाइटियां, जिनकी 2000 शाखाएं हैं, 400 थोक/केन्द्रीय भण्डार, जिनकी 2300 शाखाएं हैं और 135 बहु-विभागी भंडार हैं। इन सहकारी सोसायटियों के अन्तर्गत वास्तव में वे सभी जिले आ जाते हैं जिनकी शहरी आबादी 50,000 और उससे अधिक है। शहरी क्षेत्रों में आम जनता के बीच गठित की गई उपभोक्ता सहकारी सोसाइटियों के अलावा, औद्योगिक तथा खान मजदूरों और रेलवे, डाक व तार तथा दूसरे सार्वजनिक व निजी उपक्रमों के कर्मचारियों में अलग उपभोक्ता सहकारी सोसायटियां गठित की गई हैं। 1-3-1973 को 300 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले 5065 प्रतिष्ठानों में से 2413 में सहकारी भंडार थे और 1146 प्रतिष्ठानों में से उचित मूल्य की दुकाने थीं। खान मजदूरों के लिये 13 थोक और बहुत से प्राथमिक भंडार कोयला और अबरक खान मजदूर कल्याण निधि में से दी गई सहायता से खोले गये हैं। ग्रामीण इलाकों में लगभग 27,800 सेवा सहकारी सोसायटियां और लगभग 1530 विपणन सहकारी सोसायटियां उपभोज्य वस्तुओं का वितरण करती हैं। ग्रामीण इलाकों में ये सहकारी सोसायटियां लगभगग 46,000 उचित मूल्य की दुकानें चला रही हैं। वर्ष 1974-75 में दोनों शहरी और ग्रामीण इलाकों में सहकारी सोसायटियों द्वारा कुल 650 करोड़ रु० के मूल्य की उपभोज्य वस्तुओं (लगभग 290 करोड़ रु० की ग्रामीण इलाकों में और 360

करोड़ रु० की शहरी इलाकों में) का व्यापार किये जाने की उम्मीद है। इस राशि को पांचवीं योजना के अंत तक 1,000 करोड़ रु० (लगभग 400 करोड़ रु० ग्रामीण इलाकों में और 600 करोड़ रु० शहरी इलाकों में) तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। सहकारी सोसायटियां राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ द्वारा समन्वित किये जा रहे प्रबंधों के अन्तर्गत नियंत्रित कपड़े के उत्पादन का 90 प्रतिशत भाग वितरित कर रही हैं। अप्रैल, 1974 से मार्च, 1975 तक लगभग 28,000 खुदरा निकासों, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के 21,000 से अधिक खुदरा निकास भी शामिल हैं, के माध्यम से 93 करोड़ रु० के मूल्य का नियंत्रित कपड़ा वितरित किया गया।

2. राष्ट्रीय, राज्य, जिला और प्राथमिक स्तरों की सहकारी सोसायटियों को और सहायता देने तथा मजबूत बनाने का प्रस्ताव है, ताकि वे आवश्यक वस्तुओं के वितरण में अधिकाधिक जिम्मेदारी सम्भाल सकें। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि जहां तक संभव हो, नई उचित मूल्य की दुकानें सहकारी सोसायटियों को आवंटित की जायें और उन्हें सभी आवश्यक वस्तुएं रखने की इजाजत दी जाये। संगठित औद्योगिक क्षेत्र में चुनी उपभोज्य वस्तुओं के उत्पादन का विशिष्ट प्रतिशत सहकारी सोसायटियों के माध्यम से वितरित करने के लिये निर्धारित कराने हेतु भी कदम उठाये गये हैं। उपभोक्ता सहकारी सोसायटियों की गतिविधियों को विपणन तथा प्रोसेसिंग सोसायटियों की गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है, ताकि उपभोक्ताओं को कृषि पदार्थ लाभकर मूल्यों पर आसानी से मिल सकें। उपभोक्ताओं और विपणन सहकारी सोसायटियों के राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय परिसंघों को भी सलाह की जा रही है वे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाये रखने में सहायता देने के लिये समन्वित प्रबन्ध करें।

3. पांचवीं योजना में उपभोक्ता सहकारी सोसायटियों के विकास का कार्यक्रम राज्य, केन्द्रीय प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्रों में होगा। केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत (क) नये बहु-विभागी भण्डार और खुदरा निकास खोलने, जिसमें विकास की सम्भाव्यता रखने वाली उपभोक्ता सहकारी सोसायटियों का विकास करना भी शामिल है; और (ख) 14 राज्य उपभोक्ता सहकारी परिसंघों के स्तर पर थोक क्षेत्र को मजबूत बनाने तथा उसका विस्तार करने के लिये सहायता दी जा रही है। केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ की गतिविधियों को मजबूत किया जा रहा है और इसके परामर्शदायी तथा प्रोत्साहन सैल की सहायता दी जा रही है, ताकि उपभोक्ता सहकारी सोसायटियों में वैज्ञानिक प्रबन्ध तकनीकों को बढ़ावा दिया जा सके।

4. हाल में नागरिक पूर्ति के प्रभारी राज्य मंत्रियों के बुलाये गये चार क्षेत्रीय सम्मेलनों की सिफारिशों के अनुसरण में राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे $3\frac{1}{2}$ लाख अथवा उससे अधिक आबादी वाले प्रमुख नगरों, सभी राज्यों की राजधानियों, औद्योगिक, खान तथा बागानी प्रतिष्ठानों के मजदूरों, सरकारी कर्मचारियों के रहने वाले इलाकों और विश्वविद्यालयों तथा डिग्री कालिजों के होस्टलों में भी उपभोक्ता सहकारी सोसायटियों के माध्यम से कारगर वितरण प्रबन्ध करें राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे उपर्युक्त नगरों और इलाकों में उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं को चुनें जिससे कि उनका आवश्यक उपभोज्य वस्तुओं का वितरण करने के लिये कारगर रूप से उपयोग किया जा सके। इस वितरण प्रणाली के बारे में सामाजिक चेतना का निर्माण करने और इसमें लोगों का योगदान प्राप्त करने के लिये राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि जहां कहीं संभव हो वहां महिलाओं की सहकारी सोसायटियों का गठन करके और उनकी प्रबन्ध समितियों में सदस्यों के रूप में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करके उपभोज्य वस्तुओं के वितरण में महिलाओं को बड़े पैमाने पर शामिल करें।

5. पांचवीं योजना के दौरान परिकल्पित विकास कार्यक्रमों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उन्हें सौंपी गई भूमिका के परिणामस्वरूप यह उम्मीद की जाती है कि उपभोक्ता सहकारी सोसायटियां सार्वजनिक वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी और खुदरा व्यापार पर स्वस्थ प्रभाव डालेगी।

पौनराज की प्रतिमा का बरामद किया जाना

9014. श्री शशि भूषण : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पश्चिम दिल्ली में परावशेष कला के तस्करों के एक गिरोह से पौनराज की बहुमूल्य प्रतिमा बरामद की है; जिसका मूल्य पश्चिमी देशों में 10 लाख डालर से भी अधिक है;

(ख) परावशेष कला के कितने तस्कर गिरफ्तार किये गये हैं, उनके नाम क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार पुराने मंदिरों तथा ऐतिहासिक महत्व के स्थान की सुरक्षा तथा बेइमान लोगों द्वारा दुर्लभ कला की वस्तुओं को चुराये जाने से बचाने के लिये इस बारे में एक व्यापक विधेयक लाने का विचार कर रही थी; यदि हां, तो यह मामला किस स्थिति में है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 9/10 अक्तूबर, 1974 की रात को उत्तर प्रदेश के जिला अल्मोड़ा में जगेश्वर के मंदिर से 'पौनाराजा की मूर्ति चुराई गई थी। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395/397 के अधीन थाना अल्मोड़ा में प्राथमिकता सूचना रिपोर्ट सं० 10/74 पर एक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा अपने हाथ में ली गई थी और जांच के दौरान पश्चिम दिल्ली में एक मकान से 1-4-75 को मूर्ति बरामद की गई थी।

(ख) अब तक इस मामले में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम व ब्यौरे निम्नलिखित हैं:--

1. तीरथ सिंह पुत्र भाग सिंह
2. जसवन्त सिंह पुत्र भाग सिंह
3. स्वर्ण सिंह पुत्र भाग सिंह
4. मान सिंह पुत्र हुकुम सिंह
5. खेम सिंह पुत्र उत्तम सिंह
6. अमरजीत सिंह पुत्र उत्तम सिंह
7. उत्तम सिंह पुत्र महासिंह
8. बाली राम पुत्र कृपा राम
9. त्रिलोचन सिंह पुत्र उत्तम सिंह
10. सुरतानन्द नौटियाल पुत्र लखी राम
11. राज कुमार उर्फ मुन्नी की रती का सुरेश

क्रम सं० 1 से 8 तक उपरोक्त व्यक्ति "न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किये गये हैं। मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच कर रही है।

(ग) व्यापारियों तथा तस्करों, बेइमान कला व्यापारियों और व्यक्तियों की कपटपूर्ण गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण करने की दृष्टि से 1972 में (1972 का अधिनियम 52) संसद द्वारा पुरावशेष तथा कला कोष नामक एक व्यापक अधिनियम पारित किया गया था।

उड़ीसा में कोलाब पनबिजली परियोजना का निर्माण

9015. **श्री के० प्रधानी : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कोलाब पन-बिजली परियोजना का निर्माण कार्य-चालू वित्तीय वर्ष में आरम्भ किया जा सकता है ;

(ख) क्या उन परियोजनाओं के निर्माण के लिए भी कृष्णा-गोदावरी जल विवाद न्याधिकरण की स्वीकृति आवश्यक है जहां जल का मार्ग बदलने का प्रश्न ही नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) विद्युत पर कार्यकारी दल ने अपर कोलाब जल-विद्युत् परियोजना के लिए, वर्ष 1975-76 के लिए 10 लाख रुपये की धनराशि की सिफारिश की है ताकि राज्य सरकार इस वर्ष के दौरान इस परियोजना पर विस्तृत अन्वेषण कार्य प्रारंभ कर सके।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता स्थित बोस संस्थान में दुर्व्यवस्था का समाचार

9016. **श्री नवल किशोर शर्मा : क्या योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित बोस संस्थान में इस समय चल रही दुर्व्यवस्था के बारे में सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) क्या कोई जांच करायी गई है और यदि हां, तो उक्त संस्थान की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) इस विषय में सरकार को दो पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) संस्थान संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है। फिर भी, सरकार ने संस्थान को वैज्ञानिक प्रयास का एक श्रेष्ठ केन्द्र बनाने के लिए, ठोस कदम उठाए हैं।

तमिलनाडु में कोयले की कमी

9017. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में कोयले की कमी है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार अधिक मात्रा में कोयला सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ग) मार्च, अप्रैल और मई, 1975 में तमिलनाडु राज्य को कुल कितनी-कितनी मात्रा में कोयला सप्लाई किया गया है?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार में उद्योगों की स्थापना

9018. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋण नियंत्रण के कारण बिहार में नए उद्योग स्थापित करने की योजनाओं को क्षति पहुंची है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, नहीं। बिहार राज्य में ऋण अवरोध उपायों के कारण नये उद्योगों की स्थापना करने की योजनाओं को धक्का लगा है, ऐसा कोई सबूत नहीं है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जारी किये गये नवीनतम मार्गदर्शी सिद्धान्तों में गैर सरकारी क्षेत्र के 'कोर सेक्टर' में कार्य कर रहे औद्योगिक एककों और जो जनता के खपत की वस्तुएं बनाने वाले एककों और विशेषकर उन एककों के बारे में जिनमें अचल पूंजी निवेश किया जा चुका है उनकी पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष ध्यान देने की व्यवस्था की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पालामऊ जिले में पत्र पहुंचने में विलम्ब होने का समाचार

9019. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि दिल्ली और पटना से पालामऊ जिले में पत्र पहुंचने में कम से कम 10 दिन का समय लगता है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) : दिल्ली या पटना में पालामऊ जिले के लिए डाक में डाले गए पत्र रेल के जरिए भेजे जाते हैं। दिल्ली से भेजे गए किसी पत्र के वितरण का सामान्य समय डाल्टनगंज के पाने वाले के लिए 3 दिन और पटना के पाने वाले के लिए 1 दिन है। पालामऊ जिले के अन्य स्थानों में डाक वितरण के लिए एक या दो दिन का समय और लगता है। यह समय गंतव्य स्थान की दूरी पर निर्भर करता है। मौजूदा सभी डाक व्यवस्था की जांच इस दृष्टि से की जा रही है कि इस सामान्य वितरण समय को बनाये रखा जा सके और उसमें यथा-संभव सुधार किया जा सके।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, हरिजनों तथा पिछड़े वर्गों को वित्तीय सहायता देने हेतु राज्य सरकारों द्वारा निगमों की स्थापना

9020. **श्री के० लकप्पा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं जिन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, हरिजनों और पिछड़े वर्गों के सदस्यों को उनके आर्थिक उन्नयन हेतु उन्हें वित्तीय सहायता देने के लिए निगमों की स्थापना की है;

(ख) आर्थिक उन्नयन योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) वर्ष 1974-75 के दौरान राज्य सरकारों को इस उद्देश्य के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(घ) वर्ष 1975-76 के दौरान उन्हें कितनी केन्द्रीय सहायता देने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) : राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक अनुदान तथा ब्लाक ऋणों के रूप में दी जाती है।

विवरण

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, हरिजनों तथा पिछड़े वर्गों के सदस्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित राज्य सरकारों ने निगम स्थापित किये हैं :

राज्य	पिछड़े वर्गों की श्रेणियां
1. आन्ध्र प्रदेश	अनुसूचित जन जातियां
2. बिहार	अनुसूचित जन जातियां
3. गुजरात	अनुसूचित जन जातियां, अनुसूचित जातियां
4. मध्य प्रदेश	अनुसूचित जन जातियां, अनुसूचित जातियां
5. महाराष्ट्र	अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग
6. उड़ीसा	अनुसूचित जन जातियां
7. केरल	अनुसूचित जन जातियां तथा अनुसूचित जातियां
8. पंजाब	अनुसूचित जातियां
9. हरियाणा	अनुसूचित जातियां
10. कर्नाटक	अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियां

(ख) आर्थिक उन्नयन योजनाओं की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) अल्प वन पैदावार का एकत्रीकरण तथा विपणन।

(2) उपभोक्ता पदार्थों की सप्लाई;

(3) किसानों को कृषि ऋण देना;

(4) कृषि पैदावार की खरीद व बिक्री;

(5) प्रो-सोसायटियों के लिये अच्छे प्रबन्धक की व्यवस्था;

(6) मकान निर्माण के लिये आवासीय आर्थिक सहायता निर्माण माल तथा क्रम की व्यवस्था।

(7) बीजों, पोधों, उर्वरकों आदि की खरीद के लिये हरिजन परिवारों को ऋण की स्वीकृति;

(8) मुर्गी पालन जैसे आर्थिक कार्यक्रमों की सहायता करना;

(9) व्यापार या उद्योग चलाने के लिये आर्थिक सहायता;

(10) जिल्दसाजी, कपड़े बनाने, ग्रामीण उद्योगों, बढ़ई गिरी, ईंट निर्माण, आदि में प्रशिक्षित हरिजन युवकों के लिये नौकरी की व्यवस्था;

(11) हायर पर्चेज पर मशीनरी, आटोमोबाइलस् आदि की सप्लाई;

(12) भूमि की खरीद आदि आदि।

कर्नाटक में औद्योगिक उत्पादन की दर

9021. **श्री के० लकप्पा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक उत्पादन की विकास दर क्या रही है?

(ख) क्या यह विकास दर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय विकास दर के समान है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मोर्य) : (क) से (घ) : संगठित क्षेत्र के औद्योगिक उत्पादन के राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। फिर भी, कर्नाटक को दिये गये औद्योगिक लाइसेंसों और आशय-पत्रों के निम्नलिखित तुलनात्मक आंकड़ों से राज्य में औद्योगिक वृद्धि का पता लगता है :—

	1972	1973	1974
औद्योगिक लाइसेंस .	42	46	66
आशय-पत्र . . .	53	56	73

वर्ष 1975-76 के दौरान गांवों का विद्युतीकरण

9022. **श्री के० लकप्पा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 में वर्ष 1973-74 की तुलना में राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार कितने-कितने गांवों का विद्युतीकरण हुआ है; और

(ख) वर्ष 1975-76 में, राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार कितने-कितने गांवों का विद्युतीकरण करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : 1973-74 तथा 1974-75 के दौरान विद्युतीकरण किए गए और 1975-76 के दौरान विद्युतीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित गांवों की राज्यवार तथा संघ शासित क्षेत्रानुसार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1973-74 तथा 1974-75 के दौरान विद्युतीकृत किए गए और 1974-76 के दौरान विद्युतीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित गांवों की संख्या-

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	के दौरान विद्युतीकृत किए गए गांव		लक्ष्य* (1975-76)
		1973-74	1974-75	
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	501	194	400
2.	असम	325	उपलब्ध नहीं	700
3.	बिहार	684	63(क)	1,480
4.	गुजरात	378	350	550
5.	हरियाणा (†)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6.	हिमाचल प्रदेश	1,043	248(ग)	**
7	जम्मू और काश्मीर	514	354(च)	**
8.	कर्नाटक	944	1,086	450
9.	केरल	37	14(च)	55
10.	मध्य प्रदेश	770	601	**

1	2	3	4	5
11.	महाराष्ट्र .	1,778	1,886	3,000
12.	मणिपुर	8	1(घ)	710
13.	मेघालय	34	अपलब्ध नहीं	**
14.	नागालैंड	53	20	**
15.	उड़ीसा	2,100	1,662	**
16.	पंजाब	452	298(घ)	400
17.	राजस्थान	866	546	**
18.	तमिल नाडु	106	19(च)	**
19.	त्रिपुरा .	8	8(ग)	**
20.	उत्तर प्रदेश	2,844	784	900
21.	पश्चिम बंगाल .	3,171	679(च)	**
	कुल : (राज्य)	16,616	8,813	8,645
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह	7	11	**
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	3(च)	**
3.	चण्डीगढ़ (†) .	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4.	दादरा और नागर हवेली	4	4	9
5.	दिल्ली (†) .	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6.	गोवा, दमन और दीव	72	55	40
7.	लक्षद्वीप	कुछ नहीं	1(ख)	**
8.	मिजोरम .	2	कुछनहीं	
9.	पाण्डिचेरी (†)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	कुल : संघ शासित क्षेत्र	88	74	49
	कुल (अखिल भारत) . .	16,704	8,887	8,694

(†) 31-3-1973 के अनुसार गांवों का शत प्रतिशत विद्युतीकरण पहले ही किया जा चुका है।

(क) 31-10-1974 तक

(ख) 30-11-1974 तक

(ग) 31-12-1974 तक

(घ) 31-1-1975 तक

(च) 28-2-1975 तक

*जैसा कि वार्षिक योजना संबंधी विचार-विमर्श में निर्दिष्ट किया गया है।

**वार्षिक योजना विचार-विमर्श के दौरान लक्ष्य सूचित नहीं किए गए थे। लक्ष्य सूचित करने के लिए राज्यों को पहले ही लिखा गया है, परन्तु वे अभी तक सूचित नहीं किए गए हैं।

केन्द्र में कर्नाटक के विचाराधीन अध्यादेश

9023. **श्री के० लकप्पा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तावित कुछ अध्यादेश केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इन अध्यादेशों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक अध्यादेश केन्द्र को मंजूरी के लिए किस तिथि को भेजा गया था;

(ग) क्या उन पर निर्णय करने में किसी प्रकार का विलम्ब हुआ ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस द्वारा दिल्ली में गैर लाइसेंसशुदा शास्त्रास्त्रों को अनधिकृत रूप से रखने के बारे में किया गया सर्वेक्षण

9024. **श्री सतपाल कपूर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने सावधानी से यह सर्वेक्षण करने का निर्णय किया है कि दिल्ली में गैर लाइसेंस शुदा शस्त्रास्त्र अनधिकृत रूप से किस सीमा तक मौजूद हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एच० एफ० मोहसिन) : (क) दिल्ली पुलिस बिना लाइसेंस के हथियार रखने पर निरन्तर निगरानी रखती है। दिल्ली पुलिस द्वारा कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी कम्पनियों द्वारा भारतीय ब्राण्ड नामों का प्रयोग करना

9025. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री विदेशी कम्पनियों के उपभोक्ता उद्योगों में भारतीय ब्रांड नामों के बारे में 26 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5050 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने भारतीय ब्रांड नाम अपनाये हैं तथा उन्हें विदेशों में लोक प्रिय बनाया है; और

(ख) उत्पादों के नाम क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) सरकार के पास ऐसी विदेशी कम्पनियों जिन्होंने विदेशों में उपयोग करने के लिए भारतीय ब्रांडों के नाम से पंजीकरण कराया है, के बारे में निश्चित और विस्तृत जानकारी नहीं है। कुछ विदेशी कम्पनियों जिन्होंने भारतीय ढंग के ब्रांडों के नामों का विकास किया है, वे इस प्रकार हैं:--

कम्पनी का नाम	व्यापार चिह्न	माल/उत्पाद
1	2	3
(1) हिन्दुस्तान लीवर लि०	डालडा	हाइड्रोजिनेटेड तेल
--वही--	महारानी	साबुन
हिन्दुस्तान लीवर लि०	अनिक	खाद्य
--वही--	हीमा	खाद्य
(2) ब्रुक बाँड इण्डिया लि०	ताजमहल	चाय
--वही--	अप्सरा	चाय
--वही--	अजन्ता	चाय
(3) आई० टी० सी० लिमिटेड (भूतपूर्व इण्डिया टोबेको कम्पनी लिमिटेड)	टाइगर	सिगरेट
--वही--	अकबर शाह	--वही--
--वही--	एलीफेंट	--वही--
--वही--	सरपंच	--वही--
(4) गोड्फे फिलिप्स इण्डिया लि०	अब्दुल्ला	--वही--
(5) ब्रिटेनिया बिस्कुट कं० लि०	राज केक	बिस्कुट
--वही--	काउ	--वही--
--वही--	चक्र	--वही--
--वही--	रोमा	--वही--
(6) सिंगर कं० (यू० एस० ए०)	मेरिट	सिलाई की मशीनें

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड से श्री वी० जी० राजाध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र दिया जाना

9027. श्री एच० एन० मुकर्जी :

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के भूतपूर्व चेयरमैन, श्री वी० जी० राजाध्यक्ष इस समय योजना मंत्रालय में कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या हिन्दुस्तान लीवर से श्री राजाध्यक्ष का कथित त्यागपत्र एक कागजी कार्यवाही है और वह विभिन्न रूपों में अभी भी कम्पनी से सभी सुविधायें पा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) मेसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के अध्यक्ष पद से सेवा निवृत्त होने पर श्री वी० जी० राजाध्यक्ष को 6-8-1973 से योजना आयोग में मुख्य परामर्शदाता तथा भारत सरकार के पदेन सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है।

(ख) और (ग) श्री राजाध्यक्ष को मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड से 1500 रुपये प्रति माह पेन्शन मिलती है और कम्पनी के अन्य पेन्शन भोगियों की भांति उन्हें भी चिकित्सा लाभ प्राप्त करने का हक है। कम्पनी से उन्हें अन्य कोई सुविधा नहीं मिलती है।

विजय स्कूटर का मूल्य

9028. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के स्कूटर 'विजय' के निर्यात संबंधी अच्छी आशायें हैं; और

(ख) इस स्कूटर का उत्पादन शुल्क सहित वर्तमान मूल्य कितना है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) विजय डिलक्स स्कूटर का कारखाने से निकलते समय का बिक्री मूल्य 3510.00 रुपये है। प्रति स्कूटर उत्पादन कर 313.83 रुपये है।

Increase in Expenditure on Border security Force

9029. Shri M.C. Daga: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether expenditure on the Border Security Force is continuously increasing;

(b) if so, the expenditure incurred in 1968-69 and that incurred at present and the reasons for such an increase therein; and

(c) whether upto 1968, the State Police used to guard the borders?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs : (Shri F.H. Moshin): (a) & (b) During the year 1968-69, an amount of Rs. 16.13 crores was spent on the B.S.F. the corresponding figure for the year 1974-75 (upto February, 1975) being Rs. 44.19 crores.

The increase in expenditure during these years is attributable to the increase in strength of the B.S.F., sanctioning of additional dearness allowance from time to time, increase in scales of pay on the basis of the Third Pay Commission's recommendations and rise in the cost of provisioning.

(c) Before the formation of the B.S.F., in 1965, the country's international borders were guarded by State Armed Police on agency basis.

पश्चिम बंगाल के मंत्री द्वारा विदेशी मुद्रा परमिट का दुरुपयोग

9030. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक संसद सदस्य से इस सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं कि पश्चिम बंगाल के एक मंत्री हाल में अपनी पत्नी की डाक्टरी चिकित्सा के बहाने 3500 रुपये की कीमत के विशिष्ट विदेशी मुद्रा परमिट के साथ विदेश गये थे;

(ख) क्या संसद् सदस्य ने यह आरोप लगाया कि भारत में कोई डाक्टरी चिकित्सा नहीं कराई गई और मंत्री तथा उनकी पत्नी ने मंजूरी प्राप्त विदेशी मुद्रा तथा गैर-कानूनी ढंग से अर्जित कुछ राशि का प्रयोग मनोरंजनार्थ किया ; और

(ग) यदि हां, तो सम्बन्धित मंत्री का नाम क्या है और क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गयी है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Loss incurred by Electricity Boards

9031. Shri M.C. Daga: Will the Minister of Energy be pleased to state:

(a) whether Sixth Finance Commission has stated in its report that Electricity Boards in several States are running in loss; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad): (a) The Sixth Finance Commission in its Report has stated that the financial results of the State Electricity Boards, far from registering any improvement, have suffered further setback during the Fourth Plan period.

(b) The State Electricity Boards have been unable to improve their financial position mainly because of increase in operating expenses including rise in the cost of fuel, increase in wages, rise in the capital cost of new projects, larger losses in transmission and distribution, low tariff etc. Besides, the Boards are required to undertake rural electrification works, on which returns are comparatively low.

Supply of Power to Industries at Low Rates

9032. Shri M.C. Daga: Will be Minister of Energy be pleased to state :

(a) whether in several States power is made available to big industries at very low rates; and

(b) if so, whether Government propose to take a decision in this regard on national level?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad): (a) and (b) Some State Government have offered low power rates to attract industries to their States, for improving the general economic condition of their people. Under the provisions of the Electricity (Supply) Act, 1948, the State Electricity Boards are competent to frame tariffs for the different categories of consumers, but the State Governments have the power to issue directives under section 78-A of the Electricity (Supply) Act, 1958.

महाराष्ट्र में विद्युत की कमी के कारण आवश्यक वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में गिरावट

9033. श्री शरद यादव :
श्री भाऊसाहब धामनकर :
श्री वसन्त साठे :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में विद्युत् संकट के कारण आवश्यक वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट आई है;

(ख) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इस संकट का मुकाबला करने के लिये केन्द्र सरकार से कोई सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण, क्या हैं; और

(घ) इस स्थिति का सामना करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

उर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) विद्युत् की वर्तमान कमी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने उद्योगों सहित, उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों पर कुछ विद्युत् कटौतियां लागू की हैं। बहरहाल, केवल इन विद्युत् कटौतियों के कारण उत्पादन की हानि का मूल्यांकन करना सभव नहीं है।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार ने गुजरात तथा केन्द्रीय सरकार—दोनों से, तारापुर से यथासंभव सहायता की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया है और यह मामला विचाराधीन है।

(घ) विद्युत् की कमी की समस्या पर काबू पाने के लिए, आम तौर पर निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) पर्याप्त रूप से अतिरिक्त पुर्जों की व्यवस्था द्वारा, पर्याप्त मात्रा में उचित किस्म के कोयले का प्रबंध करके, प्रचालन और रख-रखाव कर्मचारियों के प्रशिक्षण, विद्युत् प्रणालियों के

एकीकृत प्रचालन, लोडों को सूचीबद्ध करके तथा बारी-बारी से उनकी पूर्ति करके, रख-रखाव क्रियाविधियों के आधुनिकीकरण और प्रचालन तथा रख-रखाव के निरन्तर संचालन (मानीटरिंग) द्वारा वर्तमान ताप-विद्युत् केन्द्रों से अधिकतम उत्पादन करना;

(2) उपस्कर तथा आवश्यक दुर्लभ सामग्रियों की समय पर व्यवस्था करके और निर्माण की प्रगति के संचालन (मानीटरिंग) द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्रतापूर्वक चालू करना;

(3) निकटवर्ती राज्यों/प्रणालियों से राहत की व्यवस्था करना;

(4) वर्गीकृत प्राथमिकता के आधार पर, उपलब्ध ऊर्जा के युक्तियुक्त वितरण की प्रणाली लागू करना और दिखावटी कामों के लिए विद्युत् के प्रयोग पर रोक लाना, ताकि इस प्रकार बचाई गई विद्युत् का उत्पादनकारी कार्यों के लिए प्रयोग किया जा सके।

गुजरात तथा अन्य राज्यों में जयप्रकाश नारायण समर्थक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाना

9034. **श्री शरद यादव** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में गुजरात में जयप्रकाश नारायण समर्थक प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोली चलाई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा बल ने विभिन्न राज्यों में जयप्रकाश नारायण समर्थक प्रदर्शनकारियों पर कितनी बार गोली चलाई?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1974 में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल को विभिन्न राज्यों में आन्तरिक सुरक्षा की ड्यूटी के सम्बन्ध में 56 अवसरों पर गोली चलानी पड़ी थी। श्री जय प्रकाश नारायण के समर्थन में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

मंत्रियों के दौरों के बारे में समाचारपत्रों तथा समाचार एजेन्सियों को सूचना सप्लाई करने के लिये मंत्रालयों को मार्गदर्शी सिद्धांत

9035. **श्री शरद यादव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे तथा बड़े समाचारपत्रों तथा एजेन्सियों के लिये मंत्रियों के दौरों से सम्बन्धित सामग्री तथा जानकारी सप्लाई करने के बारे में मन्त्रालयों के लिये कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक लाइसेंस जारी करना

9036. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 के दौरान दिए गए 1099 औद्योगिक लाइसेंसों में से 298 लाइसेंस केवल पिछड़े क्षेत्रों में दिए गए थे,

(ख) क्या हाल ही में घोषित अथवा बताई गई नई परिभाषा के अनुसार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों को आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की तुलना में प्राथमिकता दी गई है,

(ग) यदि हाँ, तो पिछड़े क्षेत्रों की किस श्रेणी को 298 औद्योगिक लाइसेंस दिए गए थे, और

(घ) यदि एक श्रेणी को औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिए गए तो दोनों श्रेणियों को दिए गए लाइसेंसों की संख्या का व्यौरा क्या है और लाइसेंस दिए जाने वाले पिछड़े क्षेत्रों अथवा जिलों के नाम क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी, हां।

(ख) और (घ) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की सिफारिशों पर योजना आयोग द्वारा अन्य मंत्रालयों के परामर्श से रियायती दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कुछ जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना गया है। ऐसे जिलों की संख्या 232 है। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा स्वीकार करने के लिए आबादी के सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में लिया गया है :—

(1) प्रति व्यक्ति खाद्यान्न/वाणिज्यिक फसल उत्पादन

(2) कृषि कर्मियों की आबादी का अनुपात

(3) प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन

(4) कारखाने के कर्मचारियों की संख्या अथवा अन्य द्वितीयक या तृतीयक कार्यों में लगे प्रतिलाख की आबादी पर व्यक्तियों की संख्या

(5) प्रति व्यक्ति बिजली की खपत

(6) बनी हुई सड़क अथवा रेलवे की लम्बाई मीलों में प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित सभी 298 लाइसेंस औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में स्थापित करने के लिए है।

विद्युत् प्रजनन एककों के चालू होने से कृषि तथा उद्योग को बिजली की सप्लाई पर प्रभाव

9037. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में कुल 674 मैगावाट क्षमता के आठ विद्युत् एकक चालू किये गये थे ;

(ख) क्या ये सभी एकक केवल तापीय अथवा पनबिजली एकक हैं ; और

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में स्थित ये प्रजनन एकक उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करेंगे तथा कृषि और उद्योग के लिये बिजली में कोई कटौती नहीं होगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) मार्च, 1975 मास के दौरान कुल 674 मेगावाट क्षमता के आठ विद्युत् केन्द्र चालू किए गए थे, जिनमें से 325 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 4 जल-विद्युत् केन्द्र तथा शेष 349 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 4 ताप विद्युत् केन्द्र हैं। इस नई क्षमता के चालू होने से, अन्य बातों के साथ-साथ, कृषि और उद्योग की अतिरिक्त लोड मांगों को पूरा करके, विभिन्न राज्यों में विद्युत स्थिति में सुधार लाने में मदद मिलेगी।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बिड़ला बंधुओं के निवासों तथा कम्पनी कार्यालयों पर छापे

9038. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **प्रधान** मंत्री प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बिड़ला बंधुओं के निवासों तथा कंपनी कार्यालयों पर मारे गये छापों के बारे में 9 अप्रैल, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5551 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रवर्तन निदेशालय ने गत तीन वर्षों के दौरान आज तक बिड़ला बंधुओं (एकाधिकार तथा निबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के साथ पंजीकृत) की आस्तियों के हिसाब से प्रथम 10 कम्पनियों के स्थानों तथा कम्पनी कार्यालयों पर कितने छापे मारे गये;

(ख) इन कम्पनियों तथा फर्मों से सम्बन्धित उन व्यक्तियों के नाम और पते क्या हैं जिनके निवासों पर छापे मारे गये;

(ग) प्रत्येक निवास से नकद तथा माल के रूप में कुल कितनी राशि के लेखा बाह्य धन अलग-अलग पता लगा अथवा पकड़ा गया;

(घ) इस सम्बन्ध में कुल कितने मामले दर्ज किये गये तथा जिन व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये गये उनके नाम तथा पदनाम क्या हैं;

(ङ) जिन व्यक्तियों के घरों पर छापे मारे गये उनके विरुद्ध क्या विशिष्ट आरोप हैं; और

(च) उक्त अवधि में चलायें गये मामलों सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ङ) 1. कम्पनी कार्य विभाग ने 'प्रथम 10 कम्पनियों' के रूप में निम्नलिखित कम्पनियों के नाम तथा पते भेजे हैं, जिन्हें 1973 में उनकी आस्तियों के अनुसार व्यवस्थित किया गया था तथा एकाधिकार तथा निबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम की धारा 20(क) के अनुसार उपक्रमों के रूप में रजिस्टर्ड किया गया था; अर्थात् :—

(1) हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, बिड़ला बिल्डिन्ग, 9/1 आर० एन० मुखर्जी रोड़, कलकत्ता-1.

(2) हिन्दुस्तान ऐलिम्यूनियम कारपोरेशन लिमिटेंड, सैन्चरी भवन, डा० एनई बेसन्ट रोड़, बम्बई-400025।

(3) सैन्चरी स्पिनिंग एण्ड मैन्यफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, सैन्चरी भवन डा० एनई वेसन्ट रोड़, बम्बई-400025।

(4) जुआरी ऐग्रो केमिकल्स लिमिटेड जयकिसान भवन, जुआरी नगर-403726, गोवा।

(5) ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्यफैक्चरिंग (वीविंग) कम्पनी लिमिटेड, पो० ग्रो० बिड़ला ग्राम नगाड़ा, मध्य प्रदेश।

(6) ग्रोरियन्ट पेपर मिल्स लिमिटेड बराजराजनगर (झारसूगँडा के निकट) जि० सम्भलपुर (उड़ीसा)।

(7) टैक्सटाइल मशीनरी कार्पोरेशन लिमिटेड, वेलधारिया, कलकत्ता-70056।

(8) जियाजीराव कौटन मिल्स लिमिटेड, बिड़लानगर, ग्वालियर।

(9) बिड़ला जूट मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, बिड़लापुर, 24-परगना, पश्चिमी बंगाल।

(10) इन्डिया स्टीमशिप कम्पनी लिमिटेड, इन्डिया स्टीमशिप हाउस, 21, ग्रोल्ड कोर्ट हाऊस स्ट्रीट कलकत्ता-1

2. कम्पनी कार्य विभाग ने बताया है कि इन कम्पनियों में से नौ को ग्रौद्योगिक लाइसैन्स नीति जांच समिति की रिपोर्ट में बिड़ला हाउस के ग्रन्तर्गत दिखाया गया था ग्रौर यह विश्वास भी किया जाता है कि मैसर्स जुंग्रारी कैमिकल्स लिमिटेड भी इन मानों में बिड़ला कम्पनी है, क्योंकि यह बिड़ला कम्पनियों ग्रौर एक विदेशी कम्पनी के बीच एक सहयोग परियोजना है।

3. पिछले तीन वर्षों के दौरान, उपर्युक्त 10 कम्पनियों में से एक तथा उस कम्पनी से सम्बन्धित व्यक्तियों के परिसरों की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तालाशी ली गई थी। उनके नाम तथा पते नीचे दिए गए हैं :—

(1) मेसर्स इन्डिया स्टीमशिप कम्पनी लिमिटेड, 21, ग्रोल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता।

(2) के० के० बिड़ला, (चेयरमैन, इन्डिया स्टीमशिप कम्पनी लिमिटेड),

(i) 17. गरुसादे रोड़, कलकत्ता तथा

(ii) 9/1, ग्रार० एन० मुखर्जी रोड़, कलकत्ता पर।

(iii) श्री जे० एन० भान (डायरेक्टर, मैसर्स इन्डिया स्टीमशिप कम्पनी लिमिटेड), 14/1 वर्दवान रोड़, ग्रलीपुर, कलकत्ता।

(iv) श्री ए० मुखर्जी (इन्डिया स्टीमशिप कम्पनी लिमिटेड के सचिव), 7, गोल्ड बालीगंज रोड़, कलकत्ता।

(v) श्री एस० के० दत्ता (इन्डिया स्टीमशिप कम्पनी लिमिटेड के मुख्य लेखाकार), 75 जोधपुर पार्क, कलकत्ता।

4. बिना हिसाब किताब के, धन का पता लगाया जाना ग्रायकर विभाग का कार्य है, जो वित्त मंत्रालय के ग्रधीन है। प्रवर्तन निदेशालय के उपर्युक्त तलाशियों के परिणामस्वरूप, श्री जे० एन० भान के घर से दस्तावेजों के ग्रलावा, 20 पौन्ड की राशि के ट्रेवलर चैक ग्रौर 6 पौन्ड नकद रूप में प्राप्त हुए थे जिन्हें उसके परिसर से मैसर्स इन्डिया स्टीमशिप कम्पनी लिमिटेड के परिसर, श्री के० के० बिड़ला के 9/1, ग्रार० एन० मुखर्जी रोड़, कलकत्ता में स्थित मकान ग्रौर श्री एस० के० दत्ता के मकान से भी पकड़ा गया था।

5. अब तक पूरी हुई जांचों के परिणामस्वरूप, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों का उल्लंघन करने पर, 4 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, जो निम्न प्रकार हैं :—

उन व्यक्तियों/पार्टियों के नाम, जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं	विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 की उल्लंघन की गई धारा
1. मैसर्स इन्डिया स्टीमशिप कम्पनी लिमिटेड, तथा सर्वश्री के० के० बिड़ला, जे० एन० भान, ए० मुखर्जी तथा एस० के० दत्ता समेत कम्पनी के निदेशक तथा कार्यकारी कुछ अधिकारी।	धारा 10(1)(ख)
2. मेसर्स इन्डिया स्टीमशिप कम्पनी लिमिटेड, तथा सर्वश्री के० के० बिड़ला और जे० एन० भान समेत कम्पनी के कुछ डाइरेक्टर।	धारा 5(1)(क)
3. श्री एस० के० दत्ता	धारा 5(1)(ग)
4. श्री जे० एन० भान	धारा 9 तथा 4(1)

6. उपर्युक्त 4 मामलों में से, श्री जे० एन० भान के विरुद्ध एक मामले का अधिनिर्णय हो चुका है, जिसके परिणामस्वरूप, 26 पौन्ड की राशि की पकड़ी गई विदेशी मुद्रा की जब्ती और श्री भान पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है जिसकी अदायगी हो चुकी है। अन्य तीन मामले न्यायनिर्णयन के लिए लम्बित हैं। अदालत में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

राय बरेली, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन

9039. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 अप्रैल, 1975 को पी० टी० आई० के एक समाचार के अनुसार प्रधान मंत्री के चुनाव क्षेत्र रायबरेली, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन में 7 गुना वृद्धि हुई है तथा यह उत्पादन वर्ष 1966-67 में 75 लाख रुपये से बढ़कर वर्ष 1974-75 में 51.81 करोड़ रुपये के मूल्य का हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार राय बरेली जिले में औद्योगिक उत्पादन में करीब सात गुनी वृद्धि हुई है जो 1966-67 में 75 लाख रुपये से बढ़कर 1974-75 में 510 लाख रुपये हो गई है। यह बढ़ोत्तरी मुख्य रूप से जिले में लघु उद्योगों की वृद्धि के कारण हुई है।

बिहार कोयला क्षेत्रों में अवैध खनन कार्य

9040. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कोयला क्षेत्रों में अवैध खनन का कार्य एक प्रमुख उद्योग हो गया है, जैसा कि 10 अप्रैल, 1975 के 'बिजनैस स्टैण्ड' कलकत्ता में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या यह भी आरोप लगाया गया है कि अवैध खनन कार्य में बिहार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री का एक पुत्र, एक भूतपूर्व मंत्री की पत्नी, एक प्रसिद्ध ट्रेड यूनियन लीडर का भाई और हजारी बाग का एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति शामिल है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट मिली है कि कुछ गैर-सरकारी पार्टियां बिहार कोयला क्षेत्रों में कोयले का खनन कर रही हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रमाणिक सूचना नहीं है कि अवैध खनन में लगे व्यक्तियों के बड़े लोगों से संबंध हैं या उनके राजनैतिक सम्पर्क हैं।

(ग) राज्य सरकार द्वारा इस अवैध खनन को रोकने के लिए, जहां कहीं जरूरी होता है, केन्द्रीय प्राधिकारियों के सहयोग से कार्यवाही की जा रही हैं।

बेरोजगारी के बारे में वार्षिक सर्वेक्षण

9041. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में बेरोजगारी सम्बन्धी वार्षिक सर्वेक्षण की तैयारी करने के बारे में एक प्रस्ताव की जांच कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) देश में बेरोजगारी पर वार्षिक सर्वेक्षण करने का भारत सरकार के पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में अभावग्रस्त क्षेत्रों और राहत कार्यों की फिल्म लेने के लिये एक टेलीविजन फिल्म यूनिट का दौरा

9042. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक टेलीविजन फ़िल्म यूनिट ने अभावग्रस्त क्षेत्रों और राहत कार्य की फ़िल्म लेने के लिये हाल ही में गुजरात का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या ऐसी फ़िल्में पहले भी दिखाई गई थीं और यदि हां, तो कब और उनमें क्या-क्या दिखाया गया था ; और

(घ) उक्त टेलीविजन फ़िल्में कहां-कहां और कितनी-कितनी बार दिखाई गई थीं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों तथा राहत कार्य को कवर करने के लिए टेलीविजन कैमरा टीम ने 9 अप्रैल से 13 अप्रैल तक गुजरात का दौरा किया था । टीम ने जनता के विभिन्न वर्गों, राहत कार्यों में लगे लोगों तथा गुजरात के राज्यपाल से इन्टरव्यू किया था । 10, 11 तथा 13 अप्रैल के टेलीविजन समाचार बुलेटिनों तथा 10 तथा 14 अप्रैल, 1975 को सामयिक मामलों के कार्यक्रमों 'आजकल' तथा 'समीक्षा' में संक्षिप्त कवरेज शामिल किया गया था ।

(ग) तथा (घ) जी, हां । हिमाचल प्रदेश में भूकम्प के प्रकोप पर 5 फरवरी, 1975 को एक विशेष टेलीविजन फिल्म रिपोर्ट टेलीकास्ट की गई थी । रिपोर्ट नुक्सान तथा तबाही तथा राहत कार्यों के कवरेज पर आधारित थी । इस अवधि के दौरान न्यूजकास्टों में घटनाओं का कवरेज भी शामिल था ।

जामा मस्जिद क्षेत्र में तबाही की घटनाओं तथा सदर बाज़ार क्षेत्र में साम्प्रदायिक दंगों पर फिल्म पर कार्यक्रमों, जिनमें इसी प्रकार के इन्टरव्यू शामिल थे, का भी प्रबन्ध किया गया था । इन दोनों अवसरों पर टेलीविजन रिपोर्टों ने आत्मनिरीक्षण का वातावरण उत्पन्न करने के दृष्टिकोण से कारणों तथा रुखों का गहराई से अध्ययन उपलब्ध किया ।

अहमदाबाद में टेलीफोनों के लिए विचाराधीन आवेदन-पत्र

9043. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे अहमदाबाद के लिये कितने टेलीफोन हैं ;

(ख) इसी क्षेत्र में नये कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ;

(ग) वहां की आवश्यकताओं को पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) 41876 ।

(ख) 1-5-1975 को 23931 ।

(ग) और (घ) नये टेलीफोन कनेक्शन देने में विलम्ब का कारण यह है, एक्सचेंज उपस्कर और जमीदोज केबुलों की आम कमी है । उपलब्ध सीमित वित्तीय साधनों से जहां तक हो सकता है यथा-संभव शीघ्र ही टेलीफोन की अनिर्णीत पड़ी ज्यादा से ज्यादा मांगें पूरी करने के लिए टेलीफोन प्रणालियों का विस्तार करने के लिए लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं । पांचवीं योजना की अवधि में अहमदाबाद टेलीफोन प्रणाली में करीब 20,000 लाइनें जोड़ने की योजना बनाई गई है ।

वर्ष 1974—79 के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिक योजना

9044. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो वर्ष से अधिक समय से वर्ष 1974—79 के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना के प्रारूप के दो खंडों का उपयोग नहीं किया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना के प्रति सरकार का क्या रवैया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी नहीं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना प्रारूप (1974-79) के दो खंड 26-3-1974 को लोक सभा के पटल पर रखे गए थे। तब से यह दस्तावेज विभिन्न मंत्रालयों और वैज्ञानिक अभिकरणों की, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए आबंटन, के संबंध में काफी विचार-विमर्श का आधार बन गया है। योजना आयोग में वार्षिक योजना पर हुए विचार-विमर्श के फलस्वरूप 1974-75 और 1975-76 वर्षों के लिए बजट निर्धारित कर दिया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना के प्रारूप में अभिनिर्धारित कुछ परियोजनाओं को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों, अभिकरणों और संगठनों द्वारा पहले से ही कार्यान्वित करना आरम्भ कर दिया गया है, और उन पर कार्य हो रहा है। फिर भी, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के लिए बजट विनिधान पर भारी आर्थिक दबाव रहा है।

(ग) राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति द्वारा तैयार की गई विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना में अंकित योजना लक्ष्यों को बढ़ावा देने के प्रति सरकार वचनबद्ध है।

Meetings of Central Industrial Advisory Council

9045. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Industry** and **Civil Supplies** be pleased to state:

(a) the number of meetings of the Central Industrial Advisory Council held during 1974-75 and whether he had also attended these meetings;

(b) if so, the suggestions made and the complaints put before the council; or the complaints brought to the notice of Government by the Council; and

(c) the action taken by Government to accept the suggestions and remove the complaints?

The Minister of Industry and Civil Supplies (Shri T A. Pai): (a) to (c) During 1974-75, one meeting of the Central Advisory Council of Industries was held on 29th March, 1975, under the Chairmanship of Minister of Industry and Civil Supplies. At this meeting, a number of points relating to various matters such as streamlining of industrial approvals, association of private capital in public sector undertakings, utilisation of existing industrial capacity, etc. were made. In his concluding speech, the Chairman answered many of the points raised by the members. It was made clear that licensing procedures would be further simplified with a view to streamlining industrial approvals at all stages. It was clarified that the concept of public participation in public sector enterprises was not a new concept and was merely aimed at enlisting the actual participation of the common man in public enterprises. The Chairman agreed with the observations made by a number of participants about ensuring better utilisation of the existing installed capacity and said that a number of steps had already been taken in this direction.

बेरोजगार वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा डाक्टरों को वित्तीय सहायता

9046. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1975 में देश में बेरोजगार वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और डाक्टरों की संख्या क्या थी ;

(ख) क्या सरकार ने उनको कुछ काम उपलब्ध कराने के लिये कोई योजना बनाई है ; और

(ग) क्या इन सभी बेरोजगारी लोगों को कोई वित्तीय सहायता मिली है ; और यदि हां, तो उन्हें वर्ष 1974-75 में कितनी राशि की सहायता दी गई ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 30 जून, 1974 को रोजगार कार्यालय के लाईव रजिस्टर में रोजगार चाहनेवालों की संख्या इस प्रकार हैं :—

आँकड़े हजारों में

क्रम सं० रोजगार चाहने वालों की श्रेणी	30 जून, 1974 को लाईव रजिस्टर में रोजगार चाहने वालों की संख्या
1. इंजीनियर्स	
(i) डीग्रीधारी	20.6
(ii) डिप्लोमाधारी .	47.9
2. डाक्टर (औषध में स्नातक और स्नातकोत्तर)	6.5
3. वैज्ञानिक (विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर) .	226.1

जून, 1974 से पहले की संख्या उपलब्ध नहीं है। रोजगार कार्यालय के लाईव रजिस्टर में सभी रोजगार चाहने वाले आवश्यक रूप से बेरोजगार नहीं हैं।

(ख) और (ग) वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, और चिकित्सकों सहित शिक्षित बेरोज़गारों को रोजगार के सुअवसर प्रदान करने के लिये भारत सरकार के कई उपाय/योजनाएं अपनाई हैं। उपायों की एक सूची साथ में संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०— 9666/75]

Construction of Houses for Harijans and Adivasis

9047. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government give grants to various States for construction of houses for Harijans and Adivasis;

(b) if so, the amount given to the States for this work during the year 1974-75.

(c) the particulars of works done by the States; and

(d) the action taken by Government to speed up this work?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) and (b) Yes, Sir.

Under State Sector of Backward Classes there is a scheme for giving subsidy for construction of houses for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Expenditure on this scheme is shared between the Central and State Governments. Central assistance is given in the form of block grants and block loans to the State Governments.

(c) The financial year 1974-75 has just ended and, therefore, the required information is not available.

(d) In the course of Annual Plan discussions the programme of construction of houses for these categories is given priority in finalising State Plans. In the recent Conference of State Ministers in charge of Backward Classes the urgency of speedy execution of construction programme was emphasised.

स्वाधीनता सेनानियों के परिवारों के सदस्यों के लिये सरकारी सेवाओं में भर्ती हेतु आयु-सीमा में वृद्धि तथा पदों का आरक्षण करना

9048. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार स्वाधीनता सेनानियों के परिवारों के सदस्यों के लिए केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिये आयु सीमा में वृद्धि करने तथा उनके लिये कुछ प्रतिशत पद आरक्षित करने का है जैसा कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) सरकार को सलाह दी गई है कि स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों के सदस्यों को ऐसे विशिष्ट श्रेणी नहीं माना जा सकता है, जिसके लिए सरकार के अधीन पदो/सेवाओं में रोजगार के लिए आरक्षण किए जाने के लिए छूट दी जा सके अथवा उनके मामले में आयु संबंधी कोई ढील दिए जाने की व्यवस्था की जा सके । इस संबंध में गृह मंत्रालय में उप-मंत्री द्वारा लोक सभा के दिनांक 18-12-1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4984 के दिए गए उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

Call by Bihar Chhatra Sangharsha Samiti for Bihar Band in Protest Against Attack on J.P. in Calcutta

9049. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Bihar Chhatra Sangharsha Samiti gave a call for "Bihar Band" on 6th April to protest against the alleged attack on Shri Jayaprakash Narayan in Calcutta on the 2nd April, 1975;

(b) if so, what was its impact;

(c) whether the supporters of Shri Jayaprakash Narayan damaged public property at many places; and

(d) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d) According to information available there was practically no impact of the bandh at Ranchi, Gaya, Madhubani. It had a mixed response in some other places. A few cases of attempts to interfere with road and rail communication in Rohtas and Patna districts have come to notice. A passenger train was detained for about an hour due to tampering of telephone wires by miscreants on the Arrah-Moghul Sarai Sector of the Eastern Railway. No other damage to public property has come to notice.

राज्य विद्युत् बोर्डों तथा केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण का पुनर्गठन

9050. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्तमान एककों के बेहतर प्रबंध तथा और नई विद्युत् परियोजनाओं के बेहतर रूपांकन तथा कार्यान्वियन को सुनिश्चित करने के लिये राज्य विद्युत् बोर्डों तथा केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण का पुनर्गठन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) विद्युत् उद्योग के पुनर्गठन से संबंधित प्रस्तावों पर सरकार द्वारा 1974-75 में विचार किया गया था और उन्हें अन्तिम रूप दिया गया था । इनमें ये शामिल थे :--

(1) विस्तृत कृत्यों सहित, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण का पुनर्गठन और उसे सुदृढ़ बनाना ;

(2) राज्य बिजली बोर्डों को व्यावसायिक रूप देना और उन्हें क्रियाशील बनाना ;

(3) उत्पादन काडर को वितरण काडर से पृथक करके, अथवा उत्पादन के लिए पृथक कम्पनियों की स्थापना करके विद्युत् सैक्टर में और अधिक विशेषज्ञता का निर्माण करना ;

(4) केन्द्रीय उत्पादन परियोजनाओं के निर्माण और प्रचालन के लिए केन्द्रीय कम्पनियां ;

(5) प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार और ताप-विद्युत् केन्द्रों के प्रचालकों के लिए प्रमाण-पत्र और लाइसेंस जारी करना ;

विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948 तथा नियमों में आवश्यक संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या

9051. **श्री जगन्नाथराव जोशी :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री आर० वी० बड़े :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का राज्यवार उपलब्ध अद्यतन अनुमान क्या है ; और

(ख) वर्ष 1961 और 1971 की जनगणना के बाद इन आंकड़ों में क्या परिवर्तन हुए हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए 1971 की जनगणना के पृथक आंकड़े अभी तक संकलित किये जा रहे हैं ।

'स्टील फर्नीचर मेकर्स इन डिस्ट्रैस'

9052. **श्री भाऊ साहेब धामनकर** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 अप्रैल, 1975 के 'इकानामिक टाइम्स' में 'स्टील फर्नीचर मेकर्स इन डिस्ट्रैस' से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई विभिन्न टिप्पणियों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, हां ।

(ख) समाचार में उल्लिखित सामान्य समस्या इस्पात के फर्नीचर की ऊंची कीमतों और उसके परिणामस्वरूप बिक्री एवं लाभ में हुई कमी पर उपभोक्ताओं के प्रतिरोध के बारे में है । सरकार द्वारा इस्पात के फर्नीचर की कीमतों का नियंत्रण नहीं किया जाता है। उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की अनुसूची में भी इस्पात का फर्नीचर बनाना शामिल नहीं है । इस्पात का फर्नीचर एक आवश्यक वस्तु नहीं है । अतएव यह उद्योग मांग और पूर्ति के जोर पर ही चलता है ।

ट्रक निर्माताओं के पास जमाराशि

9053. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रक निर्माताओं को अतिरिक्त उत्पाद शुल्क संबंधी अपने दायित्वों को पूरा करने के लिये मार्च, 1974 से ग्राहकों की तुलना में अपने विक्रेताओं से जमाराशि लेने की अनुमति दी गई थी ;

(ख) हालांकि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का प्रश्न अब हल हो गया है फिर भी क्या निर्माताओं ने अपने ग्राहकों को करोड़ों रुपये की उत्पाद शुल्क जमाराशि वापस अदा नहीं की है जिसके कारण क्रय-कर्ताओं को भारी असुविधा हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मोटरगाड़ी निर्माताओं की इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु कोई कदम उठाने का है, और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क) जी, नहीं ।

(ख) (ग) मे० टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड, बम्बई ने लगने वाले उत्पादन शुल्क का भुगतान करने के लिए विक्रेताओं से राशि जमा कराई थी जिन्होंने ग्राहकों से राशि जमा कराई है । 32–35 लाख रुपये की कुल राशि वापस लौटाई जानी थी और जिसका कुछ अंश पहले ही वापस लौटाया जा चुका है। निर्माताओं ने 31 मई, 1975 से पहले जमा राशि वापस लौटाने का काम शुरु कर दिया है।

Books published by Publications Division and their stock and sale

9054. Shri Shankar Dayal Singh: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the language-wise number of books published so far by the Publications Division; and

(b) the value of the stock of those books lying with the Publications Division at present and the steps being taken by Government for their sale?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha): (a) A list of language-wise number of books published is enclosed.

(b) The value of the present stock of all books is Rs. 72.99 lakhs. Steps for the sale of publications include sale through agents, booksellers, field staff deputed on sales promotion tours, display in book-stalls and exhibitions, insertion of advertisements in the press. Under the Plan scheme for opening static sales emporia, sales emporium was opened in Super Bazar, New Delhi, in last May and the sales of this emporium have been satisfactory.

Statement

Language-wise number of publications released from 1947 to 31-3-1975.

Language	No. of publications released
English	1641
Hindi	919
Bengali	198
Assamese	144
Oriya	133
Gujarati .	210
Marathi .	243
Tamil	218
Telugu	191
Malayalam	202
Kannada .	220
Punjabi .	190
Urdu	280
Kashmiri .	3
Sindhi	3
Other language	73
	4868

Bomb Explosion Near Railway Minister's House in Varanasi

9055. Shri Shankar Dayal Singh:
Shri Sarjoo Pandey:

Will be Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether there was a bomb explosion near the house of the Railway Minister, Shri Kamlapati Tripathi in Varanasi on 7th April, 1975; and

(b) if so, the details of the incident and whether any person has been arrested in this connection?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) and (b) The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House on receipt.

Dissolution of Coal Board

9056. Shri Shankar Dayal Singh: Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) whether Government have dissolved the Coal Board ; and

(b) if so, the reasons which compelled Government to take such a decision?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Sidheshwar Prasad): (a) & (b) The Coal Board was dissolved with effect from the 1st April, 1975 under the provisions of the Coal Mines (Conservation and Development) act, 1974.

भारतीय समाचारपत्रों में विदेशी विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध

9057. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी:

श्री राम सहाय पांडे:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय समाचारपत्रों में विदेशी विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1974 में विदेशी विज्ञापनों से कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) क्योंकि भारतीय समाचारपत्रों तथा नियत-कालिक पत्रों में विज्ञापन विदेशी दूतावासों द्वारा सीधे दिये जाते हैं, अतः सरकार के पास पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

भारतीय इंजीनियरी उद्योग संघ का सर्वेक्षण प्रतिवेदन

9058. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय इंजीनियरी उद्योग संघ (एसोसियेशन ऑफ इण्डियन इंजीनियरिंग इण्डस्ट्री) द्वारा किए गए सर्वेक्षण का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण से क्या निष्कर्ष निकाले गए हैं; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) इण्डियन इंजीनियरिंग उद्योग का संगठन इंजीनियरी उद्योग की प्रवृतियों का छमाही सर्वेक्षण करता है। संगठन ने अपने सर्वेक्षण संख्या 2 में संक्षिप्त निष्कर्षों में सरकार के पास भेजा है जो अप्रैल, 1974 से सितम्बर, 1974 तक की अवधि का है और इसमें आगामी 6 महीनों अर्थात् अक्तूबर, 1974 से मार्च, 1975 तक की सम्भावनाओं का भी उल्लेख है। निष्कर्षों में कुछ कठिनाइयों पर भी प्रकाश डाला गया है जैसे वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध न होना, सरकारी एजेंसियों और निर्यात क्रयादेशों में गिरावट आदि तथा इससे बड़ा ही निराशाजनक चित्र प्रस्तुत होता है।

(ग) यद्यपि सरकार ऐसे सर्वेक्षणों का ध्यान करती है तथा इस उद्योग के विकास में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण के लिए हर सम्भव उपाय करती रही है किन्तु सरकार सर्वेक्षण में उल्लिखित निराशाजनक दृष्टिकोण से सहमत नहीं है।

पोषाहार कार्यक्रमों में समन्वय करने के उद्देश्य से राज्यों में समितियों का गठन

9059. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में सभी पोषाहार कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर समितियां गठित करने के सुझाव दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां ऐसी समितियां गठित कर दी गई हैं; और

(ग) उनका कार्यकरण सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Applications for Telephone Connections in Patna and Gaya

9060. Shri Ishwar Chaudhry: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of applications for telephone connections pending consideration present in the Gaya and Patna districts of Bihar ; and

(b) the number of applications among them which fall in the general category of telephones as well as the number of those coming in the category of 'two tone' telephones and the time by which the demand for telephone connections in the above districts is likely to be met fully.

The Minister of Communications (Dr. Shankar Dayal Sharma): (a) & (b) The number of pending applications for telephone connections in the Gaya and Patna Districts of Bihar are 309 and 1,679 respectively of which those in the general category are 281 and 1,562. There is no category of telephones designated as two-tone.

Additional capacity of 480 lines will be installed at Gaya by the end of the current financial year. At Patna, 1,900 new lines are expected to be added by the end of 1976-77. Those expansions are expected to adequately cover the existing demand.

Help to Maruti Limited by M/s. Innocenti

9061. Shri Ishwar Chaudhry: Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state:

(a) whether M/s. Innocenti, the makers of Lambretta in Italy are being permitted expansion by transferring to India most of their plant to manufacture scooters and even such parts thereof which are being and can be manufactured by Indians themselves;

(b) whether M/s. Innocenti's 'Tractor Division' also, is being permitted to help Maruti Limited to manufacture the engines for their small car; and

(c) the details in this regard and Government's reaction thereto?

The Minister of state in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A. C. George): (a) and (b) No, Sir.

(c) Does not arise.

अनुभाग अधिकारी ग्रेड सीमित विभागीय परीक्षा 1975

9062. **श्री राम रतन शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 दिसम्बर, 1974 को अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) अधिनियमन, 1964 को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया है जिससे भावी उम्मीदवार अनुभाग अधिकारी ग्रेड की परीक्षा, 1975 में उन उम्मीदवारों के साथ बैठ सकें, जिन्होंने पूर्व नियमों के अन्तर्गत पहले ही आवेदनपत्र दिये थे ;

(ख) यदि हां, तो इसका केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कितने असिस्टेन्टों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) प्रभावित असिस्टेन्टों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Cases Pertaining to Madhya Pradesh Examined by C.B.I.

9063. **Dr. Laxminarayan Pandeya**: Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) the number of cases examined by the Central Bureau of Investigation in Madhya Pradesh in 1974-75; and

(b) the names of the firms, departments or persons with whom the said cases are connected ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Department of Personnel and Administrative Reforms and Department of Parliamentary Affairs (Shri Om Mehta): (a) During 1974-75, 107 cases were investigated by the Central Bureau of Investigation in Madhya Pradesh.

(b) The information, as on 7-5-75 about the names of the firms or persons involved in the cases in which, upon completion of the investigations, recommendations have been made by the CBI either for prosecution or for regular departmental action, is being collected and will be laid on the Table of the House. As regards the other cases in which investigations have not been finanlised and such recommendations as mentioned above have not yet been made, it will not be in the public interest at this stage to disclose the names of the firms or persons involved.

Rest Room for R.MS. Employees at Kotah.

9064. **Dr. Laxminarayan Pandeya**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether no suitable restroom is provided to the R.M.S. employees coming on duty from Ratlam to Kota:

(b) whether a request has also been received by Government from the employees in this regard; and

(c) the action taken thereon?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma): (a) A rest house for the RMS staff coming from Ratlam to Kota has been provided in a private rented building near the Kota Jn. Railway Station.

(b) the staff have requested that more accommodation be provided.

(c) the matter is under consideration.

Opening of Telegraph Offices in Madhya Pradesh

9065. **Dr. Laxminarayan Pandeya**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of telegraph offices Government propose to open in Madhya Pradesh during the current financial year; nad

(b) the extent to which Madhya Pradesh is lagging behind in post and telegraph facilities as compared to those available in other States?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma): (a) Depending on the availability of resources, telegraph offices will be opened at places where these are found justified as per the existing policy.

(b) The State has relatively less number of post offices and telegraph offices as compared to some other States. A post office in Madhya Pradesh is serving a population of 6671 persons and an area of 70.9 sq. Kilometers against All India average of 4687 persons and an area of 27.37 Sq. Kms. and a telegraph office is serving a population of 55460 persons and an area of 590 sq. Kms. against All India figure of 42883 persons and an area of 258 Kms. respectively.

Delay in Reaching of Money Orders

9066. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of cases which have come to the notice of Government where either the money orders reached late at their destinations or did not reach at all during the last three years;

(b) whether Government have looked into all these cases; and

(c) whether Government have examined the causes of increase in the cases of delayed or lost money orders; and the facts in this regard?

The Minister of Communications (Dr. Shankar Dayal Sharma); (a) The all India figures of M.Os. delayed and lost along with the total number of M.Os. handled for the three years are given below:

Year	M.Os. delayed in payment.	M.Os. lost and paid by issue of duplicate M.O.	Total M.O. traffic.
1972 .	42,392	27,429	99.8 millions
1973	61,502	27,430	100.6 millions
1974	73,526	28,013	95.0 Millions

(b) & (c) Whenever such cases come to the notice of Government they are looked into promptly. The main reasons for delay in payment of money orders are: —

(i) incorrect addressing of M.Os. by the remitters;

(ii) non-availability of the payees;

(iii) wrong direction of the M.Os. due to departmental error; and

(iv) reluctance of the payees of Rent M.Os. to accept such payments.

Loss of money orders is sometimes due to non-observance of the prescribed procedure by the concerned officials. Whenever loss of a money order is discovered, duplicate money order is issued immediately by the issuing post office.

मैसर्स फिलिप्स के उत्पादनों का प्रसारण

9067. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क). क्या एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने सिफारिश की है कि मैसर्स फिलिप्स द्वारा सामान्य उद्देश्यों के अपने उत्पादन तथा फ्लोरेंसेन्ट लैम्पों के उत्पादन के प्रसार के लिए दिए गए आवेदन पत्र को मंजूर कर लिया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार स्वीकृत की जाने वाली प्रसार सीमा का तथा सम्बद्ध अतिरिक्त क्षमता और संयंत्र के स्थान का उल्लेख किया है; और

(ग) क्या सरकार ने निर्यात की अनुमति के उपरान्त मैसर्स फिलिप्स के प्रस्तावित अतिरिक्त उत्पादन का स्वदेशी लैम्प उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई अनुमान लगाया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी मौर्य) : (क) से (ग) कम्पनी के एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अधीन जी० एल० एस० लैम्पों और फ्लोरेसेन्ट ट्यूब लैम्पों के उत्पादन के लिए अनापत्ति सम्बन्धी आवेदन पर एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की रिपोर्ट कम्पनी कार्य विभाग को 1 अप्रैल, 1975 को प्रस्तुत कर दी गई है । रिपोर्ट विचाराधीन है ।

अखबारी कागज की कमी की समस्या

9068. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री एन० आर० बेकारिया :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज की कमी की समस्या का समाधान करने के लिए कोई ठोस कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस क्षेत्र में देश के कब तक आत्म-निर्भर हो जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) (क) उठाये गये कदमों के परिणामस्वरूप फिलहाल अखबारी कागज की कोई कमी नहीं है ।

(ख) समाचारपत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु, राज्य व्यापार निगम ने हमारी आवश्यकताओं के लिये अखबारी कागज प्राप्त करने के लिये लम्बी अवधि के अनुबन्ध तथा अन्य पक्के वायदे प्राप्त किये हैं । सरकार ने सरकारी क्षेत्र के नेपा मिलों की क्षमता को 75,000 टन तक बढ़ाने का कार्य भी हाथ में लिया है । धन की उपलब्धि पर देश में अखबारी कागज के उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में नई यूनिटें स्थापित करने का भी विचार है ।

(ग) देश में उत्पादित अखबारी कागज आवश्यकता से अगले कुछ वर्षों तक कम रहेगा तथा निश्चित रूप से यह बताना कि देश किस तारीख तक आत्म-निर्भर हो जायेगा, समय पूर्व होगा ।

इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया हैदराबाद द्वारा मल्टी-चैनल टेलीविजन सैटों का निर्माण किया जाना

9069. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, हैदराबाद द्वारा निर्मित टेलीविजन सेटों में मल्टी चैनल व्यवस्था है; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड बिक्री के लिए मल्टी चेनल टेलीविजन सेटों का निर्माण अभी नहीं कर रही है। तथापि, कारपोरेशन ने भारत सरकार के कुछ विभागों के लिए विशेष मल्टी चैनल सेटों का निर्माण किया है। क्योंकि अभी देश में एक से अधिक टेलीविजन स्टेशन से प्रसारण प्राप्त करना सम्भव नहीं है, इसलिए बिक्री के लिए मल्टी चैनल सेट बनाने की आवश्यकता नहीं है।

अल्कोहलिक शराब का उत्पादन

9070. **श्री अर्जुन सेठी : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न किस्मों की अल्कोहलिक शराब का कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में ऐसी शराब की खपत का मात्रावार ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तकनीकी विकास के महानिदेशालय में दर्ज एककों द्वारा पिछले तीन वर्षों की अवधि में अल्कोहलिक शराबों की विभिन्न किस्मों -- रम, जिन, व्हिस्की, ब्राण्डी और देशी शराब की मात्रा निम्नप्रकार है :--,

वर्ष	उत्पादन कि० लि० में
1972	61,926
1973	67,142
1974 (अनुमानित)	70,440

(ख) विभिन्न राज्यों की अल्कोहलिक शराब की खपत को नहीं आंका गया है।

उड़ीसा में तारघरों और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों का खोला जाना

9071. **श्री अर्जुन सेठी : क्या संचार मंत्री** उड़ीसा में उप-डाकघरों और तारघरों के खोले जाने के बारे में 9 अप्रैल, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5493 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में ऐसे तारघरों और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों/तारघरों के नाम क्या हैं, जिन्हें सरकार ने मंजूरी दे दी है और ये मंजूरी प्राप्त तारघर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र राज्य में कब तक खोले जायेंगे ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : उड़ीसा में उन तारघरों और सार्वजनिक टेलीफोन घरों/तारघरों ने नाम संलग्न सूची में दे दिये गए हैं जिनकी मंजूरी दे दी गई है।

साधनों के उपलब्ध होने की दशा में इन कार्यालयों को यथा समय खोल दिया जाएगा।

विवरण

उड़ीसा सर्किल में मंजूर किए गए तारघरों की सूची

1. बदुआ
2. तुम्बरला
3. पदमापुर-मरशाघई
4. सुकरूली
5. झिडोंड
6. देवीद्वार
7. मेदलपुर
8. ओलामोड़ा
9. उपालड़ा
10. डांगरापल्ली
11. दसमन्थपुर
12. कन्टामल
13. गांधी चौक
14. बरगढ़ रेलवे स्टेशन

उडिसा सर्किल में मजूर किए गए सार्वजनिक टेलीफोन घरों/तारघरों की सूची

1. मदनपुर-रामपुर
2. सरसकोना
3. सदानन्दपुर
4. हतादिही
5. बालीमी
6. कल्याण सिंहपुर
7. मूजागढ़
8. अरादीं
9. रूरिहा
10. कंचूरी
11. सिंगला
12. कसारदा
13. सिरसा
14. ढालपुर
15. अरसा
16. हेमागिरि
17. पदमापुर
18. गढ़पोश
19. रायघर
20. भेटनोई
21. जयपटना
22. नया हाट
23. टिरिंग

Memorandum by A.I.R. Employees

9072. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether a memorandum has been submitted to Government by All India Radio Employees Union in February, 1975.

(b) if so, the main points of the memorandum ; and

(c) the action taken by Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) There is no Union by the name of All India Radio Employees Union functioning in A.I.R

(b) &(c) Do not arise.

Post Office in Industrial Colony of Pali

9073. **Shri M.C. Daga** . Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether there is no facility of post office in the industrial Colony of Pali city and how far is there a post office from it ; and

(b) whether Government propose to open a temporary post office around the industrial colony in Pali ; if so, by what time and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (a) & (b) A post office named Pali Industrial Estate Post Office is already functioning in the Industrial Colony Pali City.

पश्चिम बंगाल के मंत्री द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

9074. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल मंत्रिमण्डल के एक मंत्री के विरुद्ध कई महीनों पूर्व की गई उसकी यूरोप की यात्रा के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के आरोप में जांच की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मंत्री का नाम तथा उनका पद क्या है;

(ग) उनके विरुद्ध क्या विशिष्ट आरोप हैं;

(घ) आरोप की जांच किसके द्वारा की जा रही है; और

(ङ) जांच कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा धन का प्रत्यावर्तन

9075. **श्री वयालार रवि** : क्या इलेक्ट्रानिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड के गत तीन वर्षों में लाभांश, स्वामित्व व अन्य प्रभारों के रूप में वर्षवार कुल कितनी धनराशि का प्रत्यावर्तन किया ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकि मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा गत तीन वर्षों में लाभांश, स्वामित्व शुल्क (रायल्टी) और अन्य प्रभारों के रूप में विदेश भेजी गई कुल धनराशि (उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) का वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित विवरण-पत्र में दिया गया है :—

वर्ष	लाभांश (आंकड़े रुपयों में)	तकनीकी जानकारी (आंकड़े रुपयों में)	स्वामित्व शुल्क (रायल्टी) (आंकड़े रुपयों में)
1970-71	55,66,845	20,41,819	43,056
1971-72	58,58,464	24,48,312	5,88,492
1972-73	34,49,926	2,71,285	शून्य

उपर्युक्त विवरण-पत्र में लाभांश के अन्तर्गत दिखाई गई धनराशि वस्तुतः प्रेषित धनराशि है, जबकि तकनीकी जानकारी और स्वामित्व-शुल्क के अन्तर्गत दर्शायी गयी धनराशि वह रकम है जिसके भुगतान की स्वीकृति सरकार द्वारा प्रदान की गई है।

राजनीतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध "आंसुका" का प्रयोग

9076. **श्री मधु दंडवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 अप्रैल, 1975 को श्री मोरारजी देसाई का अनशन समाप्त हो जाने के बाद, सरकार ने 'आंसुका' के प्रयोग के संबंध में, विशेषकर राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध इसके प्रयोग के संबंध में, अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दृष्टिकोण की मुख्य बातें क्या हैं।

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) संभवतः यह सन्दर्भ प्रधान मंत्री द्वारा श्री मोरारजी देसाई को लिखे गये अपने 13 अप्रैल, 1975 के पत्र में की गई टिप्पणी से है। प्रधान मंत्री के पत्र में आंसुका के प्रयोग के बारे में तत्संबंधी उद्धरण संलग्न है। उस संबंध में राज्य सरकारों को पहले ही लिखा गया है और मामले में उनके विचार मांगे गये है।

श्री मोरारजी देसाई को भेजे गये प्रधान मंत्री के पत्र दिनांक 13–4–1975 के उद्धरण

"आंसुका के प्रयोग के बारे में हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि इसका तात्पर्य न्याय संगत राजनैतिक गतिविधियों के विरुद्ध करना नहीं है। बल्कि मुख्य रूप से समाज विरोधी तथा राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध है। किन्तु जैसा कि आपने आंसुका के प्रयोग के संबंध में कुछ शंकायें व्यक्त की हैं, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके मामले की जांच की जायगी।"

27 LSS/75—10

श्री मोरारजी देसाई के अनशन के समर्थन में सार्वजनिक सभा के बाद अहमदाबाद में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

9077. **श्री मधु दंडवते :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री मोरारजी देसाई के अनशन के समर्थन में सार्वजनिक सभा के बाद 12 अप्रैल, 1975 को अहमदाबाद में पुलिस ने गोली चलाई थी; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : 12-4-75 को पुलिस को अपने बचाव के लिये दो बार गोली चलानी पड़ी जब एक सार्वजनिक सभा के बाद अहमदाबाद नगर के कुछ क्षेत्रों में भीड़ द्वारा हिंसा फैलायी गई।

श्री समरगुह (कंटाई) : बांगला देश से हजारों शरणार्थी पश्चिम बंगाल और असम में आ रहे हैं और उनकी दशा शोचनीय है। मैंने इस बारे में एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। **(व्यवधान)**।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : मैंने भी इसी विषय का उल्लेख किया है। मंत्री जी ने शरणार्थियों के मामलों के लिए एक समिति नियुक्त करने का आश्वासन दिया था। पश्चिमी पाकिस्तान तथा बांगला देश से आने वाले शरणार्थियों के बीच भेदपूर्ण नीति अपनाई जा रही है। मंत्री जी इस संबंध में वक्तव्य दे।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न श्री समर गुह के मुद्दे से भिन्न है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : त्रिपुरा में भयंकर सूखे की स्थिति व्याप्त है तथा चारों तरफ भुखमरी फैली हुई है। खाद्य मंत्री इस बारे में एक वक्तव्य दें।

श्री समर गुह : हजारों शरणार्थियों को जबरन बांगला देश वापस भेजा जा रहा है तथा हजारों सीमा के इस ओर घूम रहे हैं। इनको अपने घर वापस भेजने तथा उन्हें राहत देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे उनके पास भेज रहा हूं।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Speaker, Sir, some time back you had told us that you would go into all the aspects of the matter raised by us against Shri V. B. Raju and then give your ruling. The House shall adjourn *sine-die* on Friday. May I know when you are going to give your ruling so as to enable to discuss it ? This is a very serious matter. The Member of Rajya Sabha has tried to cast aspersions in the P.A.C. Action should be taken against Shri Raju.

अध्यक्ष महोदय : मैंने सदस्य से जानकारी मांगी है। जानकारी आने पर मैं अपना फैसला दूंगा।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :--

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(क) (एक) भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड नैनी, इलाहाबाद के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड नैनी, इलाहाबाद का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये सं० एल०टी० 9637/75]

(ख) (एक) माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 9638/75]

(ग) (एक) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 9639/75]

(2) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत विकास परिषद् के निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(एक) हैवी इलेक्ट्रीकल इंडस्ट्रीज विकास परिषद् का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) हैवी इलेक्ट्रीकल इंडस्ट्रीज विकास परिषद् का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 9640/75]

समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :--

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(क) (एक) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 9641/75]

(ख) (एक) भारत ऑप्थेलमिक गिलास लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत ऑप्थेलमिक गिलास लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 9642/75]

अखिल भारतीय सेवाएं (भविष्य निधि) नियम

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्यमंत्री (श्री ओम् मेहता) : मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवाएं (भविष्य निधि) तीसरा संशोधन नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 26 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 515 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 9643/75]

अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :--

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(एक) सा०सां०नि० 248 तथा 249 (ङ) जो दिनांक 6 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०सां०नि० 250(ङ) तथा 251 (ङ) जो दिनांक 6 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 9644/75]

(2) अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 201(50) की एक प्रति जो दिनांक 16 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें विमान कम्पनियों की आय को दोहरे कराधान से दबाने के लिये भारत सरकार और इटली सरकार के बीच हुआ समझौता दिया हुआ है।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 9645/75)

अधिसूचनाएं, समीक्षा और वार्षिक रिपोर्ट आदि

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : On behalf of Shri Annasahib P. Shinde I beg to lay on the Table a copy of each of the following notifications (Hindi and English versions under Sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 :—

(1) The Inter-Zonal Wheat and Wheat Products (Movement Control) Second Amendment Order, 1975, published in Notification No. G.S.R. 176(E) in Gazette of India dated the 31st March, 1975.

(2) G.S.R. 177 (E) published in Gazettee of India dated the 31st March, 1975 rescinding the Wheat (Price Control) Order, 1974 pubisled in Notification No. G.S.R. 261 (E) dated the 5th June, 1974.

(Placed in the Library.—*See* No. L T 9646/75)

On behalf of Shri Vidya Charan Shukla I beg to lay on the Table:——

(1) A copy of the Annual Report of the Indian Statistical Institute Calcutta, for the year 1972-73

(2) A statement (Hindi and English versions) explaining the reasons for not laying simultaneously the Hindi version of the above Report.

[Placed in the Library. *See* No. L T 9647/75]

Papers under Section 619-A of the Companies Act

(Prof. Siddheshwar Prasad (Contd.)

I beg to lay on the Table.——

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:——

(a) (i) Review by the Government on the working of the National Projects Construction Corporation Limited, New Delhi, for the year 1973-74.

(ii) Annual Report of the National Projects Construction Corporation Limited, New Delhi for the year 1973-74 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in the Library. *See* No. LT 9648/75]

(b) (i) Review by the Government on the the working of the Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli for the year 1973-74.

(ii) Annual Report of the Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli, for the year 1973-74 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in the Library *See* No. LT 9649/75]

(2) A copy of the Budget Estimates (Hindi and English version) of the Damodar Valley Corporation for the year 1975-76, under Sub-section (3) of section 44 of the Damodar Valley Corporation Act, 1948.

[Placed in the Library *See*. No. LT-9650/75]

(3) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Damodar Valley Corporation along with Audit Report on the accounts thereof for the year 1971-72 under sub-section (5) of section 45 of the Damodar Valley Corporation Act, 1948.

[Placed in the Library. *See*. No. LT-9651/75]

(4) A copy of Notification No. G.S.R. 164 (E) (Hindi and English versions) published in Gazettee of India dated the 26th March, 1975 issued under the Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974.

[Placed in the Library *See*. No. LT-9652/75]

(5) A copy of Notification No. S.O. 159(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 29 th March, 1975 under sub-section (3) of section 6 of the Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974.

[Placed in the Library *See*. No. LT-9653/75]

(6) A copy of the Coal Mines (Conservation and Development) Rules, 1975 (Hindi and English versions) published in Notification No . G.S.R. 184(E) in Gazettee of India dated the 1st April, 1975 under sub-section (4) of section 18 of the Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974.

[Placed in the Library. *See* No. LT-6954/75.]

फिल्म वित्त निगम के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिन्हा) : कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :--

(एक) चलचित्र वित्त निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) चलचित्र वित्त निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये सख्या एल०टी० 9655/75]

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

Committee on Absence of Members from Sittings of the House

कार्यवाही सारांश

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : I beg to lay on the Table Minutes of the 19th to 21st Settings of the committee on Absence of Members from the sittings of the House held during the current session.

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देता हूं :--

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बंधी नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के अनुसार, मुझे विनियोग (सख्या 2) विधेयक, 1975 को, जो लोक सभा ने 29 अप्रैल, 1975 की अपनी बैठक में पास किया था तथा राज्य सभा को उसकी सिफारिश के लिये भेजा था। इसके साथ वापस करने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को उक्त विधेयक के बारे में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

56वां प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 56वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति
Committee on Absence of Members from Sittings of the House

21 वां प्रतिवेदन

श्री चन्द्रिका प्रसाद (बलिया) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का 21वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (संशोधन) विधेयक
MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY (Amendment) BILL

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव के मतदान के लिए रखने से पूर्व में सर्वश्री मधु लिमये, सोमनाथ चटर्जी, एस० एम० बनर्जी, जनेश्वर मिश्र, समर गुह और ज्योतिर्मय बसु को, जिन्होंने विधेयक को पुरः स्थापित करने के प्रस्ताव का विरोध करने का अपना आशय मुझे बताया है, इसी क्रम से पुकारूंगा।

Shri Madhu Limaye : (Banka) The statement of objects and reasons in Bill is incomplete and misleading. The provision being made in the proposed new clause 2 Section 215 A (1) (b) is aimed at mullifying a number of judgements given by the Supreme Court in preventive detention cases. No clarification has been given in the statement of objects and reasons as to why this provision is being included.

Article 22 of our Constitution provides for certain restriction in arrest and detention of persons in certain cases. But the Government wants to do away with these restrictions one by one. In case this Bill is passed then any person can be arrested and detained even if only one of the reasons is found valid by the Court and all other grounds may be false. Further a provision is being included in the Bill that cases of such detention shall not be brought before the Advisory Board for two years. This is an attack on the democracy and is likely to pave the way for dictatorship. The Government wants to finish our fundamental rights. The definition of prejudicial act has been made in such a way that any act of a person can be termed on prejudicial act and he can be put under detention. I therefore, oppose this Bill and it should not be allowed to be introduced in the House.

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : यह विधेयक जिसे पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है बहुत ही घृणित विधान है। इसे देश में नागरिक स्वतन्त्रता के न्यूनतम अधिकार को समाप्त करने की दृष्टि से पेश किया जा रहा है। आपातकालीन स्थिति की आड़ में 'आंसुका' में संशोधन किया गया है। इससे न केवल लोकतंत्र का हनन हुआ है अपितु संविधान का भी हनन हुआ है। प्रस्तावित नई धारा 15(क) (1) (ख) में की जाने वाली व्यवस्था के अनुसार किसी भी व्यक्ति की 'आंसुका' के अधीन गिरफ्तार किया जा सकता है तथा इसके पांच सप्ताह बाद नजरबन्द करने वाले अधिकारी द्वारा अपना समाधान करने के बाद यह घोषणा की जा सकती है कि जिस क्षेत्र से उक्त व्यक्ति नजरबन्द किया गया वह अति संवेदनशील क्षेत्र है और इसलिये उस को दो वर्ष की अवधि तक सलाहकार बोर्ड के सम्मुख पेश करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो उसे इस बात की जानकारी नहीं होती कि वह क्षेत्र इस अधिनियम के अधीन घोषित संवेदनशील क्षेत्र है या नहीं। इससे होगा यह कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य जो उस समय बिल्कुल अपराध नहीं था, अब अपराध माना जायेगा। इसलिए यह विधान पास करना लोगों पर अत्याचार करना होगा।

विद्यमान कानून के अनुसार सरकार को नजरबन्द व्यक्ति के मामले को तीन महीने के भीतर सलाहकार बोर्ड के पास भेजना पड़ता है। पर अब किसी व्यक्ति को नजरबन्द करने के बाद सरकार उस क्षेत्र को (ख) के अधीन संवेदनशील घोषित कर देगी और मामले को सलाहकार समिति के सम्मुख रखे बिना उसे नजरबन्द ही रखा जायेगा।

अनुच्छेद 22(7) में यह व्यवस्था है कि संसद नजरबन्दी के समय कानूनन यह वर्गीकरण करेगी कि वह व्यक्ति किस वर्ग विशेष के अन्तर्गत आता है। जब तक यह वर्गीकरण संसद नहीं करेगी तब तक वह कोई विधान नहीं बना सकती। इस संबंध में संसद के पास कोई विधायी क्षमता नहीं होगी क्योंकि यहां अनुच्छेद 22(7) के उपबन्ध लागू हो जायेंगे। इसीलिए यह नया विधान बनाया जा रहा है जिससे कि नजरबन्द करने वाले अधिकारी को यह निश्चय करने के लिए सक्षम बनाया जा सके कि किस व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड के सामने पेश किया जाये और किस को न किया जाये।

इस विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि यह विधान इस उद्देश्य से लाया जा रहा है कि इससे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कतिपय कल्पित गतिविधियों को रोका जा सकेगा। पर विधेयक में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि यह केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा।

इसलिये स्पष्ट है कि उद्देश्यों और कारणों संबंधी विवरण भ्रामक है तथा विधेयक में इनके औचित्य को सिद्ध नहीं किया गया है। यह लोक सभा के प्रक्रिया नियमों का उल्लंघन है।

इस विधेयक के प्रयोजनार्थ संसद सदस्यों और विधायकों को लोक सेवक (पब्लिक सर्वेंट) बना कर क्या उनका सम्मान किया जा रहा है? सरकार इससे अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहती है क्योंकि वह देश के सामान्य नियमों और संविधान के उपबन्धों के अधीन कार्य नहीं कर सकती है।

विधेयक के पृष्ठ 2 में दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार केन्द्रीय या राज्य सरकार को भारत रक्षा तथा नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, कानून और व्यवस्था कायम रखने या जीवनोपयोगी तथा अनिवार्य सप्लाई एवं सेवाएं बनाए रखने के लिये आवश्यक सेवा नियोजित वर्ग की घोषणा करनी होगी। यह घोषणा किसी न किसी कानून के अन्तर्गत की जायेगी। इसका अर्थ है विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन करना। इसके लिए विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं की गई है तथा प्रक्रिया नियमों के नियम 70 में अपेक्षित ज्ञापन भी नहीं दिया गया है।

विधेयक का परिशिष्ट तैयार करने में गंभीर अनौचित्य हुआ है। सभा सदस्यों को जानबूझकर गुमराह करने का प्रयास किया गया है। इसलिये इस विधेयक को पास न होने दिया जाये। यह जनता का अपमान है। हम इसका पूरी ताकत से विरोध करेंगे।

श्री एस०एम० बनर्जी (कानपुर) : इस विधेयक को सभा में लाने से पहले सरकार को विपक्ष से परामर्श करना चाहिए था। पर ऐसा नहीं किया गया। विधेयक के साथ लगे उद्देश्य और कारणों के विवरण में कहा गया है कि यह विधेयक पूर्वोत्तर क्षेत्र में लोगों की गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए लाया जा रहा है। हम जानते हैं कि सरकार किसी भी गतिविधि को गैर-कानूनी करार दे सकती है। यदि इसका उद्देश्य जो बताया गया है वही है तो इसे समस्त देश में क्यों लागू किया जा रहा है? आज देश के अनेक भागों में हजारों व्यक्तियों की नक्सलवादियों के नाम पर पुलिस द्वारा निर्मम हत्या की जा रही है। हजारों की संख्या में लोग बन्दी बनाये जा रहे हैं। क्या सरकारी कर्मचारी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या उनमें नैतिकता की भावना नहीं है?

वास्तव में इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य विपक्षी दलों और नेताओं की आवाज को दबाना है यदि यह विधेयक कांग्रेस के बहुमत से पास किया गया तो यह उसके लिए ही खतरनाक सिद्ध होगा। पर मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि सारे विरोधी दल इस मामले में एक हैं। हम सब मिलकर इसका यथाशक्ति विरोध करेंगे। यह विधेयक वापस लिया जाना चाहिए।

Shri Janeshwar Misra (Allahabad) : In the objects and reasons statement with the Bill the Minister has said that this is being brought to check unlawful activities. But if unlawful legislation is brought for checking unlawful activities, it should be the duty of all of us to oppose it tooth and nail.

At the time when Shri Morarji Desai was on fast, the Prime Minister had said that MISA would not be used against political leaders and social workers in general. But despite that a number of political workers have been detained under the MISA.

If any person detained under the MISA is released by the Supreme Court, it is said that the Court is not conducting to itself in accordance with the aspirations of progressive Community but is working as a reactionery court.

According to the provision of this Bill, M.Ps. and M.L.As. have been included in the.definition of 'public servant.' This would mean taking away the right of the people to agitate against their elected representative in case they feel that he did wrong thing at the time of election and also they are not satisfied with his actions. This Bill has been brought to take away fundamental rights of the people. It is an atrocian piece of legislation. It should not be allowed to be introduced.

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने का पुरजोर विरोध करता हूं । श्री मोरारजी देसाई के अनशन के संदर्भ में प्रधान मंत्री ने इस सभा को स्पष्ट आश्वासन दिया था कि 'आंसुका' का प्रयोग करने से पहले केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से परामर्श करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि 'आंसुका' का राजनीतिक कार्यकर्ताओं या किसी वैध गतिविधि या कार्मिक संघों के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध प्रयोग न किया जाये। यह विधेयक इस आश्वासन का स्पष्ट उल्लंघन है और इस सभा के विशेषाधिकार का हनन है।

हम पहले ही संवैधानिक तानाशाही के अधीन हैं । सरकार आये दिन यह कहती है कि देश को बाह्य और आन्तरिक खतरे का भी सामना करना पड़ रहा है । इसका औचित्य सिद्ध करते हुए आपात स्थिति को जारी रखने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया जा रहा है । इस विधेयक को पास करने का अर्थ देश में प्रत्यक्ष तानाशाही स्थापित करने की दिशा में एक कदम होगा तथा हमारे मौलिक अधिकार कुतर दिये जायेंगे तथा यह संविधान के मौलिक सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा।

उद्देश्यों और कारणों सम्बन्धी वक्तव्य में कहा गया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो स्थिति विद्यमान है उसे देखते हुए यह विधेयक लाया जा रहा है पर जब यह विधेयक पास हो जायेगा तो इसे सारे देश में लागू किया जायेगा। इससे भारतीय दण्ड संहिता, भारतीय विस्फोट अधिनियम, विस्फोटक तत्व अधिनियम और आयुद्ध अधिनियम निरर्थक हो जायेंगे ।

वर्तमान स्थिति यह है कि पश्चिम बंगाल की एक जेल में तीन चार दिन पहले चार युवकों की निर्मम हत्या इन हास्यास्पद आरोपों पर कर दी गई कि उन्होंने जेल के अन्दर हथियार और बारूद इकट्ठा किया था। इसी तरह कई और लोग भी मार दिये गये हैं ।

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच बिहार) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । कुछ सदस्यों ने विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने का विरोध करते हुए सभी नियमों और प्रक्रियाओं की सीमा लांघ दी है । नियमों के अनुसार वे विधेयक पर विचार किये जाने के समय अपनी बात कह सकते हैं । सदस्यों को वे बातें नही उठानी चाहिए जिनका विधेयक से सम्बन्ध नहीं है ।

श्री समर गुह : इस विधेयक से हमारे संविधान का सारा आधार ही समाप्त हो जायेगा । और यह देश में प्रत्यक्ष अधिनायकवाद लाने की दिशा में एक कदम होगा । इसलिए इसका पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : यह विधेयक न तो इस सभा में पुरःस्थापित किया जा सकता है और न इसे अधिनियमित ही किया जा सकता है क्योंकि इससे संविधान का उल्लंघन होता है । उद्देश्यों और कारणों के वक्तव्य में कहा गया है कि देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ लोगों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया जा रहा है । पर यह उद्देश्य विधेयक में कहीं भी प्रतिबिम्बित नहीं होता । उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कुछ और कहना तथा विधेयक में कुछ और कहना क्या धोखा देना नहीं है ? इससे अन्तर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संस्थाओं और विधिवेताओं में हमारे प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी ? सरकार द्वारा इस प्रकार की निरपेक्ष शक्ति ग्रहण करने का अभिप्राय है कि सरकार लोकतंत्र की आड़ में फासिस्टवाद की नकाब पहन रही है । वह नागरिकों के मूल अधिकारों को समाप्त करना चाहती है । न्यायालय निष्प्रयी बना दिये गये हैं । संसद का वे परिस्थितियां निश्चित करने का अधिकार पूर्णतः निष्प्रभावी बना दिया है जिनके अधीन किसी व्यक्ति को नजरबन्द किया जा सकता है।

आंसुका विधेयक पर चर्चा के दौरान 18 जून, 1971, को श्री कृष्ण चन्द्र पंत ने कहा था कि इस विधेयक को राजनीतिक उद्देश्यों के लिये कभी भी प्रयोग में नहीं लाया जायेगा । यह बात उस समय श्री पंत ने कही थी ।

जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल में त्रिपुरा के छः विधायकों को नजरबन्द किया गया है। इस प्रकार के हजारों मामले हैं । जून, 1974 तक आंसुका के अन्तर्गत नजरबन्द किये गये व्यक्तियों की संख्या 16,825 से अधिक हो गई है । पश्चिम बंगाल राज्य में जहां श्रीमती इन्दिरा गांधी को 1971 के लोक सभा के चुनावों में पराजय का मुंह देखना पड़ा, अब नजर बन्दियों में से 72 प्रतिशत व्यक्ति यहां के हैं । हम सब जानते हैं कि जो भी कानून बनाये जाते हैं वह जनता के कल्याण के लिये नहीं बल्कि सत्तारूढ दल के हित साधने के लिये बनाये जाते हैं ।

30 जून, 1972 तक नजरबन्द व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार थी :—

त्रिपुरा	885
पश्चिम बंगाल	3075

उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार से की गई नजर बन्दियों की तीव्र भर्त्सना की है । केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने अनेक बार न्यायालयों की अवमानना की है । जिन व्यक्तियों को रिहा किया गया उन्हें पुनः जेल में डाल दिया गया ।

वह नागा आन्दोलन का दमन करना चाहते हैं । वहां पर क्या हो रहा है ? इस बारे में एक पत्रिका में "रंगापहाड़ में हत्या" के शीर्षक से एक लेख प्रकाशित हुआ है । इसमें कहा गया है. . . . .

अध्यक्ष महोदय : सीमा बड़ी सीमित है । कृपया उसे लांघने का प्रयत्न न कीजिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं दो मिनट में अपनी बात कह लूंगा सुरक्षा दल ने एक बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति की हत्या की है ।

श्री दिनेन भट्टाचार्य : इस बात का जिक्र नागालैंड से सम्बन्धित सदस्य ने कर दिया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण अंश की चर्चा करूंगा । सरकारी कर्मचारी की परिभाषा के अनुसार संसद सदस्य राज्य या संघ शासित क्षेत्र के विधान मंडल के सदस्य भी 'सरकारी कर्मचारी' माने जायेंगे । हमारे संविधान के अनुसार विधान सभा और उसके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकार तथा असंक्राम्यता नितान्त रूप में राज्य के विषय हैं । अतः जब तक सरकार संविधान के स्पष्ट उपबन्धों का उल्लंघन करेगी, यह विधेयक इस सदन में पास नहीं किया जायेगा ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यह ठीक ही कहा गया है कि उद्देश्यों और कारणों सम्बन्धी वक्तव्य अत्यन्त त्रुटिपूर्ण हैं । इसे उद्देश्यों और कारणों सम्बन्धी गलत बयानी कहना उचित होगा क्योंकि इससे जानबूझ कर तथ्यों को छुपाया गया है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर आधारित उच्चतम न्यायालय और कुछ उच्च न्यायालयों के निर्णयों को रद्द करने का प्रयास किया गया है । अतः इस विधेयक के वास्तविक उद्देश्यों और आशयों को अभिव्यक्त करने के बजाय उन्हें दबाने का अधिक प्रयास किया गया है । उद्देश्यों और कारणों सम्बन्धी वक्तव्य दिये गये सभी कारण राजनीतिक हैं और एक उद्देश्य भी वैध नहीं है ।

फिर हमें यह भी नहीं पता है कि हम वास्तव में क्या पास कर रहे हैं । क्या हम अपना ध्यान एक विशेष अपराध की ओर नहीं दे रहे हैं ? फिर विशेष अपराध क्या है ? अपराध का स्वरूप तो कार्यकारी आदेश द्वारा भी परिवर्तित किया जा सकता है । अतः हम यहीं नहीं जानते कि हम क्या पास करने जा रहे हैं ?

निरन्तर नजरबंदी की संकल्पना पुरःस्थापित करने से अनिश्चित काल तक नजरबन्दी का मामला बनाया जा रहा है । इससे संविधान के अनुच्छेद 22 का स्पष्ट उल्लंघन होता है क्योंकि इसमें यह व्यवस्था है कि संसद ही उस अधिकतम अवधि का निर्धारण कर सकती है जब तक कि किसी व्यक्ति को नजरबन्द रखा जा सकता है ।

धारा 11 में उस निश्चित समय जबकि उल्लेख किया गया है, के बारे में बताया गया है । वह निश्चित समय क्या होगा और यदि इसका उल्लेख किया गया तो इस निश्चित समय को कौन निर्धारित करेगा ? और यदि उल्लेख नहीं किया गया तो यह दायित्व कहां है कि उल्लेख किया जाना चाहिये । दूसरे, यदि उल्लेख का असाधारण रूप से विलम्ब किया गया तब क्या होगा ? अतः दोनों ही मामलों में यह पूर्णतः अस्पष्ट स्थिति है कि संसद का सामना किया गया है और संसद से ऐसे अस्पष्ट और अविवेकपूर्ण कानून को पास करने के लिये कहा गया है । हम इस विधेयक का दृढ़ता से विरोध करते हैं । यह न केवल तानाशाही का प्रतीक है जिसे हम देश में देख रहे हैं बल्कि कठोर निरंकुशतावादी है ।

यह तो दोहरी आपातस्थिति है । यह पश्चगामी और फासिस्टवादी विधेयक है और ऐसी स्थिति में हम इसका समर्थन नहीं करेंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मूल अधिनियम में निश्चित समय के भीतर, जो 30 दिन और 10 सप्ताह से अधिक नहीं होता है, सलाहकार बोर्ड की अध्यस्थता का उपबन्ध है । यह बात सर्वविदित है कि सलाहकार बोर्ड की मध्यस्थता से अनेक नजरबन्द व्यक्तियों को रिहा होने का अवसर मिल जाता है क्योंकि सलाहकार बोर्ड यह महसूस करता है कि व्यक्तियों को लगातार नजरबन्द रखने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है । हमारे सम्मुख पड़े इस संशोधन विधेयक में सलाहकार बोर्ड की मध्यस्थता 2 वर्ष की अवधि तक समाप्त की जा रही है । इसलिए नजरबन्दी के कारण या नजरबंद के आवेदन पत्र को दो वर्ष तक सलाहकार बोर्ड के सम्मुख रखना आवश्यक नहीं है । यदि यह विधेयक पास हो गया तो इसका यह आशय होगा कि अनेक नजरबन्दी 2 वर्ष की अवधि तक निरन्तर नजरबन्द रखे जायेंगे । इससे अनेक व्यक्तियों को नजरबन्द किया जा सकता है और सरकार को उन पर अतिरिक्त धन भी खर्च करना होगा । चूंकि निरन्तर नजरबन्दी की व्यवस्था के माध्यम से इस विधेयक में अतिरिक्त व्यय भी शामिल है अतः इस विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन संलग्न किया जाना चाहिये । इस विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन नहीं है इसलिए यह विधेयक अपूर्ण है । अतः मैं आपका इस पर निर्देश चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से बात नहीं कर रहा, मैं औरों से बात कर रहा हूं ।

Shri R. R. Sharma (Banda) : I had intimated.

Mr. Speaker : The intimation should have come before 10 O'clock. But if you inform like this I have already said that opportunity will be given to them who inform before hand.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्हें 2 वर्ष से पहिले न्यायालय में जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी..... (**व्यवधान**)......वित्तीय ज्ञापन कहां है ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : वक्ताओं की सूची पूरी हो चुकी है ।

श्री दिनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : आप विधि मन्त्री को स्थिति को स्पष्ट करने के लिये क्यों नहीं कहते ?

Shri Madhu Limaye (Banka) : Ask them whether they propose to take back the bill......

Shri Sharad Yadav (Jabalpur) : I was detained on a false charge for two years. This will not be passed.

अध्यक्ष महोदय . आप लोगों ने कुछ बातें उठाई हैं अब वह इसका उत्तर देंगे ।

Shri Madhu Limaye : We won't allow dictatorship.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले मन्त्री महोदय का जवाब सुनिये तब तक कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा । (**व्यवधान**)

Shri Janeshwar Misra : This Bill cannot be introduced you please adjourn the House. (*Interruption*)

अध्यक्ष महोदय : जब कुछ बातें उठाई गई हैं तो आप लोग उत्तर सुन लीजिये । आप मन्त्री महोदय को सुनते क्यों नहीं हैं ? (**व्यवधान**)

शान्ति बनाये रखिये और आप लोग अपने अपने स्थान ग्रहण कीजिये । (**व्यवधान**...)

आप सभी पुराने और अनुभवी संसद सदस्य हैं आप अपने स्थान ग्रहण कीजिये । (**व्यवधान**)

There should be some order in the House. You have raised some points, let the honourable.Minister reply to them ; (*Interruptions*) If you want the adjournment...that is within my powers...but if you want withdrawal of the Bill, it is beyond my powers........

मैं सदन को एक घन्टे के लिये स्थगित करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 3 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

THE LOK SABHA THEN ADJOURNED FOR LUNCH TILL FIFTEEN OF THE CLOCK.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 3 बजे म० प० पुनः समवेत हुई ।

THE LOK SABHA RE-ASSEMBLED AFTER LUNCH AT FIFTEEN OF THE CLOCK.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शान्त रहिये, कृपया मेरी बात सुनिये । मैं सदन में व्यक्त की जा रही भावना को जानता हूं । जहां तक मैं समझता हूं कुछ सदस्यों ने इस विधेयक के पुरःस्थापन के विरुद्ध अपने निवेदन किये हैं । शायद एक अथवा दो और सदस्य बोलना चाहते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : महोदय मैंने सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उसे अभी नहीं देखा है इस स्थिति में किसी को भी हठधर्मी नहीं अपनानी चाहिये । मैं दो अथवा तीन सदस्यों को बोलने का अवसर दूंगा ।

श्री दिनेन भट्टाचार्य : आप पहले इस विधेयक को पढ़िये । आपने इसे पढ़ा नहीं है और इसकी अनुमति दे रहे हैं

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इसे पढ़ा है । आपको यह नहीं कहना चाहिये कि मैं ने इसे पढ़ा नहीं है।

श्री दिनेन भट्टाचार्य : आप इसकी अनुमति कैसे दे सकते हैं **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी मैं पीठासीन होता हूं मैं सारी कार्यवाही का अध्ययन करता हूं यह धारणा मत बनाईये कि मैं इस विधेयक के बारे में कुछ भी नहीं जानता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम इसे स्वीकार करते हैं, आप एक असाधारण व्यक्ति हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कुछ और सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय मुझे उस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम । मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि वह सदस्यों द्वारा उठाई जा रहीं बातों को ध्यानपूर्वक नोट करते जायें और मुझे आशा है कि वह सदन को सन्तोषजनक उत्तर देंगे ।

श्री पी० जी० मावलंकर : उपाध्यक्ष महोदय इस विधेयक को किसी भी स्थिति में पुरःस्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाये । जिस ढंग से इस विधेयक को इस सदन में प्रस्तुत किया गया है उससे सरकार का मनमाना रवैया दिखाई देता है । उद्देश्यों और कारणों सम्बन्धी कथन अधूरा और अपर्याप्त हैं । और इसे जान बूझ कर अधूरा रखा गया है ताकि सरकार यह कह सके कि उसका आशय भी यही है और इसलिये हमें ये असाधारण शक्तियों का प्रयोग करना पड़ा है।

फिर इसमें वित्तीय ज्ञापन भी नहीं है। इसके साथ वित्तीय प्रभार है और फिर भी इस विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन नहीं है । यह विधेयक तानाशाही को सम्भव और यथार्थ बनाने के लिये बहुत आगे बढ़ गया है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या उसे ऐसे विधायी कदम के बहाने देश के आधारभूत कानून के किसी भाग को परिवर्तित करने का अधिकार है ? क्या देश का आधारभूत कानून संसद के किसी अधिनियम के अधीन हो सकता है ? क्या संसद को संविधान की भावना के प्रतिकूल कोई विधान पास करने के लिये बाध्य किया जा सकता है ? और इस सरकार को मनमानी और अनियंत्रित शक्तियां दी जा सकती हैं ? हम ऐसा नहीं होने देंगे ।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : विधेयक को पुरःस्थापित करते समय संसद की क्षमता के बारे में प्रश्न उठाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 22 में अवरोधक कानून अधिनियमित करने का उपबन्ध है। मौलिक अधिकार भी अनुच्छेद 22 पर निर्भर करते हैं क्योंकि इस अनुच्छेद से नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर उचित प्रबन्ध लगाया जा सकता है। जहां तक "आंसुका" का सम्बन्ध है इससे संसद की क्षमता के अन्तर्गत वैध घोषित माना गया है।

प्रश्न यह है कि क्या इस संशोधन विधेयक के इस उपबन्ध से किसी प्रकार मौलिक अधिकारों का हनन होता है ? यह विधेयक के गुण-दोषों से सम्बन्धित है और इसका निश्चय उच्चतम न्यायालय में ही हो सकता है। जहां तक उद्देश्यों और कारणों की अपूर्णता का सम्बन्ध है, यह एक अलग प्रश्न है।

Shri R.R.Sharma: Mr. Deputy Speaker, it seems to me, that now this Government switching over to dictatorship..........

उपाध्यक्ष महोदय : हम विधेयक के गुण-दोषों पर और सरकार के उद्देश्यों पर विचार नहीं कर रहे हैं। इस विधेयक को इस प्रकार पुरःस्थापित किया जा सकता है कि नहीं, आप इस सम्बन्ध में अपनी बात कह सकते हैं ······

Shri R.R. Sharma : This Bill is against the spirit of the constitution. Moreover, political workers of Bihar, Madhya Pradesh and Gujarat have been detained under MISA.

Shri Dinen Bhattacharya : In West Bengal also, political workers have been detained under MISA............

Shri R.R. Sharma : Government gave an assurance that MISA will not be used against political workers but it is happening. The statement of Objects and Reasons referred to "any act punishable under sections 302, 341, 505 and 506......". It meant that even for a small offence under section 505 and 506, action can be taken under this law. Therefore, I strongly oppose the introduction of this Bill.

श्री मोहन धारिया (पूना) : विधेयक के उद्देश्यों और कारणों सम्बन्धी कथन से पता चलता है कि यह विधेयक पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपद्रवी गतिविधियों को रोकने और उन पर नियंत्रण करने के लिये लाया गया है। इसका उद्देश्य बड़ा सीमित है फिर इसे समूचे देश में लागू करना अत्यन्त आपत्तिजनक है।

डा० कैलाश (बम्बई दक्षिण) : क्या यह समूचे देश के लिये हैं ?

श्री मोहन धारिया : यह समूचे देश भर के लिये है।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : जी, नहीं ऐसा नहीं है।

डा० कैलाश : यह केवल पूर्वोत्तरी क्षेत्र के लिये है।

श्री मोहन धारिया : विधेयक में यह कहीं नहीं कहा गया है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : हम इस क्षेत्र की समस्याओं से पहले इस कानून के बिना ही निपटते रहे हैं और इस क्षेत्र में अब स्थिति में काफी सुधार हुआ है। अतः अब ऐसी कौनसी स्थिति वहां उत्पन्न हो गई है कि हमें इस विधेयक को पास करने की आवश्यकता आ पड़ी है ····

श्री मोहन धारिया: मन्त्री महोदय को इस पर गम्भीरता से अध्ययन करना चाहिए और यदि उन्हें अनुभव होता है कि समूचे देश में ऐसे खतरे की सम्भावना है तो वह इस सदन में इस बारे में वक्तव्य दें। दूसरे, कुछ उचित प्रतिबन्ध लगाने की दृष्टि से अधिनियम लागू करना हमारे संविधान में अनुमत है। इसलिये इन पहलुओं को दृष्टि में रखते हुए इस बात की जांच करना अनिवार्य है और यह स्पष्टीकरण देना चाहिये कि यह संविधान सम्मत है अथवा नहीं। यह सच है कि ऐसे विधेयकों को पुरःस्थापित करना संविधान सम्मत है और व्यक्तियों पर उचित प्रतिबन्ध लगाने के लिये अधिनियम लागू किये जा सकते हैं। लेकिन यहां किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड के परामर्श के बिना ही तीन महीने के बजाये 2 साल तक नजरबन्द रखना उचित प्रतिबन्ध नहीं है। इन आधारों पर यह उचित विधेयक नहीं है। मन्त्री महोदय को इन पहलुओं की जांच करनी चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु: श्री मोहन धारिया ने जो कहा है उसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो मिजोरम के एक मन्त्री ने कहा है कि वहां की जनता पर इतना अत्याचार किया जा रहा है कि इन अत्याचारों का बदला लेने के लिये वहां की जनता भूमिगत तत्वों में शामिल हो रही है। नागालैंड और मिजोरम में ऐसे अत्याचार हो रहे हैं और उन्हें छिपाने के लिये इस विधेयक को लाया जा रहा है। यह असंवैधानिक है। यह विधेयक इस सदन की क्षमता से बाहर है।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्वी दिल्ली): सदन के सम्मुख प्रश्न यह है कि क्या इस सदन में इस विधेयक को इस स्तर पर पुरःस्थापित करने में कोई संवैधानिक अथवा प्रक्रिया सम्बन्धी आपत्ति है। संसद में प्रस्तुत किया जा रहा विधेयक बिल्कुल संवैधानिक है। संविधान ने संसद को सलाहकार बोर्ड की सलाह के लिये बिना कानून बनाने की शक्ति प्रदान की है और इसलिये इसे पास भी किया जा सकता है।

जब संविधान में व्यवस्था की गई है तो किसी प्रतिबन्ध के उचित अथवा अनुचित होने या न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर तो यह देखना न्यायालय का कार्य है फिर श्री मधु लिमये ने 1957 के उच्चतम न्यायालय के जिस निर्णय का उल्लेख किया है जोकि उस समय लागू हुआ था एक तकनीकी मामला है। अतः यह निर्णय यहां न्यायसंगत नहीं है। इस मामले में न संवैधानिक और ना ही प्रक्रिया सम्बन्धी कोई आपत्ति है। अतः इस विधेयक को इस सदन में पुरःस्थापित किया जाना चाहिये।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा): आज का दिन संसद की जीवन में सबसे अधिक अंधकारपूर्ण दिन है ······· और गृह मन्त्री महोदय इस देश की स्वतन्त्रता के कातिल के रूप में इस सदन में आये हैं। इस विधेयक का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपद्रवी तत्वों का समाप्त करना है। निसन्देह ऐसे तत्वों को समाप्त किया जाना चाहिये किन्तु यह जो भयंकर उपाय यहां लाया जा रहा है उसमें यह प्रस्तावित किया जा रहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्याप्त उपद्रव की स्थिति इतनी भयंकर नहीं है। उद्देश्य और कारणों सम्बन्धी कथन को कानून के उपबन्धों से कोई संगति नहीं है।

कोई भी यह जानना चाहेगा कि सलाहकार बोर्ड को मामला भेजे बिना नजरबन्दी की अवधि 3 महीने से बढ़ाकर 2 वर्ष करने से इन उपद्रवों को कैसे समाप्त किया जा सकता है।

इस विधेयक की कोई नैतिक अनिवार्यता नहीं है यद्यपि उसके लिये वैधानिक औचित्य भले हो सकता है। लेकिन हम इस विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने का घोर विरोध करते हैं।

Shri Madhu Limaye : Sir, I rise to a point of order. This discussion has gone astray. The point under discussion is whether item 14 of the order paper can remain there. The rules relating to this is........

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये। प्रश्न यह है कि क्या इस विधेयक को पुरःस्थापित किया जा सकता है अथवा नहीं। मैंने यह आरम्भ में ही कह दिया था कि मेरे मन में कई प्रश्न उठे हैं और मैं इन्हें मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं। जब मन्त्री महोदय उत्तर देंगे तब आप व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं.... अब आप व्यवधान मत उत्पन्न कीजिये।

श्री मधु लिमये : मैं यह कहना चाहता हूं कि नियम 72 के अन्तर्गत पीठासीन अधिकारी के लिये प्रश्न करना अनिवार्य हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय : यह अनिवार्य नहीं है।

श्री मधु लिमये : आप चर्चा की अनुमति नहीं दे सकते किन्तु आप प्रश्न कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री मधु लिमये : मद संख्या 14 इस आदेश पत्र में नहीं रखा जाना चाहिये क्योंकि यह नियमों की शर्तें पूरी नहीं करता है। उद्देश्यों और कारणों में बताया गया है कि यह विधेयक पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये है। यदि यह सच है तो सरकार को परिशिष्ट में मूल अधिनियम की धारा 1 और 2 अन्तः-स्थापित करनी चाहिये थी। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिये था कि यह विधेयक समूचे देश के लिये नहीं है बल्कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये ही है अतः उद्देश्यों और कारणों सम्बन्धी वक्तव्य अपूर्ण है, धोखा देने वाला भ्रामक है और इस वक्तव्य तथा परिशिष्ट के बीच कोई पारस्परिक सम्बन्ध नहीं है।

फिर इसमें प्रत्यायोजित विधान का भी ज्ञापन नहीं है। अतः इसे इस आवेश पत्र में नहीं लाया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या इस बिधेयक को आदेश पत्र में सम्मिलित किया जा सकता है क्योंकि इसके साथ प्रत्यायोजित विधान का ज्ञापन संलग्न नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि मन्त्री ने अब अध्यक्ष महोदय के पास नोटिस भेजा है और अब उन्होंने पूर्व दृष्टीय रूप से कुछ अपेक्षाएं पूरी कर दी हैं इसी कारणवश इसे एजेंडे में सम्मिलित किया गया है और माननीय सदस्य को ये बातें उठाने का अवसर मिला है। अतः मैं इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं देखता। अन्य प्रश्नों के बारे में बाद में देखा जायेगा।

श्री मधु लिमये : बाद में क्यों ? यह विधेयक नहीं है यह कूड़े की तरह है जिससे आदेश पत्र में सम्मिलित कर लिया गया है। इसे सब शर्तों को पूर्ण करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में मैं बाद में कहूंगा पहले मन्त्री महोदय को इन प्रश्नों का उत्तर देने दीजिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन व्यवस्था के प्रश्नों को कौन निपटायेगा?

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय के उत्तर के बाद देखा जायेगा। आपने यह बात उठाई है कि प्रत्यायोजित विधान का ज्ञापन होना चाहिये।

27 LSS/75—11.

श्री इन्द्रजीत गुप्त: वित्तीय ज्ञापन होना चाहिये।

श्री मधु लिमये: विधेयक का उद्देश्य और कारणों सम्बन्धी वक्तव्य अपूर्ण, दोषपूर्ण और गुमराह करने वाला है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: नियम 64 के अन्तर्गत यह अनिवार्य है कि विधेयक को प्रकाशित करते समय इसके साथ उद्देश्यों और कारणों वाला वक्तव्य होना चाहिये क्योंकि वक्तव्य विधेयक की विषय सूची और उसके उद्देश्य को स्पष्ट करता है और इससे विधेयक की आवश्यकता और इसके कार्य क्षेत्र एवं लक्ष्य की जानकारी में सहायक होता है।

एक मुख्य बात जो यहां बताई गई है यह है कि नजरबंदी के 3 महीने के भीतर सलाहकार बोर्ड के हस्ताक्षेप करने से असमय में महत्वपूर्ण जानकारी बाहर जाने का अन्देशा हो जाता है। इसलिये सरकार मामले को सलाहकार बोर्ड के पास भेजने के लिये समय सीमा 3 महीने से बढ़ाकर 2 वर्ष करने की व्यवस्था कर रही है। इस सदन को जान बूझकर भ्रम में डाला जा रहा है। क्योंकि संविधान में अनुच्छेद 22(6) के अन्तर्गत यह व्यवस्था है "खण्ड (5) के अन्तर्गत यह आवयश्क नहीं है कि कोई अधिकारी तथ्यों को बताने सम्बन्धी कोई वक्तव्य दे.........".।

उपाध्यक्ष महोदय: यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: क्या कोई विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता जिसका उद्देश्यों और कारणों सम्बन्धी विवरण गलत और भ्रामक हो........ (**व्यवधान**)

श्री सी० एम० स्टीफन (मदत्तुपुजा): किसी विधेयक को सदन में पुरःस्थापित करने की शर्त यह है कि उसे आदेश पत्र में शामिल किया गया हो। यह विधेयक आदेश पत्र में शामिल है, अतः इसकी शर्त पूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप उस प्रश्न को मत उठाइये। मैंने इस सम्बन्ध में निर्देश दे दिया है।

श्री सी० एम० स्टीफन: आपने निर्णय दे दिया है अब वे कहते हैं कि यह कार्यसूची में नहीं आना चाहिए क्योंकि उद्देश्यों और कारणों का विवरण स्पष्ट नहीं है और असंगत है तथा विधेयक के प्रयोजन को प्रतिबिम्बित नहीं करता है। प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में ऐसा कहीं नहीं है कि उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार होना चाहिए। नियम 65 गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों से सम्बन्धित है। नियम 64 सामान्य विधेयकों से सम्बन्धित है। इसमें कहा गया है कि अध्यक्ष, प्रार्थना किये जाने पर, किसी विधेयक को उद्देश्य और कारणों के विवरण, विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के बारे में ज्ञापन तथा वित्तीय ज्ञापन के सहित गजट में प्रकाशित करने का आदेश दे सकता है। इस नियम के अतिरिक्त कोई और ऐसा नियम नहीं है जो विधेयक पुरःस्थापित करने की प्रक्रिया के बारे में कहता हो। अतः उद्देश्यों और कारणों के विवरण में दोष होने से विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने में कोई बाधा नहीं आती है। नियम 65 के अनुसार अध्यक्ष उद्देश्यों और कारणों के विवरण में संशोधन कर सकते हैं किन्तु विधेयक को अस्वीकृत नहीं कर सकते। अतः यह मान लिया जाना चाहिए कि अध्यक्ष ने उद्देश्य और कारणों के विवरण की जांच की है और विधेयक ठीक है।

अध्यक्ष के निदेश 19 ख में दिया गया है कि कोई भी विधेयक तब तक पुरःस्थापित किये जाने के लिए कार्यसूची में नहीं आयेगा जब तक उस विधेयक की प्रतियां पुरःस्थापित किये जाने से कम से कम दो दिन पहले सदस्यों को न दी गई हों। यह विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक और गोपनीय विधेयकों के मामले में लागू नहीं होता है। यदि विधेयक दो दिन से पहिले पुरःस्थापित किया जाना है अथवा बिना प्रति परिचालित किये पुरःस्थापित किया जाना है तो एक ज्ञापन में अध्यक्ष को इसका कारण स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। अतः सारी प्रक्रिया ठीक है और हमें आगे कार्यवाही करनी चाहिये। पुरःस्थापित किये जाने के समय सदस्य दो आपत्तियां उठा सकते हैं। एक तो सामान्य आपत्ति है और दूसरी आपत्ति इस सभा की विधायी क्षमता के बारे में है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह उठाई गई है।

श्री सी० एम० स्टीफन : संविधान के अनुच्छेद 22 के उप-खण्ड 7(क) में कहा गया है कि वे परिस्थितियां तथा उन मामलों का वर्ग जिनमें सलाहकार बोर्ड की राय के बिना किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक की अवधि के लिये हिरासत में लिया गया हो तथा वह अधिकतम अवधि जिसके लिये किसी व्यक्ति को कानून के अधीन हिरासत में लिया गया हो। अतः इस कानून के अन्तर्गत संसद् कानून बनाने के लिये सक्षम है। केवल शर्त यही है कि इसे समय सीमा निर्धारित करनी चाहिये जिसके अन्तर्गत सलाहकार बोर्ड की राय न ली जाये। इस विधेयक में 2 वर्ष की सीमा है और उसके उपरान्त इसे राय के लिये भेजा जाना चाहिये। जब संविधान में यह उपबन्ध है कि आकस्मिकता में 3 महीने से अधिक अवधि के लिये सलाहकार बोर्ड को भेजे बिना हिरासत में रखा जा सकता है तो यह माना जाना चाहिये कि आकस्मिकता हो सकती है। यदि आकस्मिकता है तो संसद् को ऐसे विधेयक पर विचार करना चाहिये।

मैं नहीं समझता कि श्री मोहन धारिया ने जो बात उठाई है वह कैसे आ सकती है। विधेयक में दो आकस्मिकताओं का उल्लेख किया गया है, एक तो यह है कि ऐसे व्यक्ति को तब हिरासत में लिया गया है जब वह इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (एक), (दो) और (तीन) में निर्दिष्ट मामलों में से किसी मामले के विरुद्ध आचरण करता है तथा जब हिरासत में लेने वाला अधिकारी संतुष्ट हो कि वह व्यक्ति सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अधीन अधिसूचित किसी विक्षुब्ध क्षेत्र में इस धारा की उप-धारा (2) के अर्थ के अन्तर्गत विपरीत आचरण करता है। अतः यह तात्पर्य नहीं है कि सरकार किसी को भी कहीं हिरासत में ले सकती है। इस समय समस्या पूर्वोत्तर क्षेत्र से सम्बन्धित है। इस क्षेत्र में विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। दूसरे क्षेत्र के बारे में सरकार को विचार करना होगा। इस समय चर्चा बिल्कुल सीमित है। संविधान के अनुच्छेद 22 के उपखण्ड (7) के अधीन यह सभा विधान बनाने के लिये सक्षम है और विधेयक पुरःस्थापित किये जाने की अनुमति दी जानी चाहिये।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक को पुरःस्थापित करने का विषय चर्चाधीन है। इस सम्बन्ध में तीन बातें उठाई गई हैं। पहली बात संसद् की विधायी क्षमता के बारे में उठाई गई है। दूसरी आपत्ति उद्देश्यों और कारणों के विवरण के बारे में है। मैं समझता हूं कि यह आपत्ति ठीक है क्योंकि इसका विधेयक से कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता है। तीसरी आपत्ति इस बारे में है कि परिशिष्ट में यह नहीं दिया गया है कि सरकार किस-किस धारा में संशोधन करना चाहती है।

यह आपत्ति भी उठाई गई है कि उद्देश्यों और कारणों सम्बन्धी विवरण में केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र का संकेत किया गया है किन्तु अधिनियम में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। यह उचित नहीं है क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र कहने के बजाय यह कहा गया है कि यह उन सभी क्षेत्रों पर लागू होगा जहां सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम लागू होगा, और यह केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही लागू है। किन्तु सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम, 1958 में कहा गया है कि यह समस्त आसाम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र और मीजोरम पर लागू होता है। (व्यवधान)। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम, 1958 समस्त देश पर लागू होता है और उद्देश्यों और कारणों के विवरण का विधेयक से सम्बन्ध नहीं है। अतः इस आपत्ति का कोई आधार नहीं है।

धारा 15(क) तभी लागू होगी जब उप-खण्ड (क) और (ख) पूरे हो जाते हैं।

दूसरी आपत्ति अनुच्छेद 1 में संशोधन करने के बारे में उठाई गई है। चूंकि इस अधिनियम का विस्तार केवल कुछ सीमित क्षेत्र से है, अतः धारा 1 में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: जहां तक 1958 के अधिनियम का सम्बन्ध है यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही प्रभावी हो सकता है किन्तु हिरासत में तो कहीं भी सारे भारत में लिया जा सकता है जो उस क्षेत्र में तथाकथित गड़बड़ी का कार्य कर रहा हो। अतः यह कहना कि यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में लागू होता है, सही नहीं है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : किन्तु इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि उद्देश्यों और कारणों के विवरण का विधेयक की विषयवस्तु से सम्बन्ध नहीं है। यह राजनीतिक औचित्य का आधार हो सकता है, (**व्यवधान**)। चूंकि मैं भी सत्ताधारी दल से हूं किन्तु नागरिक स्वतन्त्रता के प्रश्न के बारे में मैं भी चिन्तित हूं। सभा को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

नियम 69 में यह नहीं दिया गया है कि प्रत्येक विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन होना चाहिये। जब हमने 2 वर्ष तक सलाहकार समिति से छूट ले ली है तो और अधिक व्यय नहीं हो सकता है। अतः वित्तीय ज्ञापन की आवश्यकता नहीं है। अतः नियम 69 और 70 का कोई उल्लंघन नहीं है।

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : विधेयक पुरःस्थापित करते समय सदन के समक्ष केवल एक ही आपत्ति है वह है, कानून बनाने के बारे में संसद् की विधायी क्षमता। हमें यह मालूम है कि संसद् को अवरोधक नजरबन्दी के बारे में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है।

यह संशोधन विधेयक है। मूल अधिनियम में नई धारा 15क अन्तःस्थापित कर इसकी धारा 15 का संशोधन करने का प्रस्ताव है...... (**व्यवधान**)। इस धारा के अन्तर्गत कुछ क्षेत्रों को विक्षुब्ध क्षेत्र अधिसूचित किया जा सकता है। विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों सम्बन्धी विवरण में स्पष्ट किया गया है। अतः इस विधेयक का कार्यक्षेत्र पर्याप्त रूप से सीमित है और हमें इस बारे में परेशान नहीं होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यों द्वारा जो प्रश्न किये गए हैं उन्हें मैं संक्षेप में मंत्री महोदय को रखना चाहता हूं और मेरा उनसे निवेदन है कि वे इसका स्पष्ट तथा पूर्ण उत्तर दें।

प्रश्न यह है कि क्या इस विधेयक को उस रूप में पेश किया जा सकता है या पेश किया जाना चाहिये जिस रूप में इसे सदस्यों में परिचालित किया गया है। इस प्रश्न के दो पहलू हैं। पहला तो यह है कि क्या यह विधेयक वे सारी औपचारिकताएं पूरी करता है जो विधेयक के विषय में निहित हैं। दूसरा यह कि क्या इस विधेयक को इसी रूप में पेश करने की संविधायी क्षमता सदन के पास है।

प्रथम पहलू के सम्बन्ध में कई आपत्तियां उठाई गई हैं। कहा गया है कि विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों सम्बन्धी विवरण में कार्यक्षेत्र का सही और पूर्ण विवेचन नहीं है। दूसरे शब्दों में उद्देश्यों तथा कारणों सम्बन्धी विवरण गुमराह करने वाला है।

हमारे नियमों में यह व्यवस्था है कि अध्यक्ष उद्देश्यों और कारणों के विवरण में संशोधन कर सकता है। आपको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में भेद करना है। कभी जल्दी में कुछ रह भी सकता है।

यद्यपि उद्देश्यों तथा कारणों सम्बन्धी विवरण में कहा गया है कि विधेयक पूर्वोत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों तक सीमित है फिर भी विधेयक से ऐसा प्रतीत नहीं होता इसीलिये उद्देश्यों तथा कारणों सम्बन्धी विवरण में संशोधन करने की आवश्यकता है। मंत्री महोदय इस प्रश्न पर विचार करें कि क्या विधेयक की धारा 15क देश में किसी पर लागू नहीं होगी? मैं व्यक्तिगत रूप से यह अनुभव करता हूं कि यद्यपि ऐसा अभिप्राय नहीं रहा फिर भी मसौदे में संशोधन करने की आवश्यकता है।......(व्यवधान)

अन्य प्रश्न यह पूछा गया है कि पूर्वोत्तर भारत में यदि बंगाल, दिल्ली अथवा मद्रास के किसी व्यक्ति ने अपराध किया है या करने की सम्भावना है तो क्या उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या यह सम्भव है कि यह विधेयक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है? मंत्री महोदय इस विषय पर हमें संतुष्ट करें। विधेयक की विषयवस्तु से उत्पन्न संशयों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि विधेयक के उद्देश्यों और कारणों सम्बन्धी विवरण में विधेयक के कार्यक्षेत्र का स्पष्ट संकेत मिलता है? यदि नहीं तो विधेयक के उद्देश्यों और कारणों सम्बन्धी विवरण में संशोधन करने की आवश्यकता है।

श्री मधु लिमये ने कहा है कि यदि इस विधेयक को पास कर दिया गया तो इससे सर्वोच्च न्यायालय की कई उद्घोषणाएं अमान्य हो जायेंगी। गृह मंत्री सदन को संतुष्ट करें। यदि उनका तर्क यह है कि इस विधेयक को पास करने से सर्वोच्च न्यायालय की उद्घोषणाएं अमान्य नहीं होंगी तो वे इसके कारण दें और हमें संतुष्ट करें।

दूसरी आपत्ति यह उठाई गई है कि विधेयक में विधान प्रत्यायोजन सम्बन्धी ज्ञापन भी होना चाहिये। इस विधेयक में सरकारी कर्मचारी की परिभाषा में कोई भी सरकारी कर्मचारी जैसा कि भारतीय दंड संहिता में दिया गया है, विदित है तथा इसमें संसद् सदस्य अथवा विधान सभा सदस्य अथवा संघ शासित प्रदेश का सदस्य या तत्कालीन कानून के अन्तर्गत गठित जिला या स्थानीय परिषद् का कोई सदस्य या किसी भी ऐसे कार्य या कार्य वर्ग में लगा कर्मचारी जिसकी सेवाएं राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत की रक्षा, असैनिक सुरक्षा, जन सुरक्षा तथा जन व्यवस्था बनाए रखने के लिये आवश्यक घोषित की जाएं, शामिल हैं। इससे केन्द्रीय या राज्य सरकार को यह घोषित करने का अधिकार मिल जायेगा कि अमुक वर्ग सरकारी कर्मचारी वर्ग है। वे किस प्रकार यह तय करेंगे? क्या उनको मार्गदर्शी सिद्धान्त, कुछ निदेश या नियम अथवा विनियम दिये जायेंगे जिसमें किसी को सरकारी कर्मचारी

घोषित करने की विधि विहित होगी ? यदि उन्हें मार्गदर्शी सिद्धान्त बतलाए जाते हैं तो स्पष्ट है कि यह विधान बनाने की शक्ति प्रदत्त करना होगा। अतः कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त होने चाहियें और वे सभा-पटल पर रखे जाने चाहियें ताकि हम संतुष्ट हो सकें।

यह भी आपत्ति उठाई गई है कि वित्तीय ज्ञापन नहीं है और वित्तीय ज्ञापन होना चाहिये। इस सम्बन्ध में यह कहा गया है कि पहले कानून यह था कि अपराधी को दो मास की अवधि के लिये जेल में रखा जा सकता था परन्तु अब सरकार दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिये अपराधी को जेल में रख सकती है। यदि अपराधियों को दो वर्ष से अधिक अवधि के लिये जेल में रखा जायेगा तो इससे व्यय अधिक होगा। अतः अतिरिक्त व्यय के लिये वित्तीय ज्ञापन भी होना चाहिये।

तीसरा प्रश्न विधान बनाने की क्षमता के बारे में है। सरकार कुछ वर्गों, संसद् सदस्यों को इस विधेयक का संरक्षण प्रदान करने पर विचार कर रही है। सरकार का विचार विधान सभा सदस्यों को भी यह सुविधा प्रदान करने का है। क्या हम विधान सभा सदस्यों के बारे में विधान बनाने में सक्षम है ? यदि संविधान में संशोधन होना है तो संशोधन किया जा सकता है। परन्तु यह साधारण कानून है। क्या हम ऐसा विधान बना सकते हैं जो विधान सभा सदस्य पर भी लागू हो ? मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इसे स्पष्ट करें।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : उपाध्यक्ष महोदय, यह दुख की बात है कि अनावश्यक बहुत शोर गुल किया गया है...... **(व्यवधान)** यदि माननीय विपक्षी सदस्यों ने इस विधेयक के सीमित क्षेत्र को समझने का प्रयास किया होता तो सम्भवतः ये प्रश्न न उठाए गए होते और इस प्रकार राजनीतिक उद्देश्य-पूर्ण भाषण न दिये होते...... **(व्यवधान)**

श्री मोहन धारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वाद-विवाद में भाग लिया है कोई भी राजनीतिक प्रयोजन नहीं था। यदि ऐसी बात है तो बड़े दुख की बात है...... (व्यवधान) राजनीतिक प्रयोजन क्या है...... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यहां हमारी कुछ न कुछ एक दूसरे से भिन्न विचारधारा है और मेरे विचार से यह कहना बिल्कुल संसदीय है कि आपका राजनीतिक प्रयोजन है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। गृह मंत्री के कुछ शब्दों पर उन्होंने आपत्ति उठाई है। गृह मंत्री उन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि गृह मंत्री उन सभी बातों का उत्तर दें जो उठाई गई हैं और सभा को संतुष्ट करें तो सभा उनको सुनेगी क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उत्तेजित है।

श्री समर गुह : महोदय राजनीतिक प्रयोजन वहां तो प्रयोग किया जा सकता है जब सामान्य वाद-विवाद हो। यहां तो सन्दर्भ कतिपय नियमों और प्रक्रिया का हैं जिन्हें अक्षरशः उधृत किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या गृह मंत्री को इस सन्दर्भ में राजनीतिक प्रयोजन शब्दों का प्रयोग करने का अधिकार है। उन्हें यह शब्द वापस लेने चाहिये। यहां केवल प्रक्रिया सम्बन्धी विषय चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय ने भी कुछ बातें जोड़ी हैं और वे भी इसमें शामिल हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी इसमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि मैं एक राजनीतिक प्रक्रिया के जरिये इस सभा में आया हूं और एक राजनीतिक व्यक्ति हूं। इन सभी के राजनीतिक प्रयोजन हैं।

श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी : इस विधेयक में केवल यह उपबन्ध है कि कपितय मामलों में विक्षुब्ध क्षेत्र में कुछ गड़बड़ी की गई हो तो फिर उन मामलों को सलाहकार बोर्ड के पास भेजना आवश्यक हो जाता है। इस विधेयक का सीमित क्षेत्र है। उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण विधेयक के अभिप्राय को पूरी तरह से प्रतिविम्बित करता है। धारा 15क (1) तथा पूरी धारा में मामला स्पष्टतः सीमित है फिर भी यदि आप इस धारा की विधेयक का अभिप्राय स्पष्ट करने के लिये फिर से वाक्य रचना करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नही है। अभिप्राय यह है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में गड़बड़ी है और इसके चलने की सम्भावना है और सुरक्षा सेनाओं को इनका अनुमान लगाने के लिये पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें गृह मंत्री की स्पष्टता तथा उदारता के लिये उन्हें धन्यवाद देना चाहिये उन्होंने इस बात को माना है कि इस विशेष खण्ड की पुनः वाक्य रचना की जा सकती है। सम्भवतः इस विधेयक का फिर से प्रारूप तैयार होने तक हम इस पर विचार स्थगित कर सकते हैं।

श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी : यह केवल पुरःस्थापित किया जाना है। विधेयक बाद में आयेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि पुरःस्थापित किये जाने की अवस्था भी काफी महत्वपूर्ण हैं। अतः मैं निवेदन करूंगा कि इसके बारे में कोई जल्दी नहीं है ये नया विधेयक पेश कर सकते हैं ...... (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि एक आश्वासन दिया जाये कि वे अन्तरसत्रावधि में अध्यादेश प्रख्यापित न करें। वे संसद् के प्रयोजन को ही समाप्त न करें।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक भिन्न प्रश्न है और मेरा इससे सम्बन्ध नहीं है। अध्यादेश प्रख्यापित करना राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार में है। यदि वे आवश्यक समझें तो कह सकते हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यदि मंत्री महोदय यह कह कर कि इसका सीमित क्षेत्र है, समस्त सभा का समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं बहुत से विपक्षी सदस्यों की ओर से यह कहना चाहता हूं कि हम इसे एक सीमित क्षेत्र के लिये भी नहीं चाहते हैं हम समस्त देश के प्रतिनिधि हैं और देश के सभी भागों के लोगों की स्वतन्त्रता के लिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका प्रक्रिया से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यदि यह केवल आसाम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम तक ही सीमित है। यह स्पष्ट किया जाना चाहिये कि हम गड़बड़ी के सम्बन्ध में कड़ी कार्यवाही करना चाहते हैं। वे वर्तमान कानूनों के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। हमने न केवल उद्देश्यों और कारणों के विवरण के बारे में ही आपत्ति उठाई है किन्तु अन्य बातों के बारे में भी आपत्ति उठाई है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा संबंध केवल पुरःस्थापित करने की प्रक्रिया से है। .... **(व्यवधान)**

श्री मोहन धारिया : यदि इस सत्र में इस पर विचार नहीं किया जायेगा तो इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की क्या जल्दी है।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : अभी तो इसे पुरःस्थापित ही किया जा रहा है । विधेयक तो आगामी सत्र में ही पारित किया जायेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं अतः आप बैठ जाइए । मैं मूलभूत प्रश्न को ले रहा हूं कि क्या इस विधेयक को इसी रूप में पेश किया जा सकता है । यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि, इसे पुरःस्थापित किया जाये और इसे अगले सत्र में पारित किया जाये । फिर जब इसे अध्यक्ष के नोटिस में लाया गया और सरकार को भी विधेयक के प्रारूप पर कुछ सन्देह हो गया तो अच्छा यही है कि इसका प्रारूप पुनः तैयार करके ही इसे पुरःस्थापित किया जाये . . . (**व्यवधान**)

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : हमें इसके बारे में कोई सन्देह नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी स्थिति पीठासीन अधिकारी के लिये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है । मैंने सदस्यों द्वारा उठाई गई बातों की ओर ही संकेत किया है । मैंने अपनी राय व्यक्त नहीं की है किन्तु मंत्री महोदय इससे उत्तेजित हुए हैं और उन्होंने कहा कि यदि आपको कुछ सन्देह हैं तो फिर से प्रारूप तैयार किया जा सकता है । मैं भी यही कहता हूं कि यदि उन्हें कुछ सन्देह है क्योंकि पूरा अर्थ नहीं स्पष्ट हुआ है अतः क्यों न एक ऐसा प्रारूप लाया जाये जो स्पष्ट हो . . . (**व्यवधान**) यदि मामला अविलम्बनीय है तो विचार किया जा सकता है किन्तु जब यह कहा गया है कि इसे अगले सत्र में लिया जायेगा तो क्यों न ऐसा विधेयक लाया जाये । जिसके बारे में स्वयं आप भी संतुष्ट हों ।

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है . . . (**व्यवधान**)

महोदय, इस व्यवस्था के प्रश्न को उठाकर मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं । इस प्रश्न के दो पहलू हैं । विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिये आग्रह न करने के औचित्य का प्रश्न एक बात है। इस पर तो विचार किया जा सकता है । परन्तु इस विधेयक को पेश करने के लिये सरकार को अनुमति देने का सरकार या इस सभा के अधिकार का प्रश्न एक भिन्न मामला है ।

अब दूसरे प्रश्न को लीजिये। कार्यसूची में जो विधेयक रखा गया है । उसे पेश किया जाना है जिस पर आपत्ति उठायी जा रही है । अब इस का निर्णय कौन अधिकारी करेगा ? अब मेरा निवेदन यह है कि सभा को यह निर्णय लेना चाहिये कि यह विधेयक पेश किया जाये अथवा नहीं । सभा को यह भी निर्णय करना है कि क्या यह विधेयक सभी तरह से पूर्ण है । . . . (**व्यवधान**) जब मामला सभा में आ चुका है और मंत्री महोदय ने विधेयक को पेश करने की अनुमति का प्रस्ताव पेश किया है तो पीठासीन अधिकारी को सभा से पूछना चाहिये (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें । मैं कहता हूं कि प्रक्रिया यह है कि इस स्थिति में सभा निर्णय करेगी और पीठासीन अधिकारी नहीं । किन्तु यदि पीठासीन अधिकारी को कोई सन्देह है कि चर्चा के बाद कुछ शर्तों का पालन नहीं किया गया है तो पीठासीन अधिकारी प्रश्न रखने से इंकार कर सकता है ।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं समझता हूं कि आपने अन्तिम रूप से फैसला नहीं किया है । (**व्यवधान**) ।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यदि पीठासीन अधिकारी प्रश्न रखने से इन्कार करता है तो सभा के पास उसका उपचार है । पीठासीन अधिकारी प्रश्न रखने से इन्कार नहीं कर सकता । सभा निर्णय करेगी । हमारा मार्गदर्शन प्रक्रिया सम्बन्धी नियम करते हैं ।

श्री कार्तिक उरांव (लोहरडगा) : मैं स्वयं अनुभव करता हूं कि इस विधेयक के पेश करने में कोई कठिनाई नहीं है । विधेयक पेश किये जाने के बाद संशोधन पेश किये जा सकते हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह विधेयक कार्यसूची में नहीं है । अतः कोई चर्चा नहीं होनी चाहिये । मुझे आशा है कि मित्रगण इसे स्थगित किये जाना स्वीकार करेंगे । गृह मंत्री के अनुसार भी इसमें कुछ दोषपूर्ण धारायें हैं । अतः इसे पेश नहीं किया जा सकता । यदि इस पर अगले सत्र में विचार किया जायेगा तो कोई मुसीबत नहीं खड़ी हो जायेगी ।

श्री सी० एम० स्टीफन : अब प्रश्न यह है कि एक बार जब विधेयक सभा में लाया गया है और अनुमति मांगी गई है तो क्या सभा को यह निर्णय करने का अधिकार है कि अनुमति दी जाये अथवा नहीं । यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका सोच विचार कर निर्णय लेना आवश्यक है । मैं मानता हूं कि आपका विनिर्णय इस मामले में अन्तिम नहीं है ।

पहले तो सरकार विधेयक पेश करने का नोटिस देती है । इसके बाद अध्यक्ष की अनुमति से इसे कार्यसूची में रखा जाता है और तत्पश्चात् मंत्री सभा की अनुमति मांगता है । फिर आपत्ति उठायी जाती है और वाद-विवाद चलता है । अब प्रश्न यह है कि यह कैसे समाप्त हो । मेरा निवेदन यह है कि यह नियम 72 के अन्तर्गत मेज़ पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के अनुसार और श्री काल और श्री शकधर के अनुसार समाप्त हो सकता है । आपके पास दो विकल्प हैं — या तो आप यह प्रश्न रखें कि क्या अनुमति दी जाये अथवा यह प्रश्न रखें कि क्या वाद-विवाद पर विचार स्थगित किया जाये ।

मेरा निवेदन है कि सभा से यह मामला दूर ले जाना बिल्कुल गलत है और आपको यह निर्णय करने का अधिकार नहीं है कि क्या इस पर निर्णय लेने के लिये सभा को अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स्टीफन, इसका सम्बन्ध सभा की प्रक्रिया और पीठासीन अधिकारी के कृत्य से है । आप पीठासीन अधिकारी के कार्य संचालन के बारे में एक बहुत मूलभूत प्रश्न उठा रहे हैं । अतः मैं विनिर्णय दूंगा । परन्तु अपना विनिर्णय देने से पहले मुझे श्री मधु लिमये और और श्री भगत को अवश्य सुनना चाहिये क्योंकि उनके विचार में यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

Shri. Madhu Limaye : Mr. Deputy Speaker, the decision given by you is the final decision and no body can challenge it, and therefore this bill is sent back. A decision has been taken about this Bill.......... (*Interruption*)........

I want to submit to you that it is not the first instance. So you kindly collect information from your secretariat before you give your ruling as to how many times the Bills, which did not fulfil the requirements, were sent back.

श्री उपाध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न यह है कि क्या पीठासीन अधिकारी प्रश्न रखने से इन्कार कर सकता है ।

श्री मधु लिमये : प्रश्न रखने से पहले आपको संतुष्ट होना पड़ेगा कि क्या नियमों की सभी शर्तें पूरी होती हैं । यदि आप संतुष्ट हैं तो तभी आप प्रश्न रख सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स्टीफन द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न से मेरा सम्बन्ध है। आपको विधेयक के बारे में इन बातों का मालूम है ।

Shri Madhu Limaye : After deciding this matter the question of "put the question" comes. He has said that if the Bill is in the Order Paper you will have to put the question.

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह ली है । श्री भगत ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : इससे पहले कि श्री भगत अपनी बात कहना चाहें, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । मुझे विश्वास है कि आप जो विनिर्णय दे रहे हैं वह हम सभी के अधिकारों के अभिरक्षक के रूप में दे रहे हैं । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके विनिर्णय का मूलाधार क्या है ?...

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मेरा तर्काधार मिलेगा **(व्यवधान)** । कृपया शांत रहें।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : आपका विनिर्णय यह था कि पेश करते समय यदि विधेयक का विरोध किया जायेगा तो सभा ही नहीं अपितु अध्यक्ष भी अपना स्वविवेक प्रयोग कर सकता है ...।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। आप मुझे गलत समझे मैंने तो यह कहा था कि अनुमति देने या न देने सम्बन्धी निर्णय करने का अधिकार सभा का अधिकार है । परन्तु सभा द्वारा निर्णय करने से पहले पीठासीन अधिकारी प्रश्न रखता है । प्रश्न रखने का अधिकार पीठासीन अधिकारी का है । मैंने यह भी कहा था कि जहां पीठासीन अधिकारी समझता है कि यदि इसमें कुछ संदेह है कि विधेयक नियमानकूल नहीं है, तो पीठासीन अधिकारी को प्रश्न रखने से इन्कार करने का अधिकार है ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं आपका बड़ा आभारी हूं । मैं यही पूछना चाहता था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय व्यवस्था का प्रश्न है। 6 बज चुके हैं । सभा स्थगित होनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा तभी स्थगित होती है जबकि पीठासीन अधिकारी इसे स्थगित करता है।

श्री एच० के० एल० भगत : यदि आप नियम 72 तथा इसका परन्तुक पढ़ें और नियम 109 भी... **(व्यवधान)** ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सुनने दीजिये । मैं इनको सुन रहा हूं।

श्री एच० के० एल० भगत : दो बातें हैं । मान लीजिये कि आपको संदेह है तो आप अपना विनिर्णय अभी दे दीजिये और इसे स्थगित मत करिये । अथवा आप अपने विनिर्णय को स्थगित रख सकते हैं । मंत्री महोदय ने पहले ही कह दिया है कि उन्हें कोई संदेह नहीं है ।

चर्चा केवल सभा के प्रस्ताव द्वारा ही स्थगित की जा सकती है । मेरा निवेदन यही है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह कहीं भी नहीं कहा कि चर्चा स्थगित की जा सकती है। मैंने यह भी नहीं कहा कि मैंने कभी विनिर्णय नहीं दिया है । मैंने नहीं कहा कि यह प्रश्न स्थगित किया जाना चाहिये अथवा विधेयक का प्रारूप दोबारा तैयार किया जाना चाहिये । **(व्यवधान)** कुछ सन्देह और प्रश्न उत्पन्न हुए थे और मैंने मंत्री से कहा था कि वह मुझे और सभा को संतुष्ट करें तो मंत्री ने कहा था कि यदि कोई संदेह हो तो मैं इसका प्रारूप दोबारा तैयार करने को तैयार हूं। मैंने यह नहीं कहा था कि विधेयक स्थगित किया जाये । यह तो गलतफहमी है । मैंने कहा था कि सभा इसका निर्णय करेगी **(व्यवधान)** परन्तु पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रश्न रखे जाने पर ही सभा निर्णय करेगी ।

(व्यवधान)

शांत, शांत ।

श्री मधु लिमये : 6 बज चुके हैं । आप सभा स्थगित करें।

(व्यवधान)

श्री बसन्त साठे (अकोला) : परन्तु जब तक आपको संदेह है तब तक आप इसे सभा के समक्ष नहीं रखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः मैंने कहा....... **(व्यवधान)** शांत, शांत। प्रश्न रखना या न रखना पीठासीन अधिकारी का अधिकार है ...

(व्यवधान)

नियम 72 से यह स्पष्ट है कि वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक के मामले में अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी की अनुमति का प्रस्ताव मतदान के लिये रखना ही होगा परन्तु अन्य विधेयकों के मामले में यह जरूरी नहीं है और उसकी इच्छा पर निर्भर करता है ? **(व्यवधान)** अब अधिक चर्चा नहीं ।

(व्यवधान)

मैंने विनिर्णय दे दिया है, कार्यवाही चलने दीजिये । **(व्यवधान)**

प्रस्ताव यह है कि विधेयक पेश किया जाना है अथवा नहीं।

श्री मधु लिमये : यह खत्म हो चुका है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अभी है । यह तो केवल प्रक्रिया है ।

(व्यवधान)

जब तक मैं इस बात से संतुष्ट न होऊं कि कोई नियमितता नहीं की गई है, हम यह प्रश्न नहीं रख सकते । इसपर हमें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिये ।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० के० रघुरामैया) : मंत्री उत्तर देना चाहते हैं।

श्री मधु लिमये : हम नहीं सुनना चाहते । वह जारी नहीं रख सकते।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सभा ने अभी तक यह निर्णय नहीं किया है कि यह कब तक बैठेगी ?

श्री वसन्त साठे : सदस्य अपने स्थान पर जायें। हम आपका निर्णय चाहते हैं कि क्या हमें सभा स्थगित करनी चाहिये या नहीं ?

श्री के० लकप्पा : क्या सदस्य मंच तक जा सकते हैं ?

श्री वसन्त साठे : क्या आप इन सदस्यों को मंच तक जाने की अनुमति दे रहे हैं ?

श्री के० लकप्पा : आपको सभा के अधिकार और प्रक्रिया नियमों की रक्षा करनी चाहिये । कृपया नियम देखिए। वे सभा के कार्य-संचालन में बाधा डाल रहे हैं । क्या आप यह सब चलने देंगे ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शांत ! शांत ! मैंने विधेयक पर कोई विनिर्णय नहीं दिया है। मैंने तो प्रश्न रखने या न रखने के अध्यक्ष के अधिकार पर विनिर्णय दिया था । इस विधेयक के बारे में मैंने कुछ भी नहीं कहा।

श्री मधु लिमये : नहीं, नहीं। (*Interruption*)

Shri Janeshwar Misra : We shall hear the tape.

उपाध्यक्ष महोदय : आप टेप सुनिये । मैंने तो केवल मंत्री से प्रश्न पूछा था ? (**व्यवधान**) विनिर्णय कोई नहीं था ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने मंत्री जी को बधाई दी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने बधाई दी थी (**व्यवधान**) कृपया शांत रहें। मैंने मंत्री को बधाई दी थी कि यदि वह स्वयं इसका प्रारूप पुनः तैयार करने की दृष्टि से विधेयक को वापस ले लेते हैं और एक अन्य विधेयक लाते हैं—किन्तु यह मेरा विनिर्णय नहीं है (व्यवधान) शांत रहें। यदि मंत्री ने अपना पूरा उत्तर दे दिया है, यदि वह हमें उन प्रश्नों के बारे में संतुष्ठ नहीं कर सकते जो मैंने उनसे पूछे हैं तो मैं इसे रखने या न रखने का अधिकार स्थगित रखता हूं। (**व्यवधान**) सभा तो सदन की सहमति से ही स्थगित की जा सकती है ।

श्री सी० एम० स्टीफन : जब तक वे वापस नहीं जायेंगे तब तक उनसे कोई उत्तर नहीं मिलेगा। यह बेशरमी है (**व्यवधान**)।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आप किस नियम के अंतर्गत सभा की कार्यवाही चलाते जा रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : नियम संख्या 15 के अंतर्गत । सभा में इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं निर्देश देता हूं कि सभा तब तक बैठेगी जब तक इस मामले पर निर्णय नहीं हो जाता ।

(व्यवधान)

Shri Shyam Nandan Mishra : I fail to understand as to why are you continuing the House ?

जब कि आप सभा में नियंत्रण नहीं रख सकते............ **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नियंत्रण रख सकता हूं यदि आप सभी लोग अपने स्थान पर जायें । दुसरे जब मंत्री महोदय उत्तर देने जा रहे हैं तो हमें उनको पूरा सुनना चाहिये।

Shri Madhu Limaye : It is 6 o'clock, kindly adjourn the House. You have changed your ruling several times..........(*Interruption*)

उपाध्यक्ष महोदय : विनिर्णय में परिवर्तन करने का प्रश्न ही नहीं । मैं सभा स्थगित नहीं करूंगा **(व्यवधान)**

श्री मधु लिमये : जब तक पहले कोई प्रस्ताव न लाया जाये तब तक सभा नहीं बैठ सकती।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आपने 6 बजे से पहले कोई निदेश दिया ? क्या 6 बजे से पहले कोई प्रस्ताव लाया गया था ?

उपाध्यक्ष महोदय : हां !

एक माननीय सदस्य : पीठासीन अधिकारी से कोई निदेश नहीं मिला और सभा 6 बजे स्थगित हो जानी चाहिये थी ।

श्री के० लकप्पा : आप कृपया अपने स्थान पर जाकर बात करें।

श्री वसन्त साठे : आप यहां क्यों खड़े हैं ? अपने स्थान पर जाइये । उपाध्यक्ष महोदय का घेराव करने का विचार है.................. **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप हमें भी कुछ समय देंगे ? एक प्रश्न उठाया गया है कि मैंने 6 बजे के बाद सभा के बैठने के सम्बन्ध में कोई निदेश नहीं दिया । ठीक 6 बजे जब मंत्री उत्तर दे रहे थे तो श्री ज्योतिर्मय बसु यह कह करके खड़े हो गये कि 6 बज गये हैं । हमें अब चलना चाहिये । उसी समय मैंने कहा "नहीं"................. **(व्यवधान)** शाँत, शांत । मुझे आज मंत्री को सुनना चाहिये । इसके बाद अनेक सदस्यों ने व्यवस्था के प्रश्न उठाये और उन्होंने वादविवाद में भाग लिया और इसका मतलब यही हुआ कि उन्होंने अपनी अनुमति दे दी कि सभा की कार्यवाही जारी रहनी चाहिये और यह जारी है................. **(व्यवधान)**

श्री श्यामनन्दन मिश्र : जिस समय आपने कहा था कि विधेयक का प्रारूप पुनः तैयार करना होगा, उसी समय विधेयक तो रहा ही नहीं । आप किस लिये सभा की कार्यवाही जारी रख रहे हैं ? क्या आप ऐसी स्थिति में सभा की कार्यवाही चला सकेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : सभा को स्थगित करने का अधिकार एकमात्र पीठासीन अधिकारी का अधिकार है। इस पर तो सभा भी निर्णय नहीं ले सकती है। किन्तु मैं तो केवल सभा की सहमति चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री समर गुह : आप सभा में नई कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। परन्तु आपके विनर्णय के बाद गृहमंत्री एक भी शब्द नहीं कह सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मैंने अपना विनिर्णय नहीं दिया है।

(व्यवधान)

श्री पी० जी० मावलंकर : महोदय, आपने कुछ प्रश्न बताये थे जिनका आपकी संतुष्टि के लिये गृह मंत्री को उत्तर देना था। अब जब कि मंत्री उत्तर देने के लिये खड़े हुए और ज्योंही उन्होंने एक बात कही त्योंही आपने उनको यह कहकर रोक दिया कि आगे चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है......

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने तो यह नहीं कहा। मैंने यह कहा है कि आप गलत चीजें पेश कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि वह विधेयक में संशोधन करने को तैयार हैं। तब मैंने कहा था कि अब चर्चा बन्द करना बेहतर होगा और विधेयक को संशोधन हेतु वापस ले लीजिए।

(व्यवधान)

मैं प्रश्न रख रहा हूं विनिर्णय नहीं। मैंने यह कभी नहीं कहा कि मैं विनिर्णय दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मंत्री के यह सुझाव देने के बाद कि प्रारूप में परिवर्तन उचित समय पर किये जा सकते हैं, उन्होंने कहा कि विधेयक को पेश करने की अनुमति दीजिये। अब यह पास नहीं होगा। इसे अगले सत्र में लिया जायेगा। उनके द्वारा दिया गया वह सुझाव भी आपने अस्वीकृत कर दिया। आपने कहा चूंकि यह पास नहीं होगा, इसलिये समूचे विधेयक का प्रारूप दोबारा तैयार करना बेहतर होगा। इसे पेश करने का सवाल नहीं है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जो कुछ कहा है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। किन्तु यह तो एक राय है और विनिर्णय नहीं।

(व्यवधान)

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मंत्री महोदय ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो इसमें रूपभेद किया जा सकता है। इसके बाद हमें पता लगा कि वह इसमें परिवर्तन उसी समय करने वाले थे। तब हमने आपत्ति उठायी कि परिवर्तन करने से पहले वे हमें परिचालित की जायें और एक नया विधेयक लाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अपना विनिर्णय कभी नहीं दिया। मैंने अपनी राय दी है।

श्री पी० जी० मावलंकर : यह तो स्पष्ट हो गया था कि यह एक सीमित क्षेत्र के लिये था समूचे देश के लिये नहीं। उस समय आपने कहा कि मैं दोषपूर्ण विधेयक को पेश करने की अनुमति नहीं दे सकता और इसे अगले सत्र के लिए छोड़ दीजिये। इसका मतलब यह है कि आपने गृह मंत्री को पूरा सुन लिया है। अगर आप गृह मंत्री को पूरा सुनना चाहते तो सुन सकते थे परन्तु आपने उनको टोक दिया और यह विचार व्यक्त किया। आप इसे विनिर्णय नहीं कहते हैं। परन्तु हम इसे आपका विनिर्णय मानते हैं। अतः आप सभा स्थगित कर दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कोई निर्णय नहीं किया है।

श्री के० रघुरामैया : जब पीठासीन अधिकारी ने यह कहा कि "यह जारी रहेगी।" तो क्या हमें इसका पालन नहीं करना चाहिये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात का निर्णय करने के लिये कि प्रश्न रखा जाये या नहीं मुझे मंत्री को सुनना चाहिये।

श्री त्रिदिव चौधरी (बरहामपुर): यदि मंत्री महोदय को सुनने के बाद आप अपना विचार बनाना चाहते हैं तो क्या हम उन्हें कल नहीं सुन सकते ?

अपाध्यक्ष महोदय : सभा की सहमति से।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आप मंत्री महोदय से कल बोलने के लिये कह सकते हैं। आप आज सभा स्थगित कर सकते हैं।

Shri S. M. Banerjee : My submission is that the House is adjourned today as there is no hurry to pass the Bill and the Home Minister is himself prepared to redraft it.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि सभा को स्थगित करना पीठासीन अधिकारी का एकमात्र परमाधिकार और उत्तरदायित्व है। परन्तु सभा की मनोवृति भी देखी जानी चाहिये सभा के एक भाग का कहना है कि सभा स्थगित की जाये। मैं सभा के दुसरे भाग को भी सुनना चाहूंगा और उसके प्रवक्ता संसदीय कार्य मंत्री हैं। उन्हें क्या कहना है ?

श्री के० रघुरामैया : सामान्यतः यह सब नहीं होता। परन्तु आज कुछ असामान्य स्थिति उत्पन्न हो गई है। अगर समायोजन की बात होती तो मैं स्वेच्छा से कुछ करता। गृह मंत्री ने बोलना ही शुरू किया था और भाषण समाप्त नहीं हुआ था। इस मामले में पीठासीन अधिकारी ने कोई विनिर्णय नहीं दिया है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि सभा स्थगित की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अच्छा है। इसके लिये मैं श्री रघुरामैया का आभारी हूं। उन्होंने जो कुछ कहा उसका मैं समर्थन करता हूं। मंत्री के उत्तर के दौरान हस्तक्षेप के रूप में उनसे कुछ प्रश्न पूछने थे और इस मामले में कोई विनिर्णय नहीं रहा है।

अब यदि सभा की राय है तो मैं सभा स्थगित कर सकता हूं ।

माननीय सदस्यगण : हां।

अपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 11 बजे तक के लिये स्थगित होती है ।

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार 8 मई, 1975/18 वैशाख 1897 (शक) के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday May 8, 1975/Vaisakha 18, 1897 (Saka)

MGIPRRND—27 LSS/75 —Sec· V III—13 -9-75—200

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

1238 LS—1.